राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6 चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का 13वां दिवस संख्या 7

मंगलवार,

दिनांक 27 जनवरी, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.09 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री सांवरमल बासोतिया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, वन, अकाल सहायता, समाज कल्याण, वित्त, चिकित्सा, सिचाई, पंचायत, खाद्य, परिवार नियोजन, यातायात, श्रम और चुनाव विभाग)।

नेहरू प्राथमिक शाला मांडासी

141. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नेहरू प्राथमिक शाला मांडासी दिनांक 1-1-68 से राज्याधीन कर ली गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार शाला के दो अध्यापकों की सेवाएं भी राज्याधीन कर ली गई थीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन दोनों अध्यापकों का वेतन दिनांक 1-1-68 से 31-12-68 तक का बकाया पड़ा है ?

(4) क्या राज्य सरकार इन अध्यापकों का बकाया वेतन देना उचित समझती है ? यदि हां, तो इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) और (4) वेतन चुकारे की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री सांवरमल बासोतिया : वेतन की स्वीकृति दी जा चुकी है पर पेमेन्ट कब होगा ?

श्री धीरसिंह : पेमेन्ट का काम पंचायत समिति के द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार ने तो जो पैसा था वह पंचायत समिति को ट्रान्सफर कर दिया है। आगे जानकारी आप इस बारे में पंचायत विभाग से ले सकते हैं। वहां से पेमेन्ट होगा।

श्री सांवरमल बासोतिया : स्वीकृति आपके द्वारा कब दी गई थी ?

श्री धीरसिंह : स्वीकृति उसको टेक ओवर करने के बाद जब सेन्क्शन निकाली है—डेट मेरे पास नहीं है—उसके बाद दी जा

Page No 2

(श्री धीरसिंह)

चुकी है, और पंचायत समिति को यह अमाउन्ट ट्रान्सफर कर दिया गया है, और पंचायत समिति इसका पेमेन्ट करेगी।

श्री सांवरमल वासोतिया : क्या पंचायत मंत्री जी इस पर गौर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग मामला है।

दूसरा प्रश्न, श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

अमलावदा खरन में जंगलात की भूमि

142. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि छीपाबडौद पंचायत समिति के बी. डी. ओ. व प्रधान ने मिलकर अमलावदा खरन में जंगलात की 200 बीघा जमीन नाजायज तरीके से काश्त की है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन में वन विभाग का घना जंगल खड़ा था जिसकी कीमत कम से कम ' लाख रुपये होती है ?

(3) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) केवल 90 बीघा भूमि पर नाजायज काश्त की गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो इन्होंने प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में कहा है "जी नहीं" तो आपने इस बात की जांच कराई है ? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि घना जंगल नहीं था ?

श्री नारायणसिंह : मेरी सूचनानुसार वहां पर बड़े वृक्ष नहीं थे 100-200 छोटे-मोटे वृक्ष थे और उनकी कीमत 300 रुपये आंकी गई थी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ओर मंत्री महोदय की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि यहां पर सागवान और कैंथ वगैरह के कई बड़े पेड थे। आपने यह जवाब दिया है कि केवल 90 बीघा काश्त की गई है तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। करीब 200 बीघा पर काश्त की गई है। यह 300 बीघा का बीड़ था और इस पर हर साल घास की कटाई होती थी। इस पर जबरन काश्त की गई है और काफी जंगल को नुकसान पहुंचाया गया है और उस जंगल की लकड़ी उनके निजी उपयोग में काम आई है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री नारायणसिंह: मेरी सूचना के अनुसार 90 बीघा का है, प्रधान और बी.डी.ओ. दोनों के मुचलके हो चुके हैं। बाकी जंगल तो, मेरे पास ऐसी सूचना है कि, इतना घना जंगल नहीं था वैसा ही जंगल था जैसे आस पास जंगल नजर आते हैं।

श्री प्रेमसिंह : क्या अब भी उनका कब्जा है उस पर ?

श्री नारायणसिंह : यह उनका 67 में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कब्जा है क्या ?

श्री नारायणसिंह : कब्जे का प्रश्न क्या है ? पंचायत समिति के लोगों ने किया है, कब्जा भी है तो पंचायत समिति का है, मुकदमा इस समय चल रहा है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि जो 90 बीघा जमीन पर कब्जा किया था वह सरपंच और प्रधान ने किया था ?

श्री नारायणसिंह : पंचायत समिति की तरफ से की गई थी एफ. आई. आर. उन पर दर्ज भी कर दी थी, जो जिम्मेदार हैं उनके जमानत मुचलके हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : सब्जूडिस है ?

श्री नारायणसिंह : सब्जूडिस है।

श्री श्रवणलाल : क्या वह जमीन अब जंगल विभाग के कब्जे में है ?

श्री नारायणसिंह : जंगल विभाग की है तभी तो मुकदमा दर्ज किया है।

श्री श्रवणलाल : नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि मौजूदा स्थिति में वह जमीन पंचायत समिति के प्रधान के हक में है या वन विभाग के तहत में ?

श्री नारायणसिंह : वन विभाग के तहत में।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

तहसील सांचोर में अकाल राहत कार्यों में लगे ट्रकों का किराया

143. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में इस वर्ष अकाल सहायता में ग्राम हुडिचा, कछिला बगरूडी में प्राइवेट ट्रक द्वारा लोगों को पीने का पानी सप्लाई किया गया था ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ट्रक वाले को अभी तक पानी ढोने का किराया नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो अब तक कितना किराया बाकी है, और उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(3) उपरोक्त ट्रक मालिक का किराया पानी देने का कब तक चुका दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उप मंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। ऐसी कोई व्यवस्था इस वर्ष सं. 2026 की अभाव स्थिति के दौरान नहीं की गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ट्रक का यह पिछले साल का प्रश्न है, वहां अकाल के समय पानी की कमी थी तो ट्रक कलेक्टर ने लगाया था, उस ट्रक वाले को पैसे अभी तक नहीं दिये गये हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रश्न तो इस वर्ष का पूछा था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस वर्ष का नहीं मैंने पूछा है कि फेमीन में पानी की सप्लाई के लिये ट्रक कब लगाया गया? ट्रक लगा दिया पर उसको पेमेंट करने के बारे में आब्जेक्शन्स वगैरह चल रहे हैं। अब कब तक उसको पेमेंट कर दिया जावेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : पिछले नवम्बर-दिसम्बर में ट्रक लगाया गया था। जिलाधीश और राज्य सरकार के बीच बातचीत चल रही है, पत्र व्यवहार चल रहा है जल्दी ही पेमेंट कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 144

श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 146!

श्री शिवनाथसिंह!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओम त भाटी!

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में निर्माण कार्य

147. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में टी.बी. वार्ड, आई वार्ड, मेट्रन्स बेंगलो, नर्सेज होस्टल को बने कितना समय हुआ ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पर ओवर हैड टेंक्स किसी पर नहीं है ?

(3) बिना ओवर हैड टेंक्स के फ्लश सिस्टम से टट्टी व पेशाब घर कैसे साफ होते हैं व स्नानघर में पानी कैसे आता है विशेषतौर से वर्तमान समय में जब कि पानी की पूर्ति बिल्कुल अपर्याप्त व अनियमित है ?

(4) इतने बड़े अस्पताल में उपरोक्त कारण से गंदगी व दुर्गन्ध के कारण अनहाइजिनिक स्थिति का होना कहां तक उपयुक्त है ?

(5) क्या सरकार अतिशीघ्र ओवर हैड टेंक बनावेगी ?

राज्य मन्त्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) सन् 1952 ई. में जब से महात्मा गांधी अस्पताल बना था तब से इसमें टी.बी. वार्ड, मेट्रन बेंगलो व नर्सेज होस्टल बने हुए हैं। वर्तमान आई वार्ड गत विश्व युद्ध के दौरान में बनाया गया था।

(2) जी हां, यह सत्य है कि उपरोक्त पर ओवर हैड टेंक्स किसी पर भी नहीं हैं।

(3) फ्लश सिस्टम की टट्टी व पेशाब घर मैन पाइप से प्रवाहित हैं। परन्तु कभी कभी अपर्याप्त पानी मिलने पर सफाई में कमी अवश्य रहती है।

(श्रीमती सुमित्रा)

(4) सफाई पर यथा संभव ध्यान दिया जाता है और पर्याप्त पानी प्राप्त करने के लिये कार्यवाही चल रही है।

(5) ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री ओमदत्त भाटी : किस तारीख से यह ओवर हैड टैंक्स के निर्माण का काम प्रारम्भ किया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : तारीख तो मेरे पास नहीं हैं, पर माननीय सदस्य जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको मालूम होना चाहिये कि काम शुरू हो गया है।

श्री ओमदत्त भाटी : 15 दिन पहले तो शुरू हुआ नहीं था, अभी कोई सप्ताह भर में शुरू हो गया हो तो पता नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : उसकी मंजूरी दे दी गई है और मैं समझती हूं कि कार्य प्रारम्भ हो गया होगा।

श्री ओमदत्त भाटी : मंजूरी का प्रश्न नहीं, आपने कहा कि शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : शुरू कर दिया होगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : पहले कहा कि शुरू कर दिया है और अभी बाद में कहा कि शुरू हो गया होगा।

श्रीमती सुमित्रा : वह शुरू हो गया है।

प्रश्न संख्या 148

श्री रामकुमार नन्दवाना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम पंचायत मांडवला के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

149. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत मांडवला, तहसील जालोर के खिलाफ कोई शिकायत ग्राम मांडवला के लोगों ने की थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि कलक्टर जालोर को इस शिकायत पत्र की स्वयं या उप जिला विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त सरपंच के खिलाफ जो शिकायत थी उसकी आज तक जांच नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ? अब जांच कब तक होने की आशा है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, दिनांक 20-6-68 तथा 9-9-68 को शिकायत की थी।

(2) जी हां, दिनांक 1-7-68 एवं 24-9-68 को जिलाधीश जालोर को जांच के आदेश दिये गये थे।

(3) इस मामले की प्रारम्भिक जांच हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या परिणाम निकला जांच से ?

Page No 6

श्री परसराम मदेरणा : प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में जो आरोप सरपंच के खिलाफ लगाये थे, उनका साबित होना पाया गया।

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 150।

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 151।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 152।

श्री लक्ष्मण तानीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बृजवल्लभ बोहरा।

कोटा जिले के परिवार नियोजन केंद्र

153. **श्री बृज वल्लभ बोहरा (दीगोद):** क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में किस किस स्थान पर परिवार नियोजन केन्द्र हैं ?

(2) प्रत्येक केन्द्र पर मौजूदा कितना स्टाफ है और उनकी तनख्वाह एवं भत्ते का मासिक खर्चा क्या है ?

(3) 1 जनवरी सन् 69 से हर माह किस किस केन्द्र में कितनी महिलाओं एवं पुरुषों के आपरेशन हुए ?

(4) डिपार्टमेंट द्वारा कितने केस लाये गये और स्वेच्छा से कितने ?

राज्य मंत्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) व (2) इस सम्बन्ध की वांछित सूचना सदस्य महोदय की जानकारी के लिये तालिका 'क' में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वांछित सूचना तालिका "ख" में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सभी केस विभागीय कर्मचारियों द्वारा लाये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बृज वल्लभ बोहरा : सदन की मेज पर रख दिया पर कापी अभी तक दी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य ने ली नहीं होगी, हमने तो रख दी।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न और पूछिये।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : सूची ही नहीं है तो क्या पूछें।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : कितने ओपरेशन हुए हैं यह बता दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : लम्बी चौड़ी लिस्ट है, काफी समय लगेगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): आॅन ए पोइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन सर। ऐसी सूची का सवाल हो तो कहा जाता है कि आपने ली क्यों नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमें अधिकार है क्या कि हम आपकी

(श्री मदनसिंह)
मेज से उठा कर ले जायं ? आखिर क्या कायदा है सूची प्राप्त करने का ?

श्रीमती सुमित्रा : सदन की मेज पर रखी जाती है, प्रश्न के उत्तर के साथ आपको मिलनी चाहिये वहां से ले लें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ी सी देर से तशरीफ लाये इसलिये उनको दे नहीं सके । और कोई प्रश्न हो तो पूछ लें ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : प्रश्न के भाग 4 के जवाब में कहा है कि सभी स्वेच्छा से आये हैं । मैं मन्त्री महोदया को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा लाया गया है, उन लोगों को प्रलोभन देकर लाया गया है, फंसा कर लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : रुपए का प्रलोभन दिया जाता है ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रलोभन दिया जाता है । पारिवारिक सुखमय जीवन व्यतीत करने का बाकी और तो कोई प्रलोभन नहीं ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उनसे कहते हैं कि पैसा मिलेगा और गरीब लोग पैसे के चक्कर में आ जाते हैं । परिवारों में काफी झगड़े होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रति आपरेशन पर दिया जाता है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां, क्षतिपूर्ति के लिए हर आपरेशन पर 16) दिये जाते हैं और मोटीवेशन के 7) होते हैं । जब स्वयं ही पत्नी मोटीवेटर हो जाय या पति हो जाय तो 7) और मिल जाते हैं । इस प्रकार इनके 23) और जिसका मोटीवेटर दूसरा है तो उनको केवल 16) दिये जाते हैं ।

श्री प्रेमसिंह : क्षतिपूर्ति किस बात की ?

श्रीमती सुमित्रा : अस्पताल में दो दिन रहेंगे अच्छा खाएंगे दवा इत्यादि ।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या यह सही है कि जो आपरेशन्स हुए हैं, उनमें ओल्ड एज के अधिक हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : यह अलग से प्रश्न है, क्यों कि प्रश्न में नहीं पूछा गया या कि उनकी एज क्या क्या है ।

श्री मदन सिंह दांता : तो यह भी नहीं कहा गया कि केवल जवानों के लिए पूछेंगे ।

श्री अध्यक्ष : वृद्धावस्था कब शुरू होती है, यह नहीं पूछा गया ।

नेक्स्ट : श्री चुन्नीलाल इंदलिया ।

ग्राम पंचायत कानूता के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कानूता के सरपंच श्री हेमसिंह को पंचायत समिति सुजानगढ़ की लगातार पांच बैठकों में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सदस्यता

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
से हटाने का नोटिस दिया गया था जिसे राज्य सरकार ने अपने आदेशानुसार स्थगित कर दिया और मीटिंगों में भाग लेने दिये जाने का आदेश समिति को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री हेमसिंह फिर भी तीन साल से पंचायत समिति की मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं ? उपरोक्त विषय में चार साल से स्थगित आदेश क्यों चल रहे हैं ? और फैसला क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री हेमसिंह पंचायत कानूता की बैठकों में भी शामिल नहीं होते और न उपसरपंच को ही चार्ज दिया हुआ है ? क्या यह भी सही है कि उपसरपंच बिना चार्ज लिए ही काम कर रहे हैं ? क्या पंचायत के सारे कार्य इस स्थिति में अवैध नहीं हो जावेंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ की सहवृत सदस्या श्री अन्नी देवी की गैर हाजरी का मामला भी उपरोक्त प्रकार ही राज्य सरकार के पास चार साल से पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):
(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 14–7–66 एवं 15–7–66 की बैठकों के अतिरिक्त श्री हेमसिंह ने पंचायत समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया। राज्य सरकार के पास श्री हेमसिंह एवं श्रीमती अन्नीदेवी की निगरानी दिनांक 8–7–66 को पेश होने पर स्थगित आदेश दिया गया। निश्चित सुनवाई दिनांकों को प्रार्थियान के उपस्थित नहीं होने से सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए कार्यवाही विचाराधीन है। इसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 12–2–70 निश्चित है।

(3) जी हां सरपंच को जब तक राज्य सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कर हटाया नहीं जाता, तब तक उप सरपंच को चार्ज देने का प्रश्न नहीं उठता। उप सरपंच सरपंच की अनुपस्थिति में पंचायत का कार्य करने के लिए अधिकृत है। इसलिए पंचायत के कार्य अवैध होने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। श्री हेमसिंह की निगरानी के साथ ही श्रीमती अन्नी देवी का मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री चुन्नी लाल इंदलिया: यह मामला राज्य के पास कब तक विचाराधीन रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय, पंचायत का काम ठप्प पड़ा हुआ है। सरपंच गांव में नहीं जाता है। पंचायत समिति को लगातार मीटिंगों में तीन साल से भाग नहीं ले रहे हैं और राज्य सरकार इस तरह के मामले को कब तक विचाराधीन रखेगी, समझ में नहीं आता।

श्री परसराम मदेरणा: यह क्वासी-जुडीशियल मामला है। निगरानी मेरे पास है। बैठक में भाग न लेने की इतला प्रधान ने नहीं दी। ऑन दी फेस ऑफ इट जो निगरानी है उसमें ये दो डिफेक्ट्स थे कि उसको हटाने का जो नोटिस दिया है, वह प्रधान, पंचायत समिति के खुद के हस्ताक्षरों

(श्री परसराम मदेरणा)
से नहीं दिया जा सकता, कोई भी एग्जीक्यूटिव आर्डर या पंचायत समिति का रिजोल्यूशन है तो हस्ताक्षर बी. डी. ओ. के होने चाहिये। दो बातों को देखकर निगरानी को मंजूर करते हुए 11 तारीख डाली लेकिन कभी वहां तामील नहीं हुआ, कुछ बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। एक मीटिंग के समय तो करफ्यू लागू हो गया। अब 20 तारीख निश्चित की गई है। मैं समझता हूँ, फैसला हो जायगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है कि हमारा सरपंच ग्राम पंचायतों की मीटिंगों में नहीं आता है इसलिए उसे हटाया जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। इस प्रकार का कोई ग्राम पंचायत का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आए इस प्रकार का कानून भी नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि फलां सरपंच आज तक लगातार पंचायत समितियों की मीटिंगों में भाग नहीं ले रहे हैं और जिसको कई बार पंचायत समिति ने राज्य सरकार के पास भेजा है लेकिन आज तक ..

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास निगरानी विचाराधीन है। इसके बाद मीटिंग नहीं अटेंड करने ... पंचायत ... सक्षम है, राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, न लोकल स्टेडी है राज्य सरकार की।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के तमाम सदस्यों ने लिखा है कि सरपंच रेकार्ड नहीं देता है, इसलिए हम अलग मीटिंग कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य अगर सरपंच पंचायत की मीटिंगें अटेंड नहीं करता है तो प्रस्ताव पास करके, नोटिस देकर उनको हटाना चाहिए। राज्य सरकार इसमें क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

राहत कार्यों से लगे मजदूरों के वेतन का भुगतान

155. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों में लगे किस किस जिले के कितने कितने मजदूरों का कितना वेतन कब कब से बकाया है और क्यों ?

(2) ऐसी बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में किस किस जिले में कितने कितने मजदूरों के किस किस माह के कितनी कितनी मजदूरी के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और कब से ?

उपमंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

Page No 10

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर कैसे आएगा ? दूसरा अकाल शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष : दोनों का साथ दे दो आप।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने पिछली बार इस सदन में कहा था कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दे दिए हैं कि 31-10 तक अकाल का जितना लेबर है और जिनको भुगतान करना है, सब को पेमेंट 31 अक्टूबर तक हो जायगा, तो क्या यह मानकर चलें कि 31 अक्टूबर तक पेमेंट नहीं हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मानकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि यह हाइपोथेटीकल सवाल है लेकिन यह जानकारी की बकाया कितनी है, कौनसे जिलों की है, यह पूर्ण सूचना राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने की प्रार्थना की गई है।

श्री भैरोंसिंह : कब तक आएगी ?

श्री परसराम मदेरणा: मैं तो इसी सत्र में इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। आज ही वायरलेस दे रहा हूं कि इन्फरमेशन जल्दी से जल्दी 10 दिन में पहुंचनी चाहिए।

प्रश्न सं. 156

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह।

कल्याण सोना बीज की खरीद

157. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सेवर द्वारा इस वर्ष रामपुरा निवासी श्री रूपसिंह नामक किसान से कल्याण सोना का उन्नत किस्म का गेहूं का बीज 150) रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किसान के पास केवल 54 क्विंटल कल्याण सोना गेहूं का बीज था और इतने ही का कृषि विभाग द्वारा ग्रेडिंग किया गया था परन्तु उसके स्थान पर 80 क्विंटल गेहूं उक्त किसान से लिया जाकर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कैसे और किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में यह शिकायत की गई है कि प्रधान पंचायत समिति सेवर ने 26 क्विंटल अपना ऐसा गेहूं जो कल्याण सोना नहीं था बिना ग्रेडिंग कराए ही उक्त श्री रूपसिंह के बीज के साथ मिलाकर पंचायत समिति को दे दिया गया है और भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जिससे किसानों में भारी असंतोष है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):

(1) जी हां।

(2) बीज जिला कृषि अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार खरीदा गया। पंचायत समिति के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि संबंधित किसान के पास 54 क्विंटल बीज ही ग्रेडिंग किया हुआ था।

Page No 11

(श्री परसराम मदेरणा)

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नत्थीसिंह : जिला कृषि अधिकारी ने जो आपको सूचना दी थी वह कितने बीज खरीदने की दी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस काश्तकार से बीज खरीदा गया।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी जब काश्तकार का नाम देता है तो पहले सर्टीफिकेट उनसे लेते हैं कि हमारे बीजों की ग्रेडिंग कितनी हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है। ग्रेडिंग कम हुई है जितना आप कहते हैं, यह सूचना मुझे अभी प्राप्त हुई है लेकिन जिला कृषि अधिकारी ने जो पत्र विकास अधिकारी को लिखा है, उसमें यह बात जरूर लिखी थी कि दो से खरीदा था। एक तो आप स्वयं हैं और एक दूसरा काश्तकार है। उसमें न तो आपका नाम लिखा है न रूपसिंह का कि कितना क्विंटल बीज ग्रेडेड है। यह बात जब नोटिस में आई।

श्री नत्थीसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जितना ग्रेडेड बीज होता है उतना ही काश्तकार से ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। अनग्रेडेड बीज को खरीद नहीं सकते। नियम है आपका कि जो बीज ग्रेडेड नहीं हुआ है, आप खरीद नहीं सकते। उन्नत किस्म का होना चाहिए। इसमें जो 26 बोरी बीज खरीदा है वह प्रधान का स्वयं का है जो बिना ग्रेडेड है। यह पंचायत समिति ने कैसे खरीदा, कृषि अधिकारी नहीं कहता है कि अनग्रेडेड बीज खरीदो।

श्री परसराम मदरणा : श्री रूपसिंह के पास से 80 क्विटल बीज खरीदा गया। उसमें से 54 क्विटल ग्रेडेड था बाकी अनग्रेडेड था। आपका कहना है कि यह बाकी जो 54 क्वि. से ऊपर था उसके बीच वाला जो आता है वह बीज प्रधान का है यह सही नहीं है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वह यही है कि साधारणतः वह बीज खरीदते हैं जो ग्रेडेड बीज है। दूसरा बीज क्यों खरीदा उसके लिए मैं जांच करा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह।

बीड काल्या खाल की घास का ठेका

158. श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीड काल्या खाल ग्राम पंचायत क्षेत्र गगारोन जिला कोटा के घास का ठेका पंचायत गगारोन को दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों में ? उक्त ठेके की रकम कब कब कहां जमा की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इसी बीड का ठेका पंचायत काल्या तलाई तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ या झालावाड़ जिले के किसी दूसरी पंचायत को भी दिया गया था ? यदि हां तो कब और कितने रुपयों में ? इस ठेके की रकम कितनी, कब और कहां जमा की गई ?

Page No 12

(श्री जुझारसिंह)

(3) क्या यह सही है कि डी.एफ.ओ. कोटा को बीड़ के घास का ठेका फाइनल करने का अधिकार था ? यदि हां, तो उस बीड का ठेका फाइनल नहीं किया जाकर राज्य सरकार की आज्ञा हेतु क्यों भेजा गया और कब भेजा गया व राज्य सरकार द्वारा क्या आदेश कब दिये गये ?

(4) सन् 1969–70 के लिए काल्या खाल बीड़ का ठेका कब फाइनल किया गया व इस दरमियान मवेशियों की चराई आदि से कितनी कितनी घास का ठेकेदार को नुकसान हुआ ? इसकी जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(4) 1969–70 में इस बीड का ठेका नहीं देकर दिनांक 15–10–69 को इस बीड को विभागीय चराई के लिए रखने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था। ठेकेदार को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने डिप्टी मिनिस्टर को सेव करने के लिए कितना गलत जवाब दे रहे हैं। इसका मुझे ताज्जुब है। क्या यह सही है कि गागरोन पंचायत ने कुछ रकम भी जमा कराई थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गागरोन की पंचायत और काल्या खाल की पंचायत, दोनों पंचायतों ने अर्नेस्ट मनी की रकमें जमा करवाई थीं लेकिन ठेका फाइनेलाइज नहीं हुआ था।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि आपने गागरोन पंचायत से 23-7-69 को और 2-8-69 को रकम दो किश्तों में जमा करवाई ? अगर करवाई, तो किस पेटे जमा करवाई ?

श्री नारायणसिंह : एडवान्स और अर्नेस्ट मनी के रूप में।

श्री जुझारसिंह : अगर ठेका नहीं दिया गया तो रकम जमा कैसे करवाई ?

श्री नारायण सिंह : इसके अन्दर दोनों पंचायतों में विवाद था और जिस वक्त यह खत्म हुआ तो जो रकमें उन्होंने जमा करवाई थीं वे वापिस कर दी गई। पहले ठेका देने का था, लेकिन इस बीच में राज्य सरकार ने यह तय किया कि जहां जहां घास काटने लायक है वहां किसी को ठेका नहीं दिया जाये खासकर वहां जहां कि एक पंचायत से दूसरा आसपास का क्षेत्र मिलता हो। इसलिए ठेका नहीं दिया गया और रकमें वापिस कर दी गई।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों पंचायतों के कम्पीटीशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पहले ठेका हुआ 23-7-69 को। गगराना पंचायत जिसके अन्तर्गत यह बीड आता है उसने लिया। पहली रकम तो 23–7–69 को जमा करा दी और बाद में रकम 2–8–69 को जमा करा दी। ठेका कम्पलीट हो चुका। फोरेस्ट के डिप्टी मिनिस्टर दूसरी पंचायत समिति के आदमी

Page No 13

(श्री जुझारसिंह):
में इन्ट्रेस्टेड थे। उन्होंने उतनी ही रकम उन्हीं तारीखों में जमा करायी। रूल में न होते हुए भी डी.एफ.ओ. को पेश किया और कहा कि ठेके की रकम जमा कराओ, गवर्नमेन्ट के आदेश मेरी पंचायत समिति के कक्ष में भिजवा दूंगा। दूसरी पंचायत समिति की रकम बाद में जमा करायी गयी क्या यह सही है?

श्री नारायणसिंह: गगरानी पंचायत ने आधी रकम जमा करायी पूरी नहीं कराई। दूसरी सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं उसकी मुझे वाकफियत नहीं है। 2-8-69 को उन्होंने भी पूरी रकम जमा करायी और दूसरी पंचायत समिति ने भी करायी। राज्य सरकार के आदेश थे कि उन बीडों का घास रिजर्व करना चाहिए और अशान्ति के वातावरण को देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया कि विभागीय तौर पर इसको रखा जाय और ठेका नहीं दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: दोनों ही ठेके निरस्त किये गये।

श्री नारायणसिंह: और रकम वापिस को गयी।

श्री जुझारसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर सही नहीं है। रकम जुलाई में जमा हुई। अगस्त में झगड़ा चलता रहा। सितम्बर में मंत्री महोदय ने एक्सेप्ट किया कि गगराना को ठेका दे दिया जावेगा। गगराना पंचायत का बीड है और गगराना पंचायत ने इसका ठेका लिया था। नोर्मल जस्टिस के पोइन्ट ऑफ व्यू से गगराना को देना चाहिए था और दे दिया था। खुद उपमंत्री फोरेस्ट ने बेजा तरीके से इन्टरफियर करके उस बीड के ठेके को रोका है।

श्री नारायण सिंह: आदेश बाद में जारी इसलिए हुए थे कि कई बीडों के ऐसे ठेके हो गए थे। उन सब को सही प्रकार से रकम लौटायी गयी अकाल की स्थिति थी। नाजायज तौर से कार्यवाही हुई है तो जुर्माना होगा और सख्त कार्यवाही होगी।

श्री जुझारसिंह: अकाल के पोइन्ट ऑफ व्यू से घास को कलेक्ट करना फरमाया था नजदीक के बीडों में कितना घास इकट्ठा कर पाये?

श्री नारायण सिंह मसूदा: अलग से प्रश्न है।

श्री जुझार सिंह: अलग से प्रश्न नहीं है। ठेका उन्होंने दे दिया। क्या उन्होंने यह महसूस किया कि अकाल की दृष्टि से यह जरूरी है?

श्री नारायणसिंह: कई प्रकार के ठेके दिये गये चितौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनको कैंसिल किया गया।

श्री जुझारसिंह: एक प्रश्न और फरमाओ आप। आपके कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट को कितने का ठेका फाइनल करने का अधिकार है?

श्री नारायणसिंह: आपने डी. एफ. ओ. के लिये पूछा है। डी. एफ. ओ. के जो अधिकार में था वह किया और कन्जरवेटर को रिपोर्ट किया। अशान्ति का वातावरण बना हुआ था जो राज्य सरकार को रेफर किया और आदेश दिये।

Page No 14

श्री जुझारसिंह : डी. एफ. ओ. के ऊपर एक अधिकारी और है उसको भी अधिकार हैं उसको कहां तक फाइनेलाइज करने के अधिकार हैं ?

श्री नारायणसिंह : अधिकार का प्रश्न नहीं है और कोई परिस्थितियां हों तो ऊपर उसको रेफर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर फोरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिये ऐसा जवाब दे रहे हैं। जानबूझकर पिड़ावा की पंचायत समिति को प्रिफरैन्स देने के लिये यह किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करा लेंगे और जो आपके पास प्रमाण हैं वह भी मंत्री महोदय को दे दें।

श्री नारायणसिंह : जांच करा लूंगा और प्रमाण देख लिये जावेंगे।

श्री जुझारसिंह : जो मवेशी ट्रेसपास करके आई और पंचायत पिडावा ने जबरदस्ती चरायी उनके ऊपर पैनेल्टी और फाइन होगा ?

श्री नारायणसिंह : उनके ऊपर पैनेल्टी और फाइन होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 159

श्री रामकुमार सपोटरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 160

श्री रामप्रसाद बोहरा

(अनुपस्थिति कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 161

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 162

श्री गंगासहाय

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 193

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रूपसिंह।

परिवार नियोजन पर व्यय

164. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जनवरी, 1958 से लेकर 31 दिसम्बर 1969 तक परिवार नियोजन पर कितने रुपये खर्च हुए ?

(2) परिवार नियोजन के काम पर कितने डाक्टर, लेडी डाक्टर व कम्पाउन्डर लगे हुए हैं ?

(3) इस अर्से में कितनी औरतों के लूप लगाये व कितने आदमियों के नसबन्दी के आपरेशन किये गये व इनमें से कितने केसेज असफल रहे ?

राज्यमंत्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जनवरी, 1966 से लेकर दिसम्बर, 1969 तक कुल रुपये 3,03,88,0,289 3 खर्च हुए जिसमें माह दिसम्बर का अनुमानित खर्चा लगभग 12 लाख रुपये सम्मिलित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (किशनपोल जयपुर) : किस पर खर्च हुए ?

श्रीमती सुमित्रा : फैमिली प्लानिंग पर।

(2) परिवार नियोजन के कार्य पर 109 डाक्टर 65 लेडी डाक्टर तथा 4 कम्पाउण्डर लगे हुए हैं।

(3) इस अर्से में 40,306 औरतों के लूप लगाये और 65,910 आदमियों के नसबन्दी के आपरेशन किये गये।

नसबन्दी आपरेशनों के असफल रहने के सम्बन्ध में केवल जिला चूरू से राज्य सरकार को सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और वह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजवी श्री रूपसिंह : इस सवाल के पैरा 3 में आपने जो जवाब फरमाया है कि सरकार के पास जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है और वह विचाराधीन है मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उसका फैसला कब तक कर देगी ?

श्रीमती सुमित्रा : ऐसे तो कुछ अंश तक उसका फैसला कर दिया गया है जो संबंधित डाक्टर्स हैं जिनके ओपरेशन असफल रहे थे उनको हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार के ओपरेशन न करें। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है यह प्रश्न विचाराधीन है क्योंकि रिपोर्ट अभी थोड़े दिन पहले ही प्राप्त हुई थी।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि जिला नागौर के कस्बा मकराना में श्रीराम नामक व्यक्ति ने नसबन्दी करायी थी और उसने जिलाधीश वगैरह को शिकायत की थी कि उसका ओपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और वह कमजोरी महसूस करता है और अपने आपको मर्द महसूस नहीं करता है ?

श्रीमती सुमित्रा : वैसे इस प्रश्न से इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ताल्लुक भी नहीं है और कोई व्यक्ति ऐसा भी कहने के लिये तैयार नहीं हो सकता है ?

श्रीमती सुमित्रा : साइकोलोजिकल पेशेन्ट है और हमने एक्जामिन करा लिया है। आपकी शिकायत गलत है।

श्री विजयसिंह : वह साइकोलोजिकल नहीं है ...

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य भी साइकोलोजिकली इफेक्टेड हैं।

श्री विजयसिंह : उसने यह भी कहा था कि मुझे चाहे जहां ट्राई करा लीजिये। मैं ऐसा महसूस करता हूं। डी. एम. एच. एस. ने कहा कि रोज रोज दाम खाने से ऐसा होता है दूसरी जगह कोशिश करो तो उसने कहा कि और जगह तो कोशिश नहीं कर सकता। मेरे पास आपकी नर्सेज को भिजवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : टेरिबल, टेरिबल।

राजवी श्री रूपसिंह : ऐसे ओपरेशन्स का परसेन्टेज कितना है ?

श्रीमती सुमित्रा : नेग्लीजेबल। पांच दस केसेज ऐसे हो सकते हैं जहां लाखों ओपरेशन्स हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : परिवार नियोजन के कार्यक्रम से बर्थ कन्ट्रोल में कितना परिवर्तन आया है ?

श्रीमती सुमित्रा : निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सारे इण्डिया के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1. कुछ का फर्क पड़ा है। मैं समझती हूँ कि इतना ही राजस्थान में भी फर्क पड़ा होगा क्योंकि पहले हमारी जन्म दर 41 प्रति हजार थी। अब 39.9 प्रति हजार है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.): क्या यह सही है कि लूप लगाने के बाद उसी डाक्टर के समक्ष लेडीज अपना लूप उतार कर फेंक देती है ?

श्रीमती सुमित्रा : सामने तो निकाल कर नहीं फेंकती, पीछे जाकर फेंक देती होगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या अस्पतालों में उन लेडीज के एड्रेसेज लिए जाते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : पूरे पते लिए जाते हैं और रेकार्ड रखा जाता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : ऐसी स्त्रियां केवल पैसा कमाने के लिए लूप उतारकर फेंक देती है और फिर दूसरा लगवा लेती है यह एक तरह से मोरेल डाउन करने की बात नहीं मानते ?

श्रीमती सुमित्रा : उसी अस्पताल में नहीं आती हैं दूसरी जगह जाकर लगवा सकती हैं ?

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जो औरतें लूप लगाती हैं उनके कारण गलत ब्लीडिंग हो जाने की वजह से कई औरतों की डेथ्स भी हो चुकी हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : ऐसा एक भी केस मेरे सामने नहीं आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए मन्त्रिमण्डल के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने लूप या नसबन्दी करवाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ताकि लोगों पर उनका प्रभाव पड़ सके ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई फैसला है ?

श्री मदनसिंह : तीस तीस रुपया मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भगवानदास शास्त्री।

भूतपूर्व अजमेर राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजे गये शिक्षक

165. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) 1-1-56 के पहले जो शिक्षक बी. एड. के लिए अजमेर राज्य सरकार

(श्री भगवानदास शास्त्री)
द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जामिया मिलिया इस्लामिया कालेज, दिल्ली में भेजे गये थे वे कब वापिस लौटे और कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् नियुक्त किया गया ? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर वालों को ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड कब और किस वर्ष दिया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के प्रशिक्षकों को 1957 में ही लौटते समय ट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड दे दी गई थी ? यदि शिक्षण समाप्त होते ही राजस्थान के प्रशिक्षकों को शीघ्र नियुक्त कर यह ग्रेड दे दी गई तो अजमेर के प्रशिक्षकों को 1956 से 1961 तक क्यों नहीं ट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड दी गई ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : 1-1-56 से पूर्व सन् 1955-56 में 10 अध्यापकों को सीनियर बेसिक कोर्स (बी. एड) प्राप्त करने हेतु जामिया मिलिया देहली में भेजे गये थे तथा उन्हें प्रशिक्षण से वापिस लौटने पर दिनांक 24-4-56 से पुनः पद स्थापन कर दिया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 10-8-56 से शिल्प उद्योग अध्यापकों के पद भूतपूर्व अजमेर राज्य के शिक्षा विभाग के संचालक के आदेश दिनांक 10-8-56 के द्वारा इन अध्यापकों को पदोन्नति दे दी गई है। प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29-6-57 द्वारा इन पदों की अवधि 23-2-61 तक बढ़ाकर नियमित कर दिया गया है। तथा इन्हें अपेक्षित ग्रेड दे दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सत्य है कि 1956 से पहले ही बी. एड. कर लिया था और उनको पदोन्नति दे दी गई थी लेकिन उनका फिक्सेशन उसमें नहीं हुआ है ?

श्री धीरसिंह : अजमेर स्टेट में टेम्परेरी पोस्ट के अगेन्स्ट में थे। 56 में जब राजस्थान में विलीनीकरण हुआ जिसकी स्वीकृति 29-6-57 को राजस्थान सरकार ने दे दी। उसके बाद उनका इस ग्रेड में फिक्सेशन हुआ। पहले जो टेम्परेरी पोस्ट के अगेन्स्ट में थे उनके सम्बन्ध में मामला विचाराधीन था। उनका कहना यह है कि जब उनको अजमेर स्टेट के समय उस ग्रेड में ले लिया था तो उनकी सीनियरिटी लिस्ट उसी आधार पर बनायी जाय इस तरह से उनकी इन्टरलेरड सीनियरिटी लिस्ट मानी जाय। यह मामला विचाराधीन है।

श्री भगवानदास शास्त्री : वैसे तो अजमेर के सारे मामले उलझन में हैं जो पदोन्नति समिति बनाई गई है उसको आज तक निरस्त नहीं किया है इसका क्या कारण है ?

श्री धीरसिंह : विलीनीकरण के पश्चात् जो भी बातें सामने आयी हैं उन पर विचार कर रहे हैं यह मामला भी समिति

(श्री धीरसिंह)

के विचाराधीन है उनको टेम्परेरी पोस्ट पर प्रोमोट किया गया था। राजस्थान सरकार ने इसकी स्वीकृति 29-6-57 को दे दी थी उनके हिसाब से वे चाहते हैं कि इन्टरलेरड सीनियरिटी लिस्ट बनायी जाय। यह मामला समिति के सामने विचाराधीन है।

प्रश्न सं. 166

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री केशरीसिंह हाड़ा।

वनों का विकास

167. श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिंडोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार वनों के विकास के लिए निजी खण्डों की एक योजना लागू करने का विचार कर रही है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार छोटे वनों का निर्माण करके निश्चित अवधि के लिए उनके उपभोग एवं विकास हेतु देने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार ने इसके नियम व उपनियम बना लिये हैं?

(4) क्या विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा हेतु सतर्कता गश्ती दल का गठन किया गया है? यदि हां, तो यह दल किस किस जिले में अपना कार्य आरम्भ कर चुका है? हर एक दल में कितने आदमी हैं, क्या साधन हैं और किस प्रकार के अधिकार किस कानून या नियम उपनियम के तहत दिये गये हैं?

(5) चराई से सुरक्षा के लिए दीवारों पर अब तक विभाग कितना व्यय कर चुका है और आइन्दा कितना व्यय होने का अनुमान है?

(6) राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितने वर्गमील में वन था?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): (1) जी हां।

(2) योजना अभी विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, गश्ती दल राज्य स्तर पर कायम हुआ है। जिला स्तर पर नहीं। गश्ती दल में निम्नलिखित कर्मचारी, अधिकारी नियुक्त किये गये हैं:

(क) उप वन संरक्षक	1
(ख) सहायक वन संरक्षक	1
(ग) क्षेत्रीय	1
(घ) उप क्षेत्रीय	1
(च) सहायक वनपाल	1
(छ) वन रक्षक	2

यह सभी कर्मचारी वर्तमान स्वीकृत स्टाफ में से ही लिए गये हैं व वन संरक्षक श्री महेन्द्र प्रकाश की देख-रेख में कार्य करते हैं। गश्ती दल एक ही है। इस दल ने अभी तक निम्नलिखित जिलों में वनों का निरीक्षण किया है। यह दल जहां जहां से वन अपराध सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होती हैं वहां वहां राज्य सरकार तथा मुख्य वन संरक्षक के निर्देशानुसार जांच करता है:

Page No 19

(श्री नारायणसिंह)

अजमेर

पाली

सिरोही

उदयपुर

चित्तौड़गढ़

टोंक

सवाई माधोपुर

कोटा

झालावाड़

बूंदी

भरतपुर

अलवर

जयपुर

गश्ती दल को आवश्यकता होने पर जीप व अन्य विभागीय वाहन के उपयोग की व्यवस्था की जाती है। गश्ती दल के सदस्य राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारी हैं। अतः उक्त अधिनियम के अनुसार वन अपराध की रोकथाम व पकड़ने सम्बन्धी अधिकारों का ये उपयोग करते हैं।

(5) वर्तमान परिस्थिति में वनों के पुनर्वास हेतु उनको कुछ समय तक चराई से सुरक्षा आवश्यक होती है। इसी उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु निम्नानुसार क्षेत्रों को बाढ़ लगाकर सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया है :

वन विकास योजना के प्रावधान से हुआ व्यय

प्रथम योजना	—
द्वितीय योजना	12.798 लाख रुपये
तृतीय योजना	11.590 लाख रुपये
1966 से 1969	30.06 लाख रुपये

चतुर्थ योजना में प्रावधान 30.00 लाख रुपये दीवार बनाने में पृथक से कोई व्यय का हिसाब नहीं रखा गया। दीवार तथा अन्य प्रकार की बाड़ पर कुल उपरोक्त व्यय में उस क्षेत्र में आवश्यक भू-संरक्षण कार्यों पर हुआ व्यय भी सम्मिलित है। चतुर्थ योजना में अनुमानतः इस कार्य पर 30 लाख रुपये व्यय होगा।

(6) एकीकरण के समय राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल लगभग 15000 वर्गमील था।

श्री केसरी सिंह हाडा : क्या यह सत्य नहीं है कि इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी राज्य सरकार इन वनों को संरक्षण नहीं दे पा रही है ?

श्री नारायणसिंह : जितनी रकम लगा रहे हैं उतना संरक्षण तो हो रहा है।

श्री केसरीसिंह हाडा : राज्य सरकार द्वारा जो दीवारें बनाई गई हैं वहां पर अभी तक पेड़ नहीं पनप पाये हैं ?

श्री नारायणसिंह : जहां दीवारें बनायी हैं वहां पर आस पास के क्षेत्र से परिणाम भिन्न है। दीवारें बनाने का काम शनैः शनैः हो रहा है उसी हिसाब से पेड़ों का संरक्षण हो रहा है। दीवारें बनने के बाद एक दम दरख्त उग जायं यह बात हो नहीं सकती एक दम सारे परिणाम आ भी नहीं सकते।

श्री केसरीसिंह हाडा : माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने देखा होगा बाई पास जो बून्दी से जाता है वहां आपने पेड़ों को संरक्षण देने के लिए दीवारें बनायी हैं। आपने अपने

(श्री केसरीसिंह)
दीरों के दौरान देखा की कोई पेड़ पनपा भी है ?

श्री नारायणसिंह : साधारणतया मुझे जो जानकारी है उस आधार पर जो दीवारें बनायी गई हैं वहां पेड़ पनपे हैं। आप जिस स्थान विशेष के लिए फरमा रहे हैं उसके लिए मैंने गौर नहीं किया।

श्री जुझारसिंह : आपने जो दीवारें खड़ी की हैं उसा असेसमेण्ट करवाया है इससे कितना फायदा हुआ है ?

श्री नारायणसिंह : एन्क्लोजर की वजह से कितना फायदा हुआ इसका असेसमेण्ट नहीं करवाया है और इस प्रकार का असेसमेण्ट करवाना भी कठिन है।

श्री जुझारसिंह : जब आप एन्क्लोजर के लिए इतना खर्च कर रहे हैं तो आपको समय समय पर असेसमेण्ट करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि कितना इससे फायदा हुआ है ?

श्री नारायणसिंह : वन विकास के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष पहले एन्क्लोजर बनाये जाते हैं। यह प्राथमिक कदम है। उसके बाद प्लान्टेशन करना होता है सोइल कन्जरवेशन करना पड़ता है और उसके बाद जाकर तीस साल बाद पेड़ पैदा होते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : माननीय मंत्री महोदय ने अपने विभाग से पूछा नहीं है इस बारे का रिकार्ड आपके विभाग के पास है।

श्री जुझारसिंह : वनों के संरक्षण के बारे में निजी योजना क्या है ?

श्री नारायणसिंह : यह योजना विचाराधीन है।

श्री जुझारसिंह : दो साल से आप यही स्टेटमेन्ट देते जा रहे हैं निजी वनों के बारे में योजना विचाराधीन है यह कब तक विचाराधीन रहेगी।

श्री नारायणसिंह : निजी वनों के बारे में जो विचार है उसके बारे में नाना प्रकार की विचारधारायें सामने आ रही हैं। इसमें सीलिंग का प्रश्न भी आ जाता है। यह पूंजीवादी व्यवस्था में तो ठीक हो सकता है। समाजवादी व्यवस्था में कहां तक ठीक रहेगा यह भी विचारणीय विषय है। एक यह भी विचार आता है कि निजी वनों की सीमा 25 एकड़ तक की कर दी जाय। लेकिन जिसको यह दिया जायगा वह इतना रुपया लगा सकेगा भी कि नहीं क्योंकि वनों के विकास में काफी रुपया लगता है। तीस चालीस वर्ष लग जाते हैं पेड़ के पनपने में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न सं. 168

श्री बालसिंह सोढा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल बुरासिया।

हाई स्कूल केकड़ी का छात्रावास

169. श्री देवीलाल बुरासिया : (केकड़ी सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर में हाई स्कूल का पब्लिक छात्रावास चलता था ? अगर हां, तो उक्त छात्रावास कब से

(श्री देवीलाल बुरासिया)

किन कारणों से बन्द है और किस आदेश के तहत बन्द किया गया ? आदेश की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त छात्रावास के स्टाक में कितना सामान था और वह सामान किसके पास है, पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें । क्या उक्त छात्रावास में दानदाताओं द्वारा कमरे बनाये गये थे ? यदि हां, तो कितने ?

(3) उक्त दान दाताओं द्वारा बनाये हुए कमरे अब किस कार्य में आ रहे हैं ?

(4) क्या केकड़ी नगर में छात्रावास होना अनिवार्य सा प्रतीत नहीं होता ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने छात्रावास खोलने में क्या कदम उठाये हैं ? क्या भविष्य में उसे खोलने का इरादा रखती है या नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह): (1) शाला में छात्रावास चलता था तथा शिक्षा संचालक, अजमेर राज्य के आदेश क्रमांक सामान्य 190 20155 दिनांक 414155 के द्वारा बन्द किया गया । आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) छात्रावास के स्टाक में जो सामान था वह अभी भी राजकीय उच्च माध्यमिक शाला केकड़ी के पास मौजूद है । सामान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । उक्त छात्रावास में दानदाताओं तथा जन सहयोग से 3 कमरे, 3 रसोई घर खपरैलों के एक क्वार्टर छात्रावास अधीक्षक के लिए बनवाये गये ।

(3) उपरोक्त कमरों में से 6 कमरे, एक क्वार्टर व 3 रसोई घर तहसील केकडी को दे दिये गये थे एवं अभी भी उनके कब्जे में हैं । दो कमरे राजकीय प्राथमिकशाला केकड़ी के कार्य में आ रहे हैं ।

(4) शालाओं के लिए छात्रावास चलाने का सरकार का फिलहाल इरादा नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री देवीलाल बुरासिया : मैंने प्रश्न के खण्ड 1 में यह भी पूछा था कि किन कारणों से इसे बन्द किया गया है ?

श्री धीरसिंह : अजमेर स्टेट ने बन्द किया था उसकी कापी मैंने सदन में पेश की है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : पर इसमें भी यह नहीं बताया कि किन कारणों से ?

श्री धीरसिंह : कापी आपके पास है । इसमें लिखा है कि–

"With reference to the correspondence resting with your letter dated 4th March, 1965, I have to say that the portion of the said building is used as a Hostel. The Head Master of the school is being asked to vacate the building at the close of the current session and to hand over the vacant possession to whomsoever you suggest."

यह गवर्नमेंट आफ अजमेर का आर्डर है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : इसमें भी कारण नहीं बताये ?

श्री धीरसिंह : यह तो इसमें भी नहीं है । काफी पुराना मामला हो गया है और कागजों में भी हमने तलाश किया पर कारण नहीं मिले ।

Page No 22

श्री देवीलाल बुरासिया : डाइरेक्टर साहब ने दूसरी बिल्डिंग किराये पर लेकर चलाने की बात हैड मास्टर को लिखो थी क्या यह सही है ?

श्री धीरसिंह : यह अलग से प्रश्न है । पर जैसा मैंने बताया नये छात्रावास खोले जाने की सरकार को योजना नहीं है । और हैड मास्टर ने कोई छात्रावास किराये पर नही लिया और इसके बाद से ही यह बन्द है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि दानदाताओं की बनाई हुई यह बिल्डिंग तहसील कार्यालय के काम आ रही है ?

श्री धीरसिंह : जी हां ।

श्री देवीलाल बुरासिया । यह तहसील को क्यों दे दी गई ?

श्री धीरसिंह : यह तो इस फाइल में कहीं लिखा नहीं है कि इसके पीछे क्या बैक ग्राउन्ड था ?

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या सरकार इस आर्डर को कैंसल नहीं कर सकती ?

श्री धीरसिंह : कर सकती है पर आवश्यक नहीं समझती अब ।

श्री देवीलाल बुरासिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें आठ कमरे हैं, छः सात हजार का सामान बेकार पड़ा है । केकड़ी नगर में एक भी छात्रावास नहीं है, छात्रों को आवास की बड़ी कठिनाई है । बार बार मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है, पर फिर भी गौर नहीं किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम जोरावरपुर में सरपंच द्वारा किये गये भूमि के पट्टे

170. श्री विजयसिंह : (मकराना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत क्षेत्र गोठियाणा ग्राम जोरावरपुर में खसरा नम्बर 256 सरकारी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर पशुओं के वर्षा में बैठने के काम में आता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर में बिना पूर्व स्वीकृति के सरपंच श्री कल्याणराय ने पंचायत से पट्टे देकर मकान बना दिये जिससे जनता व पशुधन परेशान है ?

(4) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में उपरोक्त सरपंच ने फर्जी हस्ताक्षर सदस्यों के कर पंचायत में उक्त जमीन को लेने की मांग की मगर वह एस. डी. एम किशनगढ़ द्वारा खारिज कर दी गई ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 6 बीघा छापर पशुताल के नाम से पशुओं का बैठने के लिये छोड़ा गया है ?

श्री परसराम मदेरणा)

(3) जी नहीं। यह तो सही है कि सरपंच ने उक्त आर जी खसरा नम्बर 256 को आबादी में परिवर्तन कराये बिना ही पंचायत से पट्टे जारी कराये लेकिन इससे जनता व पशुधन परेशान नहीं है।

(4) जी हां। सरपंच ने ग्राम जोरावरपुर में स्थित भूमि को आबादी में परिवर्तन करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-4-69 को एस. डी. एम. किशनगढ कार्यालय में पेश किया किन्तु सरपंच के उपस्थित न होने एवं नियमानुसार पैरवी न करने से प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-9-69 को खारिज किया गया।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि जनता की ओर से एस. डी. एम. किशनगढ़ को प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिसमें लिखा है कि जनता और पशुधन परेशान है।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि पंच श्री गंगाराम व श्री बालूराम ने एफीडेविट लिख कर दिया है कि सरपंच ने गलत कार्यवाही की है और सरपंच ने हस्ताक्षर भी फर्जी तौर पर बनाये हैं?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह : पंच श्री गंगाराम द्वारा दीवानी दावा भी किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी भी राज्य सरकार को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 171

श्री देवीदत्त गाडिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नगरपालिकाओं के चुनाव

172. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में नगरपालिकाओं के चुनाव कब कराये जावेंगे तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी बार चुनाव कराने का आश्वासन राज्य सरकार ने विधान सभा में कब कब दिया तथा उक्त आश्वासन को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया?

पंचायत चुनाव मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (1) राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के आम चुनाव कराये जाने के लिए अब तक चार बार संकेत दिये थे। पहला संकेत जून 1967 में, चुनाव दिसम्बर 1967 मे कराने का दिया था। तीसरा अप्रैल 19 8 मे दिया था कि आम चुनाव मई और जून 1968 मे करा दिये जावेंगे। तीसरा संकेत सितम्बर 1968 में आम चुनाव को अप्रेल 1969 में सम्पन्न कराने का दिया गया था व चौथा संकेत अगस्त 1969 में दिया गया जिसके अनुसार नगरपालिका के आम चुनाव फरवरी 1970 में पंचायतों के आम चुनाव समाप्त होने पर कराये जाने थे।

उपरोक्त चारों बार प्रशासनिक कारणों से आम चुनाव स्थगित किये गये।

अब जैसा कि दिनांक 20 जनवरी, 70 को सदन में कहा जा चुका है नगरपालिकाओं के आम चुनाव मई 1970 के अन्त में या

Page No 24

(श्री नारायणसिंह)
जून के पहले सप्ताह में करा देने का विचार है।

श्री हरजीराम बुरडक : पहले संकेत दिये थे या सदन को आश्वासन दिये थे।

श्री नारायण सिंह : संकेत दिये थे। वैसे मैंने कहा नहीं था कि आश्वासन दे रहा हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह भी संकेत है आज या आश्वासन है?

श्री नारायणसिंह : यह भी संकेत ही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : संकेत है यह भी?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : संकेत और आश्वासन में क्या फर्क है?

(12 मध्यान्ह)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, संकेत और आश्वासन में क्या फर्क है? सरकार कौनसी बात को तो आश्वासन मानती है और कौनसी बात को संकेत मानती है?

श्री नारायण सिंह : आश्वासन तो वायदा होता है, प्रतिज्ञा होती है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : और संकेत झांसा।

श्री अध्यक्ष : संकेत अनिश्चित होता है।

राव श्री नारायणसिंह : संकेत अनिश्चित होता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, संकेत देने में बुद्धि की आवश्यकता होती है और आश्वासन देने में प्रशासनिक योग्यता की आवश्यकता होती है?

श्री नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष, बुद्धि की आवश्यकता संकेत देने में होती है। आश्वासन तो कोई भी दे सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अगस्त 1969 में राज्य सरकार की ओर से इस सदन में यह कहा गया था कि 99 पर्सेन्ट चुनाव होंगे?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने निवेदन किया था, यहां पर जब विवाद चला था उस समय मैंने निवेदन किया था, यह अक्षरशः सत्य है कि 99 पर्सेन्ट कहा था। उस समय यह भी सत्य है, लोगों ने कहा था कि एक पर्सेन्ट निकाल दो। मैंने कहा था, यह असम्भव है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने 1969 में इस प्रकार जो 99 पर्सेन्ट की स्योरिटी दी थी उसको भी केवल संकेत मात्र मानते हैं और उसको सरकार आश्वासन नहीं मानती?

श्री नारायण सिंह : मैंने कहा कि 99 पर्सेन्ट होते ही आश्वासन नहीं हो सकता।

श्री हरजीराम बुरडक : फिर कितने पर्सेन्ट को आश्वासन मानते हैं?

श्री नारायण सिंह : सेंट पर्सेन्ट।

श्री हरजीराम बुरडक : 30 जनवरी का सेंटपर्सेन्ट है या 99 पर्सेन्ट।

श्री नारायण सिंह : इसका तो मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों के बारे में राज्य सरकार ने कुछ नहीं कहा है, उस सम्बन्ध में संकेत की क्या स्थिति है और आश्वासन की क्या स्थिति है ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है लेकिन मैंने इस संबंध में कह दिया था जब इस सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की दयनीय स्थिति है इस सम्बन्ध में। चार बार स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में घोषणा करके राज्य सरकार कहती है कि वह केवल संकेत किया था, आश्वासन नहीं दिया था। घोषणा करने के बाद संकेत मानकर, नये नये शब्द गढ़ कर, टकराते हैं चुनाव को-यह स्थिति उचित नहीं है। इसको तो केबिनेट के द्वारा राजस्थान को दो करोड़ पन्द्रह लाख जनता के प्रति विश्वासघात की संज्ञा दी जानी चाहिए। इसलिए आसन से हम यह चाहते हैं कि वह निश्चित रूप से राज्य सरकार से आश्वासन दिलाये। यह मजाक नहीं है। यह जनता के साथ मखौल है। हम सीरियसली चाहते हैं कि राज्य सरकार निश्चित रूप से अपना अभिमत प्रगट करे और निश्चित तौर से घोषणा करे।....

श्री अध्यक्ष: (राव श्री नारायणसिंह से) कोई सीरिअस व्यू ले सकते हैं ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सीरिअसली तो हमारी तरफ से होगा।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, असेम्बली में अनसीरिअस होकर बात कर नहीं सकता।

श्री दौलतराम सारण : (अध्यक्ष से) क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं देना चाहते।

श्री दौलतराम सारण: यह बात कही है, यह सीरिअस होकर कही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव के बारे में, नगर पालिकाओं के चुनाव के बारे में सरकार का कहना है कि केवल संकेत मात्र था–यह गलत है। प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं, निर्वाचन सूचियां तैयार की गई हैं, उसके लिए डेट्स बाकायदा मुकर्रर कर दी गई हैं, कब नामजदगी फार्म दाखिल होंगे, कब क्या होगा, ऑफिसर मुकर्रर कर दिये गये हैं, डेट्स बांट दी गई हैं और सर्किल्स बना दिये गये हैं लेकिन आखिरी मौके पर कोई प्रशासनिक कारण से नहीं बल्कि पोलिटिकल रीजन्स से चुनाव को स्थगित कर दिया गया।

श्री मदनसिंह : वह संकेत नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। तमाम प्रशासनिक काम ठप्प कर दिया गया, तीन महीने के अन्दर और काम हाथ में नहीं लिया गया..

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है।

श्री मदनसिंह : एक संकेत हम भी कर दें, इस प्रकार चुनाव की घोषणा करेंगे तो कोई चुनाव के अन्दर वोट देने नहीं आयेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह सिरिअस बात है।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह कह दें कि जब तक चुनाव चिन्ह का निर्णय नहीं होगा फाइनल तब तक चुनाव नहीं होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें चुनाव चिन्ह कहां बीच में आता है, चुनाव चिन्ह की बात नहीं है। सवाल यह है कि गवर्नमेंट का मन, गवर्नमेंट का दिमाग बने कि चुनाव कराने हैं। पालिटिकल सरवोलेन्स करने के लिए तीन साल से पांच साल कर दिये, अब पांच साल से भी तसल्ली नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर से गवर्नमेंट की तरफ से इस सदन में घोषणा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, इसका कुछ जवाब आना चाहिए कि चुनाव न कराने में क्या प्रशासनिक कठिनाई थी? चुनाव न कराने में क्या प्रशासनिक कठिनाई है। आपने पिछली बार इस सदन में वायदा किया था कि फरवरी में चुनाव कराये जायेंगे। तो फिर कौनसा प्रशासनिक संकट आकर खड़ा हो गया, अब कौनसी प्रशासनिक कठिनाई है जिसके कारण फरवरी में, मार्च में चुनाव नहीं करा सकते और मई जून की बात कहते हैं? इसमें क्या प्रशासनिक कठिनाई है?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर चुका हूं जिस समय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था कि इस समय अकाल की परिस्थिति है...

श्री मदनसिंह : अकाल कहां है? अकाल नहीं है।

श्री नारायण सिंह : अकाल की दिक्कत है। इसके अलावा भी जो संविधान के अन्दर अमेंडमेंट आया था, उसके बारे में भी मैंने निवेदन कर दिया था।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : जब तक अकाल रहेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बिल्कुल सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साफ साफ कह दीजिये।

श्री नारायण सिंह : मैं यह नहीं कह सकता कि जब तक अकाल रहेगा तब तक नहीं होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस साल अकाल है तो मई में करने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री मदनसिंह : यह बात साफ थी कि अकाल क्षेत्र में चुनाव नहीं होंगे, बाकी में होंगे।

श्री अध्यक्ष : संविधान में संशोधन का मुख्य कारण बताया है अकाल के साथ साथ।

श्री मदनसिंह : क्या?

श्री अध्यक्ष : संविधान में अमेंडमेंट का कारण बताया था।

श्री मदनसिंह : आप याद दिला रहे हैं। यह नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : अभी कहा।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, 145 का उत्तर और दिलवा दीजिए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, हम राज्य सरकार का अभिमत जानना

(श्री दौलतराम सारण)
चाहते हैं। चुनाव नहीं कराये यह इनकी नीति और कार्य-क्रम का सवाल है, न करवायें लेकिन साफ साफ घोषणा तो करें कि नहीं करवाना चाहते हैं। पहले सदन में कहते हैं, बार बार कहा है कि चुनाव कराने का निश्चित इरादा है, उस समय कहा कि निश्चित इरादा है, उसके बाद अब कहते हैं कि संकेत मात्र था···

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है ···

श्री दौलतराम सारण : यह भी बतायें कि

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्नोत्तर काल में

श्री दौलतराम सारण : क्या दिक्कत है जिसके कारण नहीं करना चाहते ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न के द्वारा माननीय सदस्य सरकार का अभिमत या नीति के सम्बन्ध में जानकारी चाह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अभिमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मैं राज्य सरकार को अभिमत देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन की बात कही जा रही है, जब कि चुनाव के लिए पन्द्रह जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी—तीन तारीखें मुकर्रर हुई थीं, तो संविधान में संशोधन के लिए एक सप्ताह पीछे भी सदन बुलाया जा सकता था। यह केवल बहाना मात्र है। संविधान के संशोधन का नाम लेकर पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिये गये। जो अकाल की वजह बताई उसके लिए था कि जो अकाल-ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें चुनाव नहीं कराये जायेंगे। यह गवर्नमेंट ने कह दिया था तो जहां अकाल नहीं है वहां पर चुनाव नहीं कराने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : 145 का उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : यह महत्वपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जनरल इन्ट्रेस्ट का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लेता हूं कि जनरल इन्ट्रेस्ट का सवाल है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : देख लीजिये, बड़े जनरल इन्ट्रेस्ट का है, आपके चपरासी भी बाहर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : 145।

सरकारी व्यय में कटौती और कर्मचारियों की छटनी

145. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा)**: की अनुपस्थिति में श्री श्रवण लाल (हिंडोन) द्वारा पूछा गया—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की वित्तीय विषम स्थिति को देखते हुए सरकार ने व्यय में कटौती के निर्णय लिये हैं ?

(2) किन किस विभाग में कटौतियां एवं छंटनी की गई हैं तथा उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ? प्रत्येक विभागीय कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) उक्त कटौती के निर्णयों से राज्य सरकार को कितनी बचत हो सकेगी ?

राज्य मन्त्री (श्री जय कृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए लिख दिया गया है। इसको पोस्टपोन करने के लिए लिख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने के लिए पहले प्रार्थना-पत्र आ चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले बता देते।

श्री जय कृष्ण शर्मा : पहले लिख दिया गया है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

वीरवाल जैन समाज

144. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में "वीरवाल जैन समाज" नाम की एक संस्था चल रही है जिसका संचालन अ. रा. अहिंसा प्रचारक जैन संघ अहिंसानगर, चित्तौड़गढ करती है और यह संस्था सरकार द्वारा पंजीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि यह संस्था राजस्थान के "खटीक" जाति के लोगों का धर्म परिवर्तित करके उन्हें जैन धर्म स्वीकार करवा रही है जो "वीरवाल" जाति के नाम से कहलाने लगे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उनके इस धर्म परिवर्तन से जो नई जाति "वीरवाल बनी है उसे खटीकों को अनुसूचित जाति में होने से जो सरकारी सुविधायें प्रदान हैं, वे उन लाभों से वंचित रह जाते हैं ?

(4) क्या सरकार उन्हें इस कठिनाई से मुक्त करने हेतु कानून में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को विदित है कि महाराष्ट्र में इसी प्रकार अनुसूचित जाति वालों को जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है सभी सरकारी सुविधायें उपलब्ध हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

यह सत्य है कि राजस्थान में वीरवाल जैन समाज नाम की एक संस्था चल रही है जिसका संचालन ऑल राजस्थान वीरवाल जैन समाज कांकरोली करती है और उक्त संस्था राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत है।

(2) यह संस्था हिंसक कार्यों को छुड़वाना व अहिंसा इत्यादि का प्रचार करती है। यह सही है कि कुछ खटीक अपनी जाति वीरवाल लिखने लगते हैं।

(3) जी हां।

यह सही है कि सरकारी सुविधा खटीक जाति वालों को ही मिलती है वो वीरवाल जाति वालों को नहीं मिल सकेगी।

(4) यह प्रश्न मुख्यत; भारतीय संविधान के सम्बन्धित शिड्यूल के संशोधन से सम्बन्धित हैं जिस परिवर्तन के लिये केवल संसद व भारत सरकार ही सक्षम है। महाराष्ट्र सम्बन्धी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

ट्रेन्ड अध्यापकों को नौकरी

146. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झुंझुनू जिले में सन 1968–69 तथा 69–70 में कितने बी. एस. टी. सी.

Page No 29

(श्री शिवनाथ सिंह)
ट्रेन्ड अध्यापकों को जिला परिषद् अथवा इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के माध्यम से नौकरी मिली है और कितने ट्रेण्ड व्यक्ति अभी बाकी हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है तथा ये लोग किस साल से ट्रेण्ड हैं? जिनकी नियुक्ति की गई है वे किन किन सालों के ट्रेण्ड थे?

(2) क्या यह सही है कि पहले के ट्रेण्ड व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हुई है और उनसे बाद के व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं?

(3) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

उत्तर

1. जिला परिषद् का शिक्षा विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

झुंझुनूं जिले में सत्र 68-69 में बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड व्यक्तियों के 374 आवेदन पत्र (अध्यापक पद पर चयन चाहते हेतु) जिला नियोजन कार्यालय झुन्झुनू से प्राप्त हुए थे जिनमें से सन् 68-69 में 89 बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड व्यक्तियों को वरियतानुसार नियुक्ति दी गई। सत्र 69-70 में 476 बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड व्यक्तियों के फार्म (अध्यापक पद पर चयन चाहने हेतु जिला नियोजन कार्यालय झुन्झुनूं से प्राप्त हुए थे जिनमें से 91 व्यक्तियों का चयन किया गया था उन चयन हुए अध्यापकों में से 10 अध्यापकों ने कार्यभार नहीं सम्भाला झुंझुनू निरीक्षणालय के अन्तर्गत सन् 1965 तक के जितने भी बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड अध्यापकों के आवेदन-पत्र आये थे उन सभी को नियुक्तियां दी जा चुकी है। सन् 1966 तक के बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड व्यक्तियों के कुल 47 आवेदन-पत्र जिला नियोजन कार्यालय झुंझुनू से प्राप्त हुए थे जिनमें से 29 व्यक्तियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं शेष 18 व्यक्ति रिजर्व लिस्ट में हैं जिनकी लग जाने की सम्भावना है। किन सालों के ट्रेण्ड व्यक्ति बाकी रहे इसका उत्तर स्पष्ट है कि सन् 1966 तक के सभी उम्मीदवार लग जावे तो न लगने वाले उम्मीदवार सन् 67, 68, 69 के शेष रहे हैं। विद्यालय निरीक्षणालय, झुंझुनूं द्वारा नियुक्तियां की गई हैं उनमें सभी सालो के उम्मीदवार हैं जो अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयनित हुए हैं।

(2) हां यह सही है कि पहले के प्रशिक्षित कई व्यक्ति रह जाते हैं और बाद के कई व्यक्ति चयन में आ जाते हैं और उनकी नियुक्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि 1-7-66 से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की मेरिट सूची अलग से तैयार होती है और इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की अलग से। रिक्त पदों का केवल 50 प्रतिशत अर्थात् आधे उम्मीदवार पहली सूची में से लिए जाते हैं शेष दूसरी सूची में से, जिससे कि 69 तक के उम्मीदवार सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि 80 पद रिक्त हैं तो 1-7-66 के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त केवल 40 उम्मीदवार ही उस सूची में से वरियता के अनुसार लिए जावेंगे। इस प्रकार यदि 60 उम्मीदवार के आवेदन पत्र भरे हों तो उनमें से 20 रह जावेंगे। दूसरी सूची जिसमें 67, 68, एवं 69 के उम्मीदवार हैं उनमें से जिनके अंकों का प्रतिशत बहुत अच्छा होगा उनका चयन कर लिया जावेगा। अस्तु यह स्पष्ट है कि 66

Page No 30

(चिकित्सा मंत्री)

का कोई उम्मीदवार रह सकता है और 69 का चयनित हो सकता है।

(3) उत्तर प्रश्न दो में दिया जा चुका है।

चित्तौड़गढ जिले में नदी की बाढ़ से क्षति

143. श्री रमकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 एवं 16 अगस्त, 1969 को चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील चित्तौड़गढ़, निम्बाहैड़ा एवं बेंगू में काफी वर्षा हुई और गम्भीरी, बेडच, बागवान बाकली एवं ओराई नदी में भयंकर बाढ़ आई और उसमे किसानों की खड़ी फसल बरबाद हो गई? यदि हां तो यह नुकसान कितने का माना गया है?

(2) क्या जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं जिलाधीश तथा एग्जी. इन्जीनियर, सिंचाई चित्तौडगढ़ ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या पिछले वर्ष भी इन नदियों में बाढ़ आई थी? यदि हां, तो क्या इन पर कन्ट्रोल करने के सम्बन्ध में सरकार योजना बना रही है।

उत्तर

1. जी हां, इन नदियों के किनारे के 52 गांवों की लगभग 4 हजार एकड़ भूमि की खडी खरीफ की फसल बरबाद हुई और फसल के नुकसान का अनुमान 8 लाख 33 हजार रुपया आंका गया।

2. जी हां, बाढ़ के कारण सिचाई के टूट-फूट के कार्यों को मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई है बाढ़ की रोकथाम के लिए योजनायें बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पूर्ण होने पर तखमीने बनाने के बाद इन कार्यों पर बजट उपलब्धी के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

(3) जी हां।

स्टेट लाटरी से आय

150. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट लाटरी के किस किस जिले में कितने कितने टिकिट बिके और बेचने वाले कितने एजेन्ट थे उनको कितना कितना कमीशन दिया गया? हर जिले के एजेन्टों की नामवार मय बेचे गये टिकिटों व कमीशन के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी बताएंगे कि इस लाटरी से प्रथम बार कुल कितनी आमदनी हुई और दफ्तरी प्रचार कमीशन स्टाफ आदि में कितना खर्चा हुआ और इनाम किस किस को कितना देना पड़ा? आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) खर्च के बाद जो भी धनराशि बची उसे किस किस काम में खर्च किया गया है?

उत्तर

1—राजस्थान स्टेट लौटरी के प्रत्येक ड्रा में बिके टिकिटों की सूची परिशिष्ट (क) में दी गई है।

Page No 31

(वित्त मंत्री)

बेचने वाले एजेन्टों की संख्या जिलेवार परिशिष्ट (ख) पर दी गई है।

एजेन्टों को जो कमीशन चुकाया गया है उसकी सूचना प्रथम एवं द्वितीय ड्रा की ही उपलब्ध है जो परिशिष्ट ग) पर दी हुई है।

जिलेवार एजेन्टों की नामवार सूचना मय बेचे गये टिकिटों व उन्हें चुकाये गये कमीशन की अभी उपलब्ध नही है।

2–प्रथमवार टिकिटों की बिक्री से रु. 15,35,070) तथा एजेन्सी फीस से अनुमानतः रु. 1,081 प्राप्त हुये।

अभी तक चुकारा की गई राशि प्रचार कार्य के लिए रु. 82,971), कमीशन के रु. 3,41,827.50 पैसे तथा स्टाफ के रु. 17,241) व्यय हुये।

लाभ-हानि खाता तैयार किया जा रहा है खाता बनने पर ही शुद्ध आय का पता चल सकेगा।

पुरस्कारों के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न अनुसूची 'घ' पर प्रस्तुत है।

3–प्रथम ड्रा की शुद्ध आय ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पेय जल योजनार्थ खर्च किये जाने को थी। हानि-लाभ खाता तैयार हो जाने पर आय-व्ययक अनुभाग इस विषय में कार्यवाही करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

चिकित्सा विभाग द्वारा सामान की खरीद

151. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेडीकल डायरेक्टोरेट की स्टोर परचेज आर्गेनाइजेशन जिन एक्वोप्मेन्ट को एप्रूव करती है उसके सेम्पिल मंगवाकर अपने पास रखती है और टेन्डर की अवधि समाप्ति पर ही वह सेम्पिल वापिस किये जाते हैं ?

(2) यदि हां, तो उन सेम्पिल्स को सप्लाईज के साथ कम्पेयर करने का प्रावधान कैसे किया जाता है ?

(3) क्या सरकार इस विभाग की परचेज को सेन्ट्रलाइज करने का विचार रखती है ताकि जन साधारण के स्वास्थ्य सम्बन्धित काम आने वाली वस्तुएं ठीक क्वालिटी को खरीदी जा सकें।

उत्तर

(1) जी हां। एप्रूव्ड सेम्पल रेट कान्ट्रेक्ट की समाप्ति के 6 छः) महिने बाद लौटाये जाते हैं।

(2) सप्लाई ठीक नहीं होने की सूचना प्राप्त होने पर सप्लाई किये गये माल के नमूने मंगवाकर एप्रूव्ड सेम्पल से मिला लिये जाते हैं और सप्लाई किया गया माल ठीक नहीं होने की हालत में टेन्डर की टर्म्स एवं कन्डीशन व स्टोर परचेज रूल्स के अन्तर्गत निर्देशित पेनल एक्शन लिया जाता है। बडे सामान जिसके सेम्पल बाहर से मंगवाना सम्भव नहीं होता उसके एप्रूव्ड सेम्पल के विवरण यूनिट

(चिकित्सा मंत्री)
प्रशासनिक अधिकारी को सूचित कर दिये जाते हैं।

(3) महालेखाकार द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया है जो कि विचाराधीन है।

धानोदा कलां क्षेत्र में शक्कर का वितरण

152. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.):— क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के तहसील खानपुर की धानोदा कलां पंचायत के संवैधानिक शक्कर वितरण के सम्बन्ध जांच हेतु दिनांक 20-12-67 को डी. डी. ओ. पधारे थे जिसमें श्री मदनगोपाल के द्वारा ग्रामवासियों ने एक शिकायत पत्र दिया था? अगर हां, तो उस पत्र में दर्ज शिकायतों का व उक्त जांच का निर्णय क्या हुआ?

(2) क्या यह सही है कि जांच के निमित्त में रिटेलर जीतमल महाजन को मय रजिस्टर के बुलवाया था तथा रजिस्टर को चैक करने पर अंगूठे के निशानों में एक ही हाथ की पांचों उंगलियों के निशान होना पाया गया और पूछने पर वह गलत इन्दराज एक ग्राम सेवक रामसिंह के द्वारा भरा पाया गया है तदुपरान्त वह रजिस्टर जब्त कर लिया गया? अगर हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु उस दिन श्री मदन गोपाल द्वारा कोई शिकायत पत्र पेश होना नहीं पाया जाता है।

(2) यह सही है कि रिटेलर को मय रिकार्ड के बुलाया गया था, परन्तु रजिस्टर चैक करने पर यह नहीं पाया गया कि अंगूठे के निशानों में एक ही हाथ की पांचों उंगलियों के निशान थे। यह सही है कि शक्कर के रिटेलर का रजिस्टर जब्त कर लिया गया तथा विकास अधिकारी खानपुर द्वारा जांच कराई गई तो उन्होंने शक्कर विक्रेता के विरुद्ध शिकायतों के कोई प्रमाण नहीं बतलाये हैं तथा यह व्यक्त किया है कि सम्भवतः आपसी रंजिश के कारण शिकायत की गई है।

अनुसूचित जाति के परिवारों की आवास व्यवस्था

156. (10स. क.म.) श्री रावतराम (छापर)—क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्वीपर्स (मेहतरों) को छोड़ कर बाकी अनुसूचित जाति के परिवारों की आवास व्यवस्था को हल करने को सरकार के पास क्या योजना है?

(2) क्या यह सही है कि कस्बों, व गांवों में रहने वाले मेहतरों के अलावा अनुसूचित जातियों के लोगों को समाज कल्याण विभाग तथा अन्य किसी विभाग से मकान बनाने की किसी प्रकार से कोई सहायता दी जाती है? यदि हां तो किन नियमों के तहत तथा चालू वर्ष में इस प्रकार की कितनी सहायता कहां कहां दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कस्बों एवं गांवों में आबाद अनुसूचित जाति के लोगों

Page No 33

(श्री रावतराम)

को मकान बनाने की सहायता या कर्जा आदि देने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां तो योजना की रूपरेखा क्या है और उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के परिवारों की आवास व्यवस्था हल करने हेतु चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में भवन निर्माण हेतु प्रति परिवार 2000 रुपये का निर्व्याज ऋण देने की परियोजना है। ऋण की राशि 20 वर्ष में वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक किश्तों में लौटाई जा सकती है।

(2) जी हां।

अनुसूचित जाति के सदस्यों को मकान बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता रहा है। यह सहायता 69-70 वर्ष से ब्याज रहित ऋण के रूप में दी जाएगी। चालू वर्ष में 22000 रुपये का प्रावधान केवल ऐसे मकानों के लिए सहायता देने के लिए है जिन्हें पिछले वर्षों में कुछ सहायता दी गई हो और उनके मकान अधूरे पड़े हों तथा 53000 रुपये नये मकानों की सहायतार्थ हैं। चालू वर्ष में दी गई सहायता की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 1.50 लाख रुपये का प्रावधान ऋण देने हेतु है जिसके नियम सरकार के स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं

(3) जी हां।

योजना के अन्तर्गत 2000 रुपये तक निर्व्याज ऋण देने का प्रावधान है यह ऋण सुविधानुसार ऋण स्वीकृति के 20 वर्ष तक आसान किश्तों में लौटाया जा सकता है। ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित मकान की रूपरेखा तथा प्रस्तावित अनुमानित लागत आदि निर्धारित प्रार्थना-पत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारी के मारफत तथा नगरपालिका क्षेत्रों के लिए नगरपालिका के मारफत निदेशक समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत करना होगा जो प्रावधान के अनुसार स्वीकृति होने पर सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा दी जावेगी। प्रार्थियों को भवन निर्माण की अवस्था के अनुसार ऋण तीन किश्तों में दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

करौली-हिण्डौन-गंगापुर की ट्रक यूनियन

159. श्री रामकुमार (सपोटरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि करौली-हिण्डौन-गंगापुर में ट्रक यूनियनें हैं जो ट्रकों को चलने से रोकती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन यूनियनों पर लाखों रुपये टैक्स के, यात्रा-कर के बाकी हैं ? यदि हां, तो इस रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि कुछ लोगों ने कर की वसूली से बचने हेतु गाड़ियों के फर्जी नम्बर व रजिस्ट्रेशन करा दिये हैं ?

(यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) करौली, हिन्डौन, गंगापुर के ट्रक मालिकों ने मिलकर अपनी ट्रक यूनियन बना रखी हैं तथा उनकी मान्यता के अनुसार यूनियन से अपना नम्बर लेकर ट्रक चलाते हैं। ताकि सभी को समान अवसर मिलता रहे। और यदि किसी को ऐतराज है तो यह व्यक्ति अपनी यूनियन से खुलासा करा सकता है अथवा नियमानुसार अदालती कार्यवाही करें इसमें दखलनदाजी करने का परिवहन विभाग का क्षेत्र नहीं है।

(2) यात्री कर से वित्त विभाग का सम्बन्ध है, परिवहन विभाग का नहीं है।

(3) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने की अवस्था में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

कन्या माध्यमिक शाला झालरापाटन का भवन

160. श्री रामप्रसाद वोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन कन्या मा. शाला में भवन का अभाव है? और इसके लिए एस. टी. सी. स्कूल भवन जो खाली हुआ है की मांग की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन नहीं दिया जाकर केवल छात्रावास के कुछ कमरे ही कन्या मा. शाला को दिये गये और बाकी छात्रावास का हिस्सा हाई स्कूल को दे दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार भवन दिये जाने से झालरापाटन कन्या मा. शाला में भवन की कमी पूर्ति नहीं होती जब कि हाई स्कूल में छात्रों की संख्या के मुताबिक एस. टी. सी. स्कूल भवन एवं सारा छात्रावास भवन देने पर स्थान की पूर्ति हो सकती है?

(4) क्या यह सही है कि छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा ऐसा मांग-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) कन्या माध्यमिक शाला का वर्तमान भवन तथा एस. टी. सी. का छात्रावास का भाग स्कूल के लिये पर्याप्त है।

(4) सम्पूर्ण भवनों का दिनांक 15-7-69 को उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर लड़कों व महिलाओं के दोनों, प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापिका निरीक्षण कर निर्णय दिया और उसी के अनुसार इन भवनों का बंटवारा किया गया।

अध्यापक की बकाया का भुगतान

161. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति सिकराय ने श्री

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
कैलाश कुमार खण्डेलवाल अध्यापक को माह अक्टूबर व दिसम्बर, 1968 व जनवरी, 1969 का वेतन आज तक नहीं दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1968 के वेतन बिल पर भरपाई भी इस अध्यापक से करवाली गई है और वेतन नहीं दिया है ?

(3) यदि हां, तो इस प्रकार वेतन रोके जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस अध्यापक का 15 जनवरी से 18 जनवरी, 1968 तक 4 दिवस का वेतन विकास अधिकारी ने बिना स्थायी समिति की स्वीकृति के काट लिया है ?

(5) क्या विकास अधिकारी बिना स्थायी समिति की स्वीकृति के इस प्रकार का वेतन काटने के लिये सशक्त हैं ?

(6) यदि हां, तो किन नियम के तहत ?

(7) यदि नहीं, तो क्या यह विकास अधिकारी का मनमाना आचरण नहीं है ?

(8) क्या सरकार ऐसे स्वेच्छाचारी विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी हां। चार दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(5) विकास अधिकारी असाधारण अवकाश जिसके लिए वेतन देय नहीं होता है स्वीकृत करने के लिये सक्षम है।

(6) राजस्थान पंचायत समिति (प्रशासनिक अधिकार) नियम, 1960 के अनुसार।

(7) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(8) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पेन्शन में मंहगाई अनुसार वृद्धि

162. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार पेन्शन प्राप्त कर्मचारियों की पेन्शन में केन्द्रीय कर्मचारियों व अन्य प्रान्तों की सरकारों (हिमाचल, मध्यभारत आदि) की भांति मंहगाई के अनुसार वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1956 के बाद अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता वेतन में शामिल करके पेन्शन दी जा रही है ? यदि हां, तो इससे पूर्व के पेन्शन प्राप्त कर्ताओं को कोई सुविधा पेन्शन में वृद्धि अथवा अन्य राहत क्यों नहीं दी जाती ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने पेन्शन में वृद्धि के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया है। अन्य राज्यों से पेन्शन में वृद्धि संबंधी सूचना प्राप्त की जा रही है।

Page No 36

(वित्त मन्त्री)

(2) जी नहीं। 1-4-58 के पूर्व सेवा निवृत कर्मचारियों को पेन्शन के लिये महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया गया है। जो कर्मचारी 1-4-58 एवं इससे आगे सेवा निवृत हुए उनके महंगाई भत्ते की राशि में से कुछ अंश पेन्शन के लिये माना गया तथा जिन कर्मचारियों को जो 1-4-53 के पूर्व सेवा निवृत हुए हैं महंगाई वेतन का लाभ पेन्शन के लिये नहीं मिला उनकी पेन्शन पर मिलने वाली महंगाई में 1-4-59 से वृद्धि कर दी गई।

पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या

163. श्री रामकिशन (बैर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

(2) इन बेरोजगारों में किस किस वर्ग के कितने कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गये हैं ? निम्न तालिका के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें:—

इन्जीनियर, अध्यापक, लेखक, अन्य तकनीकी एवं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति।

(3) सरकार की इन बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल पढ़े लिखे बेरोजगारों की कोई विशिष्ठ गणना नहीं हुई है। जिसके आधार पर इनकी निश्चित संख्या बताई जा सके।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वित होने से इस वर्ग के बेरोजगारों के लिये रोजगार के और अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे सरकार ऐसे व्यक्तियों को निजी कार्य प्रारंभ करने की दिशा में भी प्रोत्साहन देना चाहती है इसलिए उन्हें स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ करने के लिए आसान किश्तों पर ऋण तथा अन्य सुविधाएं देने की भी व्यवस्था की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

टोंक जिले के सिंचाई के तालाब

166. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में कितने तालाब सिंचाई विभाग के अधीन हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व टोंक रियासत व भूतपूर्व जागीर के तालाब ऐसे हैं जिनमें सुचारु रूप से मोरियां बनी हुई नहीं हैं जिससे सिंचाई में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने तालाब हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन तालाबों पर मोरियां बनी हुई नहीं हैं उन पर मोरियां बनवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो वे कब तक बनवादी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या यह सही है कि बनेठा तालाब, तहसील उनियारा, जिला टोंक का स्ल्यूस छोटा है, और इसी कारण उसका पानी पूर्ण उपयोग में नहीं आता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्ल्यूस को बड़ा व नया बनवाने और उसकी नहर को जो ठिकाने के समय की छोटी सी बनी हुई है मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू होगा?

उत्तर

(1) जिला टोंक के 156 तालाब सिंचाई विभाग के अधिनस्थ हैं। तहसीलवार तालाबों की सूची संलग्न है।

(2) जिन तालाबों पर मोरियां बनी हुई नहीं है उनकी सूची संलग्न की जाती है।

(3) जिन तालाबों पर मोरियां बनी हुई नहीं हैं उन पर मोरियां बनवाने का विचार है तथा धन का आवंटन होने पर बनवाई जा सकेंगी।

(4) जी नहीं। स्लूईस छोटा तो नहीं है, लेकिन इस बांध की दोनों मोरियां डाटेदार बनी हुई हैं उन पर अब सलूस गेट लगाने का विचार है। बांध का पूरा पानी उपयोग में आता है। नहर छोटी नहीं है। इसकी मरम्मत का कार्य भी जल्द ही राशि का आवंटन होने पर करवा दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अध्यापकों की नियुक्ति

168. श्री बालसिंह खोडा (जैसलमेर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन सं. 25 व 32 के द्वारा जिला परिषद् जोधपुर द्वारा चयनित अध्यापकों का आवंटन माह जुलाई, 69 में क्रमशः 23 व 6 का किया गया था और इनमें से कितने अध्यापकों को नियुक्ति आदेश दिये गये और ऐसे कितने अध्यापक है जिनको आज तक नियुक्ति आदेश पंचायत समिति ओसियां द्वारा नहीं दिये गये?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ओसियां द्वारा चयनित एवं प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध होने पर भी अचयनित अध्यापकों की नियुक्तियां की गई है? यदि हां, तो क्यों और कितने अध्यापकों की?

(3) क्या यह सही है कि ओसियां पंचायत समिति द्वारा जिलाधीश एवं सेवा चयन आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? अगर हां, तो उसके क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि सहायक शासन सचिव, पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा अचयनित अध्यापकों को अस्थाई होते हुए भी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो जोधपुर जिले के बाहर 1968-69 में कितने स्थानान्तरित किये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विज्ञापन संख्या 28 व 32 के अन्तर्गत चयनित 23 व 7 अध्यापकों का

(पंचायत मन्त्री)

जुलाई व अगस्त, 1968 में आवंटन किया गया था। 23 अध्यापकों को नियुक्ति आदेश दे दिये गये व 7 अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी।

(2) जी हां, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 39 अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के कर्मचारी का स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी

171. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी में राज्य सरकार के हिस्से हैं ? यदि हां, तो कितने रुपयों के हिस्से हैं ?

(2) कोटा ट्रांसपार्ट कम्पनी के संचालक मण्डल में कौन कौन सदस्य हैं और संचालक मण्डल की बैठक गत दो वर्ष में कब हुई और उसमें कौन कौन सदस्य उपस्थित रहे ?

(3) उक्त कम्पनी की गत चार वर्षों की बेलेन्स शीट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त कम्पनी के पास गत छः सात वर्ष से कोटा जिले के कितने मार्गों का बस परमिट था और उस पर कितनी बसें चलती थीं और अब कितने मार्गों पर बसें चलती हैं और कितने मार्गों पर बस नहीं चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी के प्रबन्ध संचालक ने कम्पनी की कई बस मय मार्गों के बेच दी हैं ? यदि हां, तो किस किस मार्ग की कौन कौन सी बसें कब कब और किस किस व्यक्ति को कितने कितने रुपयों में बेच दी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या प्रबन्ध संचालक ने बसों को बेचने सम्बन्धित कार्यवाही संचालक मण्डल से स्वीकृति लेकर बेची है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी में काम करने वाले ड्राईवर, कन्डेक्टर आदि मजदूरों को समय पर वेतन, बोनस एवं टी. ए., डी. ए. आदि नहीं दिये जाते ? यदि हां, तो अब तक किस किस कर्मचारी को कितने कितने समय से वेतन आदि नहीं दिया गया और किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी में राज्य सरकार के निम्न हिस्से हैं :—

(1)	सामान्य हिस्से	1,10,000/-
(2)	अधिमान्य ,,	80,000/-
(3)	विलम्बित ,,	10,000/-
	योग :	2,00,000/-

(यातायात मन्त्री)

(2) कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम व गत दो वर्षों में हुई संचालक मण्डल की बैठक कब कब हुई है कौन कौन उपस्थित रहे इसके बारे में सूची (सं. 1) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के आडिट सन् 1962-63 तक ही हुये हैं। इसके बाद के सालों का नहीं हुआ है।

(4) उक्त कम्पनी के पास दिनांक 6-11-63 को जब उसके अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण 29-6-66 तक किया गया उस समय कुल 35 मार्ग व 35 ही यात्री वाहन थे। 18-4-66 को जब उक्त कम्पनी ने अपने मार्गों के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया उस समय उनके पास केवल 18 मार्गों के लिए ही अनुज्ञापत्र रहे। इस तरह 6-11-63 से 18-4-66 तक 17 मार्गों के अनुज्ञापत्र कम हो गये। जिनमें से 5 अनुज्ञापत्रों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर होने से प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया। 3 अनुज्ञापत्र स्वतः ही रद्द हो गये क्योंकि उक्त कम्पनी ने उनके नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये। शेष 9 अनुज्ञापत्र मय वाहनों के दूसरे लोगों को हस्तान्तरण करा दिये गये। 25-4-69 को कम्पनी ने केवल 15 मार्गों के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया चूंकि इस अरसे में 3 अनुज्ञापत्र मय वाहनों के और लोगों को हस्तान्तरित करा दिये गये। उपरोक्त 15 मार्गों में से भी 2 मार्गों के अनुज्ञापत्र प्राधिकरण कोटा द्वारा वाहन नहीं चलने की वजह से रद्द कर दिये गये शेष 13 मार्गों के अनुज्ञापत्रों में से एक मार्ग मय अनुज्ञापत्र व वाहन के दूसरे लोगों के और हस्तान्तरित करा दिया गया है। बाकी बचे हुए 12 मार्गों में से 4 मार्गों पर यात्री वाहन नहीं चलते हैं और शेष 8 पर यात्री वाहन चल रहे हैं।

(5) जी हां। सूची सं. 2 सदन की मेज पर रखदी गई है।

(6) जी हां, कम्पनी के प्रबन्ध संचालक ने बसों को बेचने सम्बन्धी मामलों को डाईरेक्टर्स की मीटिंग दिनांक 5-6-68 में रखकर स्वीकृति ली है।

(7) दिसम्बर, 1969 तक की केवल तनख्वाहें दी जा चुकी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ओवर ड्राफ्ट की रकम

137. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान सरकार का ओवर ड्राफ्ट इस वक्त कितना है और उसकी रकम का भुगतान करने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

उत्तर

रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में ओवर ड्राफ्ट की स्थिति प्रतिदिन के लेन देन के आधार पर बदलती रहती है।

(वित्त मन्त्री)
इस विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न प्राप्त होने की तारीख अर्थात 3-1-70 को 1.3 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम के अतिरिक्त 40.66 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था।

अकाल राहत कार्यों पर हो रहे व्यय की प्रति पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त मात्रा में अनुदान व ऋण प्राप्त हो जाने तथा केन्द्रीय ऋणों के चुकारे की शर्तों व अवधि के पुर्ननिर्वारण हो जाने पर भारत सरकार से मिलने वाली राहत का समायोजन होते ही बहुत कुछ ओवर ड्राफ्ट स्वतः ही समाप्त हो जावेगा। दोनों ही विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। ओवर ड्राफ्ट का एक भाग पंचम वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आशा के अनुकूल अनुदान प्राप्त न होने के कारण भी है। इस कमी को यथा साध्य व्यय में मितव्ययता करके प्रतिपूर्ति की जावेगी। पंचम वित्त आयोग द्वारा राजस्व खाते की पूर्ति न किए जाने पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष केन्द्रीय सरकार के सामने रख दिया है।

ऋण पर ब्याज

138. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

इस वर्ष राज्य सरकार को ऋणों पर ब्याज किन किन को कितना कितना देना था जिसमें से कितना दिया जा चुका है और कितना कितना वर्ष के अन्त तक दे दिया जायेगा तथा कितना देना बाकी रह जायेगा?

उत्तर

आय व्ययक अनुमान 1969-70 में विभिन्न प्रकार के ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए कुल मिलाकर 2503.68 लाख रुपये की व्यवस्था की हुई है। महालेखाकार से प्राप्त नवम्बर महिने के अन्त तक के आंकड़ों के अनुसार ब्याज पेटे 1443.21 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। ऋणों की स्वीकृत शर्तों के अनुसार ब्याज की कोई राशि देय बाकी नहीं है। जैसे 2 ब्याज की राशि देय होती है वैसे वैसे उसका भुगतान किया जा रहा है। और आगे भी किया जाता रहेगा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अजमेर जिले से मोटरों एवं ट्रकों के परमिट

139. देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 67 से अब तक अजमेर जिले के किन किन व्यक्तियों को एवं किन किन कम्पनियों को मोटर परमिट एवं ट्रक परमिट दिये गये? पूर्ण विवरण नामवार कहां के लिए परमिट दिया और कब तक के लिए दिया गया, की सूचना देते हुए सूची सदन में रखें।

(2) क्या यातायात विभाग द्वारा राजनैतिक पीड़ितों को भी मोटर परमिट दिये गये? अगर हां तो किन किन को और कहां कहां के लिए कितने परमिट दिये गये? सूची सदन में रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(यातायात मन्त्री)

(2) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि परमिट प्रार्थना-पत्र में यह सूचना मांगी नहीं जाती।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जोधपुर जैसलमेर रूट पर बसों के परमिट

140. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर):** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर-जैसलमेर रूट पर बस चलाने के परमिट दिये गये थे और फिर बन्द कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि आज भी कई लोगों के प्रार्थना-पत्र काफी समय से विभाग के पास पड़े हैं? अगर हां, तो इस पर आज तक कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है और भविष्य में राज्य सरकार कब तक जैसलमेर जोधपुर सड़क पर बसें चलाने की व्यवस्था करने जा रही है? अगर नहीं है तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर सन् 1963 के दिसम्बर में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा 8 अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गए थे। परन्तु सिर्फ रावत ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन ने दो अनुज्ञापत्र प्राप्त किये। शेष 6 अनुज्ञापत्र नहीं उठाये। रावत ट्रांसपोर्ट ने दो बसों के अनुज्ञापत्र बाद में सम्पूर्ण कर दिए। कारण यही था कि यह सेवा आपको लाभप्रद नहीं हुई।

(2) इस मार्ग पर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु इस विभाग में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। जोधपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आर. टी. ए.) की दिनांक 4-8-1168 की बैठक में इस मार्ग पर स्कोप 8 वाहनों का एवं 2 रिटर्न सेवाओं का प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हुआ और आवेदन-पत्र भी स्कोप के अन्तर्गत मांगे गए। किन्तु श्री मानाराम चौधरी, बस आपरेटर, जोधपुर शेरगढ, फलोदी, रामदेवरा ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस. टी. ए.) के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर वहां दिनांक 14-?-69 को यह निर्णय लिया गया कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर ने मार्ग खोलने के कारण सन्तोषजनक नहीं बताये हैं, अतः इस मार्ग का यात्रीगण का सर्वे कराया जाकर तत्पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जावे। 17-11-69 के बाद अभी कोई जोधपुर प्रादेशिक प्राधिकारी की बैठक नहीं हुई है। अतः अब अगली बैठक में सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के साथ यह मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायगा।

जोधपुर रामदेवरा मार्ग की बसें

141. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर):** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर से रामदेवरा जाने वाली बसें बेचू और रामदेवरा के बीच वाले गांवों का किराया रामदेवरा के यात्रियों के बराबर लेती हैं जबकि उपरोक्त

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

गांवों की दूरी रामदेवरा से बहुत कम है। अगर हां, तो उसके क्या कारण हैं और भविष्य में सरकार किराया निर्धारित करने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि देचूराम-देवरा सड़क पर आने वाले गांवों में जाने के लिए केवल बस ही एक साधन है ? अगर हाँ, तो इनकी सुविधा के लिए राज्य परि-वहन की बसें सरकार क्यों नहीं लगाती है और भविष्य में सरकार की इस मार्ग के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु इन गांवों का किराया सरकार द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से कम लेते हैं। चूंकि किराया निर्धारित दर से ज्यादा नहीं लिया जाता है इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) जी हां, देचूराम देवरा सड़क पर जाने वाले गांवों में जाने के लिए केवल बस ही एक साधन है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अभी वर्तमान में इस मार्ग पर बस सेवा चलाने का कोई विचार नहीं है।

पाली–मोकलसर मार्ग पर बसों के परमिट

142. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील में, पाली से मोकलसर रूट पर किन किन को बसें चलाने के लिये परमिट सरकार ने दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि मोकलसर से पाली जो बसें आती हैं वे हर समय ओवर-लोड होकर आती हैं और उनमें प्रायः सवारियां बसों की छत पर बैठ कर आती हैं ? यदि हां, तो क्या उनका कभी चालान हुआ है ? यदि हुआ है तो कब कब और उन पर कितना कितना आज तक जुर्माना हुआ है ?

(3) क्या सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये कोई उपाय निकालेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली-मोकलसर मार्ग पर जोधपुर प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (आर.टी.ए.) द्वारा निम्न व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये हुये हैं:–

(1) श्री शंकरलाल कालटैक्स, जोधपुर।

(2) श्री रणवीर सिंह प्रोप्राईटर रणवीर सिंह मोटर्स पुत्र श्री शंकर लाल, जोधपुर।

(3) श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र गणेश राम, राणी।

(2) बसों के ओवर लोड चलने बाबत कोई तहकीक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) इस मार्ग पर वाहनों का एवं ट्रिप्स के स्कोप निर्धारण का मामला जोधपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) के समक्ष विचाराधीन है।

सहकारी संस्थाओं तथा प्राइवेट कम्पनियों की बसों के परमिट

143. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितनी बसें चल रही हैं और उनमें से सहकारी संस्थाओं की कितनी हैं व प्राइवेट कम्पनियों की कितनी बसें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्राइवेट कम्पनियों व अन्य मालिकों के पास सहकारी संस्थाओं से रूट परमिट अधिक है ? यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं के नाम कुल कितने रूट परमिट हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि जितने रूट परमिट हैं उतनी बसें सम्बन्धित रूटों पर नहीं चलाई जाकर एक ही बस से बार बार चक्कर लगाकर दूसरी बसों की कमी को पूरा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुभव करती है कि इस अव्यवस्था से लोगों को परेशानी होती है ?

(4) क्या यह सही है कि प्राईवेट बस मालिक अपनी बसों में शादियों में बरात किराए पर ले जाते हैं व लाते हैं ? यदि हां, तो बरात ले जाने व लाने से सरकार को औसतन सालाना कितना टेक्स मिलता है ? तालिका सदन की मेज पर तहसील व जिलेवार रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. राज्य में कुल बसें 4360 चल रही हैं जिनमें से 84 बसें सहकारी संस्थाओं की हैं व शेष 4276 बसें प्राईवेट कम्पनियों। मालिकों की चल रही हैं ।

2. जी हां । सहकारी संस्थाओं के नाम 84 रूट परमिट हैं । तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

3. जी नहीं, यदि कोई बस खराब हो जाती है तो तत्काल उसके एवज में दूसरी अस्थाई तौर पर रिपलेसमेंट के आधार पर लगादी जाती है । यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

4. जी हां, कभी कभी । इससे सरकार को औसतन 2 25,265।- की टैक्स की सालाना आमदनी होती है । चूंकि सभी रूट तहसीलवार व जिलावार नहीं होते हैं—अधिकांशतया रूट एक तहसील से दूसरी तहसील के ही होते हैं । अतः आमदनी की रोजनवार तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ठेकेदारों को इंजीनियर्स एवं ओवरसियर्स नियुक्त करने का आदेश

144. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि विभाग के समस्त ठेकेदारों को इन्जीनियर्स, ओवरसियर्स जो क्लासीफाइड हैं अपने ठेके के काम को चलाने के लिए नौकर रखना पड़ेगा ? यदि हां, तो निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

(2) क्या यह सच है कि सरकार की उपरोक्त आज्ञा का पालन विभाग के किसी भी ठेकेदार ने नहीं किया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया ?

उत्तर

1. जी हां, निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी हां, राज्य सरकार की आज्ञा का पालन कानूनी अड़चन होने की वजह से पूर्णरूप से नहीं हो सका है। ठेकों के लिए प्रचलित एग्रीमेंट फार्म का संशोधन किया जा रहा है ताकि कथित राजकीय आज्ञा के पालन के लिए ठेकेदारों को बाध्य किया जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

पटवारी का बन्धा

145. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तालाब (अलवर) का पटवारी का बन्धा टूटा हुआ है ? यदि हां, तो यह बन्धा कब टूटा था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बन्ध के टूटे होने के कारण तालाब में पानी नहीं एकत्रित हो पाता जिससे काफी भूमि सिचाई के बिना पड़ी रह जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बन्ध के बन्धने से इस क्षेत्र के लगभग 250 कुओं में पानी की सतह ऊंची हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बन्ध को बन्धवाने को व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

1. जी हां, यह बांध सन् 1901 या 1902 में टूटा था।

2. जी हां, 30-40 एकड़ भूमि की सिचाई नहीं हो पाती।

3. जी हां, इस बान्ध के बन्धने से आस पास के कुओं में पानी का स्तर ऊंचा हो सकता है। इस बांध का जीर्णोधार इस वर्ष किया जा रहा है।

कोटा जिले में सिंचाई योजना का सर्वे

146. श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा सिंचाई डिवीजन के अन्तर्गत किन किन स्थानों पर सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है या किया जा रहा है और उनसे अलग अलग कितना कितना रकबा सिंचित किया जाना है व अलग अलग योजना पर कितना खर्चा होने का अनुमान है ?

(2 गत व चालू वर्ष में अकाल राहत कार्यों पर सिंचाई विभाग द्वारा राजस्थान के अलग हिस्सों में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी या की जाने वाली है और उनमें से कोटा क्षेत्र में कहां कहां कितनी कितनी खर्च की गई ?

(4) क्या यह सही है कि कोटा जिला के शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में अकाल की परिस्थिति थी ? यदि हां, तो वहां पर सिंचाई

(श्री कुम्भारसिंह)
के कार्य चालू नहीं किये जाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) कोटा सिंचाई डिवीजन का कार्य क्षेत्र कोटा बून्दी व झालावाड जिलों में फैला हुआ है। इन जिलों में भिन्न भिन्न सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है एवं उनकी लागत सिंचाई क्षमता आदि संलग्न सूची (क) में दिखाई गई है।

(2) सन् 1968-69 व 69-70 (माह दिसम्बर तक) अकाल राहत कार्यों पर अलग अलग डिवीजनों द्वारा जो सर्वे किया गया यह सूची 'ख' में दिखाया गया है। कोटा जिले में कोई कार्य अकाल राहत मद के अन्तर्गत नहीं करवाया गया।

(3) जी हां ? क्योंकि शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के लोग अकाल राहत कार्यों पर कार्य करने को तैयार नहीं थे।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

झालावाड जिले में बाढ से टूटे तालाब

147. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन):—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड जिले में इस वर्ष बाढ़ के कारण झालरापाटन नगर के दो तालाब व हीचर बांध आदि टूट गये हैं जिससे सिंचाई का कार्य बन्द हो गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने तालाब व बांध है जो बाढ़ के कारण टूट गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इन बांधों व तालाबों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया ? इन पर कितना कितना रुपया खर्च होना है और यह कार्य कब तक पूरा होगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1969 की बाढ़ से सिंचाई विभाग के सिर्फ हीचर बांध (हरिश्चन्द्र सागर) व मूंडलियाखेडी तालाब ही टूटे थे।

अन्य कोई बांध या तालाब टूटा तो नहीं पर कुछ अन्य तालाब क्षतिग्रस्त हुये थे।

(2) मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। हीचर बांध पर लगभग 40 लाख व मूंडलियाखेड़ी पर लगभग 5 लाख रुपया व्यय होगा। मूंडलियाखेड़ी बांध जून 70 तक पूरा ठीक कर दिया जावेगा व हीचर बांध का पूरा होना आवश्यक धनराशि के आवंटन पर निर्भर होगा, वैसे इस साल राज्य सरकार ने झालावाड़ जिले में बाढ़ग्रस्त कार्यों के लिये 29 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

ओवरसियरों को नियुक्तियां

148. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डगमु.): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर 1965 में राज्य सरकार द्वारा तकनीकी सेवाओं में ओवरसीयरों के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं में कमी की गई है ?

Page No 46

(श्री लक्ष्मण सानिवाल)

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त वर्णित योग्यताओं के आधार पर सिंचाई विभाग में ओवरसियरों के पदों पर नियुक्तियां की गई जिनमें से 14 व्यक्तियों को अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई वृत, अजमेर द्वारा 1966-67 में अयोग्य कह कर अनुचित तरीकों से सेवा मुक्त कर दिया ?

(3) उपरोक्त चौदह व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पुनः उसकी अपील पर राज्य सरकार द्वारा जून, 1968 को राज्य सेवा में ले लिया ? क्या अन्य शेष व्यक्तियों को जिन्होंने अपने प्रतिवेदन उसी आधार पर दिये हैं तथा उनमें कुछ सीनियर भी हैं सेवा में पुनः लेने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, शेष व्यक्तियों का प्रतिवेदन उन्हें सेवा में पुनः लेने हेतु राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

ग्राम बिसुन्दनी में बांध की योजना

149. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकड़ी में बान्ध की योजना कब से विचाराधीन है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या बिसुन्दनी बान्ध की सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो कब इस बान्ध के बनने पर कुल कितना रुपया खर्चा करने का अनुमान है और इससे कितना रकबा सिंचित होने की योजना है ?

(3) इस बान्ध से निकलने वाली नहरें कितनी लम्बी और कौन से गांव तक पहुंचेगी ?

(4) बान्ध का कार्य कब से शुरू कर देने की उम्मीद है और उसे कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि बिसुन्दनी बान्ध की योजना को राज्य सरकार छोटी करना चाहती है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सन् 1959 से अब विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् योजना का तखमीना बना लिया गया है।

(2) जी हां, सन् 1968 में इस योजना पर अनुमानित लागत 25.15 लाख रुपये है और इससे 1619 एकड़ रकबा सिंचित होने की सम्भावना है।

(3) बांध से दो नहरें निकाली जायेंगी बांई ओर नहर की लम्बाई 6 मील के लगभग है दांई ओर की नहर की सर्वे अभी तक नहीं हुई है। दांई ओर वाली नहर मोरदा, बिसुन्दनी, मेड़पुरा, बिन्दरा, मोहर ग्राम की हद तक के ग्रामों के पास से गुजरेगी।

(4) योजना का तखमीना पूरा किया जाकर राज्य के विचाराधीन है और शीघ्र ही केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। स्वीकृति आने पर व धन की उपलब्धी के अनुसार योजना पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

(सिंचाई मंत्री)

(5) जी नहीं।

नेठराना नहर के मोघे

150. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में भालरा नहर सिंचाई विभाग द्वारा नेठराना नहर के चक नं. 22 एन. टी. आर. को मोघा चक वालों की मर्जी के बिना सिर्फ एक आदमी के कहने से बदल दिया गया है यदि हां, तो ऐसा किस नियम से किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मोधा के आगे नहर का पानी आगे नहर में न जाने देने के लिए एक दीवार तामीर की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस नहर पर काफी अन्य स्थानों पर भी कुछ व्यक्तियों ने कई जगह पर मोघे लगाकर नहर में दीवार तामीर करके पानी नहर में आगे जाने से रोका है ? यदि हां, तो कितने चकों में किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की बद इन्तजामी से गरीब काश्तकारों का बड़ा नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) एक सेडवार पानी का स्तर ऊंचा करने के लिए अवश्य बनाई गई है। नाकि पानी रोकने के लिए।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

ठेकेदारों की तरफ बकाया राशि

151. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर विभाग के ठेकेदारों की ओर 2 से 7 वर्ष का 178 लाख रुपया बकाया है ? यदि हां तो वे ठेकेदार कौन कौन हैं ? तथा उनकी तरफ कितनी कितनी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम ठुकराना में सिंचाई की सुविधाए

152. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव ठुकराना, तहसील सूरतगढ़, राजस्थान मेन केनाल के पास ही आबाद है ? यदि हां, तो इस गांव को पीने का पानी व सिंचाई सुविधा क्यों नहीं दी जाती ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील सूरतगढ व नोहर में नहर के नजदीक काफी तादाद में भूमि बारानी पड़ी है ? यदि हां, तो कुल कितने ग्रामों की भूमि राजस्थान नहर व नहर की शाखाओं के नजदीक 3–4 मील के क्षेत्र में बारानी है और उन ग्रामों की कुल कितनी एकड़ भूमि पानी लगने के लायक है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सही है कि मुख्य नहर से निकलने वाले माइनर पक्के बना दिये जावें तो 2 लाख किला भूमि में पानी से सिंचाई हो सकती है? यदि हां, तो राजस्थान से अकाल को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार इन नहरों, टैलों तक पक्का बनवाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, ठुकराना गांव राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 190 से लगभग 6 मील बांई ओर स्थित है। इस गांव की भूमि अधिकतर नहर के लेवल से ऊंची है, केवल थोड़ासा रकबा ही जो लगभग 50 से 100 एकड़ होगा, नहर के वर्तमान लेवल से नीचा है। इस भूमि को सिंचाई व पीने के लिये पानी उपलब्ध तभी हो सकता है जब कि मुख्य नहर से एक खाला इस गांव तक खोदा जावे। इस खाले को लगभग 40 फीट की गहराई से ले जाना पड़ेगा, जो कि एक असम्भव कार्य है। क्योंकि खाले की खुदाई व उसके रखाव का कार्य राजस्थान इर्रीगेशन व ड्रेनेज एक्ट के तहत जमीदारों को स्वयं ही करना पड़ेगा।

(2) जी हां, राजस्थान नहर व इसकी शाखाओं के नजदीक 3–4 मील के फासले पर तहसील नोहर व सूरतगढ़ में जो गांव आते हैं उनकी सूची संलग्न है। इन गांवों की भूमि इसलिये बरानी पड़ी है कि यह भूमि नहर के लेवल से ऊंची है और उसमें flow द्वारा पानी लगना सम्भव नहीं है। नहर के लेवल से नीचे का रकबा बहुत थोड़ा है उस पर सिंचाई की व्यवस्था करना (possible) नहीं है क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा होगी।

(3) मुख्य नहर से कोई माइनर नहीं निकाले गये हैं। मुख्य नहर से या तो ब्रांच या डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाली हैं या कहीं डाईरेक्ट आउटलेट दिये गये हैं। ब्रांच व डिस्ट्रीब्यूटरीज को पक्का बनाने की स्कीम विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

अन कमान्ड भूमि में पानी लेने के लिये प्रार्थना–पत्र

153. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में अन-कमाण्ड भूमि में पानी लेने के लिये काफी तादाद में काश्तकारों द्वारा भूमि को लेवल कराने के लिये प्रार्थना-पत्र सिंचाई विभाग में पेश किये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किये गये और भूमि पर लेवल करने की फीस कुल कितने काश्तकारों द्वारा जमा करवाई गई है?

(2) क्या यह सही है कि काफी तादाद में अन-कमाण्ड रकबा सिंचित होने के लायक होने पर भी रकबे को कमांड नहीं किया जाता? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि काश्तकारों से लेवल करवाने की एवज में सम्बन्धित ओवरसीयर 500 रुपये प्रति मुरब्बा रिश्वत मांग रहे हैं?

(नहर परियोजना मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, इस विभाग में कुल कोई 300 प्रार्थना-पत्र काश्तकारों से भूमि को लेवल कराने हेतु प्राप्त हुये हैं। प्रायः सभी काश्तकारों ने इसकी फीस भी जमा करादी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

अकाल कार्यों पर व्यय

154. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अप्रेल 68 से दिसम्बर 69 तक राजस्थान के प्रत्येक जिले में (अलग-अलग जिलेवार) अकाल कार्यों पर कुल कितना कितना खर्च हुआ;

(2) यदि उपर्युक्त व्यय में विषमता है तो उसका कारण बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जहां जितनी स्थिति थी उसकी गम्भीरता को देखते हुए सहायता पर इसी आवश्यक मात्रा में खर्चा किया गया है। जिससे कि लोगों को उचित राहत मिल सके।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

अकालग्रस्त क्षेत्रों से मनुष्यों एवं पशुओं का पलायन

155. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों से कितने मनुष्यों एवं पशुओं को पलायन करना पड़ा है? जिलेवार संख्या बताने का कष्ट करें;

(2) राज्य सरकार के पास सही मूल्यांकन के क्या आधार हैं जिनसे यह निश्चय [illegible] जा सके कि इतनी ही संख्या थी?

(स्थगित किया गया)

तहसील टोंक में राहत कार्य

156. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील टोंक में जिले की अन्य तहसीलों के मुकाबले अधिक राहत कार्य खोले गए हैं? कृपया सूची मय नाम कार्य, तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि [illegible] तालाब तहसील उनियारा जिला टोंक किसानों के खातेदारी में होते हुए भी उस पर 40 हजार का कार्य कराया गया है?

(3) क्या यह सत्य है कि इसका कार्य दिनांक 2-1-69 को चालू हुआ था और विभाग द्वारा इसे पूर्ण कर कार्य बन्द कर दिया गया था?

(4) क्या यह सही है कि यह कार्य दिनांक 16-5-69 को फिर चालू किया गया? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति से?

(प्रकाल सहायता मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील टोंक में प्रन्य तहसीलों के मुकाबले अधिक राहत कार्य नहीं खोले गये। टोंक जिले की तहसीलों में खोले गये राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। गौठड़ा तालाब किसी की खातेदारी में नहीं है। यह तालाब सिंचाई विभाग के अधीनस्थ है एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति है। इसकी पाल की मरम्मत में 65,585 रु. व्यय हुये हैं।

(3) जी हां। इसका कार्य सिंचाई विभाग द्वारा दि. 2-1-69 को चालू किया गया था। पानी भर जाने की वजह से इसका काम बन्द कर दिया गया था व पानी सूखने के बाद बाकी कार्य पूर्ण करवाया गया।

(4) जी हां। दि. 16-5-69 को कार्य अपूर्ण होने की दशा में पुनः चालू किया गया था। इस कार्य को चालू करने की स्वीकृति पहले ही से राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी थी इस कारण पुनः स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अजमेर जिले में राहत कार्यों पर अनाज एवं कपड़े का वितरण

157. श्री देवीलाल बरासिया (केकड़ी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अकाल सहायता रिपोर्ट सन् 1966-67 दिनांक 30-4-67 के पृष्ठ संख्या 12 के पैरा नम्बर 2 में वर्णित 50 गांठें जो पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त और तालिका "इ" में वर्णित दो गांठें अजमेर जिले को मिली, उनमें से कपड़े किन किन को दिये? प्रत्येक पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 12 में वर्णित प्रसहाय सहायता के लिये भारत सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूं सम्वत् 2022 में 288.50 टन व सम्वत् 2023 में 30 टन (तालिका "इ") के वितरण को प्रत्येक पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या पैरा 2 के अनुसार राजस्थान को मिले प्रधान मंत्री सहायता कोष से प्राप्त 500) रु. व आई. पी. एफ. टी. से प्राप्त 20,000) रु. की रकम में से भी यदि अजमेर जिले को कोई हिस्सा मिला हो तो उसका विवरण भी पंचायत समिति वार सदन की मेज पर रखें। जिला परिषद् अजमेर की बैठक दिनांक 18-11-68 की रिपोर्ट के पैरा नम्बर 4 में वर्णित 105 बोरी गिफ्ट गेहूं वितरण के सम्बन्ध में बताया गया है कि ये गेहूं स्टेशन नसीराबाद पर बिना मालिक पड़े थे और उन्हें को-ओपरेटिव स्टोर में रखवा दिया गया। बाद में वितरण करा दिया गया। ये किन किन पंचायत समिति को वितरण किया गया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) यह गेहूं मुफ्त बांटा गया था रकम से ?

Page No 51

(श्री देवीलाल कुम्हारिया)

(ब) क्या यह गेहूं उपरोक्त प्रश्न नम्बर 2 में से था ?

(स) क्या स्टेशन मास्टर नसीराबाद व जिला प्रशासन ने इस 105 बोरी के असल मालिक का पता लगाने का प्रयत्न किया ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले में राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई भू-संरक्षण एवं जंगलात के कार्य

158. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में सन् 1968-69 एवं 1969-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितने लघु सिंचाई भू-संरक्षण एवं जंगलात के कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये गये ? सूची दिसम्बर, 1969 तक की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कार्यों पर कितनी राशि व्यय हुई एवं कितना कार्य सम्पन्न हुआ ? प्रत्येक कार्य की अलग अलग विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1968-69 एवं 1969-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 14 लघु सिंचाई, 28 भू-संरक्षण कार्य तथा 16 जंगलात के कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये गये। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों पर व्यय हुई धनराशि एवं कार्य पूरा हुआ या अपूर्ण रहा इसका विवरण उपरोक्त सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

माइलो का स्टाक

159. श्री देवीलाल गाड़िया (बारां): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 68 में किस किस जिले में माइलो (लाल ज्वार) का कितना कितना स्टाक था ? इसको किस भाव में खरीदा गया और बाद में किस किस प्रकार से इस पर कितना कितना खर्चा हुआ और खर्चे को जोड़ कर यह क्या भाव पड़ी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस माइलो को किस तारीख को किस किस जगह पर किस किस व्यापारी को कितनी बोरी किस रेट पर बेची गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस माइलो को बेचने में राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ और इसका जिम्मेवार कौन है ?

उत्तर

(1) सन् 1968 में विभिन्न जिलों में माईलो (लाल ज्वार) जो स्टोक में थी उसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है और साथ में दूसरी सूची में खर्चा जोड़ कर जो भाव बढ़े वह भी सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(खाद्य मन्त्री)

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) इस माईलो के बेचने में राजस्थान सरकार को कोई हानि नहीं हुई कारण कि यह स्टॉक भारत सरकार का अपना था और जब उसकी बिक्री भावों में गिरावट आने पर हुई तो भारत सरकार को वापिस लेने को लिख दिया था तथा भावों में कमी न की जाने पर उनकी ही अनुमति से यह माल खुले में (ओपिन बिड) नीलाम किया गया अतएव जो हानि हुई वह भारत सरकार की ही थी। जिसका पत्र-व्यवहार हो रहा है राजस्थान सरकार पर इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भूतपूर्व उप जिलाधीश बारां के विरुद्ध जांच

160. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां के भूतपूर्व उप जिलाधीश श्री शिवदत्त शर्मा के विरुद्ध कन्ट्रोल की चीनी वितरण में घोटाला व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती पत्र सरकार के पास भेजे गये थे ?

(2) क्या सरकार ने चीनी काण्ड की जांच करवाई थी ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(1) जी हां।

(2) जी हां। अभी तक जांच पूर्ण नहीं हुई है।

ग्राम छरेस में चीनी का वितरण

161. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत छरेस तहसील डीडवाना जिला नागौर में गत तीन वर्षों में चीनी वितरण के लिए रिटेलर कौन कौन कब कब रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त समय के रिटेलरों के खिलाफ कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या किसी रिटेलर ने यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि मैं रिटेलर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी जानकारी के बिना ही मेरा पार्टनर चुपचाप चीनी ले जाता है और उसका दुरुपयोग करता है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पंचायत के रिटेलर ने जो चीनी माह मई, 1968 में उठाई थी वो जनता में वितरित नहीं की और डीडवाना शहर में ही ब्लेक में बेच दी और इस प्रकार की शिकायतें जनता की ओर से हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(खाद्य मन्त्री)

(2) उपरोक्त समय में रिटेलरों के खिलाफ जिला कार्यालय एवं उप-खण्ड कार्यालय, डीडवाना में कोई शिकायत पेश होना नहीं पाया गया।

(3) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, अतः कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) यह सही है कि माह मई, 68 में चीनी का कोटा रिटेलर द्वारा उठाया गया था, परन्तु चीनी ब्लेक में बेचने बाबत कोई भी शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिए)

एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर नोहर के विरुद्ध कार्यवाही

162. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर श्री सुमेरमल सुनार कस्बा नोहर के यहां रात को बदमाशी करने के लिए घुस गया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मामले की जांच करने पर पाया गया कि श्री भीमसिंह एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर ने दिनांक 12-13-7-69 की बीच की रात को शराब पीकर गाली-गलौज व कीच शोर मचाया था यह बात मौके की जांच करने पर पाई गई, परन्तु श्री सुमेरमल सुनार ने अपने बयान में श्री भीमसिंह को अपने मकान में घुसने बाबत इन्कार किया है अतः यह सही नहीं है, फिर भी श्री भीमसिंह के विरुद्ध थाना पुलिस, नोहर में एफ. आई. दर्ज कर दफा 451-254 ता. हि. का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तफ्तीश जेरकार है।

(2) जी नहीं, श्री भीमसिंह का स्थानान्तरण चित्तौड़गढ़ जिले में कर दिया गया है तथा विभागीय जांच जारी है।

बीज व खाद का वितरित ऋण

163. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान की समस्त पंचायत समितियों द्वारा बीज और खाद का जो ऋण वितरित किया गया है वह कुल 6 करोड़ 52 लाख 60 हजार रुपये और 54 पैसे है ?

(2) कुल ऋण में बीज के व खाद के नाम से कितनी कितनी राशि है ? जिलेवार बतलावें

(स्थगित किया गया)

सरपंच ककोड के विरुद्ध कार्यवाही

164. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कोजूमल सरपंच ककोड़ पंचायत समिति उनियारा को

(श्री विजयसिंह)

राज्य सरकार ने धारा 17 (4) के तहत पृथक कर रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने इसकी पूर्ण जांच के आदेश उप जिलाधीश टोंक को दिए थे ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण करली गई ? यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट है ? कृपया एक प्रति सदन में रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त सरपंच को कोई नोटिस अयोग्य घोषित करने का अभी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच से भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हो गये हैं ? यदि हां, तो अब सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, जांच उप जिलाधीश, टोंक ने पूरी करली है। जांच रिपोर्ट में सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होना अंकित किया है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर नहीं रखी जा रही है।

(3) सरपंच को नोटिस अयोग्य घोषित करने का नहीं दिया गया बल्कि पृथक करने का नोटिस दिनांक 10-12-69 को दिया गया।

(4) अनियमितताएं व रकम का दुरुपयोग करने के आरोप पाए गए हैं। सुनवाई के लिए 3 फरवरी, 1970 का दिनांक निश्चित किया गया है। सरपंच को सुनकर आवश्यक निर्णय लिया जायगा।

कोटा व झालावाड़ में किये गये ट्रांसफर्स

165. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 86 (9) ए. के तहत कोटा व झालावाड़ जिलों में कितने ट्रांसफर्स किये गये हैं ? पिछले तीन साल की (लिस्ट) सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त धारा का गलत उपयोग करके छोटे कर्मचारियों को परेशान किया गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त ट्रांसफर्स का क्या प्रयोजन था ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिए)

पंचायत समिति लाडपुरा को अनुदान में दी गई राशि

166. श्री वृजवल्लभ बोहरा (छीपाबड़ौद)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडपुरा को सन् 67–68 व 68–69 में कितनी धनराशि अनुदान की दी गई है ? इसमें से किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस रकम का सही प्रकार उपयोग हुआ या नहीं उसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख भी किया हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अलवर जिले में सदस्यों पर बकाया राशि

167. श्री गंगासहाय (कठूमर):-क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

अलवर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के सदस्यों पर खाद, बीज, तकावी तालाब सड़क कुएं पम्पिंग सेट आदि की कितनी कितनी धनराशि कब से बकाया है? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

शाहबाद पंचायत का निरीक्षण

168. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर द्वारा शाहबाद पंचायत का निरीक्षण किया गया और उस लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1429 सन् 66-67 में यह लिखा है कि पंचायत समिति के कार्यकारिणी विकास अधिकारी ने समिति के धन का दुरुपयोग एवं गबन किया है?

(2) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

1. जी हां।

2. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रकम वापस जमा करा दी गई है?

विकास अधिकारी के पद

169. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विकास अधिकारी के पद से आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. अधिकारियों को हटाया गया तो उनके बदले उन स्थानों पर किन्हें रखा गया और किस आधार पर?

(2) क्या यह सही है कि जिस पंचायत समिति में जो अधिकारी आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. के अलावा शेष उन्हों में से किसी को विकास अधिकारी के पद पर लगाया गया? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) पंचायत समितियों में से आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. अफसरों के हटाये जाने पर उनके बदले जिन्हें विकास अधिकारी के पद पर लगाया गया, उन्हें क्या एडहाक आधार पर नहीं लगाया गया था? यदि हां, तो इस एडहाक समय की कितनी अवधि तय की गई थी अथवा होनी चाहिये थी?

Page No 56

(श्री फूलचन्द बाफना)

(4) आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. अफसरों को हटाकर उनके बदले जिन्हें विकास अधिकारी के पद पर लगाया गया था वे संयोग से उस समय पंचायत समितियों में उपस्थित थे इसी कारण उन्हें यदि एडहाक आधार पर लगाया गया था तो क्या बाद में यह आवश्यक नहीं था कि सम्बन्धित विभागों में उनसे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्हें बाद में वरिष्ठता अनुसार विकास अधिकारी पद पर लगाया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्रमानुसार वरिष्ठ अधिकारी के हक को मार कर उससे जूनियर व्यक्ति को क्या महज इस वजह से विकास अधिकारी बनाना उचित था कि वह संयोग से उस समय सम्बन्धित पंचायत समिति में था ?

(5) (क) क्या इस क्रम में सम्बन्धित कृषि प्रसार अधिकारियों एवं पशुपालन अधिकारियों की वरिष्ठता सूचियां क्रमानुसार कृषि एवं पशुपालन विभाग से मांगी गई थीं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखी जाये। वे वरिष्ठता सूचियां किस आधार पर बनाई गई हैं ?

(5) (ख) यदि सीनियर अधिकारियों का हक मार कर जूनियर अधिकारियों को विकास अधिकारी, बना दिया गया, तो जूनियर अधिकारियों को 155-485 के बदले उच्च वेतन श्रृंखला 225-300 तक एवं क्यों फिक्स किया गया और हकदार सीनियर अधिकारियों को पद एवं वेतन के इस लाभ से क्यों वंचित रखा गया ? क्या यह कार्य संविधान के प्रतिकूल नहीं हुआ है ?

(6) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था (ए) कृषि प्रधान पंचायत समितियां, (बी) पशुपालन प्रधान पंचायत समितियां, (सी) कृषि एवं पशुपालन प्रधान पंचायत समितियां ? यदि हां, तो इस वर्गीकरण के आधार पर विकास अधिकारी का पदस्थापन (पोस्टिंग) क्यों नहीं किया गया ?

(7) क्या यह सही है कि सरकार की इस गलत नीति के कारण कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उपर्युक्त परिस्थितिवश जूनियर अधिकारी तो अनिश्चित अवस्था में रहे और सीनियर अधिकारी असन्तुष्ट रहे ?

(8) (क) क्या यह सही है कि लम्बे समय के बाद अब जाकर सरकार को अपनी शिथिलता का आभास हुआ है और फलतः विकास अधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धी नियम दिनांक 23-7-69 के राजपत्र में प्रकाशित किये गये ?

(8) (ख) इन नियमों में भी जहां तीन तीन या पांच वर्ष अवधि का जिक्र है वह सम्बन्धित अवधि किस तारीख तक की गिनी जायगी इस तारीख को स्पष्ट नहीं करने का यह कारण है कि यह तिथि उस दिन की गिनी जायगी जिस दिन की किन्हीं अपने व्यक्तियों को उस दिन तीन या पांच वर्ष पूर्ण हो जावेंगे।

(श्री फूलचन्द बाफना)

(8) (ग) अधिक से अधिक कितने वर्षों के भीतर भीतर इन नियमों को कार्यान्वित करने का सरकार विचार रखती है ? और कौन सी तारीख तक ?

उत्तर

(1) सामान्यतया राजस्थान पशुपालन सेवा एवं राजस्थान कृषि अधोनस्थ सेवा से विकास अधिकारी नियुक्त होंगे । 25 प्रतिशत पद उन "नान काडर" विकास अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं जो राजस्थान पंचायत समिति-विकास अधिकारियों के चयन नियम, 1968 के प्रकाशन के दिनांक तक कम से कम एक वर्ष तक विकास अधिकारी का कार्य कर चुके हों अथवा जिन्होंने दिनांक 18-5-67 के पहले 5 वर्षों की अवधि में कम से कम तीन वर्ष तक विकास अधिकारी का कार्य किया हो । पंचायत समितियों में मुख्यतया कृषि उत्पादन एवं पशुपालन कार्यक्रम है अतः कृषि पशुपालन सेवा से विकास अधिकारी नियुक्त करना उपयुक्त समझा गया है ।

(2) जी नहीं । केवल कृषि प्रसार अधिकारियों को ही ऐसे लगाया गया था ताकि पंचायत समिति का कार्य बिना बाधा चलता रहे ।

(3) जी हां । यह अस्थाई नियुक्तियां राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों के चयन) नियम, 1968 के अन्तर्गत चयन होने तक की गई है ।

(4) राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वित होने से पहले राजस्थान पशुपालन सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला व विकास अधिकारियों की वेतन शृंखला समकक्ष थी और इस कारण राजस्थान पशुपालन सेवा से वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं था अब इन पदों की वेतन शृंखला भिन्न हो गई है । अतः इन नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है । जहां तक कृषि अधीनस्थ सेवा का प्रश्न है धीरे धीरे वरिष्ठता में नीचे अधिकारियों को हटाकर उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है ।

(5) विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होंगे अतः किसी के हक मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(5) (क) संचालक, कृषि विभाग से प्राप्त सूची में कुछ कमियां थीं । अतः उनसे संशोधित सूची मांगी गई है । जहां तक पशुपालन सेवा का सम्बन्ध है जब चयन नियमों में आवश्यक संशोधन हो जायेंगे तब उनके अनुसार सूची बनवाई जावेगी ।

(5) (ख) विकास अधिकारियों के पद पर नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति पर मानी गई है अतः किसी के हक मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(6) जी हां, इसी आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं ।

(7) जी नहीं ।

(8) (क) जी नहीं, सम्बन्धित विभागों एवं जन सेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाये गये थे और इसमें समय लगना स्वाभाविक था ।

(पंचायत मन्त्री)

(8) (ख) जी नहीं। इन नियमों के अन्तर्गत चयन प्रतिवर्ष होंगे अतः किसी एक दिनांक को निर्धारित करना उचित नहीं था।

(8) (ग) चयन समिति की बैठकें आहूत कर ली गई हैं व उनकी कुछ बैठकें हो भी चुकी हैं। यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर दिया जावेगा।

पंचायत समिति शाहबाद द्वारा विकास कार्यों के लिये दी गई राशि

170. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शाहबाद पंचायत समिति द्वारा अब तक विकास कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को जो रुपया दिया गया वह किस किस ग्राम पंचायत को किस किस तारीख को किस किस कार्य के लिये दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को विकास कार्य के लिए जो रुपया दिया गया वह रुपया सही उपयोग में न लाकर उसका दुरुपयोग किया है? क्या उसके सम्बन्ध में शिकायतों के आधार पर या अन्य आधार पर जांच हुई है? यदि हां, तो किस किस ग्राम पंचायत के सरपंच की तरफ कितना रुपया बाकी है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर सवाई माधोपुर के लेक्चरार के विरुद्ध मामले

171. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर सवाई माधोपुर के लेक्चरार श्री जो. एस. खेरा दिनांक 29-5-57 को छुट्टी पर बटाला (पंजाब) में थे और उसी रोज छुट्टी बढ़ाने के लिये उक्त ट्रेनिंग सेन्टर के प्रिन्सिपल को तार दिया? यदि हां, तो वो कब से छुट्टी गये हुए थे और उक्त तारीख को तार द्वारा कितने रोज की छुट्टी आगे मांगी थी?

(2) क्या यह सही है कि उस अधिकारी ने जिस रोज छुट्टी बढ़ाने का तार बटाला (पंजाब) से 11 बज कर 50 मिनिट पर दिया है उसी रोज की हाजरी रजिस्टर में दर्ज है? उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर हैं? यदि हां, तो कैसे?

(3) क्या यह मामला सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और अब क्या कार्यवाही करने का इरादा है?

उत्तर

(1) जी हां। वे 21-5-67 से अवकाश पर रहे। दिनांक 29-5-67 को उन्होंने 3 दिन की छुट्टी बढ़ाने का तार दिया।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(3) जांच पूर्ण होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

Page No 59

सोनाई माजी के सरपंच के खिलाफ जांच

172. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति पाली तहसील पाली में ग्राम पंचायत सोनाई माजी के सरपंच श्री मोतीसिंह के खिलाफ जांच पूरी हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सोनाई मांजी ने रकम का गबन किया ? यदि हां, वो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच मोतीसिंह को सस्पेन्ड कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार सरपंच मोतीसिंह से गबन की रकम प्राप्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रारम्भिक जांच हो चुकी है।

(2) जी हां, 928) रुपये जमा न करना पाया गया है।

(3) जी हां, दिनांक 15-6-1968 को।

(4) उप-जिला विकास अधिकारी, पाली से विस्तृत जांच पूरी कर रिपोर्ट प्राप्त होने पर राशि की वसूली के बारे में निर्णय लिया जायगा।

मुअत्तिल सरपंच, न्यायपंच, प्रधान एवं प्रमुख

173. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पंचायतों के चुनाव होने के बाद कितने सरपंचों, न्यायपंचों व पंचायत समितियों के प्रधानों व प्रमुखों को मुअत्तिल किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कई ऐसे सरपंच हैं जिनके खिलाफ डाके व गबन के केस होते हुए भी सरकार ने उन्हें मुअत्तिल नहीं किया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कुल 113

सरपंचगण,	न्याय पंच,	प्रधान,	प्रमुख
109	0	4	0

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है

(2) जी नहीं। किसी सरपंच के बारे में डाके के केस की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं आई है। सरपंच पंचायत बारलावास (जालौर) के मकान से डाकू जरूर पकड़े गये थे जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। गबन के मामलों में सरपंचों को मुअत्तिल किया गया है। प्रश्न (1) के उत्तर की सूची में विवरण अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

रिटायर्ड मेट्रन, असिस्टेन्ट मेट्रन व स्टाफ सिस्टर्स की पुनः नियुक्ति

174. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर):—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1968 व 1969 के 2 वर्षों में मेट्रन, असिस्टेन्ट मेट्रन व स्टाफ सिस्टर्स कितनी रिटायर हुई ? उनके नाम व रिटायरमेंट की तारीख की सूची देने का कष्ट करें।

(श्री ओमदत्त भाटी)

(2) क्या उपरोक्त प्रकार के रिटायर्ड लोगों को वापिस एम्प्लोयमेंट दिया जा सकता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि ऐसे रिटायर हुए लोगों को तीन चार महीने बाद वापिस नौकरी में रखा गया है ? अगर ऐसा हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ? जिन लोगों को वापिस नौकरी पर लिया गया है उनके नाम व पुनः नियुक्ति की तिथि दें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) नियमों के अन्तर्गत इनको दुबारा नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है किन्तु किसी विशेष केडर में योग्य व्यक्तियों के अभाव में राज्य सरकार के विशेष आदेशों द्वारा पुनः नियुक्ति सम्भव है ।

(3) श्रीमती एम. पी. टुक्की, मेट्रन ग्रेड 1 जिनकी सेवायें निवृत्त कर पुनः राज्य सरकार के आदेशानुसार मेट्रन ग्रेड 1 के पद पर नियुक्त किया गया है । अनुभवी मेट्रनों की कमी के कारण श्रीमती टुक्की को पुनः नियुक्ति दी गई है, सिस्टर व स्टाफ नर्सों की कमी नहीं होने से उनकी पुनःनियुक्ति नहीं की जा रही है ।.

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिए)

बौंली प्राइमरी हैल्थ सेंटर का भवन

175. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर):—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बौंली प्राइमरी हैल्थ सेण्टर के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि का प्रावधान भवन निर्माण के लिये रखा और अब तक कितनी राशि इसमें से व्यय की गई ?

(2) इस भवन का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा और इसे कब तक पूरा कराये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) बौंली प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10000) रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है ।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के लिए स्थान का चुनाव किया जा चुका है तथा पी. डब्लू. डी. द्वारा प्रारम्भिक कार्य-वाही भी करली गई है, अब कार्य शीघ्र शुरू होने की आशा है ।

स्टोर पर्चेज कमेटी का गठन

176. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेडिकल डायरेक्टोरेट के स्टोर पर्चेज आर्गेनाइजेशन का गठन किन आधारों पर किया जाता है ?

(2) इस वर्ष अर्थात् 1970-71 की स्टोर पर्चेज कमेटी के मेम्बर्स की सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

Page No 61

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) स्टोर पर्चेज कमेटी का गठन मेडिकल डिपार्टमेंट स्टोर पर्चेज रूल्स के नियम 5 बी के अनुसार किया जाता है।

(2) इस वर्ष अर्थात् 1970-71 की स्टोर पर्चेज कमेटी के गठन सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री विजयराघव जी के मन्दिर के महन्त की नियुक्ति

177. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़ के प्रतापगढ़ में स्थित श्री विजयराघवजी के मन्दिर में महन्त स्व. श्री देवचरणदासजी के उत्तराधिकारी के लिये सहायक राजस्व सचिव, राजस्थान ने दिनांक 27-7-66 को अपने निर्णय द्वारा आदेश दिये थे कि महन्त श्री रामचरणदासजी को मन्दिर का मुकर्रर करने की स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त महन्तजी को मन्दिर का अधिकार दिला दिया था ? निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान के आदेश पर सहायक आयुक्त देवस्थान ने प्रतापगढ़ उप जिलाधीश को यह आदेश दिये थे कि पुजारी श्री मदनलाल से उक्त मंदिर का चार्ज लेकर महन्त श्री रामचरणदासजी को उक्त मंदिर का चार्ज दिया जावे ?

(3) क्या उप जिलाधीश ने राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त महन्त को मंदिर का चार्ज दिला दिया था ? यदि नहीं, तो क्यों और आयुक्त व सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

बाबा हरद्वारीनाथ ट्रस्ट

178. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर चक नाथा वाले में बाबा हरद्वारीनाथ ट्रस्ट है ? यदि हां, तो यह ट्रस्ट कब रजिस्टर्ड हुआ और इस ट्रस्ट के नाम बाबा मवासी नाथ ने कितने मुरब्बे दान में दिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस ट्रस्ट द्वारा एक स्कूल व होस्पिटल चलाया जा रहा है ?

(3) इस ट्रस्ट का प्रधान कौन है और कुल कितने सदस्य हैं व वे कहां के निवासी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस ट्रस्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा काश्तकारों ने कर रखा है ? यदि हां, तो किसने किया है और क्या वे काश्तकार भूमिहीन हैं ? यदि हां तो वे कहां कहां के निवासी हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों ने ट्रस्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा किया है, वे ट्रस्ट को ठेका नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ठेका कब दिया गया और कितने कितने रुपयों का ठेका दिया गया था ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(6) क्या यह सही है कि ट्रस्ट को ठेका नहीं देने से ट्रस्ट की आर्थिक दशा खराब हो गई है ?

(7) क्या यह सही है कि ट्रस्ट को भूमि के ठेकों का रुपया स्थानीय राजस्व अधिकारी वसूल करके अपने पास ही रख लेते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने ट्रस्ट की भूमि को मालगुजारी बिस्वेदारी कानून के तहत अधिग्रहण कर ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि यह ट्रस्ट जनता की भलाई के लिए बनाया गया था ? यदि हां, तो फिर सरकार द्वारा ट्रस्ट की भूमि ट्रस्ट के नाम से खारिज क्यों की है ?

(स्थगित किया गया)

पढ़े लिखे बेरोजगारों को जीवन निर्वाह भत्ता

179. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जब तक पढ़े लिखे लोगों को सरकार काम नहीं दे देती तब तक उनको जीवन निर्वाह भत्ता देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. इस विषय में अभी तक सर्वे नहीं हुई है। पर जिन पढ़े लिखे बेरोजगारों ने रोजगार चाहने के लिए राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में तारीख 31-12-69 तक पंजीकरण कराया है, उनकी जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी नहीं।

इस तरह का भत्ता देना सरकार को वित्तीय सामर्थ्य के बाहर होगा।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिए)

अध्यापकों का बकाया भुगतान

180. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (मोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिला बीकानेर, बाड़मेर, और जैसलमेर की प्राथमिक शिक्षा शालायें अकाल की वजह से बन्द हो गई है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? जिला-वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जिलों के अध्यापकों का लम्बे समय से शिक्षा विभाग द्वारा वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) तहसील लूणकरसर के अध्यापकों का किस किस माह का वेतन बकाया है ?

(4) जिन अध्यापकों का वेतन बकाया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अकाल के कारण बन्द स्कूलों की

Page No 63

(शिक्षा मंत्री)

संख्या इस प्रकार है:—

(1) जिला बीकानेर	कोई नहीं
(2) जिला बाड़मेर	16
(3) जिला जैसलमेर	14

(2) इन जिलों में सभी अध्यापकों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

(3) लूणकरणसर तहसील की शालायें पंचायत समिति, लूणकरणसर के अधीन है और उनके वेतन के भुगतान करने का दायित्व पंचायत समिति, लूणकरणसर का है। गत माह में शिक्षक संघ अथवा पंचायत समिति के अध्यापकों द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसके अनुसार ऐसा पता चले कि इन अध्यापकों को वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है।

(4) बीकानेर व बाड़मेर जिले में किसी भी अध्यापक का वेतन बकाया नहीं है। जैसलमेर जिले के कार्यालय द्वारा किसी अध्यापक का वेतन देय नहीं है परन्तु पंचायत समिति जैसलमेर में सत्र 1966 में कार्यरत 39 अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश का वेतन सत्र 15 मई 66 से जून 66 तक उठाने के लिये पंचायत समिति जैसलमेर से सितम्बर 66 में आदेश प्राप्त हुये हैं, क्लेम कालातीत (टाईम बार) होने से इस कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही हो रही है।

सब डिवीजन बाली के स्कूल के अध्यापकों को वेतन का भुगतान

181. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिला शिक्षणालय निरीक्षक के कार्यालय की ओर से सभी सब डिवीजन (बाली के) मुख्याध्यापकों को वेतन बिलों के भुगतान हेतु प्रति मास की तारीख पांच को बाली में बुलाया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि सब-डिवीजन बाली की सम्बन्धित स्कूलों के सभी मुख्याध्यापकों को तारीख 5,6 को और 7 अगस्त 69 तीन दिन रोक कर रखा गया ? यदि हां, तो तारीख 5 और 6 अगस्त इन दो दिनों में किसी को भी भुगतान क्यों नहीं किया है ?

(3) उपर्युक्त तीन दिनों की पढ़ाई की हानि सम्बन्धित स्कूलों में हुई उसके अलावा आर्थिक हानि भी सरकार को हुई कि नहीं ?

(4) उपर्युक्त तीन दिनों का टी.ए. एवं डी.ए. सभी अध्यापकों का कितना बना ? इतनी रकम खर्च करने का प्रयोजन क्या था ?

(5) क्या यह सही है कि पहले पत्र व्यवहार से बिलों के भुगतान सम्बन्धी सारी लिखो पढ़ी कार्यवाही हो जाती थी और उपर्युक्त जो भी तीन दिनों का इतना टी. ए. व डी. ए. का हुआ यह कतई नहीं होता था ?

(1) जी हां।

(2) सब डिवीजन बाली की सम्बन्धित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 5—6 अगस्त को भुगतान हेतु रोका गया एवं दिनांक 7 अगस्त, 69 को केवल दो विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों (बीजोवा व नाडलो) को रोका गया जिनके बिल देरी से पास हुये।

Page No 64

(शिक्षा मंत्री)

(3) पढाई की हानि नहीं हुई, क्योंकि केवल प्रधानाध्यापक ही वेतन लेने गये और उनकी अनुपस्थिति में उनके जिम्मे की पढाई की व्यवस्था दूसरे अध्यापकों द्वारा की गई केवल दो प्रधानाध्यापकों को एक दिन अधिक रोकने से आर्थिक हानि हुई लेकिन बिल समय पर पास होकर न आने से ऐसा मजबूरी में हुआ।

(4) यह सही नहीं है कि सभी प्रधानाध्यापकों को टी. ए., डी. ए. तीन दिन का बना है। उ. प्र. शा. बीजावा व बावली के प्रधानाध्यापकों को ही तीन दिन का टी. ए. डी. ए. दिया गया है। जो क्रमशः 19·44 व 21·12 रुपया बना व अन्य प्रधानाध्यापकों का टी. ए. 86.48 एवं डी. ए. करीब 19 1.00 रु. बना। इस सम्बन्ध में 120 रु. की रकम जो अधिक खर्च हुई है, उसका मुख्य कारण यह था कि कोषागार पाली से इन विद्यालयों के वेतन पत्रक दिनांक 5-8-69 को ही पारित किये थे। जिससे एक एक दिन का डी. ए. अधिक देना पड़ा।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार ही व्यवस्था इसलिये की गई थी कि सभी प्रधानाध्यापकों को रजिस्ट्री द्वारा उस कोष पर ले जाने में 34.10 रु. का व्यय होता है लेकिन यह विपत्र एक ही कर्मचारी द्वारा उप कोष पर ले जाने मे 2.80 रु. खर्च होता है।

(5) यह सही है कि पहले पत्र व्यवहार से बिल के भुगतान सम्बन्धी सारी लिखा पढी कार्यवाही हो जाती थी लेकिन इसमें वेतन पत्रक भेजने में रजिस्ट्री के 62.80 रु. मासिक व्यय होते थे। व इस प्रकार की व्यवस्था से सिर्फ 18 रु. के करीब व्यय होने के कारण की गई थी, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था कोषागार पाली से वेतन पत्रक समय पर पारित नहीं होने से एक दिन के बजाय दो दिन का डी. ए. देना पड़ा, जो अधिक खर्च हुए इस प्रकार की व्यवस्था माह अक्टूबर 69 तक ही क्रियान्वित रही, तत्पश्चात् यह प्रणाली बन्द करदी गई व अब इससे भी मितव्ययता से वेतन उठाने की व्यवस्था करदी गई है।

राजकीय सकेण्डरी स्कूल सादड़ी के लेखों की जांच

182. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सादड़ी जिला पाली की राजकीय सकेण्डरी स्कूल का दिसम्बर, 66 से जून, 68 तक की आन्तरिक लेखा जांच हुई थी? यदि हां, तो आन्तरिक लेखा जांच रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी जावे।

(2) उपर्युक्त आडिट रिपोर्ट में आडिट ने जो टिप्पणियां लिखी हैं उनकी पालना किसने कितनी व कौन कौन सी तारीखों को किस किस बात की हुई है? पूर्ण पालना कब तक होने की आशा है?

(3) क्या किसी भी स्कूल के मुख्याध्यापक यदि सार्वजनिक चन्दा करने स्वयं जावें तो किसी की स्वीकृति, जाने के पूर्व लेनी होती है? यदि हां, तो सादड़ी की राजकीय सैकेण्डरी स्कूल के मुख्याध्यापक महोदय ने सादड़ी में हुई स्काउट रैली (सत्र 66-67) एवं सादड़ी में नल योजना हेतु बम्बई चन्दा करने जाने के पूर्व किसकी स्वीकृति ली थी?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(4) उपर्युक्त दोनों चन्दों में दान देने वाले दाताओं ने कितना कितना चन्दा कौन कौन सी तारीखों को दिया था व उन्हें उनके चन्दों की रसीदें कब कब दी गई थीं ?

(5) क्या उपर्युक्त दानदाताओं को उनके चन्दों की रसीदें मिल चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित रसीदों पर दानदाताओं के हस्ताक्षर भी लिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उपर्युक्त दानदाताओं से दान लेते समय ही रसीदें दे दी गई थी या नहीं ? रसीदें उसी समय (दान लेते समय) नहीं दी गईं, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

1. जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ?

2. अनुपालन रिपोर्ट तिथियों सहित संलग्न है।

3. स्कूल कार्य के लिए चन्दा करना यदि आवश्यक प्रतीत हो तो वित्तीय नियमानुसार पूर्व स्वीकृति लेकर ही यह कार्य किया जाना चाहिये, परन्तु विभाग द्वारा प्रसारित नियमों के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक को यह सुविधा अवश्य है कि वह आवृति के भली प्रकार से सम्पादन हेतु आर्थिक आवश्यकताओं को जन सहयोग से पूरी कर सकेगा जिसका नियमित लेखा रखना प्रधानाध्यापक व वित्तकार्य हेतु निर्मित समिति के सदस्यों के दायित्व होगा। ऐसे कार्य के लिए कार्य दिवसों में मुख्यालय छोड़ने पर स्वीकृति लेना आवश्यक है परन्तु यदि अवकाश काल हो तो प्रधानाध्यापक विद्यालय निरीक्षक को सूचना व अपना पता देकर मुख्य स्थान छोड़ सकते हैं। चूंकि प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय सादड़ी ने रैली (66–67) व स्कूल में नल लगाने (67–68) हेतु दिवाली दशहरा अवकाश का उपयोग किया था अतः केवल सूचना भेजना ही पर्याप्त थी।

4. सूची संलग्न है।

5. उपरोक्त सभी दान दाताओं को सिवाय मंत्री संघ सादड़ी चन्दों की रसीद प्राप्त हो चुकी हैं। मंत्री संघ सादड़ी के व्यवस्थापक श्री फूलचन्द बाफणा ने उक्त रकम में प्रमाणक उनके लेखे के लिए मांगे थे जो प्रधानाध्यापक ने उनके पास अवलोकनार्थ व रेकार्ड हेतु भेजे। दानदाताओं के रसीद पर हस्ताक्षर नहीं लिये गये हैं क्योंकि कुछ दाताओं का चन्दा बम्बई से श्री जयराज जैन ने कर के भेजा था व उन्हीं को रसीदें भी दी गई, अतः द्वितीय पत्र पर हस्ताक्षर लेने की कोई आवश्यकता नहीं रही।

6. उपरोक्त दानदाताओं में से स्थानीय दानदाताओं को रसीदें दान लेते समय ही दे दी गई थीं व बम्बई निवासी दानदाताओं को रसीदें वहां से पूर्वदान प्राप्त होने पर व श्री जयराम जैन से दानदाताओं का नाम प्राप्त होने के पश्चात् ही रसीदें दी गई जिसकी प्राप्ति जयराम के द्वारा मिली।

सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।

कस्बा नोखा मण्डी के प्रध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

183. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 66

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) कस्बा नोखा मण्डी, जिला बीकानेर की हायर सैकण्डरी स्कूल में श्री अचल सिंह नाम का कोई अध्यापक है ? यदि हां, तो कब से और वह कहां का निवासी है और कब से सरकारी सेवा में है ? सरकारी सेवा में आने के बाद कब कब किन किन जगहों पर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके इतने लम्बे समय तक एक ही जगह रहने का कारण क्या है ?

(3) उक्त अध्यापक के खिलाफ अब तक कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसका इस मामले में कहां तक पालन हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री अचलसिंह मा. वि. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोखा में दिनांक 1–10–58 से कार्य कर रहे हैं ये ग्राम बीकासर (तहसील नोखा) के निवासी हैं वे सरकारी सेवा में दिनांक 9–9–48 से है।

(2) किसी भी अध्यापक को 3 वर्ष से पहले स्थानान्तर करने का नियम नहीं है यदि अध्यापक की कार्य व्यवहार सन्तोषजनक हो तो उसे किसी भी समय तक एक ही स्थान पर रखा जा सकता है।

(3) श्री अचलसिंह के विरुद्ध एक शिकायत ग्रामवासियों तथा सरपंच से सम्मिलित प्राप्त हुई थी परन्तु विद्यालय निरीक्षक, बीकानेर द्वारा जांच करवाने पर इसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई।

(4) नियमानुसार किसी अध्यापक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 3 वर्ष से पहले स्थानान्तरण नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके विरुद्ध कोई भी शिकायत न हो जो जांच करने पर जो पाई गई हो, या उसने स्वयं ने अपने स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना न की हो अथवा प्रशासनिक दृष्टि से उसका स्थानान्तरण करना आवश्यक न समझा जावे। साधारणतया कार्य व व्यवहार ठीक होने के कारण अध्यापक को किसी भी समय के लिए एक स्थान पर रखा जा सकता है।

जयचन्द लाल भूतोड़िया हाई स्कूल लाडनूं का रजिस्ट्रेशन

184. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री जयचन्द लाल भूतोड़िया हाई स्कूल लाडनूं जिला नागौर को राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया था ? यदि हां, तो उनके विधान में संस्थाएं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार रजिस्टर्ड संस्था का निरीक्षण संस्थाएं रजिस्ट्रेशन द्वारा होना चाहिए ? यदि हां, तो उक्त संस्था का निरीक्षण कब किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या इस विधान में मेनेजिंग कमेटी और मेनेजिंग ट्रस्टी आदि का प्रावधान रखा गया है और जनरल बाडी का कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस स्कूल के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी कब कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान में रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान का पालन किया गया है ।

(2) शिक्षण संस्थाओं में निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है । रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण की कोई व्यवस्था सहायता संबंधी नियमों में नहीं है ।

(3) विधान की धारा 2 के अनुसार ट्रस्ट व मेनेजिंग कमेटी का प्रावधान है और धारा 9 के अनुसार दान-दाताओं का भी प्रावधान है ।

(4) निम्न शिकायतें उपलब्ध हुई हैं:–

नाम शिकायतें करने वाले का	दिनांक	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई
1. श्री द्वारका प्रसाद वर्धमान	8–9–66	व्यवस्थापक के
2. श्री नागरिक परिषद् लाडनूं	27–12–67	,,
3. वैद्य श्री कृष्ण लाडनूं	28–12–68	,,
4. श्री हरजीराम बुरडक	28–12–68	श्री हेतराम गुप्ता की सेवाओं के विरुद्ध
5. श्री हेमराज मानक चन्द बेगानी	4–4–69	व्यवस्थापक के विरुद्ध
6. श्री हरजीराम बुरडक	1–4–69	दो अध्यापकों की सेवाओं की समाप्ति की शिकायत

पहली शिकायत पर वि. नि. ने जांच कर तथ्यहीन बतलाया जिसकी सूचना शिकायत करने वाले को दे दी गई । दूसरी शिकायत बिना नाम की थी अतः ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती।

क्रम संख्या 3, 5 व 6 की शिकायतें पर वि. नि. नागौर को प्रतिवेदन के लिये भेज दी गई है ।

क्रम संख्या 4 श्री हेतराम गुप्ता, प्र.अ. का कार्यकाल 30-6-69 के बाद समाप्त हो गया है । बाद में मंजूरी नहीं दी गई है ।

कर्मचारियों से नियुक्ति के समय भरवाये गये बाण्ड

185. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 68

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को नियुक्त करते समय स्कूलों का संचालक मण्डल कर्मचारियों से कोई बांड भरवाते हैं? यदि हां तो जयचन्द लाल भूतोड़िया हायर सेकेन्डरी स्कूल लाडनूं, जिला नागौर के संचालक मण्डल द्वारा उक्त स्कूल के कर्मचारियों द्वारा भरवाये जाने वाले बांड की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बोंड ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के प्रोफोर्मा के खिलाफ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कूलों के स्टाफ पर राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं? यदि हां, तो उन नियमों में इस प्रकार का बोंड भरवाने का प्रावधान नहीं है फिर भी क्यों बोंड भरवाये जाते हैं?

(4) क्या उक्त बोंड में ऐसी शर्त भी है जो कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है? यदि हां, तो इस प्रकार बोंड भरवाने से मना करने के बारे में सरकार का क्या विचार है?

(5) क्या ग्रान्ट-इन-एड नियमों में भी कोई प्रोफोर्मा बोंड का दिया हुआ है? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता?

उत्तर

(1) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति करते समय अनुदान नियम 1963 के ऐपेन्डीक्स 3 के अनुसार बोंड भरवाना आवश्यक है। जयचन्द लाल भूतोड़िया हायर सेकेन्डरी स्कूल लाडनूं, जिला नागौर के संचालक मण्डल द्वारा भरवाये जाने वाले बोंड की प्रति संलग्न है।

(2) प्राप्त बोंड की प्रतियों का प्रारूप तो वही है जो अनुदान नियमों के परिशिष्ठ 3 में वर्णित है, किन्तु उसके कुछ वाक्यों में और शब्दों में कहीं कहीं फेर बदल की गई है इससे कुछ परिवर्तन हो गया है। वैसे अनुदान नियम चार में यह प्रावधान रखा गया है कि संस्था इस बोंड में थोड़ा परिवर्तन कर सकती है जिसकी अनुमति विभाग से लेनी होती है किन्तु इस संस्था ने इसकी कोई अनुमति ली है ऐसी सूचना नहीं है।

(3) इन स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन भत्ता इत्यादि लागू करने के नियम सरकारी नियमों के अनुसार ही है। जहां तक सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों से बांड भरवाने का सवाल है वह इसलिए आवश्यक है कि इन अध्यापकों की सेवायें सुरक्षित रहें। तथा बांड की शर्तों के अनुसार व्यवस्थापक एवं अध्यापकों के बीच सामंजस्य बना रहे। एक दूसरे द्वारा उन शर्तों की अवहेलना करने की दशा में विभाग हस्तक्षेप कर सकता है।

बोण्डों को देखने से कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ कोई बात प्रतीत नहीं होती।

(5) अनुदान नियम 1963 के पृष्ठ 23 में परिशिष्ठ 3 ही इसके लिये निर्धा-

Page No 69

(शिक्षा मंत्री)

रित प्रोफार्मा है और इसका पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य है ।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिए)

उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की योजना

186. **श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) राजस्थान में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की योजना किस साल से लागू की गई ?

(2) जिस साल से यह योजना लागू की गई उसके बाद किस किस जिले के कौन कौन से स्कूल सेकेन्डरी में परिवर्तित किये गये ? परिवर्तन के समय इन स्कूलों में छात्रों की संख्या क्या थी और कितने अध्यापक थे ?

उत्तर

यह योजना वर्ष 1955-56 से प्रारम्भ हुई थी ।

सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिए)

झालावाड़ जिले के स्कूलों का अनुदान

187. **श्री लक्ष्मणतानीवाल (डग)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में शिक्षा विभाग की ओर से गत 2 वर्षों में दिये गये अनुदानों की सूची सदन की मेज पर रखें कि तहसील-वार किसको कितना अनुदान मिला और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ हायर सेकेण्डरी स्कूल की वर्तमान स्थिति निर्माणाधीन है जिसको बनवाने के लिये भी सरकार को कई बार लिखा जा चुका है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कदम आगे उठाया जायगा ?

(3) खानपुर हाई स्कूल की दशा अत्यन्त शोचनीय है जैसा कि वहां के लोगों को मंत्रियों द्वारा आश्वासन मिला है अब तक वैसी ही अवस्था में है सरकार निश्चित अवधि बताने की कृपा करें कि कब तक उसे अपना स्वाभाविक सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में शिक्षा विभाग की ओर से गत 2 वर्षों में निम्न प्रकार अनुदान दिए गये:—

क्रम	नाम विद्यालय	तहसील	68-69	69-70
1	2	3	4	5
1.	मा. वि. खानपुर	खानपुर	600)	600
2.	,, ,,	,,	—	15,000) विज्ञान कक्ष के संधारण के अनुसार
3.	उ.मा.वि. गाडरवाडापुर खां	,,	150)	130) साधारण मरम्मत

1	2	3	4	5	
	(शिक्षा मंत्री)				
4.	मा. वि. झालरापाटन	झालरापाटन	514)	514)	
5.	उ. मा वि. झालावाड़	,,	–	2000)	स्पेशल मरम्मत
6.	उ. मा. वि. रामपुर	,,	278)	278)	साधारण मरम्मत
7.	उ. मा. वि. बकानी	,,	215)	215)	,, ,,
8.	उ. मा. वि. मनोहरथाना	अकलेरा	218)	218)	,, ,,
9.	उ. मा. वि. घाटोली	,,	152)	152)	,, ,,
10.	उ. मा. वि. मिश्रोली	पंचपहाड़	213)	213)	,, ,,
11.	मा. वि. सुनेल	पिड़ावा	300)	300)	,, ,,
12.	उ. मा. वि. पंचपहाड़	पंचपहाड़	167)	167)	,, ,,
13.	उ. मा. वि. पिड़ावा	पिड़ावा	–	2,500)	स्पेशल रिपेर्स

(2) यह सही है कि (.2000) तक की राशि इस वर्ष स्वीकृत की गई है, जिसमें विशेष परिवर्तन हेतु अधिशाषी अभियन्ता भवन एवं पथ निर्माण विभाग से कार्यवाही जारी है। यह धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में व्यय करने के निर्देश है।

(3) जी हां। इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस भवन की मरम्मत होने की आशा है।

लाडपुरा तथा मंडाना रेंज के कूपों से लकड़ी

188. श्री बृज बल्लभ (दीगोद):–क्या वन मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) लाडपुरा तथा मंडाना रेन्ज की कितनी कूप भूमि से किसानों को लकड़ी दी जावेगी ? इन जंगलों के क्या नाम है ?

(2) जंगलों में इनसे किस माह में यह लकड़ी दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 69–70 में वर्किंग प्लान के आधार पर रेन्ज लाडपुरा व रेन्ज मण्डाना के क्रमशः 1049 एकड़ एवं 701 एकड़ के जंगलों में है किसानों को लकड़ी दी जावेगी। रेंज लाडपुरा व मण्डाना के जंगलों के नाम निम्न प्रकार है:—

नाम रेन्ज 1	नाम वनखण्ड 2	कम्पा. नं. 3	एकड़ों में 4
लाडपुरा	राढी खण्ड	कम्पा. नं. 5	323 एकड़
	लाडदेवी	,, 5	496 ,,

1	2	3		4
(वन मंत्री)	बनपुरा	कम्पा. नं.	6	230 एकड़
मण्डाना	डोल्या	,,	6	262 ,,
	बड़काडाजी	,,	26	349 ,,
	बड़काडाणी सम्पा.	,,	93	97 ,,

(2) यह लकड़ी अक्टूबर 1969 से 14 जून 70 तक दी जावेगी।

खानपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी की सीक्योरिटी की राशि

189. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से सन् 62 में विधान सभा के लिये श्री चतुर्भुज ने जनसंघ के टिकिट पर चुनाव लड़ा था ?

(2) क्या यह सही कि श्री चतुर्भुज की सीक्यूरिटी अभी तक नहीं लौटाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कृषि भूमि की खरीद के लिए कर्जा

190. श्री रावत राम (खापर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि भूमि खरीदने हेतु क्या विभाग की ओर से कर्जा दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना और कितने साल के लिये कितने ब्याज पर ?

(2) क्या सरकार ने यह योजना तैयार की है जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि खरीदने हेतु कर्जा दिया जावे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

विकलांगों और वृद्धों को सहायता

191. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विकलांगों और वृद्ध को सरकारी सहायता राजस्थान के प्रत्येक जिले में (अलग अलग जिलेवार) अप्रेल 68 से दिसम्बर, 1969 तक कितनी कितनी दी गई ?

(2) उपर्युक्त सहायता में यदि प्रत्येक जिले में फर्क रहा है, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जो सरकारी सहायता अप्रेल 68 से मार्च 69 तक तथा अप्रेल 69 से अक्टूबर 69 तक विकलांगों एवं वृद्धों को दी गई उसके

(समाज कल्याण मंत्री)
जिलेवार आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त सहायता में जो प्रत्येक जिले में फर्क रहा है उसके मुख्य कारण जिलों की आबादी तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का फर्क है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(12.07 म. पं.)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री में में हड़ताल के सम्बन्ध में निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है:

1. श्री हरिवल्लभ शर्मा
2. ,, श्रवण लाल
3. ,, प्रेमसिंह सिंघवी
4. ,, रामानन्द अग्रवाल
5. ,, केदार नाथ
6. ,, रामचन्द्र आर्य

इस विषय में श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने पहले से ही एक ध्यान आकर्षक प्रस्ताव की सूचना दी थी और उसे स्वीकार कर लिया गया है। अतः मैं उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को कल तारीख 28-1-70 को लिया जायेगा तथा इस विषय में श्रम मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है उन्हें भी प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस सदन में तीन बार इस प्रश्न को उठाया जा चुका है। 22 दिसम्बर से हड़ताल हो रही है और एक महीने और पांच दिन से हड़ताल होते हुए हो गये। पिछले दिनों दो बार कहा मैं निवेदन कर देना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछली बार कहा कि बातचीत खत्म कर दी . . .।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी शंका का निवारण कर देता हूं। आज ही वक्तव्य देने के लिए कह देता लेकिन मन्त्री महोदय आज यहां नहीं हैं, उन्होंने फोन पर मुझको जानकारी दी कि खान अब्दुल गफ्फार खां उनके इलाके में गये हुए हैं, इसलिए कल के लिये इस विषय को रखना पड़ा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय श्रम मन्त्री जी नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक मुख्य मन्त्री जी से है और गृह मंत्री जी भी इसमें इन्वाल्ड है। इसमें श्रम मंत्रालय भी इन्वाल्ड है गवर्नमेंट का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पालिसी भी इन्वाल्ड है। तो मुख्य तौर से मुख्य मन्त्री जी, और मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं तो उनकी गैर मौजूदी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मे उप मुख्य मन्त्री मोजूद हैं यह वक्तव्य दे सकते हैं

एक माननीय सदस्य : उप मुख्य मन्त्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कल के लिए रख दिया है। श्रम मंत्री जी की उपस्थिति आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वित्त मंत्री जी जो एक्ट करते हैं मुख्य मंत्री का उनकी गैर-मोजूदगी में। मैं नहीं जानता कि आपके दल के मेम्बर आपसे बहुत नाराज हैं, उप मुख्य मंत्री कह दिया इससे वे नाराज हुए। तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग मोजूद हैं आपके दल में लेकिन मुख्य मंत्री जी की गैर मोजूदगी में आप एक्ट करते हैं तो अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बहुत जबरदस्त असन्तोष मजदूरों में है और इस बात पर भी सदन के अन्दर विचार न किया जाय। इसको लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जैसा मैंने निवेदन किया श्रम मंत्री जी की उपस्थिति आवश्यक है। मैंने इसको कल रख दिया है, पर्याप्त समय दिया है। आज रखने की स्थिति में नहीं हूं। श्रम मंत्री जी की अनुपस्थिति का कारण है। इसलिये मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। श्री दिग्विजय सिंह, टौंक में चर्म उद्योग की स्थापना से सम्बन्धित प्रश्न। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं, इस सम्बन्ध में भी मुझको मन्त्री महोदय ने यह प्रार्थना की है कि कल ले लिया जाय। वे आज उपस्थित नहीं हैं। मेरा ख्याल है सदन इसमें सहयोग देगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : और स्थगन प्रस्ताव थे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री मथुरादास माथुर।

विधायी कार्य-पुरःस्थापन किये जाने वाले व वापिस लिये जाने वाले विधेयक

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा चुंगी उत्सादन) विधेयक, 1969 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का असहमति पत्र सहित, उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास।

श्री गंगाराम चौधरी (उप मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये राजस्व मंत्री जी है क्या?

श्री अध्यक्ष : स्थानापन्न हैं।

श्री भैरोंसिंह : नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालुम नहीं था। सतर्क रहूंगा।

और फिर दूसरा। ... वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे और जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखेंगे।

Page No 74

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1 70 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1969) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान ग्रामदान विधेयक....

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1969 (विधेयक संख्या 30) सन् 1969 को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1969 (विधेयक सं 30 सन् 1969) को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस क्यों ले रहे है।

श्री अध्यक्ष : जो पक्ष में होवे हां कहें, जो विपक्ष में हो वे ना कहें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

वे विधेयक को भी वापिस लेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1969 ...

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1969 (विधेयक सं. 20 सन् 1969) को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : इसको भी वापिस क्यों ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस लेने के साथ कारणों को भी सदन को जरूर बतायें। गवर्नमेंट वापिस क्यों ले रही है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा बिल रख रहे हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1969 विधेयक सं. 30 सन् 1969 तथा राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1969 विधेयक सं. 20 सन् 1969) को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने के लिये आज्ञा प्रदान की गई।

Page No 75

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां तक ...

श्री दौलतराम सारण: इससे पहले माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें, मैं ध्यान आकर्षित करता हूं कि स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो अध्यक्ष महोदय परम्परा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कुछ परम्परा में दिक्कतें आ जाती हैं। मैं समझ गया हूं आपके विचार वे टाइप हो रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत मेरी भी हो जाती है। आरम्भ रखिये-(श्री मनोहर सिंह मेहता से)।

श्री भैरोंसिंह : चूरू वाला आ जायगा उसमें।

श्री अध्यक्ष : वे सब उसमें आ जायेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर विचार

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय जहां तक भूमि की नीलामी नहीं होगी यह तो सचमुच बहुत बड़ी बात होगी कि नीलाम नहीं होगी लेकिन जो कुछ घोषणा होती है उसकी स्याही भी सूख नहीं पाती है उसके पहले उसको वापिस करने की बात चलती है, यह बुरी बात है। इसलिए हम यह आशा रखें कि जो राज्यपाल महोदय के भाषण में यह घोषित किया गया है कि नीलामी नहीं होगी उसका पालन होगा। मैं गंगानगर के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उसके लिए राज्य भी बधाई के पात्र है।

अध्यक्ष महोदय जहां तक जमीन का सवाल है, इसके सिवाय कि एक जमीन की नीलामी नहीं होगी और भाषण में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कुछ निवेदन किया जाय। इन्होंने कुछ छोटी जमीनों वालों को कर्जा देने की बात कही अच्छी बात है-कर्ज मिलेगा लेकिन कर्ज मिलने से किसान का कल्याण नहीं होता है। कर्ज मिलता है और दूसरी तरफ हममें कोई भी जाकर उस कर्ज को नहीं देखता कि कहां खर्च हो रहा है? इसका नतीजा क्या होता है? कर्ज गलत कामों में खर्च हो जाता है मृत्यु भोजों में उसका खर्च होता है। आपका कर्जा तीन बातों में खर्च होता है- फसल ठीक हुई तो वे औरत उड़ाकर ले जायेंगे, दूसरा किसी का सर फोड़ देंगे और तीसरा फसल अच्छी हुई तो कन्धे पर डोर-लोटा लेकर बढ़ जायेंगे और गंगोज करेंगे।

राज्य के भोज नहीं करने के आदेश कागजों में ही रह जाते हैं। ज्यों ही वे पैसे खिला देते हैं उनका कुछ नहीं होता और भयंकर अकाल की स्थिति ज्यों की त्यों रहती

Page No 76

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है। भयंकर अकाल है और ऐसे भयंकर अकाल में भी शराब की बिक्री कम नहीं हुई है। शराब खूब मिलती है। ज्योंही उनको पेमेन्ट होता है अधिकांश पैसा उनका शराब में चला जाता है, आपके खजाने में पैसा जरूर आता है लेकिन उसके बाल-बच्चे भूखे मरते हैं।

शिक्षा में देखिए, शिक्षा में आप कोई परिवर्तन नहीं लायेंगे शिक्षा से भारी बेकारी बढ़ रही है, इस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं। श्रम और बुद्धि अलग अलग हैं। जो श्रम करता है वह नीचा और जो बुद्धि का काम करता है वह ऊंचा। इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। लेकिन मैं यह दोष आपको नहीं देना चाहता हूँ। यादवों के समय में जिस प्रकार तिनके के मूसल बने थे शायद वे ही बालक मूसल बन कर हमारे सिर पर पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जहां तक लगान का सवाल है, गंगानगर जिले में जहां 24 घण्टे नहर चलती है वहां खुशहाली कर बढ़ाया है लेकिन जहां नहीं चलती हैं वहां सेटलमेंट होते ही इतना लगान बढ़ा दिया है जिससे आश्चर्य होता है। जिन्होंने कुआ खोदकर बारानी जमीन को ठीक किया है, उन पर भी कर बढ़ाया है राज्य के खर्चे से जो नहरें बनी हैं और 24 घण्टे नहरें चलती हैं उन पर आपने बढ़ाया है यह तो समझा जा सकता है कि राज्य के प्रयत्न से नहरें चली हैं इसलिए सरकार ने कर लगाया, खुशहाली कर लगाया और रेन्ट भी बढ़ाया लेकिन जहां किसान खुद कर्ज लेता है रात-दिन एक कर के अपनी पैदावार बढ़ाते हैं उन पर क्यों बढ़ा रहे हैं ? यह समझ में नहीं आता है। मेंडक के आप सुई चुभोयें तो ठीक है लेकिन मेंडक के आप सब्बल चुभोयें तो कैसे सहन हो सकता है। इस तरह आप मजबूर करते हैं उन लोगों को आन्दोलन करने के लिए। 5 रुपये बीघा हमारे मांडलगढ़ में लगान था वहां उनको अब 20-20 रुपये बीघा के नोटिस दे दिये गये हैं। वहां भी आन्दोलन की स्थिति आ रही है-बिना सोचे समझे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत कि जहां चौबीसों घंटे नहर चलेगी वहां तो बढ़ायें तो समझ में आता है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो चरस चलाते हैं वहां एक बीघा को पानी पिलाने में एक मर्तबा के 30 रुपये खर्च होते हैं और जब वह बराबर पांच बार पानी पिलाता है तब कहीं जाकर हम को अनाज के दर्शन होते हैं और जहां नहरें चौबीस घंटे

(12.20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

जाती हैं वहां यह खर्चा करीब 20-22 रुपये कुल प्रति बीघा आता है इसलिए कुए वालों पर लगान नहीं बढ़ायें। जो कुए खोद रहे हैं या कड़ी मेहनत करके अपना अनाज पैदा करते हैं इनके ऊपर आप लगान नहीं बढ़ावें बल्कि इनको तो आप इनाम दे सकें तो दें। अकाल ही भयंकर स्थिति हर वर्ष आती है और राज्यपाल महोदय का भाषण भी होता लेकिन हम इस अकाल को दूर करने के लिए स्थायी रूप से कौन कौन से कदम उठा रहे

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हैं ? आज के 15–20 साल पहले या आजादी के पहले मैं अपने क्षेत्र की आपको बात निवेदन करना चाहता हूं कि 60 इंच औसत रूप में वारिश होती थी लेकिन आज 12, 13 और 15 इंच के बीच में यह आ गयी। इसका मूल कारण क्या है ? इसका मूल कारण यह है कि आपने जंगलों की बुरी तरह से कटाई करवाई। मैं ऐसा उदाहरण पेश कर सकता हूं कि केवल वोटों के लिए अच्छे अच्छे जंगलों को काटा गया है और आज भी उनके बीच में जाकर कई नेता लोग यह कहने की स्थिति में नहीं है कि तुम जंगल मत काटो। अगर इसी तरह से जंगल कटे और आपने फिर से इन जंगलों को हरा भरा करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया तो अकाल स्थाई रूप से रहने वाला है। एक तरफ तो हमारे यहां अकाल है और दूसरी तरफ खर्चों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब मंत्री महोदय दौरों में जायें तो वही 80 हजार की गाड़ियों में बैठकर जायें और हम लोग विधायक हैं वह भी अपना भत्ता, अलाउन्स और तनख्वाह बढ़ायें और मांग यह करते रहें कि उनकी भी तनख्वाह बढ़े तो दोनों बातें साथ साथ कैसे चलें ? अकाल की ऐसी भयंकर हालत है कि सब लोगों को साथ बैठकर सोचना चाहिए कि किस तरह से कम खर्च हो, किस तरह से फिजूलखर्ची रुके और एक एक पाई का हम हिसाब रखें। मुझे गांधीजी की याद आती है। काका साहब कालेलकर गांधीजी का संस्मरण सुनाते हुए कहने लगे कि जब हम दोनों जेल में थे तो नीम का दातुन हम दोनों ही करने लगे। तो गांधीजी ने यह किया कि एक दिन दातुन किया और उसके ऊपर के हिस्से को तोड़कर कहा कि इसको फिर से कूंची बनाओ। उनको कहा कि यहां नीम तो बहुत हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमें एक एक डंठल को बचाकर रखना है। एक तरफ तो इस प्रकार का उदाहरण है और दूसरी तरफ मांडलगढ में नयानगर का एक 00 बीघा का जंगल था रेवेन्यू का, उसमें से 700 बीघा में ही पेड़ काट डाले गये। जब हमने ध्यान खींचा तब उस आदमी पर 14 हजार रुपये फाइन हुए हैं लेकिन पुलिस में उसको नहीं दिया गया जब कि उसने एक जघन्य अपराध किया था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अकाल से बचना चाहते हो तो कृपा करके जहां जहां पेड़ लग सकते हैं फिर लगाने का पूरा प्रयत्न कीजिए। जब जंगल हरे भरे होंगे तो अकाल मिटेगा और जहां आप कोयला बनवा रहे हैं, जंगल कटवा रहे हैं–मैं मानता हूं कि जब जंगल बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और कटने के बाद फिर कोंपल नहीं निकलती। लेकिन दो तीन साल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरफ तो आप नये पेड लगवाइये और दूसरी तरफ उन पेड़ों को दो साल के लिए नहीं काटें तब जाकर कुछ बारिश बढ़ेगी।

दूसरी बात पंचायत समितियों के बारे में और पंचायतों के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। एक तरफ भयंकर अकाल है और दूसरी तरफ व्यर्थ में लाखों रुपयों का खर्चा लगा रखा है। 232 जीप गाड़ियां रात दिन दौड़ती हैं अकारण ही और पंचायत समितियां राजनीति के अड्डे बने हुए हैं और फिर इसके ऊपर आपने उनको स्कूल और सौंप दिये है जिसके कारण आज यह हालत हो गयी है कि मास्टर लोग जिस पंचायत समिति के हैं उसी पंचायत समितियों में रहते हैं। रात को कहीं भी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हैडक्वार्टर पर नहीं रहते । इनको सौंपा तो इसलिए गया था कि यह मास्टर लोग गांवों में रहेंगे, स्कूल चलायेंगे और गांव गांव में शिक्षा का प्रसार करेंगे लेकिन यह कुछ भी नहीं हो रहा है । उपाध्यक्ष जी दस, बारह मील चलकर अपने घरों में जाते हैं, 12 या 1 बजे पहुंचते हैं, पसीना सुखाते हैं, बीडी-सिगरेट पीते हैं थोडीसी देर पढ़ाते हैं और वापिस रवाना हो जाते हैं। यह हालत है प्राईमरी स्कूलों की । मुझे खुशी है कि भीलवाडा की जिला परिषद् ने यह तय किया कि जिस पंचायत समिति का मास्टर होगा उस पंचायत समिति में नहीं रहेगा । तो उपाध्यक्ष जी मैं आपकी मार्फत पंचायत राज मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके इन बच्चों का जीवन खराब न करिये या तो आप प्रेम के साथ शिक्षा विभाग को स्कूलों को वापिस सौंप दें, नहीं सौंपे तो कृपा करके थोडा नियंत्रण कडाई से करिये कई जगह बी. डी. ओ. एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन आफिसर्स हैं वह कहीं भी प्रधान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि उन्हें डर है कि प्रधान के खिलाफ कोई काम किया तो हमें वापिस एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन आफिसर बनना पड़ेगा । वह बिलकुल उनके नीचे रहते हैं और वही करना पड़ता है जो कि प्रधान जी कहते हैं। वह प्रधान जी से बिलकुल दबे हुए रहते हैं इसलिए कृपा करके विकास अधिकारी ऐसे भेजें जो कि अकारण भय नहीं खायें ।

अकाल की जहां जहां स्थिति है वहां के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके जो आपने सन् 72 तक कम्पलीट प्राहिबिशन की योजना बनाई है वह तो बहुत अच्छी योजना है लेकिन जहां भयंकर अकाल है वहां एक भी शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिए । शराब के कारण ही आज उत्पादन में कमी हो रहा है । आपको मालूम है कि मैं ऐसे क्षेत्र की बात आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां शराब पीकर आज भी अकाल होते हुए भी मदहोश पड़े रहते हैं, खेतों की इकाई नहीं करते, कुओं को गहरा नहीं कराते । इसके कारण हमेशा भयंकर अकाल का सामना करना पड़ता है ।

फैमिली प्लानिंग के लिए करोडों रुपया आप व्यय कर रहे हैं और अब तो स्थिति यह भी आ गयी है कि अगर पूरे आंकड़े नहीं दे सकते हैं तो फर्जी आंकड़े देते हैं। लेकिन मैं दोष इसलिए नहीं देता कि वह रुपया धर्म में आ रहा है और घाटे में जा रहा है । मुफ्त का पैसा ऐसे ही जाता है । और गांव गांव में आज फ्लू की बीमारी रही उसमें कई जगह लोगों को दवा नहीं मिली, लोग मर गए और प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि अभी उदयपुर के मामले में जो वहां के प्रभावशाली जिला प्रमुख हैं उन्होंने निवेदन किया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर कुछ भी काम नहीं करते और यहां 700 आदमी मर गए । लेकिन परिणाम क्या हुआ कि उनका तबादला कर दिया गया । वहां 700 मर चुके थे अब दूसरे जिले में भी जाकर मारो, इसका मतलब यही है । यह पुरस्कार मिला । होना यह चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति जिनकी अकर्मण्यता से 700 मौतें हो जायें उनका स्थान दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता उनका स्थान जेल हो सकता है । लेकिन यहां जेल की सजा नहीं मिलती । अभी भीलवाड़ा में एक हैडकान्सटेबल घर में घुस गया एक मोटर ड्राईवर के यहां और

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
स्त्री के साथ गलत काम करने की कोशिश की। उसका केस साल, डेढ़ साल से चल रहा है यहां लेकिन आज तक वह डिसमिस नहीं हुआ, कोई इन्क्वायरी नहीं की गयी....

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने प्रश्न पूछा था और सप्लीमेन्टरी प्रश्न भी पूछा था तो भण्डारी जी ने उसको बेकसूर मान लिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अभी तीन-चार दिन पहले असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के मामले में एक सवाल था कि रजिस्ट्रार ने यह आदेश दिया है कि इसको सस्पेण्ड किया जाये लेकिन तीन साल से कागजात चल रहे हैं, वह सस्पेन्ड नहीं होता। परिणाम क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि राज्य जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती हो तो इसके लिये हमें सावधान होना चाहिये। उपाध्यक्ष जी, मैं तो आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले आवें कृपा करके तुरन्त कार्यवाही करिये ताकि उसका फल मिल सके। आपने चूरू के मामले में देखा। हमारे राज्यपाल महोदय ने अफसोस जाहिर किया इसकी मुझे प्रसन्नता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो इसके बाद जो घोषणाएं की हैं उसकी भी मुझे खुशी है। मैं उनको बधाई भी देता हूं। लेकिन जहां गोलीकांड के लिये उन्होंने ज्युडिशल कमेटी बिठायी है वहां एक भी शब्द यह नहीं कहा कि उसकी जो भी फाइंडिंग्स होगी उसकी इम्प्लीमेंट किया जायेगा। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? बेरी आयोग की जो फाइन्डिंग्स थीं, या तो फाइन्डिंग्स उसने दी थी उनको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होता तो चूरू में यह कभी हिम्मत नहीं होती। यह नहीं होता कि बिना आदेश के गोली वहां चल जाती। अब भी आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और आयोग की फाइन्डिंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बार बार गोलीकांड हो होने वाला है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जो विरोध में सदस्य बैठे हैं उनको भी निवेदन करूंगा और आप लोगों को भी कि किसी काम में तत्काल लाभ को न सोचें और आप भी तत्काल लाभ न सोचें। इसके सोचने से परिणाम भयंकर होता है। हमारे यहां मेवाड़ राज्य में, मेवाड़ दरबार के समय में गोलीकांड हुआ था। उस गोलीकांड में शान्तिलाल और आनन्दीलाल दो विद्यार्थी मर गये। हमने उनको शहीद बनाया और उनको एक बड़े जलूस में ले गये। लेकिन उस वक्त हमने कभी यह नहीं सोचा था कि यह राज्य, यह शासन की बागडोर हमारे ही हाथ में आने वाली है और हमें भी ऐसी स्थिति का सामना करना होगा। यही स्थिति दूसरी पार्टी वालों के लिये भी है। कृपा करके आप कोई भी काम करने से पहले उस पर सोचिये। यह सोचिये कि कल राज्य हमारे हाथ में आने वाला है और आज शासन करने वाली जो पार्टी है वही विरोध में बैठने वाली है तो स्थिति का क्या परिणाम होगा। यही काम यह पार्टी करेगी। कालेज के लड़कों का उपयोग करना गलत काम है। और हर मांग को आप मानते जायं यह भी गलत है। मैं समझता हूं अब तो यह मांग आनी चाहिये कालेज के लड़कों की तरफ से और यह मांग आने वाली है कि हमारा कोई परीक्षा न हो और हम को फर्स्ट क्लास

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

का सर्टिफिकेट दे दिया जाये। मैं सोचता हूं हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में आप कह सकते हैं आप बड़ी मदद देते हैं और दूसरी तरफ आप वहीं पर जाकर मिल खड़ी कर देते हैं। इसकी तरफ आप नहीं सोचते हैं। गांधीजी रात को दो-दो बजे तक चरखा चलाते थे। गोल मेज कान्फ्रेंस से आकर रात को चरखा चलाकर वे सोते थे। क्या इसको हमने अपनाया है? इसको सोचना है। इसको अपनाया होता तो आज हिन्दुस्तान की हालत यह होती? हिन्दुस्तान को ग्रामोद्योग और खेती—ये दोनों ही मिल कर अपने पैर पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक-एक कर के सभी ग्रामोद्योग मर रहे हैं। और तेजी से बड़ी मिल्स खड़ी हो रही हैं। आज शुद्ध घी देखने को मिलता ही नहीं है। यह सही है:—

दाल दरोगी तेल ग्यो, घी तो कांयां दूर।
नाले मत खाले परा रोठी जल मे चूर॥

कहां तेल और कहां दाल? अब तो रोटी को चूरो पानी में लेकिन पानी भी नहीं है। दुर्भाग्य तो यहां तक आ पहुँचा है। इसलिये आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि इस देश को हम आखिर कहां ले जा रहे हैं? यह राजस्थान में ही हो रहा है यह भी बात नहीं है। सारे देश की हालत एक-सी हो रही है। क्या हम चाहते हैं कि हालत सुधरे? हो सकता है आप हम कह सकते हैं कि कई बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। लेकिन यह बांध, यह सड़कें बनाने के लिये करोड़ों का कर्जा हम अपने सिर पर ले रहे हैं। केवल बांध बनाने से, सड़कें बनाने से ही तरक्की नहीं हो सकती है:

बाध बंधा, बणावा सड़क, भली मदरसा खोल
नैतिकता बिन देश को, नीं कोड़ी रो मोल॥

जिस देश में नैतिकता न हो उस देश को कौड़ी का मूल्य नहीं है। कल ही बादशाह खान की यहां जयपुर में देखा। सभी गये होंगे जयपुर वाले। जापान वाले कहते हैं इस देश के प्रति हमारे मन में इज्जत नहीं है। क्या भिखारी की इज्जत कहीं होती है? ताज्जुब यह होता है दिल्ली में आप जांय और वहां खड़े हो जांय तो कभी आप यह कह भी नहीं सकते कि यह गरीब देश की राजधानी है? जापान देश हिरोशिमा और नागासाकी पर जहां बम गिरे थे उससे भी आप मदद ले रहे हैं। और जर्मनी जो लड़ाई में बिल्कुल बर्बाद हो गया था उससे भी आप मदद ले रहे हैं। आखिर, हर चीज हमारे यहां मांगी हुई आ रही है। मंत्री महोदय को 80 हजार से कम की गाड़ी नहीं चाहिये। एम. एल. ए. हैं तो 200, 250 से कम की बिजली खर्च नहीं होनी चाहिये। मैं जानता हूँ ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो पंखा चलता रहता है और किवाड़ बंद कर के चले जाते हैं। उनका बिजली का खर्च 200 रुपये का आता है। क्या य. ठीक ? मैं मानता हूँ रियायत मिलनी चाहिये। पर सीलिंग होनी चाहिये। जब तक सीलिंग नहीं होगा मैं यह रियायत नहीं लूंगा मैं एक-डेढ़ वर्ष से पूरा पेमेन्ट कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप सीलिंग नहीं करते हैं इसका क्या परिणाम होता है? यह परिणाम होता है कि एक एक एम. एल. ए. के 200, 250 की बिजली जलती है। यह अच्छी चीज नहीं है। हम लोग अपने ऊपर

Page No 81

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अनुशासन नहीं करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था। जब यहां मोटरों के परमिट देने की मीटिंग होती है तो आज भी ऐसे किस्से होते हैं जब एक एक मीटिंग में 60 हजार रुपये रिश्वत में दिये जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको दोष नहीं देता क्योंकि हम ही लोग उनसे 4-5 परमिट नाजायज तौर पर दिलवा देते हैं तो ट्रान्सपोर्ट वाले देखते हैं कि 5 परमिट उनको दिलवाये हैं तो 6000 एक एक परमिट पर लेकर दस परमिट अपन भी देदें। अगर आप और हम नाजायज काम नहीं करवायें तो यह स्थिति नहीं आती है। यह गांधी शताब्दी वर्ष है। आपके और हमारे सामने गांधी आया। मुझे नहीं मालूम यह फ्रंटियर गांधी है, या बादशाहखान है या गांधी है? यह मेरे लिये कहना कठिन है क्योंकि उसने पूर्णतया गांधी को इतना आत्मसात कर लिया है। एक तरह से इस गांधी ने महात्मा गांधी को इतना आत्मसात कर लिया है कि यह पता लगाना मेरी जैसे छोटी बुद्धि वाले के लिये कठिन है कि यह बादशाह खान हैं या फ्रंटियर गांधी या महात्मा गांधी। आपने और हमने उसके दर्शन किये। एक मैला कुर्ता, पजामा और एक पोटली। पजामे के घूटने पर सैल लगा हुआ है। और मैंने देखा मौजे फटे हुए थे नीचे की तरफ से। एक पोटली लेकर वह भारत में आया। आजादी के पहले भी उनके पास वही पोटली थी और आज भी वही एक पोटली है। यह हैं गांधीजी के सच्चे आदर्श शिष्य, अगर इन आदर्शों पर हम चलते तो आज इस देश का नक्शा ही दूसरा होता।

उपाध्यक्ष जी मैं कुछ कड़वी बातें कहता हूं। यह इसलिये निवेदन करता हूँ कि मेरे मन में कांग्रेस के प्रति ममता है। मैं इस को गांधी की कांग्रेस देखना चाहता हूँ। अगर हमने आज वह मार्ग अपनाया होता तो आज का चित्र दूसरा ही होता। आप तो सुनते नहीं हैं। इतना तो आप ख्याल रखिये कि हम 72 आदमी हैं तो 72 लाख के प्रतिनिधि हैं। रामचन्द्र जी ने धोबी के कहने पर सीता का त्याग कर दिया था तो कृपा कर के इतना तो ध्यान रखिये कि हम 72 लाख के प्रतिनिधि हैं और हमारी भी सुनवाई नहीं होती है तो हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को नहीं उतारते हैं। अगर हमारी तैयारी होती तो हमारी कथनी और करनी एक होती।

"कथनी करनी मांयने जदी आन्तरो होय, वी नर मायं आदर करे न कोय।"

हमारा आदर तो तब होता है जब हमारी कथनी और करनी में सामन्जस्य बैठे। तो हमें हमारी कथनी और करनी को एक करना चाहिए। यह खयाल नहीं करना चाहिए कि हम अल्पमत में हैं। हम कड़वी बात कहते हैं तो आप (कांग्रेस) यह सोचें कि कड़वी वही कहेगा जो हितैषी होगा और मीठी वही कहेगा जो दुश्मन होगा।

"कड़वी वो ही केवसी जो हित जाण्यो होय।

खीर न काढ़े ताप ने, काढ़े नीम गिलोय।"

अगर बुखार को निकालना है तो नीम गिलोय पीना पड़ेगा बुखार खीर से नहीं निकलेगा। उधर जो सज्जन बैठे हुए हैं वे आपको खीर पिलाते हैं और हम नीम गिलोय

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पिलाते हैं। इसलिए कि हम आपका बुखार निकालना चाहते हैं।

कई जगहों के मुकाबले में आज भी राजस्थान की अच्छी हालत हो सकती है, और मैं यह भी नहीं मानता हूँ कि देश का दर्द आपको नहीं है और हमको ही है। आप अपने आप पर नियन्त्रण करें तो सब कर्मचारियों पर नियन्त्रण कर सकते हैं। अगर सारी पार्टियां अपने पर नियन्त्रण करने के लिए सोचें और उस रास्ते पर चलें तो सारे हिन्दुस्तान को रास्ता दिखा सकते हैं। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि सारे कुए में भांग पडी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए 2-3 मिनिट में हो समाप्त कर देता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में मैं कुछ भी निवेदन नहीं करना चाहता हूं। टैक्स को बढ़ायें क्योंकि टैक्स देने में किसी को तकलीफ नहीं होती है, यदि टैक्स का सदुपयोग हो तो। आज तो हालत यह है कि रात को घर में सेठली सो भी नहीं सकते हैं। चोरी का डर है। राज्य में कहीं भी चले जायं तो रिश्वत के बिना काम नहीं चलता है, और फिर अब तो नोट गांधीजी के हैं और गांधीजी का नोट जब कड़कड़ाहट करता हुआ रिश्वत में जाता है तो रिश्वत लेने वाला उसको सीधा अपने सोने के पास अन्दर की जेब में रखता है तो ऐसा लगता है कि उसने गांधीजी को सीने से लगा लिया है। मैंने भ्रष्टाचार के मामले में तो बोलना बिल्कुल बन्द कर दिया है, क्योंकि जहां 100 में से 97 खाते हैं तो भ्रष्टाचार की क्या बात रही वह तो शिष्टाचार हो गया है। तो मैं तो उन तीन अभागों की बात करता हूं जो नीव के पत्थर बन कर अपना काम कर रहे हैं . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : भ्रष्टाचार को रेग्युलेराइज कर दिया क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : वे जरूर कह सकते हैं। जिस तरह से शराब को रेग्युलेराइज किया है उसी तरह से करें इसे भी कर सकते है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको क्या अधिकार है, किसी वेलफेयर स्टेट को क्या अधिकार है कि वह शराब के व्यसन को करे? क्या अधिकार है किसी वेलफेयर स्टेट को कि वह लाटरी और जुए का व्यापार करे? वह इसको कर रहे हैं। आप आज इसको महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वह बीज बो रहे हैं इस जुए को प्रचलित करने का, और उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा कि कौरवों और पाण्डवों की सभा का हुआ है। एक रास्ता आपने पकड़ लिया है, लेकिन आप भयंकर पाप कर रहे हैं। जो राज्य शराब को चलाता है तो सर्वनाश होने वाला है। मैंने फ्रन्टियर गांधी को निवेदन किया कि आप दिल्ली पधार रहे हैं तो इन्द्राजी से कहें कि शराब ने देश को बरबाद कर दिया है इसलिए उसको बन्द करें। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शराब इन्दिराजी मेरे कहने से बन्द नहीं करेंगी इन्दिराजी कर सकती हैं तो तुम लोगों के कहने से कर सकती है। जब हमारी तैयारी होगी एक काम के लिए, जिससे हमारे देश का सर्वनाश हो रहा है तब वह बन्द होगा।

मैंने थोड़े दिन पहले निवेदन किया था कि अगर राज्य ने शराब को वापिस चालू किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। उसका अर्थ

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
यह लगाया गया आवेश कि मैं भी संत फतेह सिंह की तरह से जलूंगा। मैं जल कर मरने को आत्मघात कहता हूं, उसको पाप मानता हूं, और इसको मैं हत्या के बराबर मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वचन करके कोई भंग करे तो इससे बढ़ कर और कोई पाप नहीं हो सकता है। इस पाप को ठीक करने के लिए आमरण अनशन भी किया जा सकता है लेकिन जिसके विरुद्ध अनशन किया जाय उसके प्रति अपने मन में आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति बहुत आदर रखते हुए और श्रद्धा रखते हुए यह हो सकता है कि अगर उन्होंने इस कदम को जिसको इन्होंने उठा लिया है उसको वापस लेंगे तो वह कदम मैं उठा सकता हूं जिसको अहिंसा की दृष्टि से कह सकते हैं कि आमरण अनशन किया जा सकता है। लेकिन जल कर मरने वाला मैं नहीं हूं। जल कर मरने को मैं पाप मानता हूं। वह धर्म नहीं है··

एक माननीय सदस्य : वह जौहर है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह जौहर नहीं है। पाप है, वह किसी को मारने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है। इसलिए मैं ऐसे काम का कोई समर्थन नहीं करता हूं। गांधीजी के बताये मार्ग से वह काम किया जायेगा। वे यह नहीं कर सकते हैं कि जो कदम उठाया है उसको वापिस लेंगे। मेरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य-कांग्रेसी और विरोधी सदस्य--ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि जो कदम उठा लिया है उसको बारबार वापिस लेना बहुत बुरा होता है।

मैं प्रिवीपर्स के पक्ष में नहीं हूं और इस पक्ष में भी नहीं हूं कि उनको इतनी रियायत मिले और एक तरफ लोग भूखों मरें। लेकिन वचन किया है तो वचन-भंग सबसे बड़ा अपराध है। जब वचन किया है तो क्या करें। हम चाहते हैं कि वचन का पालन करें। तो हमको प्रिवीपर्स कानून से बन्द नहीं करना चाहिए, और हम जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं या उधर बैठे हुए हैं उनको जो 20 साल पहले की स्थिति थी जो पैबन्द के कपड़े यदि कहीं रखे हुए हैं तो वापिस उनको पहनें, और जितना पैसा इन 20 सालों में बनाया है उसको राज्य को समर्पित कर दें, और फिर राजा-महाराजाओं के पास चलें और कहें कि आप छोड़ो। मेरा विश्वास है कि राजा-महाराजा तत्काल उसको छोड़ देंगे। लेकिन हमने पैबन्द के कपड़े छोड़ कर बंगले बना लिये हैं, लाखों रुपयों की इमारतें बनाली हैं, नहरी जमीन बनाली है, और 80 हजार की कार में बैठते हैं और राजाओं से कहते हैं कि प्रिवीपर्स छोड दो और कानून के जरिये छुड़वाना चाहते हैं। प्रिवीपर्स किस परिस्थिति में दी गई थी, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। यदि राजाओं ने त्याग नहीं दिखाया होता तो हम कठिन परिस्थितियों में पड गये होते। इसलिए मैंने यह निवेदन किया है कि कृपा करके कभी भी राज्यपाल महोदय से ऐसी घोषणाएं न करवायें कि जिसको आपको वापिस लेना पड़े। अगर वापिस लेंगे तो कोई आपकी पेठ नहीं रहेगी। एक मोटो होना चाहिए जैसा कि सामने लिखा हुआ है "सत्यमेव जयते" इस तरह से इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेवाडी में एक कहावत है "जाजो लाख, रीजो साख"। लाख रुपये चले जायं लेकिन प्रतिष्ठा नहीं जानी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

चाहिए। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि राजा दशरथ ने केवल वचन निभाने के खातिर राम को बनवास दे दिया चाहे दशरथ मर ही गये। एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण हैं कि वचन निभाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। इसलिए मेहरबानी करके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जरिये से जो भी घोषणायें करवायें उनको कृपा करके वापस न लें, और अगर वापिस लेंगे तो फिर जो हमारे कई विरोधी माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार की पैठ नहीं है तो मेरे मन में भी कभी कभी यह आता है कि आपने घोषणा तो कर दी कि नीलामी नहीं होगी, लेकिन वापिस दूसरी घोषणा न कर दें कि नीलामी होगी। तो मैं सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोषणा कर दी और उसको वापिस लें तो हमारे में इतनी ताकत और चरित्र-बल होना चाहिये कि घोषणा को वापस लेने की हिम्मत ही न हो आपने सीलिंग का कानून बरसों पहले निकलवाया था और राज्यपाल महोदय से घोषणा करवा दो लेकिन अब तक कम से कम जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करवा दें।

हरिजन और आदिवासी यों ही फिर रहे हैं मुझे दुख होता है। लेकिन इस मामले में मैं बहुत पहले निवेदन कर चुका हूं कि कम से कम वह स्थिति तो ले आयें कि कोई हरिजन या आदिवासी बिना धन्धे के न रहे बिना जमीन के न रहे। अगर आप इतना कर दें तो मैं समझूंगा कि आपने दूसरों का भी मार्गदर्शन किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान में आज भी वह क्षमता है कि कांग्रेस पक्ष और विरोधी पक्ष के लोग एक साथ बैठ कर प्रयत्न करें तो केवल राजस्थान को ही ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, बल्कि सारे देश को ऊंचा उठाने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर : उपाध्यक्षजी, गवर्नर महोदय ने जो इस नये साल का अपना अभिभाषण दिया है उसमें कुछ नीतियां घोषित की गई हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं। जमीन की नीलामी के बारे में कुछ किसान लोग गंगानगर में आन्दोलन कर रहे थे कि नीलाम नहीं करके ऐसे लोगों को जमीन दी जाय जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें और नीलामी के जरिये जो सरकार कुछ पैसा लेकर उसको विकास कार्यों में लगाना चाहती है उसको न देख कर किसानों के हित को देखते हुए गवर्नर महोदय ने जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य है। उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा सीलिंग का कानून, जो 1951 में, इतने पहले पास किया था, इतने वर्षों तक इस कानून को लागू न करने के फलस्वरूप जो इधर ट्रान्सफर वगैरह हुए हैं जो ट्रान्सफर कानून में नई कम्पलीकेशन्स पैदा करने के लिए हुए हैं–यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। तो इसके फलस्वरूप जो ट्रान्सफर हुए हैं, जो भूमिहीन लोगों को ट्रान्सफर हुए हैं उनको रैग्युलेराइज करने के लिए राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है – वह बहुत अच्छी घोषणा है। इससे किसानों के अन्दर बड़ी परेशानी थी क्योंकि इस कानून को लागू न

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करने के फलस्वरूप जो कानूनी अड़चन पैदा हो गई थी, जैसा कि कानून में कहा गया था कि कानून को पास करने के बाद में जो ट्रान्सफर होंगे वह इल्लिगल समझे जायेंगे। फिर भी जो ट्रान्सफर इस कानून को लागू न करने के फलस्वरूप हुए हैं उनको रेग्युलेराइज करने की घोषणा की है वह बहुत अच्छी है . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह झांसा है भूमिहीनों को। यह बड़े बड़े लोगों को तुमने जमीन मिलने का मौका दिया है और उनको अब हजम करने का मौका दे रहे हैं। उस घोषणा के पीछे बड़े बड़े लोगों का दबाव है। इससे आप जो भूमिहीनों के पास जमीन है उस पर उनको कब्जा देते। उनसे कीमत क्यों दिलवाना चाहते हैं? उनको तो कीमत वापिस मिलनी चाहिए। यह तो सीलिंग कानून को लागू न करने का बहाना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भूमिहीन और ऐसे लोगों को फायदा देने के लिए कानून राज्य सरकार बनाती है, परन्तु कानून के द्वारा ऐसे लोग, जो होशियार लोग हैं, वह फायदा उठा लेते हैं, और वह भी कानून के जरिये उठा लेते हैं–ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सतर्क होकर एक वातावरण बनायें और उनके खिलाफ जनमत बनाकर उनको सोशियली डाउन करें तब काम चल सकता है। अगर कानून के द्वारा, उसके अनुसार कोई किसी तरह का फायदा उठा ले तो कानून में तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है परन्तु राज्य सरकार की मन्शा यह है जो ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं जो अपने जीवन-यापन का साधन एकमात्र खेती से कमाते हैं–उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने शुरू से लेकर अब तक भूमि सुधार के बहुत से कानून पास किये हैं उनके अन्दर खातेदारी का कानून है यह सबसे बड़ा कानून है जिसके द्वारा काश्तकारों को खातेदारी के हक मिले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत सारी-भूमि ऐसे लोगों के पास है जो दूसरों के जरिये भूमि पर श्रम करवा कर भूमि से फायदा उठाना चाहते हैं उनके पास भूमि कानून के जरिये कम से कम करने की कोशिश की गई है। परन्तु उसके बावजूद उन लोगों ने कानून के तहत फायदा उठाया है। लेकिन अब जनमत ऐसा पैदा हुआ है, किसानों की मांगों का भी वातावरण तैयार हुआ है, जैसे गंगानगर के किसानों ने इस समस्या के सम्बन्ध में आन्दोलन करके राज्य सरकार की आंख खोल दी है कि किसान भी अपने हितों को लेकर लड़ने में कम नहीं हैं। आज दिन तक यह देखा गया है कि शहरों में अधिक सुविधायें दी जाती हैं क्योंकि शहरों का जनमत अधिक जाग्रत है, यहां के लोग हुशियार हैं. इस कारण से ज्यादा सुविधायें शहरों में पहुंचाई जाती हैं। जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार, जहां से ज्यादा दबाव होता है वहां पर ज्यादा फायदा देना पड़ता है। लेकिन जो बाहर गांव के लोग शहरों में जाते हैं और यहां की सुविधाएं देख कर गांवों में जाते हैं उससे गांवों में जनमत जाग्रत हो गया है। अब गांवों के किसानों की मांगों को देख कर, ग्रामों की समस्याओं को देख कर राज्य सरकार को पहले फैसला लेना पड़ेगा और हमको भी किसानों के हकों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी मांगों को

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सरकार के समक्ष जोरदार रूप में रखना पड़ेगा ताकि सरकार सही तरीके से काम करती रहे और जनमत के अनुसार वह चले। किसान आज दिन तक बहुत सुस्ती के साथ उठते रहे हैं, लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि जब किसान जाग्रत होते हैं तो दुनियां की कोई ताकत उनको दबा नहीं सकती है। उपाध्यक्ष जी, गांवों के अन्दर जो कोआपरेटिव सोसाइटी हैं, राज्य सरकार की मन्शा है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये काश्तकारों को, जो लैंडलेस लेबर हैं, उनको भूमि मिले उनको रोजगार मिले और वहां की जो समस्यायें हैं उन समस्याओं को, भूमि की समस्या को कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिए मिटाया जाय। इसके लिए कोआपरेटिव सोसाइटी है, सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी यह जो संस्थायें हैं परन्तु इनके जरिए जो राज्य सरकार सोचती थी कि काश्तकारों को और लैंडलेस लेबर को फायदा होना चाहिये वह आज दिन तक नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष जी, कोआपरेटिव क्षेत्र के अन्दर, लोगों की मांगों को देखते हुए, ग्रामों की समस्याओं को देखते हुए, इन संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष जी हमें सूचना मिली है। उपाध्यक्ष जी, हमें सूचना मिली है कि जो कोआपरेटिव यूनियन हैं, उसके बजट में पिछले सालों में कुछ कमी की गई है।

इसके अलावा जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो पशु-पालक हैं, जो भेड़ ऊन के धन्धे में लगे हैं उनके बारे में भी राज्य सरकार की पिछले सालों हमें उदासीनता रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बारे जो राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गवर्नर महोदय के द्वारा ग्रामीणों के लिए इस बारे में कुछ घोषणा किए जाने की मुझे आशा थी, परन्तु वह नहीं की गई। अब, उपाध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ापन है उसकी तरक्की के लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, और जो बराबर फेमिन पड़ने वाला एरिया है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान, उसमें जो समस्यायें रहती हैं। गये साल भी जहां अकाल था और आगे भी रहेगा–ऐसी आशंका है–वहां की समस्याओं को सुलझाने के लिए, और जो ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, जो सूखाग्रस्त एरिया की समस्याएं रहती हैं उनके सम्बन्ध में हम राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। अब जो, उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्थान कैनाल पर जो बाड़मेर जैसलमेर के सूखाग्रस्त इलाके के लोग हैं उनको काम पर लगाया जायगा और जो नहर का काम हाथ में लिया गया है–यह स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, परन्तु राज्य सरकार ने वहां पर उनके लिए अच्छा इन्तजाम किया है। वहां पर करप्शन की गुंजाइश बहुत कम है, वहां पर गरीब लोगों को अच्छा काम मिला है, और उनको अच्छी सुविधायें मिली हैं–उस सबको देख कर दूसरे लोग भी वहां पर जाने को तैयार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके के लोग भी वहां पर जाना चाहते हैं, वहां पर अच्छी सुविधायें देख कर जाना चाहते हैं। अभी दूसरे क्षेत्रों में पन्द्रह दिन वे लोग एक जगह काम करते हैं, फिर वह काम बन्द हो जाता है तो दूसरी जगह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उन लोगों को जाना पड़ता है, लगातार अकाल होने के कारण मजदूरों को इधर से उधर जाना पड़ता है। इसलिए परमानेन्ट नेचर के काम होते हैं और उनको हाथ में लिया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले दो साल में अकाल के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अकाल सहायता मंत्री जी इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहे हैं और पूरे इलाके में गांवों में जाकर मुख्य मंत्री जी और अकाल सहायता मन्त्री जी ने दौरा करके जो लोगों की मांगों के अनुसार अच्छे अच्छे काम हाथ में लिये हैं और जो पुख्ता काम हाथ में लेने का निर्णय किया है जिससे आगे के सालों में लोगों की हालत सुधरे और सूखे की स्थिति खत्म हो-ऐसे काम हाथ में लिये हैं-वे स्वागत योग्य है। पिछले साल राज्य सरकार ने अकाल का मुकाबला मजबूती के साथ में किया परन्तु दुर्भाग्य से इस साल भी राजस्थान के अन्दर काफी इलाके में सूखे की स्थिति रही है। भगवान हमसे बहुत रुष्ट है और मानसून जो हमेशा आया करता था ऐसे इलाकों में भी पिछले सालों में मानसून नहीं आया, जैसे पाली है, सिरोही है, जालौर है-यह ऐसे इलाके हैं जो कूए के इलाके हैं, ऐसे इलाकों में हमेशा बरसात होती थी, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में वहां पर बरसात नहीं हुई। इसके फलस्वरूप लोगों की हालत बिगड़ी है। जो पशु-पालकों का एरिया था, सांचोर का एरिया जो बहुमूल्य ब्रीड के लिए मशहूर था, वहां दो-तीन साल के अकाल के कारण बहुमूल्य ब्रीड आधे से कम रह गई है। उसके लिए आगे के लिए राजस्थान सरकार ने जैतपुरा, बड़गांव की नदियां जो साल भर चलती हैं जब वहां अकाल सहायता मन्त्री और मुख्य मन्त्री गये थे तो उन्होंने दौरा कर देखा कि इन नालों को बांध कर पानी डाइवर्ट करने का काम किया जाय तो रानीवाडा व सांचोर में पानी ऊपर आ जायगा और पुख्ता रूप से ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम खत्म हो जायगी और खेती के लिए भी पानी आ जायेगा। ऐसी योजना को हाथ में लेना तय किया है। और उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह उत्तम काम है। इसके अलावा ऐसे गांवों में जहां थोड़ा कुओं को गहरा करने के लिए ऋण देने की आवश्यकता है, ऐसे गांवों में कुओं को बनाने के लिए ऋण देने की आवश्यकता है, कुओं में पम्पिंग सैट लगाने के लिए ऋण देने की आवश्यकता है-उस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इसके अलावा बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद में कुछ बैंक ऐसे जिलों के लिए भी निर्धारित करने चाहिये और उनके लिए कर्ज के कुछ टार्गेट फिक्स अप करने चाहिए। प्रत्येक जिले के बैंक छोटे उद्योग के लिए पम्पिंग सैट के लिए ऋण देने की घोषणा करे। वैसे घोषणा का भी है लेकिन बैंकिंग लोन का प्रोसीजर लम्बा होने के कारण किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है और इससे लोग हताश होने लग रहे हैं।

(1 म. प.)

तो उपाध्यक्षजी, हम कार्यकर्ताओं को इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा।

इसके अलावा छोटी जोत वाले किसानों को ऋण देने को राज्य सरकार ने गारन्टी दी है पर राज्य अधिकारियों की देरी से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

काम करने की प्रवृत्ति रही है, बैंकों में लैंड मोर्टगेज बैंक ही सबसे बड़ा काश्तकारों को ऋण देने का जरिया है, उसमें 6 महीने लग जाते हैं, अकाल की स्थिति में लोग ऋण लेना चाहते हैं, उस समय उन लोगों को ऋण न मिल कर बाद में मिलने से कई प्रकार की कठिनाइयां और गलतियां होती हैं, झूठे सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए इस सम्बन्ध मे सहकारिता मंत्रीजी से कह कर संशोधन कराना होगा, सरकार की तरफ से ऋण देने के सम्बन्ध में जो लम्बी कार्यवाही होती है, उसको कम करने की आवश्यकता है आज जो इस सम्बन्ध में कठिन प्रोसीजर है उसको सरल बनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने पास बुक्स देने की घोषणा की है वह भी स्वागत योग्य है पर यह इस साल के अन्दर अन्दर ही पूरी कर देने की आवश्यकता है, पहले भी पास बुक्स देने का कहा था, अभी तक नहीं दी है, इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी पास बुक्स किसानों को दें ताकि काश्तकारों को जल्दी ऋण मिल सकें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन इलाकों में कुएं हैं, वहां के काश्तकारों को बड़ी जटिल समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उनके खास काम में आने वाला क्रूड आइल है उसके लिए राजस्थान में 20 नया पैसा टैक्स का एक ढोल पर, एक लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। तो काश्तकारों से सम्बन्ध रखने वाले, काश्तकारों के सबसे ज्यादा काम में आने वाले क्रूड आइल पर राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है गुजरात में जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां क्रूड आइल पर इस तरह का टैक्स नहीं है, राजस्थान में यह सबसे ज्यादा टैक्स है। इसके अलावा पम्पिंग सैट पर पंखा लगता है, उस पर भी यहां ज्यादा टैक्स है, ऐसी दशा में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों को इन मामलों में ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जायं और किसानों को उत्साहित किया जाय। इस बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के समय रिलीफ वर्क्स चलते हैं, जहां हमेशा सालाना अकाल रहता हैं उसमें कल्टिवेटर्स के लिए आँटोमेटिक राजस्व रेमिशन की व्यवस्था नहीं थी, आज ही राजस्व मंत्रीजी ने नियमों म संशोधन किया है, उससे जैसे ही जहां पर लगातार फैमीन हो वहां स्वतः रेमिशन दे दिया जायगा। यह राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। वरना मतालबात सालाना इकट्ठे हो जाते थे और जब अच्छा जमाना होता था तो तीन-चार साल की वसूली एक साथ होती थी, इससे लोगों को बड़ी कठिनाई होती थीं। तो राज्य सरकार की यह भी स्वागत योग्य घोषणा है।

हमारा देश इतने संकट से गुजर रहा है और राजस्थान की जो आज परिस्थिति है. इसमें अकाल सहायता विभाग पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आ पड़ी है, जो काम आज रिलीफ वर्क के चल रहे हैं, उनके बारे में छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं, पर उनको बढ़ा चढ़ाकर बढ़ावा देकर लोगों का डीमोरेलाइजेशन करना ठीक नहीं है। जनता स्वतः कार्य करने में सहयोग दे तो उससे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अच्छा काम हो सकता है, इससे राज्य अधिकारी भी नाजायज हरकतें नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।

स्थाई तौर के काम अकाल राहत कार्यों में लिये जा रहे हैं, वह वास्तव में स्वागत योग्य है, उसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये राज्य सरकार को धन्यवाद दिये बगैर रह नहीं सकता।

इस तरह की उक्त घोषणाएं राज्यपाल महोदय ने यहां आ कर की हैं उसमें हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है, राज्यपाल महोदय का यहां भाषण हुआ, उसमें ऐसी बातें जो यहां कहीं, उनका स्वागत किये बगैर हम नहीं रह सकते, इसके लिए हम उनको धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकते।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरे से पूर्ववक्ताओं ने अनेक बातों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करवाया। मैं भी अपनी ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो महत्वपूर्ण बातें कहीं गई हैं, उनके सम्बन्ध अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पांच-सात बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनमें से अकाल, फोर्थ फाइव ईयर प्लान में छोटी सिचाई योजनाओं व पावर प्रोग्राम को तिरजीह देना, बैंकों से छोटे काश्तकारों को ऋण देने की सुविधा, सीलिंग 30 स्टेण्डर्ड एकड़ पर लगाना, गांवों में भवन निर्माण के लिए निःशुल्क प्लाट देना आदि आदि अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

सबसे कन्ट्रोवर्सियल सब्जेक्ट सीलिंग का है, सर्व प्रथम मैं उसके सम्बन्ध में ही अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सीलिंग में बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध है 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के सीलिंग से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मेरी पार्टी भी सीलिंग में विश्वास करती है। परन्तु 30 स्टेन्डर्ड एकड़ ऐसी वेग टर्म है कि उसका सरकार ने अपने मन माने ढंग से किन्हीं एरियाज को फायदा पहुंचाने के लिए और दूसरे एरियाज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तरीके से इन्टरप्रेट किया है। राजस्व मन्त्रीजी यहां है, वे गम्भीरता से इस पर विचार करें और देखें कि 30 स्टेण्डर्ड एकड़ का सीलिंग कानूनी तौर से सब क्षेत्रों पर बराबर लगा है या नहीं लगा है।

सबसे पहले मैं इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस कानून के तहत राजस्थान में अभी जो कन्सेशन्स विथड्रा किए है उनको ध्यान में नहीं रखते 30824 आदमियों पर इस सीलिंग का असर होने वाला है, इनमें से 12547 आदमी केवल कोटा डिवीजन से होंगे...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आदमी हैं या फेमिलीज ?

श्री जुझारसिंह : फेमिलीज।

12547 परिवार कोटा क्षेत्र से होंगे यह अपने आप में एक गंभीर

(श्री जुझारसिंह)

समस्या है। राजस्थान में सीलिंग से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला एरिया है वह कोटा डिवीजन में होगा। यह क्यों है? शायद आपको ख्याल हो कि कोटा डिवीजन में परिवारों के पास ज्यादा बड़े होल्डिंग्स हैं पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। कोटा में बड़े होल्डिंग्स नहीं हैं। कोटा डिवीजन दूसरी तरह से भी सम्पन्न एरिया नहीं है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में कोटा डिवीजन से लोग इस 30 स्टेन्डर्ड एकड़ के सीलिंग से इफेक्टेड होंगे इसकी वजह यह है कि यह 30 स्टेण्डर्ड एकड़ का इन्टरप्रेटेशन जानबूझ कर इस क्षेत्र के लिए गलत किया गया है।

सीलिंग कमेटी 1953 में राजस्थान सरकार ने भूमि पर सीलिंग का रकबा प्रस्तावित करने के लिए गठित की। आज के मुख्य मन्त्री उसके अध्यक्ष थे उस समय वे रैवेन्यू मिनिस्टर थे। उस कमेटी में जितने कांग्रेस के टोप नेता हो सकते थे वे कमेटी के सदस्य थे। कमेटी में श्री दामोदरलाल व्यास थे, जो बाद में कमेटी के अध्यक्ष बने, श्री कुंभाराम आर्य श्री शोभाराम, श्री ब्रजसुन्दर शर्मा थे, माणिकलाल वर्मा थे, मथुरादासजी और जो कांग्रेस के प्रमुख आदमी हो सकते हैं, कमेटी के मेम्बर थे और राज्य सरकार की तरफ से रैवेन्यू सेक्रेटरी थे, फाइनेन्स सेक्रेटरी थे, सेटिलमेन्ट कमिश्नर, स्पेशल आफिसर रैवेन्यू, श्री खेरी और बहुत से सीनियर टाप आफीसर्स थे, इन सबको मिलाकर एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने 1953 से लेकर 1958 तक जगह जगह इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार की थी जो 1958 में इस सदन के सामने पेश की गई थी और उस पर बहस भी हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में जो सीलिंग की सीमा निर्धारण करने का प्रस्ताव था वह 200) रु. माहवार की पारिवारिक आमदनी पर था। कमेटी ने जगह जगह पर जाकर सेटिलमेंट की रिपोर्टस, पैदावार की रिपोर्टस क्राप कटिंग और एक्सपेरीमेंटस के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी और बताया था कि कोटा क्षेत्र में 200) रु. माहवार की आमदनी 60 एकड़ की सीलिंग से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन कमेटी ने 60 के बजाय 50 एकड़ कोटा के लिए सीलिंग प्रपोज की थी। उसी कमेटी ने उदयपुर जिले की कुछ तहसीलों के लिए जिसमें कुंभलगढ़ सराडा वगैरह है, में 40 एकड़ की सीलिंग रिकमेंड की थी। उसी तरह से उन्होंने उदयपुर की कोई 10-12 तहसीलों में जिनमें रेलमगरा, वल्लभनगर, नाथद्वारा, भीम, देवगढ़, मावली, खमनौर, भोपालसागर, आमेट आदि हैं। कोटा के बराबर ही 50 एकड़ सीलिंग रिकमेण्ड किया था। तो यह मानकर चलना होगा कि जो कमेटी 5 वर्ष के सर्वे और इन्वेस्टीगेशन के बाद में इस नतीजे पर पहुंची थी कि इन तहसीलों और कोटा की तहसीलों में कोई फर्क नहीं होगा बाद में जानबूझकर फर्क डाला गया है। बाद में जो नियम बने, सेटिलमेंट कमिश्नर ने जो नियम बनाए और 30 स्टेन्डर्ड एकड़ का फार्मूला ईजाद किया उसका कोई मतलब नहीं है। 30 स्टेण्डर्ड एकड़ या 300 मन पैदावार को जैसे भी सरकारी मशीनरी इन्टरप्रेट करना चाहे या मंत्री महोदय को

(श्री जुझारसिंह)

छूट होता हो, उसी प्रकार बताया जा सकता है। सीलिंग का इन्टरप्रेटेशन, रांग इन्टरप्रेटेशन देकर इन तहसीलों को जिनको कोटा से कमया बराबर रकबा मिलने वाला था, 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की आड़ में ड्योढ़ा व दुगुना रकबा दिया गया है। इन 30 स्टेंडर्ड का मनमाना इन्टरप्रेटेशन देने के लिए सीलिंग के असेसमेंट सरकल्स बनाये गये हैं और सिलिंग के ग्रुप्स बनाये गये हैं, 5 तरह के ग्रुप्स बनाये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सेटिलमेंट डिपार्टमेंट के भूमि क्लासीफिकेशन करने के बाद में एसेसमेंट सर्किल और सीलिंग ग्रुप बनाने का क्या कारण है? सिवा इसके कि वही क्लासीफाइड जमीन अगर ग्रुप ए में आती है तो 31 एकड़ मिलती है, ग्रुप दो में रखी है तो 37 एकड़, ग्रुप सी में हैं तो 45 एकड़ मिल जायेंगे और ग्रुप डी और ई में रखी गई तो पहले ग्रुप के मुकाबले में डबल सीलिंग का एरिया मिलेगा। इसी तरह से ग्रुप बना कर उदयपुर तहसीलों में सीलिंग एरिया इन्फलेट किया गया है, टोंक में इन्फलेट किया गया है, जयपुर में इन्फलेट किया गया है, टोंक में इन्फलेट किया गया है और कोटा को कम रकबा मिला है, क्योंकि उसे अधिकांशतः ग्रुप ए में रख दिया है। मैं इस सिलसिले में आपको और सदन को जानकारी के लिए कुछ फिगर्स प्रस्तुत करना चाहता हूं।

कोट में कुल 2208 गांव हैं। उनमें से 50 प्रतिशत गांवों को ग्रुप ए में रखा है, और बाकी गांव ग्रुप 2 में। इस तरह से 1533 गांव ग्रुप 1 और 2 में रखे हैं। ग्रुप सी में इन्होंने करीब 500 गांव रखे हैं जो शाहबाद और किशनगंज के हैं, बाकी सब ग्रुप ए में रखे हैं। इस तरह 200 मन पैदावार का 50 एकड का रकबा 30 स्टेन्डर्ड एकड़ में, ड्योढा रकबा प्राप्त करने का हकदार था। उसके बजाय अब इन्होंने माल अव्वल 31 एकड़ का रखा है, यह कोटा के साथ ज्यादती है और उसके मुकाबले में जयपुर में 15 तहसीलें हैं और इनमें करीब 2918 गांव हैं। इनमें से 1900 पर गांव ग्रुप 3 व 4 में हैं। इसका मतलब होगा कि कोटा में ग्रुप ए में डबल एरिया उनको मिलेगा। जयपुर में सांगानेर, झोटवाडा व आसपास की जो जमीन है इनकी इरीगेटेड एरिया की 63 एकड या 155 से 160 बीघा कुंएं से सिंचित रकबा मिलेगा जब कि कोटा में बारानी एरिया, अनइरीगेटेड एरिया में 31 एकड मिलेंगे। बारां तहसील में 104 गांव हैं, सभी ग्रुप ए में प्लेस्ड हैं और उसे असिंचित 31 एकड का रकबा दिया है। इसका मतलब होगा कि बारां तहसील में 31 एकड़ मिलेगा और जयपुर में जो क्लास 3, 4 व 5 में जमीनें हैं, उनको 160 बीघा और 200 बीघा तक मिलेगा। वह भी सिंचित एरिया मिलेगा यह आपकी सीलिंग का इन्टरप्रेटेशन है।

इसी तरह से उदयपुर में 17 तहसीलें हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो पहले कमेटी बनी थी उसने 17 तहसीलों में से 13 तहसीलों में सीलिंग का एरिया कोटा के बराबर या कम दिया था। अब सीलिंग ग्रुप की आड़ में और 30 स्टेण्डर्ड एकड़ की वेग डेफीनेशन का जो मतलब निकाला है, उसमें उदयपुर के 3104 में से 1997 गांव ग्रुप तीन या इससे भी नीचे हैं और 1034 गांव ग्रुप दो में हैं। ग्रुप 1 में नामीनल 5 या 10 है। इस तरह से उदयपुर जिला को सीलिंग में इस वेग डेफीनेशन का फायदा दिया गया है।

Page No 92

(श्री जुझारसिंह)

जयपुर उदयपुर व टोंक से राजस्थान के मुख्यमंत्री सीलिंग कानून बनाने के समय के राजस्व मंत्री और उस समय के सेटिलमेंट कमिश्नर जो जयपुर के रहने वाले थे, श्री शेरसिंह, इन सबने 30 स्टैंडर्ड एकड़ से जो ओरिजिनल सीलिंग रकबा मिलने वाला था, उससे ड्योढा या डबल ले लिया और कोटा के लिए जानबूझ कर रकबा घटा दिया है।

नारों का कांग्रेस पार्टी पर असर है। इन पर समाजवाद की थोथी धुन सवार है और अंतरात्मा की धुन सवार है। ये लोग डिटेल में पढ़ते नहीं हैं और सीलिंग का कानून व समाजवाद का गलत तरह से अपने मतलब के लिये इन्टरप्रेट करते हैं। दूसरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और नारेबाजी में पड़कर कोटा क्षेत्र से ज्यादती कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आगे पीछे वहां के लोगों को भी वही कार्यवाही करनी पड़ेगी जो गंगानगर वालों ने की है क्योंकि कोई काश्तकार जानबूझ कर अपने हक को इस तरह से नहीं खोना चाहेगा।

एक धारणा इस सदन को और मंत्रिमंडल को भी शायद है कि कोटा का क्षेत्र उपजाऊ है और वहां ज्यादा सिंचाई होती है और गंगानगर के बाद में कोटा का दूसरा नम्बर सिंचाई का है, इस तरह की धारणा चलती है यह गलत है। जानबूझ कर इस तरह की धारणा बनाई गई है। मैं आपकी मारफत सदन के सामने यह पुस्तिका पेश करूं जो कि राजस्व विभाग द्वारा सदस्यों को वितरत की गई है। भूमि सुधार सम्बन्धी एकत्रित एवं संकलित सारणियां इसके आधार पर इन्हीं के दिए हुए फीगर्स को मैं अर्ज आपको करना चाहता हूं। सिंचाई की दृष्टि से कोटा का नम्बर न पहला है और न ही दूसरा है किन्तु उसका नम्बर 14वां आता है। 26 जिलों में से 14वां आर्डर आफ प्रायोरिटी में सिंचाई की दृष्टि से कोटा का नम्बर आता है वह मैंने आपको कहा। पर्सेन्टेज ओफ सिंचाई में पहला नम्बर आता है भीलवाड़ा का। 6 लाख 29 हजार काश्त का रकबा है, उसमें से 2 लाख 61 हजार रकबा इर्रीगेटेड है। 43.5 परसेन्ट के करीब इर्रीगेटेड रकबा आता है। सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम नहीं होगा कि सबसे हाइली इर्रीगेटेड एरिया है वह भीलवाड़ा का है। गंगानगर में भी भीलवाड़ा का नम्बर ऊपर आता है। दूसरा नम्बर आता है गंगानगर का। 29 लाख 68 हजार कुल रकबा है उसमें से 9 लाख 84 हजार रकबा सिंचित है: 34 परसेन्ट। उदयपुर 7 लाख 53 हजार काश्त का रकबा, उसमें से 2 लाख 28 हजार रकबा सिंचित है। 32 परसेन्ट। तीसरा है बून्दी-32 परसेन्ट चौथा भरतपुर 31 परसेन्ट, पांचवां चितौडगढ़ 26.8 परसेन्ट, छठा है जयपुर 26 परसेन्ट, सातवां, अजमेर 23.5 परसेन्ट उसके बाद सिरोही आता है 4 लाख 11 हजार एकड में से 96 हजार एकड में सिंचाई होती है। 24 परसेन्ट है। उसके बाद सवाई माधोपुर 19.3 परसेन्ट में सिंचाई होती है उसके बाद पाली 17.5 परसेन्ट सिंचाई होती है, उसके बाद आता है अलवर, उसके बाद टोंक। वहां पर 13.8 परसेन्ट। उसके बाद चौदहवें नम्बर पर कोटा आता है जहां पर 13.17 परसेन्ट रकबा सिंचाई योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : बकाया जमीन में बिना इर्रीगेशन के दूसरी फसल हो जाती है?

श्री जुझारसिंह : वह दूसरा प्रश्न है। उसके लिए मैं अर्ज करूंगा। वह आगे आ रहा है।

यह इम्प्रेशन दिया गया है कि कोटा के इलाके में सिंचाई एरिया ज्यादा है इसलिए कम सीलिंग इम्पोज किया जाय। उस धारणा को सही करने के लिए मैंने निवेदन किया है कि कोटा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित इलाके में से नहीं है बल्कि डिवाइडिंग लाइन है उससे भी नीचे जाता है। इसलिए निवेदन किया कि सिंचाई की दृष्टि से उदयपुर डिवीजन में बहुत ज्यादा परसेन्टेज है। सिंचाई मंत्री महोदय भी आ गये है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मैंने फीगर्स दी हैं वह 1966 की हैं उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, फेमीन के काम हुए है राजस्थान सरकार ने मेरे पास जो फीगर्स हैं उनके माफिक, 878 लाख 65 हजार रुपया छोटी सिंचाई योजनाओं पर मंजूर किये हैं। कुल 1241 वर्क्स सेक्शन हुए हैं उनमें से 105 उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, 192 चित्तौड़गढ डिस्ट्रिक्ट में, 101 बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, 110 डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में और भीलवाड़ा में 225। उस भीलवाड़ा में जहां कि आलरेडी 43.5 परसेन्ट इर्रीगेटेड एरिया है। सन् 66 की फीगर बताया है। उसके बाद ये वर्क्स सेंक्शन हुए हैं। 1241 वर्क्स में से 733 वर्क्स उदयपुर डिवीजन में स्वीकृत हुए हैं। और 8 करोड़ 78 लाख की मंजूरी में से 604 लाख रुपये उदयपुर डिवीजन में खर्च हुए हैं। उसके बाद में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में सिंचायी एरिया और कितनी बढ गया होगा इसका भी अन्दाज लगाने की आवश्यकता है। इन वर्क्स के तहत जो इर्रीगेटेड एरिया बढ़ेगा....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिंचित एरिया कुओं का या नहरों का ?

श्री जुझारसिंह : सभी तरह का है। आपकी अधिकतर चम्बल ही दिखती है लेकिन कुओं और तालाबों और नहरों से भी सिंचाई होती है। जहां पर भीलवाड़ा में 43.5 परसेन्ट रकबों में सिंचाई होती है जो माननीय मंत्री महोदय का डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद वहां पर इतने रुपये और खर्च हुए उससे 15 परसेन्ट के लगभग और इर्रिगेशन होने लगा होगा। इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सीलिंग के बारे में जो अभी घोषणा की गयी है कि सीलिंग कानून 30 स्टेन्डर्ड एकड़ पर लगाया जाय उसका मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन जो वेगटर्म में इन्टरप्रेट किया गया है, सर्टेन इलाके लिये जिस तरह से किया गया है, और दूसरे इलाके के लिये जिस तरह गलत तरीके से लगाया गया है, जो मंत्री महोदय बिराजमान हैं उनसे निवेदन है कि इन पहलुओं को अच्छी तरह से देखें। सीलिंग के बारे में दो तीन रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है और हाउस में डिस्कशन हुयी है। उन दोनों तीनों रिपोर्ट्स में कन्ट्राडिक्शन है इसलिये आप मालूम करें कि यह कन्ट्राडिक्शन किस तरह से दूर किया जा सकता है। हम यह नहीं चाहते कि हमारे साथ फेवर हो लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि सर्टेन एरिया जिनसे मुख्य मंत्री, मंत्री महोदय आते हैं उनको बेजा फायदा मिले और दूसरे एरिया जो ईमानदारी से सीलिंग लगवाने के लिये तैयार है ऊपर गलत तरीके से सीलिंग लगाया जाय उस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह

(श्री जुझारसिंह)
भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य पाल महोदय ने अपने भाषण में यह फरमाया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के अनाउन्समेन्ट हाउस में होते हैं उनका राइटली इम्पलीमेन्टेशन हो जाता तो बड़ी खुशी होती। जो कुछ राज्य सरकार कहती है स्वगित योग्य है लेकिन जो चीजें यहां हाउस में कही जाती हैं, जिस प्रकार के आश्वासन राज्यपाल, मुख्य मंत्री और राज्य सरकार की ओर से दिये जाते हैं वे सब भ्रम फैलाने वाले, गलत फहमियों में डालने वाले अनाउन्समेन्ट्स हैं। उस विषय में भी सदन को कुछ फीगर्स देना चाहता हूं। सन् 1952 से 1968 तक के फीगर्स हैं, लघु सिंचाई योजनाओं में खर्च की गयी रकम है उसके नमूने सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस अर्से में 412 काम लघु सिंचाई योजनाओं के तहत किये गये उनमें से 217 काम उदयपुर डिवीजन में हुए हैं। 59 उदयपुर में, 29 बांसवाड़ा में, 31 चित्तौड़गढ़ में, 30 डूंगरपुर में और 75 भीलवाड़ा में खर्चा हुआ है वह 7.87 करोड का है उस 7.87 करोड के खर्चे में से 340 लाख का खर्चा हुआ है वह उदयपुर डि. में हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। उस खर्चे के बावजूद भी जो रकबा उन्होंने सिंचित किया है वह 40,407 एकड का है। एज अगेन्स्ट दिस कोटा में 10 काम लघु सिंचाई योजनाओं के तहत हुए हैं और 17.14 लाख का खर्च किया है। इस खर्चे में 1',930 एकड में सिंचाई हुई है। प्रपोर्शनेटली कम खर्चे में ज्यादा रकबा सिंचित होने की कोटा में संभावना है।

इसी तरह से बून्दी में दस काम हाथ में लिये गये जिन पर 38 लाख रुपया खर्च किया गया है और हजार से कम रकबा सिंचित हुआ है। यह जो खर्च किया गया है पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर खर्च किये गये हैं। कोटा में 17 लाख खर्च किया गया रिजल्ट ठीक आया। बून्दी में 38 लाख किया गया और तीन हजार ही एकड रकबा सिंचित हुआ। भरतपुर में 16 लाख से कम खर्च किया लेकिन वहां का सिंचित एरिया 67 हजार 360 एकड आया है। पाली में उपाध्यक्ष महोदय 146 लाख का खर्चा किया गया है जिसमें केवल 320 एकड रकबा सिंचित हुआ है। ये फीगर्स देखने से मालूम हो जायगा कि किस तरह से किन्हीं एरिया को पैसे देने में उदारता बरती गई है और कुछ क्षेत्रों को जहां अधिक सिंचित क्षेत्र हो सकता था उसको निग्लेक्ट किया गया है। इस तरह से मनमानी तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये फीगर्स आपके पास आये कहां से ?

श्री जुझारसिंह : ये राजस्थान सरकार के फीगर्स हैं। आपके पास भी किताबें आयी होंगी उनमें सब में फीगर्स दिये हुये हैं। ये फीगर्स जो मैं बता रहा हूं वे 1952 से लेकर 68 तक के हैं। स्माल इरिगेशन, माइनर इरिगेशन सेक्टर में उदयपुर को अननेसेसरी व आउट आफ दी वे जाकर फेवर किया गया है।

फेमीन के बारे में निवेदन करूं इसके अन्तर्गत 1241 वर्क्स खोले गये जिसमें

(श्री जुझारसिंह)

उदयपुर डिवीजन के अन्दर 733 वर्क्स चालू किये गये। आठ करोड रुपये जहां खर्च हुए उसमें केवल उदयपुर डिवोजन में 6 करोड रुपया खर्च किया गया है। इसी तरह से परसेन्टेज आफ इरिगेशन के आंकड़े भी मैंने निवेदन किये हैं। इसके बावजूद आप तीस स्टेण्डर्ड एकड जो एरिया उदयपुर में बढ़ाकर रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है राज्य सरकार जो भी प्रोनाउन्समेण्ट करती है उसको ग्रोनेस्टली इम्पलीमेण्ट करे और सब के साथ समान बर्ताव करे, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

राज्यपाल महोदय अपने भाषण में इन बातों के अलावा और भी बहुत सी बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह भी फरमाया था कि सिंचित और असिंचित के बारे में भी प्रकाश डालूं। इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान बनने के समय मेरी जानकारी के अनुसार करीब 2.41 लाख एकड रकबे में खेती थी। उसके बाद अभी जो राजस्थान के फीगर्स मिले हैं वे फीगर्स राजस्थान बनने से पहले के मुकाबले जो 241 लाख एकड थे वे अब क्षेत्र बढ कर 567.17 लाख एकड के करीब हो गया। यह सब ड्राइ और इरिगेटड दोनों एरिया हैं। 1966 में अकाल की वजह से कुछ रकबा नहीं बोया गया था। एक्चुअली जो बोया गया वह 349.20 लाख एकड था! इसका मतलब यह हुआ कि जितना रकबा राजस्थान के बनने के समय बोया जाता था उसके मुकाबले दुगुना रकबा आज बोया जाता है इसी एक्स्ट्रा रकबे में से भूमिहीनों को जमीन दिये जाने की कार्यवाही नहीं हुई है। भूमिहीनों को जमीन चाहिये इसलिये सीलिंग लगाना चाहते हैं। परन्तु 567 लाख एकड भूमि पर कलटीवेशन हो रहा है जो राजस्थान बनने से पहले के मुकाबले हमें 300 लाख एकड का ज्यादा है, यह एक्स्ट्रा रकबा फोरेस्ट से या रेवेन्यू का जो अन कलटीवेटेड एरिया था उससे लिया है। इसमें से केवल 37.60 लाख एकड एरिया भूमिहीनों को दिया है। यह एक्स्ट्रा लेण्ड के 11.5 का हिस्सा होता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपको भूमिहीनों की कितनी चिन्ता थी और थी तो एक्स्ट्रा एरिया आपने अण्डर प्लाउ लिया उस एरिया में से केवल 11.5 एरिया आपने भूमिहीनों को क्यों दिया है। आपको भूमिहीनों की चिन्ता थी तो यह सारा का सारा एरिया जो करीब तीन करोड एकड के करीब होता है वह सब भूमिहीनों को दे सकते थे, उस समय भूमिहीनों की चिन्ता कहां गई थी? अब आप सीलिंग की बात करते हैं उससे केवल 30 लाख एकड लिया जाने वाला है। इसके अन्तर्गत भी आपने बहुत से कन्सेशन्स दे दिये जिन्होंने सीलिंग कानून बनने के बाद ट्रान्सफर्स कर दिये हैं उनको भी आप रेगुलेराइज करने को कह रहे हैं। आज भी किसी ने बेच दिया है या किसी तरह से फरोख्त करली है उसको भी रेगुलेराइज कर दिया है। 30 लाख एकड जो रकबा प्राप्त होने वाला था उसमें से आपने 16 करोड रु. के करीब की लागत का रकबा बेच दिया है। इसको अगर आप लेलें तो भी 30 लाख एकड़ ही का रकबा मिलता है। आपने तो जितना रकबा फोरेस्ट डिपार्टमेंट से या रेवेन्यू

Page No 96

(श्री जुझारसिंह)

विभाग से लिया है उसका केवल 11.5 प्रतिशत रकबा हो भूमिहीनों को दिया है और जो अब आप यह आशा रखते है कि हमें 30 लाख एकड़ रकबा फिर मिलने वाला है मैं यह कह देना चाहता हूं वह दस लाख एकड़ से अधिक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बहुत से कन्सेशन्स दे दिये हैं और इससे भूमिहीन का काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मंत्री महोदय के लिये और सरकार के लिये गंभीरता से सोचने की है कि जिन लोगों ने जमीन की सौदेबाजी की कानून के बावजूद भी जो बेचान करते रहे, पैसा कमाते रहे। उनको राज्य सरकार फेवर करना चाहती है और जो लोग कानून की पाबन्दी करके जमीनों में इन्वेस्टमेन्ट करते रहे जिन्होंने, ट्रैक्टर्स खरीदे हैं इम्प्रूवमेंट के नाम पर फैसी-लिटीज प्रोवाइड की है केटल ब्रिडिंग किया है और आपके वादे के माफीक चलने की कोशिश कर रहे हैं उनके सारे एक्सेप्शन्स कन्सेसन्स विथड्रा करने जा रहे हो। एक तरफ तो आप कानून को तोड़ने वाले को फेवर करना चाहते हो और जो कानून के अनुसार चले, आपके वादों को ध्यान में रख-कर चले हैं उनके कन्सेसन्स विथड्रा कर रहे हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। यह एट रेण्डम हुई हो ऐसी बात नहीं है आपको तो रेगुलर यही पोजीशन रही है। ईमान-दार आदमी पिसता रहा है और जो कानून को तोड़ कर चला है वह फायदे में रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को अलाटमेण्ट से जमीन नहीं मिली है वे ट्रेसपासर के जरिये जमीन हासिल कर चुके हैं और जिन्होंने ट्रेस पास करके जमीनों पर कब्जा कर लिया है उनको आपने रेगुले-राइज कर दिया है। 1963 में ट्रेसपासर्स को रेगुलेराइज करना शुरू किया और 1967 तक के ट्रेसपासर्स को तो रेगुलेराइज कर दिया है। इन बातों पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा ट्रेसपासर्स को जितनी जमीन मिली है उतनी जमीन भूमिहीनों को अलाटमेण्ट के जरिये नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी 1958 में सिलिंग कानून के तहत ट्रांसफर कानून से बन्द थे दिसम्बर, 1959 तक के ट्रेसपासर्स को तो भूमिहीनों को बेचा जाने की सूरत में मान्यता देने का प्रावधान किया था। उसके बाद लोग बागों ने कानून को न मानते हुए जमीनों को बेच दी है कई ट्रान्जे-क्शन हुए हैं जिनमें अब तक 17 करोड़ रुपये के करीब की जमीन का बिकरा हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, उन कानून की अवहेलना करने वालों के लिए गवर्नर साहब ने कहा है कि रेगुलेराइज कर दिया जावेगा और केटल ब्रीडिंग की तहत आने वाले, चीनी मिलों के तहत आने वाले सुनियन्त्रित फार्म और दूसरी तरह के लोगों को दिये हुए कन्सेशन वापिस ले लिये जावेंगे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केटल ब्रीडिंग को आवश्यक नहीं मानते। अगर इसके लिए पेडिग्री ब्रीड को तरजीह नहीं देना चाहते हैं। अच्छी ब्रीड पनपाना चाहते हैं तो इसके लिए आप को अधिक जमीन छोड़नी चाहिए। नोमेड की तरह केटल ब्रीड नहीं कर सकते जो एक स्टेट से एक जगह से एक प्रान्त से एक जिले से एक एरिया से दूसरी स्टेट, दूसरी जगह, दूसरे प्रान्त और

(श्री जुझारसिंह)

जिले में दूसरे एरिया में माइग्रेट करते रहते हैं उनकी मार्फत आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे कैटल ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। अच्छी ब्रीड और अच्छी नस्ल के गाय बैल को तैयार करने के लिए इन कैटल ब्रीडिंग फार्मस को तरजीह देनी पड़ेगी। वर्ना तो आपका यह एनीमल हस्बेन्डरी विभाग रखने से भी कोई सेंस नहीं है।

आप अच्छी नस्ल के बुल्स डिस्ट्रीब्यूट करें और उससे चाहें कि जगह जगह सैंकड़ों मील तक माईग्रेट करने वाले ब्रीड की प्योरिटी कायम रख सकेंगे तो यह आपकी मृग मरीचिका ही है। इसलिए कैटल ब्रीडिंग फार्मस के जो कन्सेशन आपने विड्रा किये हैं यह उचित काम नहीं किया है। इससे कैटल ब्रीडिंग और दूसरे अच्छे काश्तकारों पर ज्यादती है और जो आदमी जिन्होंने कानून की अवहेलना की है उनको प्रोत्साहन दिया है यह अच्छी बात नहीं है।

इसी तरह से राज्यपाल महोदय ने भूमिहीन और शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को रिहायशी प्लाट देने का अनाउन्समेंट भी किया है उपाध्यक्ष महोदय, आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आपको ग्रामीण क्षेत्रों का अनुभव भी है। बहुत से गांवों में ऐसी परिस्थिति भी आ गई है कि जहां जमीन खाली नहीं है और मकान बनाने को गुंजाइश भी नहीं रह गई है। वहां आबादी एरिया को एक्सपेन्ड करेंगे तो कल्टीवेटेड लैंड में से आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी।

क्या इस भाषण का यह अभिप्राय लगाया जावे कि एक्वायर करके जो जमीनें ली जावेंगी और उस एक्वायरमेन्ट में जो खर्चा करना पड़ेगा वह राज्य सरकार देगी या केवल यह अनाउन्समेंट मात्र है, जैसे और भी बहुत से होते रहते हैं कागजों में। या यह अनाउन्समेन्ट उस जमीन तक ही सीमित है जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। ऐसी जमीन बहुत कम मिलेगी। पचास से अधिक परसेन्ट गांव में तो सरकार को इन्डिविजुअल लोगों को जमीनें ही एक्वायर करनी पड़ेगी। फिर सभी को रेजीडेन्सल प्लाट मिल जावेंगे इसकी कोई टाइम लिमिट भी आप फिक्स करेंगे या छः सात आठ वर्ष तक आपका यह अनाउन्समेन्ट चलेगा। पिछले अगस्त से जब से आदमी चन्द्रमा पर गया आपके समाजवाद में तेजी आई है। अमेरिका का आदमी चन्द्रमा पर पहुंचा पर हिन्दुस्तान के राजनैतिक क्षेत्रों पर लूना का असर हुआ है खास तौर से कांग्रेस के राजनीतिज्ञों पर। जब जब चन्द्रमा में आदमी उतरा तब तब ही कांग्रेस में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहला आदमी जब चन्द्रमा पर पहुंचा तो उस अवसर पर पहले पहल कांग्रेस में से मोरारजी देसाई को निकाला गया। बाद में कांग्रेस में आन्तरिक कलह हुआ और उस के कारण उसका विघटन हुआ जब भी आदमी चन्द्रमा पर जावेगा कांग्रेस के मस्तिष्क पर असर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कांग्रेस से क्या?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस की इस ल्युनेसी का कोई न कोई ल्युनेटिक लैण्डिग से सम्बन्ध है। ल्युनेटिक लैण्डिग का असर कांग्रेस पर हुआ है और इसीलिये कुछ न कुछ ल्युनेटिक सी बातें कांग्रेस आज करने लगी है।

श्री भगवान दास शास्त्री : सन् 62 में आठ ग्रह लगे थे तो वे लोग चांद तक पहुचे और ये कांग्रेस वाले अपनी अन्तरात्मा तक पहुंचे ।

श्री जुझारसिंह : मुझे जो कुछ कहना था, बहुत कुछ तो कह चुका हूं । एक बात और कहने से जो रह गई थी वह निवेदन कर दूं ।

सीलिंग के कानून के पीछे तीन प्रमुख व्यक्तियों का हाथ था । एक मुख्य मंत्री, दूसरे उस समय के राजस्व मंत्री और तीसरे उस समय के सेटलमेन्ट कमिश्नर महोदय । इन तीनों ने अपने अपने एरिया के उस सीलिंग के ग्रुप को ऊंचा नीचा करके तीस स्टेण्डर्ड एकड की आड में फायदा लिया है । मैं आपको जानकारी के लिये बताऊं । जयपुर को तीन हजार कुछ और गांवों में से पहले ग्रुप में, केवल 12 गांव दिये हैं दुनिया को दिखाने के लिये । उनका नाम सुनेंगे तो आपको खुद भी हंसी आवेगी । वे नाम हैं । हथरोई, हथरोई की खाल, जहां एकाध बीघा किसी आदमी के पास होगा, विजय महल, मोती डूंगरी, किशन पोल, तालकटोरा, मोतीकटला, नाहरगढ़ । और इस तरह के 12 गांव बना कर जयपुर जिले में भी 12 गांव ऐसे हैं जो ग्रुप एक में आते हैं । यह बताया है । बाकी 3।। हजार गांवों में से एक भी ग्रुप एक में नहीं हैं । और ग्रुप दो में भी नहीं हैं । इस तरह से मैनीपुलेशन किया गया है । यहां पर ही शेरसिंहजी का गांव हैं जो खुद सेटलमेन्ट कमिश्नर थे । वह ग्रुप 3 में आता है । उन्हें यहां 3 ग्रुप का सिंचित एरिया मिलेगा । अब दामोदरलालजी व्यास के मालपुरा गांव में थर्ड ग्रुप में रखने से 70 एकड़ इरिगेटेड एरिया मिलेगा । इसी तरह की बातें इन लोगों ने की हैं और इसका जो वास्तव में राज सरकार लाभ सोच रही थी, वह समाप्त हो गया है । तो सीलिंग का कानून लगाने के साथ साथ इन बातों को भी सोचना है और न्यायोचित ढंग से सीलिंग के इस कानून को लागू करना है। इस तरह से सीलिंग अगर आता है तो हमें आपत्ति नहीं है । पर ग्रुप मैनीपुलेशन यह हो तो बेकार है । सीलिंग में किस्में कायम की गई । सेटलमेन्ट डिपार्टमेंट ने क्लासिफिकेशन कर दिया । माल अव्वल ए में या सी में है या डी ई में है तो भी माल अव्वल ही है । सिर्फ ग्रुप के चेन्ज से एक एरिया में 30 एकड मिलता है तो दूसरे में 60 मिल जाता है तो यह तो सरासर का अन्याय है ।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात बीच में पूछे । यह एस्टीमेट सर्किल का सीलिंग से अलग से तो नहीं बना है । सैटलमेंट के वक्त से बना हुआ था । जो सैटलमेन्ट के वक्त का बना था उनमें तरमीम की गई है ।

श्री जुझारसिंह : यह नहीं है । यह सैटलमेन्ट से अलग है बिलकुल । सीलिंग के लिए बनाये गये हैं इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग में ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन किया उसमें राजस्थान में जगह जगह हो रहे इरोजन आफ सोइल का ध्यान नहीं किया जमीनें कटती हैं । नदियों से और दूसरे कारणों से जो कटती हैं वह राजस्थान में करीब 8 लाख एकड के करीब है । यह आवलन फोरेस्ट डिपार्ट-

(श्री जुझारसिंह)
मेन्ट ने किया है। उस आठ लाख एकड़ का ब्रेक अप इस प्रकार से है :

247 हजार चम्बल से, 86470 एकड़ कालीसिंध से, 24711 पार्वती से और 123550 परवेण से है और 37066 अलानिया से है और ये जितनी नदियां हैं ये सारी कोटा से ही चलती हैं और कोटा खतम होने से पहले दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। इसलिये इन नदियों से जितना कटाव है, सारा कोटा जिले में ही है। इसके बाद में यह नदियां कहीं नहीं जातीं और इसका पूरा रकबा पांच लाख अठारह हजार एकड़ है। आठ लाख में से 518 हजार अकेला कोटा मे है। इस फैक्टर को अगर आप ध्यान में ले लें तो ग्रुप फोर्मेशन जो सीलिंग का है इसको भी कन्सीडर करना पड़ेगा। जहां पर भूमि का इतना ज्यादा कटाव है उस चम्बल को ए जोन जैसा फेक्टर ऊंचा देने का क्या प्रयोजन है। वहां कटाव की वजह से पैदावार कम होती है परन्तु उसके बारे में आप कोई कन्सीडरेशन नहीं करते और उसको कन्सीडर नहीं करते हुए ऊंचे फेक्टर कोटी में रखते हैं तो यह गलत है।

इसी तरह यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग कानून में एक चीज बताई है कि सिंचित एरिया बेस्ट असिंचित एरिया से अधिक नहीं होता; उसके बराबर तक का होगा। यह शायद मंत्री महोदय को भी मालूम होगा कि वेस्ट अनइरिगेटेड एरिया के मुकाबले में सिंचित एरिया ज्यादा नहीं जावेगा मैं आपसे निवेदन करूं कि कोटा में अनइरिगेटेड एरिया 31 एकड़ आपने दिया है जो सिंचित एरिया के मुकाबले में बहुत कम है ग्रुप के हिसाब से जो लोवर ग्रुप में प्लेस्ड है तो उसमें 57 एकड़ तक सिंचित रकबा मिल जायगा और अन इरिगेटेड ऐरिया को केवल 31 मिलेगा–यह तो आपका अनाउन्समेंट है। अनइरिगेटेड एरिया का रकबा किसी भी सूरत में इरिगेटेड से कम नहीं होना चाहिये। कोटा में ही नहीं हर डिस्ट्रिक्ट में कम दिया गया है। अगर अन इरिगेटेड ऐरिया में कुआ लगा लेते है तो 57 एकड़ और अगर कुआ नहीं लगाते हैं तो 31 एकड़ मिलेगी। सिंचित एरिया से आपका रकबा बढ़ जाय और बारानी रखते हैं तो कम जमीन मिलेगी इस तरह सीलिंग के बारे में कानून बनाया है। सारा का सारा कानून वेग है, इक तरफा है जो फलावट की है उसमें गलती है। इसको साफ किया जाना चाहिये और मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे और जो अनियमितता और गड़बड़ी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारन) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करते हुये कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब हमारा राष्ट्र समाजवाद के लक्ष्य को लेकर मौजूदा हालत में तेजी से बढ़ने लगा तो राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर हमारे राजस्थान की जनता टकटकी लगाये बैठी थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में

(श्री शंकरलाल)

समाजवाद की नीतियों की घोषणा होगी। उपाध्यक्ष महोदय समाजवाद की कुछ घोषणायें को गई हैं लेकिन जितनी आशा थी उतनी तो नहीं लेकिन कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण घोषणायें राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद के अन्दर जहां हम भौतिक साधनों के उचित बंटवारे की बात करते हैं और हमारे विधान में यह बात कही गई है अनुच्छेद 49 के अन्दर, कि समाजवाद में भौतिक साधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाय जिससे आम जनता का हित हो। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी सीलिंग के कानून को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज जब कभी सीलिंग के कानून को लागू करने की बात आती है उसी समय कई इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं और दलीलें देकर रोड़े अटकाते हैं। एक तरफ कहा जाता है सीलिंग का कानून लागू किया जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सीलिंग कानून लागू करने में ये ये खामियां हैं।

श्री दौलतराम सारण: यह आपकी मंशा है नहीं लागू करने की। लागू इसलिये नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा चाहते नहीं हैं और इसलिए इसमें जानबूझ कर खामियां रखदी जाती हैं। तुमने 16 करोड़ की जमीन बेच दी और उसमें पौने दो करोड़ रुपया जमा लिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भासीन्द): दूसरे सदस्य क्या कह रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण: सीलिंग की कोरी बात करते हैं। हम तो चाहते हैं इसे लागू करें।

(1.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप लोग ही नहीं चाहते हो इसको लागू करना।

श्री दौलतराम सारण: हम चाहते हैं आज ही लागू करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: पूंजी वाले जमींदारों का पक्ष करते हैं। पूंजीपतियों के एजेन्ट बने हुए हो।

श्री शंकरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आवेश में आकर कुछ कहना उपयुक्त नहीं है मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा इस सीलिंग के कानून के सम्बन्ध में और इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध मे निवेदन करूंगा अभी अभी माननीय सदस्य ने कहा राजस्थान के मुख्य मंत्री और वहां के सेटिलमेंट कमिश्नर और उन्होंने जो कमेटी बनाई और जो ग्रूपिंग बनाये उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है जिसमें खामियां रह गई हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा 1953 में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट 1958 में पेश की गई और उसके विधान के लिए विचार विमर्श हुआ और 60 में कानून पास हुआ और 12-2-60 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद 1963 में नियम बनाये गये लेकिन जो नियम बनाये गये उनसे कानून में अब रोडा अटकाना चाहते हैं! उन लोगों ने इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट की। यह मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। 1665 में भूमिपतियों की रिट खारिज की जा चुकी है। 1-7-65 को राजस्थान सरकार ने कहा इसको लागू किया

(श्री शंकरलाल)

जाय। उस सीलिंग कानून को लागू नहीं करके, मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की उन भूमिपतियों के सामने और फिर कहते हैं खामियां रह गई। जो जो प्रिविज्म की दलीलें दी हैं, कानून की जो दलीलें दी है वे राजस्थान के उच्च न्यायालय के आधार पर, उन भूमिपतियों के आधार पर गलत हैं। उनकी रिट खारिज की जा चुकी है। 1-7-65 से सीलिंग को लागू किया जाय। सभापति महोदय, मैं नहीं समझता हूं इस कानून को क्यों नहीं लागू किया गया।

30 स्टेन्डर्ड एकड़ कोटा में कम होगा और कहीं ज्यादा होगा 30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। 30 स्टेन्डर्ड एकड़ वह एकड़ माना गया है जिसमें 10 मन की उपज हो या उसके बराबर की कोई दूसरी उपज हो। जमीन पर नहीं रखकर उपज पर 30 स्टेण्डर्ड एकड़ रखी गई है। चाहे वह जयपुर में हो। जयपुर मे कम जमीन में उपज होती है तो उस प्रकार की उसमें आ जायगी। कहीं जैसलमेर में इस तरह सब जगह जमीन के आधार पर न रख कर, जमीन की किस्म को न रख कर उपज के लिहाज से रखी गई है। इस प्रकार से स्टेन्डर्ड एकड़ की परिभाषा है। मैं समझता हूं उसको लागू करने मे अन्याय करने की बात नहीं आती। उत्पादन का आधार रखा गया है। केवल कानून जो रोका गया था इसकी क्रियान्विति नहीं हुई। वह वास्तव में हमें समझना चाहिए नहीं होना चाहिए थी सभापति महोदया मैं कहूंगा टेनेन्सी एक्ट की धारा 30 जिसके अन्तर्गत सीलिंग कानून बनाया, धारा (इ) में यह 1-7-65 गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन की तारीख मुकर्रर की थी सीलिंग को इम्पलीमेंट करने के लिए।

6 महीने के भीतर ऐसे जमींदार जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन थी उन्होंने एस. डी. ओ. के समक्ष सरेन्डर नहीं की तो उनके ऊपर पनिशमेंट का क्लॉज रखा गया है कि सीलिंग से ज्यादा जमीन रखने पर उनको ट्रेस पासर माना जायगा। वैसे राज्य सरकार ने 1-7-66 से भूमिपतियों को या ऐसे लोगों को जिनके पास सीलिंग से अधिक जमीन थी-उनका अगर एस. डी. ओ. के सामने सरेन्डर नहीं आ रहा है या जिन्होंने सरेन्डर नहीं किया उन पर सरकार ने जुर्माना क्यों नहीं किया? ट्रेस पासर उनको घोषित क्यों नहीं किया और कहा यह जाता है कि सीलिंग के कानून में खामियां हैं।

यह गलत बात है सभापति महोदया कि सीलिंग के कानून के अन्दर खामियां बताकर उसकी क्रियान्विति को टाला जा रहा है और उसके लिए यह बात उठाई जा रही है कि जिसका निर्णय हाईकोर्ट से हो चुका है। सभापति महोदया, इसके बारे में प्रश्न पेचीदा इसलिए आया कि जब गत जनवरी, 1968 के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि पहले 90 स्टेन्डर्ड एकड़ को इस सीलिंग कानून के तहत जो भी उसके ऊपर जमीन होगी, उसको लिया जायेगा और उनका इरादा था कि 90 स्टेण्डर्ड एकड़ से जमीन ज्यादा है उसको लिया जायेगा और उसके बाद में दूसरों को लिया जायेगा और जिस तरह से पहले बड़े जागीरदारों को समाप्त किया गया और उसके बाद में उनसे

(श्री शंकरलाल)

छोटे जागीरदारों को समाप्त किया गया उसी प्रकार से उनके करने का इरादा था लेकिन क्योंकि विधान सभा के अन्दर जो कानून पारित हुआ सन् 60 में उसमें 30 स्टैण्डर्ड एकड़ की सीमा रखी गई और उसको तब विधान सभा में पारित किया। 90 स्टैण्डर्ड एकड़ की घोषणा मुख्य मंत्री जी कर सकते थे या नहीं यह कानूनी प्रश्न पैदा हुई। मैं समझता हूं विधान सभा में जो कानून पास हुआ था और जिस कानून को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई उसके बाद में कोई नई घोषणा नहीं होनी चाहिए थी। अब बाद में जो राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि 30 स्टैन्डर्ड एकड़ पर ही सीलिंग को लागू किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि एक बार कोई कानून पास हो गया तो अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह जाती है। अब 30 स्टैन्डर्ड एकड़ से ऊपर जितनी जमीनें हैं उनको राज्य सरकार लेकर भूमिहीनों को बांटने में कोई अड़चन नहीं आती। मैं सभापति महोदया जो कहना चाहता हूं वह यह है कि इसमें कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। अगर आप सीलिंग के कानून को लागू करना चाहते हैं वहां पर यह सही है कि सीलिंग के कानून की एक आवाज उठी है और आज 1970 आया है और बहुत से लोगों ने अपनी जमीनों को इधर उधर बेच दिया है, ट्रान्सफर कर दी है और जितनी जमीन सीलिंग के कानून के तहत आनी चाहिए और हम इस बात की उम्मीद करते थे कि सीलिंग के कानून के लागू करने से इतनी जमीन बचेगी कि हम भूमिहीनों को दे सकेंगे उतनी भूमि अब बच रहने की उम्मीद नहीं रही, यह सही है और जो कानून के अन्दर इसकी घोषणा की गई है, जो कानून हमारी विधान सभा से पारित हुआ कि दिसम्बर 1959 के बाद में सीलिंग कानून के विपरीत कोई ट्रान्सफर किया जाता है तो वह सारा अवैध माना जायेगा। कानून की स्थिति इस समय भी वही है जो कि उस समय थी और उसके अनुसार दिसम्बर, 1959 के बाद में जितने भी हस्तान्तरण हुए है वे सब अवैध हैं। लेकिन इसमें राज्यपाल महोदय द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी भूमि भूमिहीनों को हस्तान्तरित की गयी है वह वैध मानी जायेगी। सभापति महोदया, देखना यह है कि यह बात भी सही है कि भूमिपतियों ने ऐसी जमीन बेची है ऐसे लोगों को कि जिनके पास जमीनें नहीं थीं और ऐसे भूमिहीनों को वह जमीन ट्रान्सफर हुई है। यह बात भी अवश्य है लेकिन कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर ऐसी जमीनें हस्तान्तरित हुई हैं तो जो ऐसे हस्तान्तरण से पैसा प्राप्त हुआ है वह पैसा सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि लेंडलेस टीनेन्ट्स से आप ज़मीन न लें। जो आदमी लेण्डलेस था और जिसको जमीन हस्तान्तरित की गयी और हमारा मकसद था कि सीलिंग के जरिये जो जमीन है उसको भूमिहीनों में बांटा जायेगा। अगर भूमिहीनों को जमीन किसी ने बेच दी है तो जो पैसा उसने कमाया है उसको सरकार को देना चाहिए उन्होंने भूमि का इल्लीगल ट्रान्सफर किया है और दूसरी लेण्डलेस की बात कह सकते है सभापति महोदया, हमारे जितने भी कानून हैं, जो भी टीनेन्सी के कानून हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें हम लेण्डलेस की डेफीनेशन को क्लीयर नहीं कर पाये हैं।

(श्री शंकरलाल)

यह स्पष्ट होना चाहिए। जो हमारा मकसद हमने रखा था कि जो जोते उसी की जमीन 'लैण्ड टू दी टिलर' उसको लेकर हम लैण्डलेस की डेफीनेशन मानते हैं। आज वह भी लैण्डलेस हैं जिनके पास चार-पांच दुकानें हैं और उसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। इस लैण्डलेस की डेफीनेशन को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार अब इसमें संशोधन ला रही है टीनेन्सी कानून में उसमें आप लैण्डलेस की डेफीनेशन को क्लीयर कीजिए। आज अलाटमेन्ट के जरिये भी गांवों के अन्दर जमीनें उनके पास भी जा रही हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं और वह खेती का काम नहीं करते हैं। हमारे जिले के लोग जो बम्बई में हैं उनको भी लैण्डलेस के नाम से जमीनें दी गई हैं। सभापति महोदय, इसलिए इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लैण्डलेस की डेफीनेशन को क्लीयर करना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि भूमिहीनों को जमीनें दी गयीं हैं और वह वैध मानी जायेंगी। लेकिन जो काश्तकार हैं और जो कि काश्त के धंधे को ही करने वाले हैं उनको ही लैण्डलेस माना जायेगा, सभापति महोदया, यह मेरा निवेदन करना है। अगर दूसरे आदमी दूसरा धंधा करते हैं उनको लैण्डलेस टीनेन्ट्स नहीं माना जाना चाहिए और उनको जो जमीन हस्तान्तरित हुई हैं वह अवैध मानी जानी चाहिए। इसके अलावा मुझे यह भी निवेदन करना है कि जिन लोगों ने ज्यादा कीमतों पर ली है उनके लिए प्रावधान है कि उनसे सरकार को पैसा वापिस लेना चाहिये

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने दो तरह की बातें कहीं। मैं क्लीयर जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो ट्रान्सफर वैध करने की घोषणा की है वह इस कानून से बिलकुल विपरीत है तो क्या आप इसके पक्ष में हैं उनको ऐंड करने के और पुराने कानून में जो कीमत वापिस दिलाने की बात है उसके पक्ष में हैं?

श्री शंकरलाल : सभापति महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि भूमिहीनों को जो हस्तान्तरण किया गया है उनको वैध करने की घोषणा राज्यपाल महोदय ने की है। वह घोषणा उसी माने में सही होगी कि हम भूमिहीन काश्तकारों की परिभाषा को सही मानें। अगर ऐसे आदमी जो कि काश्तकार नहीं थे उनको जमीन हस्तान्तरित की गयी है और उनको भूमिहीन मानकर वैध मान लिया जाता है ट्रान्सफर तो वह गलत है। इसलिए पहले वाला कानून है वह सही है और सभापति महोदया मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सों ने अपने पार्टीशन के नाम से जमीन को हस्तान्तरित किया है। जैसे एक ही व्यक्ति है उसने भाई के नाम लड़के के नाम औरत के नाम और दूसरे बेटे पोतों के नाम जो कि एक ही फैमिली में ट्रान्सफर्स हुए हैं पार्टीशन के नाम पर उनको जो लैण्डलेस टीनेन्ट्स मानकर उनको हुए ट्रान्सफर को वैध मान लिया जाता है तो वह बहुत गलत होगा। इससे सारा मकसद मारा जायेगा। मैं फोर्थ फाइव ईयर प्लान में सीलिंग के कानून के बारे में जो नीति है उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो लैण्ड रिफार्म्स के बारे में फोर्थ फाइव ईयर प्लान के पेज 131 पर कहा गया है कि:

"The programme of ceilings set out in the Plan has been diluted in

(श्री शंकरलाल)

implementation. There were deficiencies in the law and delays in its enactment and implementation resulting in large scale evasions. Several States had made provision for disregarding the transfers made after a specified date but even this provision proved to be ineffective and not much surplus land has been available for re-distribution. The main object of ceilings, which is to re-distribute land to the landless at a reasonable price on a planned basis has thus been largely defeated. In the absence of any reliable data it would also be difficult to say that as a result of transfer much land has passed into the hands of agriculture labourers or small farmers. However as stated in the Third plan once legislation has been enacted amendments should aim primarily at eliminating deficiencies and facilitating implementation rather than at introducing fundamental changes in the principles underlying the legislation. As transfers take place generally between members of a family, the States might consider the suggestion earlier made by the Panel on Land Reform, namely apply ceilings to the aggregate area held by all the members of a family rather than individual holding the family being defined to include husband and wife and their dependent children and grandchildren."

तो सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार जो ट्रान्सफर्स किये गये हैं जिनसे हमारा जो मेन कानून है उसका मकसद मारा जाता है तो ऐसे ट्रान्सफर्स को वेलीडेट नहीं करना होगा, ऐसों को अवैध माना जायेगा तभी जमीन री–डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलेगी, वितरण के लिए मिलेगी।

वरना तो जमीन इस सीलिंग कानून के जरिये हम को मिलने वाली नहीं है।

सभापति महोदया, एक खास बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 30 स्टेन्डर्ड एकड की बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है। लेकिन यह बात 1960 में राजस्थान विधान सभा में हो चुकी है और 12-3-60 को उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति भी मिल चुकी है। सवाल तो यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन सी तारीख तक आप करवाना चाहते हैं ? जिस प्रकार सेटलमेंट के लिए एक प्रकार का स्टाफ लगा कर सेटिलमेंट का कार्य किसी एक तारीख तक करवा देते हैं उसी प्रकार से सीलिंग कानून को वास्तव में ईमानदारी से आप लागू करना चाहते हैं तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक निश्चित तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी। हम एक साल के अन्दर, 6 महीने के अन्दर एक स्पेशल स्टाफ लगाकर इस सीलिंग कानून को इम्प्लीमेंट करें। पूरे राजस्थान में इसका एक साथ पालन हो और इसके तहत जमीन ले लें। जिन प्रकार के ट्रान्सफर हुए हैं उसकी वेलिडिटी की बात कही गई है। इस प्रकार के ट्रान्सफर हैं उसको वेलिडिटी की बात कही गई है। इस प्रकार का भाषण हो गया और हम ने कह दिया अच्छा भाषण हो गया लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन निश्चित समय में नहीं होता है तो आज भी तहसीलों के अन्दर इस प्रकार के ट्रान्सफर हो रहे हैं, रजिस्ट्रियां

(श्री शंकरलाल)

हो रही हैं। इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को एक ठोस कदम उठाना होगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्पेशल स्टाफ लगा कर एक निश्चित डेट तक इसको इम्प्लीमेंट करना होगा इस राज्यपाल महोदय के भाषण को। इसके इम्पलीमेंटेशन की बात आप कहिये।

इसलिए सभापति महोदया, यह जो हमारी समाजवाद की तरफ बढने की घोषणा हुई है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। मैं समझता हूं इसका सरकार को इम्प्लीमेंटेशन निश्चित तारीख में करना होगा।

सभापति महोदया, गंगानगर जिले के अन्दर जो भूमिहीन किसान हैं, जो आन्दोलन उन्होंने चालू किया, मैं समझता हूं वहां के भूमिहीनों को अगर जमीन मिल जाती और सीलिंग का कानून वहां इम्पलीमेंट हो जाता तो गंगानगर के किसानों को आन्दोलन में भाग नहीं लेना पडता। उन को जमीन चाहिए और इस में डिले हो गई इसलिए ये सारी चीजें वहां पैदा हुई। इसलिये सभापति महोदया, यह एक गम्भीर बात है और जो भाषण राज्यपाल महोदय ने यहां दिया है उसका इम्पलीमेंटेशन शीघ्र होना चाहिए। और उसको लागू करना चाहिए। इसी सिलसिले में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। यह है जो एकजम्पशन विदड्रा किये हैं उन के बारे में। माननीय सदस्य एक स्वतन्त्र पार्टी के कह रहे थे कि यह ठीक नहीं किया। जो एकजम्पशन लागू किये थे, हमें मालूम है उसका किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है। बडी बडी जमीनें लोगों ने अपने पास रख छोडी हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सीलिंग कानून लागू नहीं करते हैं तो जमीन नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं जमीनों को लोगों ने दबा रखा है। यह ठीक नहीं है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इसीलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा कि जो एकजम्पशन थे कोआपरेटिव के नाम से फर्मों के नाम से उनको सरकार ने विदड्रा किया है, वह ठीक किया है। यह काश्तकारों की भलाई की बात है और सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है। यह उसने बिल्कुल ठीक किया है उन के एकजम्पशन विदड्रा कर के।

सभापति महोदया, मैं इस के साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कि सरकार ने ग्रोव्ज के नाम पर जो एकजम्पशन्स दे रखे हैं वे विदड्रा किये जायं। ग्रोव्ज के नाम पर बडे बडे लोगों ने जमीनें दबा रखी हैं। इसलिये इसके ऊपर से भी एकजम्पशन विदड्रा करना चाहिये। कोई कारण नहीं कि इनके ऊपर एकजम्पशन कायम रखा जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि जितने भी एकजम्पशन्स सीलिंग कानून के अन्तर्गत आपने दे रखे हैं उनको विदड्रा किया जाये।

सभापति महोदया, मैं जो समर्थन धन्यवाद प्रस्ताव का आज कर रहा हूं इसलिये कि इसके अन्दर छोटे छोटे काश्तकारों के लिए और उन को ऋण देने के लिए सुविधाओं की घोषणा की गई है। यह कहा गया है कि जिस के पास भी 5 एकड सिंचित जमीन है या 15 एकड असिंचित जमीन है उसको ऋण की सुविधा मिलेगी और सरकार की तरफ से उसको गारन्टी दी जावेगी और यह गारन्टी 7 करोड तक की होगी राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने इसकी सीमा 7 करोड तक रखी है। सभापति

(श्री शंकरलाल)

महोदया, यह बिल्कुल अच्छी घोषणा है लेकिन बात यह आती है कि इस घोषणा का भी इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा ? और इसके अन्दर भी अभी अभी यह बात सामने आई है जब से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मिलने लगा है, यह बात देखी है और यह बात सामने आई है कि इससे ऋण लेने में किसानों को कितनी दिक्कत होती है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से ऋण मिलेगा ? किस प्रकार के फार्म भरे जायेंगे। इसके अन्दर भी लोगों ने ऐजेन्सी चलाना शुरू कर दिया है। तो इसके अन्दर से करप्शन को अवाइड करना होगा। एक जगह कुछ लोगों को ऋण प्राप्त करने के लिये एक निश्चित मात्रा में धन खर्च करना पड़ा। 300 रुपये खर्च करने पर 10,000 का ऋण मिल गया। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे काश्तकारों को आप ऋण देना चाहते हैं, ऋण दिलाना चाहते हैं और सरकार उनको गारन्टी देना चाहती है तो इसमें विकास अधिकारी की जो बात कही गई है कि वह सरकार की तरफ से गारन्टी देगा लेकिन साथ में इस प्रकार के ऋण मिलने की प्रक्रियाएं कैसी हैं यह समझने का काम पंचायत समितियों का होना चाहिये। इसके लिये विकास अधिकारी, या जो ए. ई. ओज हैं उनकी ड्यूटी रखी जाये कि वे अपने क्षेत्र के अन्दर, गांव के अन्दर जो भी छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको ऋण दिलाना है और इसकी प्रक्रिया यह है। हमारे काश्तकार पढ़े हुए नहीं हैं। वे इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकते। पंचायत समिति जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके पास काम नहीं है, मैं समझता हूं कि इस मशीनरी को इस में इन्वाल्व करना चाहिये जो उनको प्रोसीजर समझाये और उनको ऋण पत्रिकायें बनाकर उनकी मदद करें वरना मैं समझता हूं इसका फायदा छोटे छोटे काश्तकारों को नहीं मिलेगा।

सभापति महोदया, यहां यह सरकार द्वारा कहा गया है कि काश्तकारों को पास बुक वितरित की जा रही हैं। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिये एक तारीख निश्चित करें और जल्दी से जल्दी इस काम को करिये। आपने घोषणायें बहुत की अब आप इनको इम्प्लीमेंट करें। जो बात राज्यपाल महोदय ने यहां कही है उसको आप इम्प्लीमेंट करें पास बुकों से काश्तकार को मालूम हो जायेगा कि कितनी जमीन उनके पास है। इससे ऋण मिलने में भी उनको सुविधा रहेगी। वरना ऋण मिलने में असुविधा होगी। पटवारी से उनको तस्दीक नहीं करवाना पड़ेगा पास बुक जारी करने की जो घोषणा सरकार ने की है वह बहुत अच्छी घोषणा है और इसको जल्दी से जल्दी वितरित करा दिया जाना चाहिये। ताकि काश्तकारों को राहत मिले। सरकार की यह घोषणा भी अच्छी है कि गैर-खातेदारों को भी ऋण मिल सकेगा। सरकार ऐसा कानून ला रही है आर्डिनेन्स के जरिये ऐसा कानून बना रही है कि गैर-खातेदार जो ऋण लेना चाहते हैं, वे ले सकते हैं और वे अपनी जमीन को ट्रान्सफर करने के अधिकारी हैं। यह अच्छी बात है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से छोटे काश्तकारों को अपना उत्पादन बढ़ाने का अच्छा अवसर

(श्री शंकरलाल)
प्राप्त होगा लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये ।

दूसरी बात जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही और जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखने वाले थे उन्होंने यह बात कही कि अब गांव के अन्दर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, उनको मुफ्त प्लाट की घोषणा की गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसी नई घोषणा है । हमारे टीनेन्सी एक्ट की धारा 31, सेक्शन 31 जो है उसमें पहले से ही यह प्रावधान है, पंचायत एक्ट में भी यह प्रावधान है । यह कानून आपके सामने है, जो सेक्शन 31 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 में है:—

'31. Right to residential house.— (1) Subject to any rules that may be made by the State Government in this behalf a tenant shall have the right free of charge to possess in the abadi of the village in which he holds land a site for a residential house:

Provided that if he holds land in more than one village, he may choose the village in which he wishes to enjoy this concession and shall not be entitled to this concession in more than one village.

Provided further that he shall have to make an application to the Tehsildar, if he has no residential house for allotment of a suitable site for the purpose.

Explanatian—A residential house shall include an enclosure or shed for cattle as well as accommodation for stocking seed, fodder and agricultural implements and also land required for the construction of reservoir or a tank."

उन्होंने यह कहा है डेफिनेशन के अन्दर–

(2) For the purpose of sub-section.

(a) agricultural worker' shall mean a person who is not a tenant but works as a labourer on the field or fields of a tenant lying within the village of his residence; and

(b) artisan shall include a blacksmith, a carpenter, a cobbler, a potter and a weaver.'

इसकी धारा 31 के अन्दर जो है वह फ्री आफ चार्ज प्लाट लेने का उनको अधिकार है । इसी प्रकार से जो अपना पंचायत एक्ट है उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए वहा है । सेक्शन 31 के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो पंचायत एक्ट है उसके जो रूल्स बने हैं उसका रूल 267 में आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं:–

Allotment of land free of charge within a Panchayat Circle under

(श्री शंकरलाल)

Section 31 of the Rajasthan Tenancy Act. Abadi land free of charge to the members of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes.

इसके अन्दर बेकवर्ड क्लासेज का भी जिक्र है। आर्टीजन्स का सेक्शन 31 में लिखा है। जो सेक्शन 31 के अन्दर पावर्स तहसीलदार को ये टेनेन्सी एक्ट में वह पंचायत एक्ट के कारण जब आबादी लैंड पंचायतों में आगई के पंचायत एक्ट में इन आर्टीजन्स के अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रखा गया है। तो फ्री आफ चार्ज प्लाट लेने का प्रावधान पहले से है। इसलिए, सभापति महोदया, यह कोई नई घोषणा नहीं है। प्रश्न तो यह कि घोषणा की क्रियान्विति कैसे हुई? हम यह जानते हैं। पंचायतें बनने के बाद उनके द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को फ्री आफ चार्ज प्लाट क्यों नहीं दिये गये कानून बनने के बाद जो घोषणा आप करते हैं वह पहले से ही कानून में है। कानून के द्वारा जिस समय तहसीलदार को पावर्स थे और आबादी लैण्ड उनके पास में थी तो उन्होंने कितनी जमीन दी, और उसके बाद में जब पंचायतों के पास आई हैं तो उन्होंने भी नहीं दी, तो यह देखने की बात है कि प्लाट देने का जो सवाल है तो पहले से क्यों नहीं दिये गये, और आगे कैसे दिये जा सकते हैं? यह कैसे कहा गया है कि गांवों में जमीनें नहीं हैं। पंचायतों ने बहुत सी जमीनें निकालकर नीलाम की है। पाली जिले में तख्तगढ़ की पंचायत है तो वहां पर कितनी जमीन नीलाम हुई है, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कहीं भी जमीन नहीं दी गई है तो क्यों? पंचायत का कानून बना हुआ है पहले से ही। प्रश्न यह है कि पंचायत मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी इस बात को देखें कि पंचायतों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जिसका प्रावधान पहले से कानून में है उसको क्रियान्विति और उसका पालन क्यों नहीं किया गया, और उसका पालन अब आप कैसे कर सकते हैं? यह प्रश्न देखने का है। घोषणा से सन्तोष नहीं मिलने वाला है, सभापति महोदया। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय की घोषणाओं का इम्प्लीमेन्टेशन गांवों में किस प्रकार से हो सकता है इस बात को देखने का है।

दूसरी बात, सभापति महोदया, मैं फेमिन के बारे में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। वास्तव में राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बहुत ही भयंकर अकाल इस वर्ष भी पड़ा है। गत वर्ष भी अकाल था, और पश्चिमी इलाके के अन्दर बाड़मेर और जैसलमेर के अलावा पाली और जालौर और दूसरे कई इलाके जोधपुर के आते हैं। सभापति महोदया, इस अकाल के अन्दर राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से गये वर्ष के अन्दर जो कार्य किये थे और जिस रफ्तार के साथ लोगों को राहत दी थी, उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि इस

Page No 109

(श्री शंकरलाल)

सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, कुछ किया तो जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह पर्याप्त नहीं है। आज भी हमारे जिले में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 50 हजार मजदूर काम पर लगे हुए हैं, अकाल के कार्यों में लगे हुऐ हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी हैं जो मजदूरी के लिये तरसते हैं। उनको मजदूरी चाहिए और उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। यह बात ठीक है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि अकाल-सहायता के लिए जो 50 प्रतिशत केन्द्र से अनुदान मिलने की बात है वह राजस्थान के लिए मौजूं नहीं है, वह उसके लिए लागू करना ठीक नहीं है, और केन्द्रीय सरकार को 75 प्रतिशत अनुदान देना चाहिए अकाल में। मैं समझता हूँ कि हमारे इस सदन के माननीय सदस्यों को पुरजोर शब्दों में इस बात की मांग करना चाहिए। वास्तव में राज्यपाल महोदय ने इस तरह से उचित ही कहा है। हमें केन्द्रीय सरकार से इस बात की मांग करना चाहिए कि आप राजस्थान के लिए फेमिन के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दें 50 प्रतिशत के बजाय, क्योंकि राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है उसके जो कारण हैं वह हम जानते हैं, और यह कह सकती है सरकार की हमारे पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं हैं जगह जगह अकाल राहत कार्य खोलने के और खोलने की इच्छा होते हुए भी नहीं खोल सकते हैं। पर प्रश्न यह है कि हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस चीज को प्राथमिकता दी जाय। हमको इसको प्राथमिकता देना पड़ेगी और पहले से ज्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैं उन लोगों के लिए नहीं कहता हूं कि जिन लोगों को पेट में कुछ मिलता जाय और वे आन्दोलन करने को तैयार हैं, लेकिन जिनको खाने को नहीं मिल रहा है उनको रोज़ी-रोटी चाहिए, उनको मजदूरी चाहिए, उन लोगों को आप मजदूरी नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो। वे अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। हमको वित्तीय साधनों को जुटाना पड़ेगा उनको मजदूरी देने के लिए। जिनकी मजदूरी की मांग है उनको केवल इतना ही कहदें कि आपको इतनी ही मजदूरी दे सकते हैं, यह ठीक नहीं होगा।

सभापति महोदया, वित्तीय साधनों के कारण इस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है कि जिस परिवार के अन्दर 5 आदमी हों उनमें से दो आदमियों को मजदूरी दी जाय। यह भी ठीक हो सकता है, कोई बात नहीं है अगर दो आदमियों की मजदूरी से 25 आदमियों का पेट पल सकता हो उसमें इतने साधन हो सकते हों तो ठीक है, लेकिन सभापति महोदया, यह जो पालिसी है उसका एक्शन में होना बहुत ही नामुमकिन बात है। अगर किसी परिवार के पांचों आदमी लगे हुए हैं तो हम यह जाकर कहें कि क्यों लगाये तो यह हम नहीं कह सकते हैं। कई जगह पर लोग ऐसे भी लगे हुए हैं कि जिनका पूरे का पूरा परिवार लगा हुआ है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जिनके दो आदमी भी नहीं लगे हुए हैं, तो इसकी पालना में बड़ी कठिनाई होती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को अकाल राहत के अन्दर जो भी मजदूर काम करता है जो भी बिल्ट आदमी है, जो मजदूरी चाहता है, उसके परिवार में दो या

(श्री शंकरलाल)

तीन आदमी हैं अगर वे हाथ-पैर हिलाकर मजदूरी करना चाहते हैं तो उनको देनी चाहिए। आप सवा या डेढ़ रुपया परिवार के दो आदमियों को मजदूरी देते हैं वह स्थिति ठीक नहीं है। आपको पूरे परिवार के लोगों को जो काम करने वाले आदमी हैं उनको मजदूरी दी जाय चाहे बच्चों को मजदूरी मत दो। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन जो आदमी हाथ-पैर हिलाकर मजदूरी करना चाहते हैं उनसे यह कहें कि परिवार के दो आदमियों को मजदूरी देंगे और तीन आदमियों को नहीं देंगे यह ठीक नहीं है। विधान के अन्दर भी ऐसी स्थिति क्रियेट करने के मैं विरुद्ध हूं। जो भी आदमी अकाल पीडित है उसको काम और मजदूरी दी जानी चाहिए और उनके लिए मजदूरी के कार्य पूरे खोले जाने चाहिए। गत साल के अन्दर जो ऐतिहासिक कार्य हमारी राजस्थान सरकार ने अकाल राहत में किया है और जिस प्रकार से लोगों को मजदूरी दी है इस साल में उसके मुकाबले में बहुत कम कार्य खोले हैं और बहुत कम लोगों को मजदूरी दी है तो लोगों के अन्दर जिनको उस चीज के लिए सन्तोष था वह नहीं रहेगा। आपको जहां पर लोग काम करना चाहते हैं वहां पर उनको काम देना पडेगा।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सी जगहों पर, जैसे जैसलमेर में, काम को बन्द करके 10 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात करते हैं तो, सभापति महोदया, एक तरफ तो कहते हैं कि जनता का मनोबल ऊंचा होना चाहिए और जनता का मनोबल ऊंचा उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ 10 रुपये उनको घर बैठे फालतू देना चाहते हैं। बहुत से लोग तो इस तरह से लेना नहीं चाहते हैं लेकिन लेते इसलिए हैं कि भूखों मरता क्या नहीं करता है। वे चाहते हैं कि हमको मजदूरी दी जाय, काम दिया जाय। राजस्थान नहर में लोगों के ले जाये जाने पर लोगों ने मुखालफत की थी, मैं समझता हूं कि वह गलत मुखालफत की थी। हम चाहते हैं कि राजस्थान नहर का काम बहुत जल्दी पूरा हो। राजस्थान नहर एक राष्ट्रीय योजना है और राजस्थान को उसकी बहुत जरूरत है। अगर जैसलमेर के मजदूर वहां जाकर काम करते तो वह प्रोत्साहन देने की बात थी, लेकिन मुझे मालूम है कि सरकार के पास किसी प्रकार से यह आवाज आई है कि लोग जाने को तैयार नहीं हैं तो सरकार ने कहा कि घर बैठे ही उनको देंगे पैसा। सभापति महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनता के इस मनोबल को गिराने की बात करते हैं। आप मजदूरी दें और मजदूरी राजस्थान नहर पर दें और वहां पर उनको अपने साधनों से ले जायं और उनके रहने का प्रबन्ध करें और उनको नाज उपलब्ध करायें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान नहर जल्दी पूरी होगी और लोगों का मनोबल भी बना रहेगा।

सभापति महोदया, मैं एक बात इस अकाल के सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि उनके लिए धान की व्यवस्था नहीं है सभापति महोदया, यह जो सरकारी धान दिया जाता है तो सरकार का किस तरह धान है? जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको वह धान उसी रूप में मिलता नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत से आदमियों को, व्यक्तिगत डीलर्स को

Page No 111

(श्री शंकरलाल)

कोटा दे देते हैं। वह उनसे बहुत ऊंचे पैसे लेते हैं। उन मजदूरों से ज्यादा पैसे लेते हैं। सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में मैं एक-दो उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पाली जिले में गिरोलिया बांध बन रहा है। एक आदमी को वहां कोपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए हरतो मल को कोटा दिया गया। सभापति महोदया, हम वहां पर गये, ऐसे केम्पों पर हम मजदूरों से मिले तो सैकड़ों मजदूरों ने कहा कि जब कि इकसठ पैसे किलो ज्वार है, वह हमें रुपये किलो ज्वार देता है। जब आकर हमने कलेक्टर से इस बात को कहा, तो वास्तव में कलेक्टर ने उसका कोटा कैंसिल जरूर किया, लेकिन सवाल यह है कि हम लोग जब वहां गये तब यह बात मालूम हुई, उससे पहले क्या सरकार सोयी हुई थी, क्या उसको मालूम नहीं था। मेरा निवेदन है कि ऐसे आदमी का कोटा कैंसिल ही नहीं हो, उसका तो चालान होना चाहिए, ऐसे आदमी का प्रासीक्यूशन होना चाहिए जो गरीब मजदूरों से, जिन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है, काला बाजार करे और इकसठ पैसे की जगह से उनसे रुपया वसूल करे। सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं...

श्री विजयसिंह : सरकार है नहीं, करे कौन।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदया, सांडेराव में जो मीठड़ी नदी पर काम चल रहा है। उन लोगों को धान देने की बात है। मैंने उनसे धान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सांडेराव में जो मगराज डीलर है वह धान देता है। लेकिन वह गांव ऊजाना का रहने वाला है इसलिए दुकान चार बजे बन्द कर देता है। वह गांव उजाना से आता है और चार बजे दुकान बन्द करके चला जाता है जब कि मजदूरों की पांच बजे छुट्टी होती है। उसके बाद वह लोग दुकान पर जायं तो उनको धान नहीं मिलता है। उन लोगों ने कहा कि हमें धान लेने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, दूसरी जगह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नीमाज गांव है, जहां पर सोइल कन्जर्वेशन काम चल रहा है, बिलाड़ा के पास काम चल रहा है, वहां पर मैंने लोगों से पूछा था धान के बारे में तो वह यही कहते हैं। सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यह अच्छी बात है कि हमारे अकाल राहत मंत्री और खाद्य मंत्री जी एक ही व्यक्ति हैं, वहां पर धान के बारे में व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। जहां पर केम्प हैं, वहां पर सरकार की तरफ से धान उपलब्ध करने को बात कही जाती है तो जिलाधीश कहते हैं कि आप कोई आदमी लायें, जो धान बेचने वाला हो, धान तो बहुत है। जो धान बेचने वाला है, वह डीलर ही होता है, वह धान इसलिए नहीं बेचना चाहता है कि अगर वह धान लाकर दे देगा तो उसका अनाज कौन लेगा और उसको ज्यादा पैसे चार्ज करने का मौका कैसे मिलेगा। वह कहता है कि वह पैसे कैसे कमायेगा ज्यादा। इसलिए वह राज्य सरकार का धान लाकर मजदूरों को देने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह जो व्यक्ति को लाकर खड़ा करने का सवाल आता है वह पूरा नहीं होता है। सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सरकार का यह कर्तव्य है, सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों को उचित मूल्य पर धान दे और मजदूरों का शोषण करने वाला जो पूंजीपति और

(श्री शंकरलाल)
व्यापारी वर्ग है, जो मजदूरों का शोषण करता है, उनके इस शोषण से गरीबों को सरकार बचाये। मैं जहां भी गया हूँ अकाल राहत के कार्यों को देखने के लिए वहां पर धान के बारे में मजदूरों की यही शिकायत सुनने को मिली हैं। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है।

सभापति महोदया, मैं इस सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहूँगा। सरकार ने यह बताया कि सिंचाई का काम एक स्थाई काम है, वह हम हाथ में ले रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें सरकार को बधाई देनी चाहिए। वास्तव में जो इरिगेशन के वर्क्स हैं वह लिये जायं, जो सोइल कन्जेवशन के वर्क्स हैं वह हाथ में लिये जायं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो कि ट्यूब वेल की बात राज्यपाल महोदय ने कही है, जहां पर पीने के पानी की दिक्कत हैं वहां पर ट्यूब वेल खोदने की बात कही। हमने इस सम्बन्ध में अकाल राहत मंत्री से बात की तो मालूम हुआ कि ट्यूब वेल का पानी पीने के लिए तो दिया जा सकता है और पीने के पानी के लिए ट्यूब वेल की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन सिंचाई के लिए ट्यूब वेल बनाने की व्यवस्था फेमिन वर्क में नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, सड़कें हैं उनको ग्रेवल से पक्का कराने का कार्य है वह स्थाई कार्य है, सड़कों को पक्का करवायें, दूसरे सी डी. के कार्य करायें, लेकिन ट्यूब वेल सिंचाई के लिए लाभदायक हो सकते हैं, उनके द्वारा खेती अधिक हो सकती है, उत्पादन अधिक हो सकता है तो ट्यूब वेल सिंचाई के लिए क्यों नहीं बनाये जायं? मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोरावा गांव है, जिसके लिए अन्डर ग्राउन्ड बोर्ड की स्वीकृति आई है, और माननीय खेत सिंह ने सूचित किया कि इस एरिया में ट्यूब वेल लग सकता है, उससे जमीन की सिंचाई हो सकती है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि फेमिन के कार्य के अन्दर उस ट्यूब वेल को नहीं ले सकते, सिंचाई के लिए ट्यूब वेल के काम को फेमिन कार्य में नहीं ले सकते...

श्री भैरोंसिंह : आपके जिले में नहीं लिया है लेकिन जोधपुर में डीजल सेट को इस कार्य में मान लिया है।

श्री शंकरलाल : मुझे जो अनुभव है, वह मैं बता रहा हूँ। जोधपुर की बात है...

श्री परसराम मदेरणा : सिंचाई के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सौ ट्यूब वेल का प्रावधान है। वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डील करता है। खेतसिंह जी को पता होगा किसी ट्यूब वेल का प्रावधान है। पिछले साल तीन-चालीस ट्यूब वेल खुदवाये इरिगेशन के कार्य के खुदवाये।

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर वाले बाद में बने हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो माननीय सदस्य कह रहे है...

श्री विजयसिंह : प्रावधान तो है लेकिन अमल की कमी है।

श्री परसराम मदेरणा : फेमिन में जो कार्य करते हैं उसमें कई स्कीम हैं और कई डिपार्टमेन्ट के द्वारा होती हैं। मैं समझता हूं...

श्री भैरोंसिंह : डीजल सेट काहे में दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोनसा ?

श्री भैरोंसिंह : जो जोधपुर में, कुओं के लिये दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : लगा दिया है।

श्री भैरोंसिंह : लगा नहीं, पैसा दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : उसका मुझ से सम्बन्ध नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइप लाइन की स्कीम है।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं है, कुओं के लिए डीजल सेट के लिए रुपये का प्रावधान किया है, वह मांग रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कुएं खोदेंगे तो पम्पिंग सेट लगायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : लगायेंगे नहीं, एग्जिस्टिंग वालों के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : वहां निश्चित रूप से, पम्पिंग लगायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में और जिलों से मांग हो रही है। वहां न देकर, जोधपुर में डीजल सेट देना उचित नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उनको सत्य की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य सदन में वैसे गलत बात नहीं कहते, लेकिन जोधपुर वालों के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। आपके पास सूचना नहीं है। थोड़ी देर बाद बात कर लें, कितने डीजल सेट जोधपुर में दिये हैं, राजस्थान में दिये हैं, मैं निश्चित तौर पर बता दूंगा। फेमिन में सेट लगाये गये हैं। डीजल सेट का कहते हैं, तो जोधपुर में तो बहुत कम होंगे, दूसरे जिलों में ज्यादा होंगे।

श्री भैरोंसिंह : (खेतसिंह के खड़े होने पर) जोधपुर में, शेरगढ़ में नहीं। आपको शेरगढ़ से मतलब है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इस बात को स्वीकार किया गया कि अकाल के अन्दर इन, ट्यूब वल्स को अभी तक नहीं लिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ट्यूब वैल का काम हाथ में लिया जाना चाहिए जिससे सिंचाई के साधनों में वृद्धि हो।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा अपना कर्त्तव्य समझ कर कि बहुत से अकाल राहत कार्यों में, यह बात ठीक है, राज्य सरकार द्वारा जो मुख्य मन्त्री कोष के लिए, अकाल के अन्दर सहायता के नाम से पैसा इकटठा किया जाय उसके लिए मुख्य मन्त्री कोष की रसीद दी जाय, नियमानुसार यह ठीक है, लेकिन कई जगह अकाल सहायता के नाम से मजदूरों से पैसा इकट्ठा किया जाय, एक एक रुपया दो-दो रुपये कि तुम्हें यह अकाल सहायता में देना पड़ेगा, या कहीं पर काम खोलने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है—उनके सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार के द्वारा यह आदेश होने चाहिए कि सिवाय गवर्नमेंट आथोरिटी के दूसरा कोई व्यक्ति मजदूरों से चन्दा इकट्ठा न करे।

(श्री शंकर लाल)

दूसरी एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदया, मुझे तब बहुत दुःख हुआ जब कल कुछ मजदूर मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि उनके पास तहसीलदार आये और उन्होंने कहा कि तुम्हें लॉटरी के टिकिट लेने पड़ेंगे। मजदूरों ने कहा कि हमें आज मजदूरी चार दिन की मिली है, सात दिन की मिली है। हम लोग टिकिट लेकर क्या करें? तो उनको कहा कि तुम लखपति बन जाओगे। उन्होंने कहा कि लखपति बनने की बात तो ठीक है, लेकिन हमें लखपति नहीं बनना है, हमें लॉटरी के टिकिट नहीं खरीदने हैं। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है, अगर कोई अपनी इच्छा से खरीदे तो कोई बात नहीं लेकिन उनको तहसीलदार द्वारा यह कहा जाय कि लाटरी के टिकिट खरीदने पड़ेंगे। पाली तहसील में हेमावास के बांध पर मजदूर काम कर रहे हैं, जिनको मजदूरी चुकाई गई परसों, और उनको लॉटरी के टिकिट जबरन दिये गये। उन मजदूरों ने आखिर तक शिकायत की है...

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर): सभी जगह कर रहे हैं। जबरन दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह: कांग्रेस के लिये चन्दा भी इसी तरह इकट्ठा करते हैं।

श्री शंकरलाल: यह गलत बात है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: वहां ही लेते हों वह बात नहीं है। मोटरों में सब जगह लेते हैं। बस वालों से लेते हैं। रजिस्ट्री कराने जाओ तो वहां लेते हैं।

श्री शंकरलाल: मोटर बस वालों से लें। ट्रैक्टर वालों से लें। दुकानदारों से लें। एक्साइज वालों से लें। यह ठीक है लेकिन जबरन नहीं लेना चाहिए। जिनके पास में पैसा है वह दे सकते हैं। लेकिन गरीब मजदूर जिसको थोड़ी सी मजदूरी मिलती है, जो फेमिन कार्य में काम कर रहे हैं और उससे अपने परिवार को भी नहीं खिला सकते, उनको कहें कि लॉटरी का टिकिट लेना पड़ेगा—यह गलत है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: लें, कैसे कह दिया। जबरन लॉटरी के टिकिट खरीदें, जबरन एक्साइज वाले टिकिट खरीदवायें, जबरन सेल्स टैक्स वाले लॉटरी के टिकिट खरीदवायें...

श्री मनोहर सिंह मेहता: यह उतना ही पाप है।

श्री शंकर लाल: यह मुझे पता नहीं है। मैं फेमिन के कार्य की बात कर रहा हूं। फेमिन कार्य में काम करने वाले मजदूरों ने कहा वह बात कह रहा हूँ।

आप आम तौर पर लॉटरी की बात कह रहे हैं, वह अलग है। पर मैं तो इस समय मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जबरदस्ती उनको लॉटरी के टिकिट खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है। उसके सम्बन्ध में कह रहा हूं। मजदूरों को इस प्रकार जबरदस्ती लॉटरी के टिकिट नहीं दिये जाने चाहिए...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): जरा यह भी बता दीजिए कि बीकानेर के अकालग्रस्त क्षेत्र से 55 हजार की थैली माननीय सुखाड़ियाजी के लिये किस तरह से मिली?

श्री शंकरलाल: उसका मुझे पता नहीं।

(श्री शंकर लाल)

मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर अकाल राहत के काम खोलते हैं, जहां अकाल का क्षेत्र है, वहां आसपास में शराब की दुकानें भी नहीं होनी चाहिये। सांदेराव में शराब की दुकान का माननीय सदस्य ने बताया, मुझे मालूम नहीं है, अगर वहां शराब की दुकान है तो वह नहीं होनी चाहिए। फेमिन में काम करने वाले मजदूर हैं, वे शराब का व्यसन नहीं ले सकें, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राज्यपाल महोदय ने समाजवादी नीतियों की घोषणाएं अपने अभिभाषण में कीं, उनको लागू करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए।

इसके साथ ही मैं कुछ बातें सिंचाई के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा सिंचाई की जो योजनाएं बनाई गई हैं, सिंचाई के जो बांध बने हैं, उन बांधों से जो पानी का बंटवारा होता है, जिस तरह से जमीनों के बंटवारे की बातें करते हैं, उसी तरह से पानी का बंटवारा भी इस तरह से होना चाहिए कि जिससे छोटे किसानों को लाभ मिले। इसके विपरीत हमारे यहां जवाई बांध है, हेमावास का बांध है, वहां यह कहा जाय कि 20 पर्सेंट पानी देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन छोटे काश्तकारों के पास 5-5 बीघा जमीन है, उन किसानों को आप केवल आधा बीघा में ही पानी देंगे। दो सो बीघा जमीन जिसके पास है उसको इस हिसाब से कितना पानी मिलेगा यह आप हिसाब लगा लें, पर आपकी इस प्रकार की व्यवस्था से जिनके पास पांच-पांच बीघा जमीन है, उनको कितना पानी मिलेगा, जो टेल पर रहते हैं, जिनके पास पांच-पांच, दस-दस बीघा जमीनें हैं, उनका पानी अगर इस पर्सेंटेज से काट दिया जाता है तो यह गलत है। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इरिगेशन के मामले में सरकार को यह नीति अपनानी चाहिये कि जिस काश्तकार के पास पांच बीघा जमीन है, जिस काश्तकार के पास 10 बीघा जमीन है, उसको पानी देने में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायगी। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं उनको आप पानी अपने इस पर्सेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं। जिस के पास 200 बीघा जमीन है उसको आप भले ही 50 बीघा में पानी दें पर जिन काश्तकारों के पास 5 बीघा या 10 बीघा जमीनें हैं, उन लोगों के लिये इस प्रकार का पर्सेंटेज मुकर्रर कर दें तो यह समाजवाद कहां रहा? इसमें आपको समाजवादी नीति अपनानी पड़ेगी। छोटे छोटे काश्तकारों को पूरा पानी देना पड़ेगा, तभी सही मानें में समाजवाद होगा। तो यह समाजवादी नीति आपको इरिगेशन के सम्बन्ध में अपनानी पड़ेगी। हमारे यहां जो रायपुर का बांध है, उस रायपुर बांध का पानी बड़े-बड़े काश्तकारों को दे दिया, छोटे-छोटे काश्तकार चिल्ला रहे थे, अकाल राहत मंत्री जी भी वहां आये थे, आपको मालूम है कि वे लोग चिल्ला रहे थे। तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि पानी छोटे-छोटे काश्तकारों को पूरा मिल जाना चाहिये, ज्यादा जमीन हैं, उनको कम पानी मिले, इस प्रकार की समाजवादी नीति हमें इसमें अपनानी पड़ेगी।

दूसरे, सभापति महोदया, मैं कहना चाहता था कि गंग कैनाल क्षेत्र में और

(श्री शंकर लाल)

दूसरी जगह बांध है उन क्षेत्रों में जो रेट्स हैं उन पर सरकार को ध्यान देना होगा, आज गंग केनाल में कम रेट्स हैं और दूसरे बांधों के क्षेत्रों मे रेट्स ज्यादा हैं यह क्यों है? वहां के किसान दबे हुए हैं और आवाज नहीं उठा सकते इसलिए उनसे ज्यादा रेट्स वसूल की जायं यह तो किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। तो ये रेट्स एक जगह कम और दूसरी जगहों पर ज्यादा हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा।

सभापति महोदया, मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग लागू कर रहे हैं, यह ठीक है पर बड़े-बड़े टैंक्स, बड़े-बड़े बांध आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बने हुए हैं, व्यक्तिगत सम्पत्ति मान लिये गये हैं। सरकार तालाबों को, बांधों को व्यक्तिगत सम्पत्ति माने, उदाहरण के लिये मैं बताऊं, भीवाज का चतरसागर बांध है, वह व्यक्तिगत सम्पत्ति है। बांध और तालाब जब व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं तो फिर कौनसी जागीरें खत्म कीं। वैसे तालाब, बांध जिनसे जमीन की सिंचाई हो वे व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं माने जाने चाहिये। सीलिंग में उनका रिजम्शन कर के एक्वायर करने की कार्यवाही करनी चाहिये। तालाबों और बांधों के व्यक्तिगत सम्पत्ति में होने के कारण आज छोटे-छोटे किसानों का मनमाने तरीके से शोषण किया जाता है, एक व्यक्तिगत बांध से कितनी सिंचाई ली जाती है इस पर आपको ध्यान देना चाहिये और कई तालाब, कई बांध व्यक्तिगत सम्पत्ति में रह गये हैं, उनका आपको राष्ट्रीयकरण करना होगा।

सभापति महोदया मैं केवल एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वास्तव में मैंने कुछ अधिक समय लिया है; उसके लिए क्षमा चाहता हूं। समाजवाद में किसानों पर, जमींदारों पर सीलिंग की बात कहें, किसान कहते हैं कि अरबन प्रॉपर्टी पर सीलिंग क्यों नहीं करते? यह ठीक है कि यह केन्द्र का प्रश्न है, शहरी सम्पत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार कानून बनाये पर हम विधान सभा में आवाज उठा सकते हैं कि भूमि का सीलिंग करते हैं उसी प्रकार शहरों में भी सम्पत्ति पर सीलिंग होना चाहिए। आज यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि एक आदमी के पास चार-पांच बंगले हों और एक आदमी पटरी पर सोये? यह कैसा समाजवाद? राजस्थान को इस मामले में पहल करनी चाहिए और विधान सभा के सदस्यों को इस बारे में पुरजोर मांग करनी चाहिए कि अरबन प्रॉपर्टी का सीलिंग होना चाहिये, तभी हम समाजवाद का मकसद पूरा कर सकते हैं।

सभापति महोदया, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कई बार देखते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी है, पटवारी है इरिगेशन का, तनख्वाह उसकी डेढ़ सौ, दो सौ रुपये, आज उसके पास 7 प्लाट्स वाली में हैं, उसके पास मकान है, उसके पास जीप है कहां से आई उसके पास इतनी सम्पत्ति? जिसको 100 तनखावाह मिलती है, परिवार में 10 बाल बच्चे हैं, उसके पास कहां से लाखों की संपत्ति आई? कहां से आई उसके पास मोटर? कहां से आया उसके पास रेडियो आया? सरकार को यह सब देखना पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का कानून बनाये, और उसको जल्दी लागू करे कि जिस सरकारी कर्मचारी के पास आमदनी से ज्यादा सम्पत्ति है तो उसको

(श्री शंकर लाल)

पूरे सबूत पेश करने के लिए कहा जाय कि उसके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आई ?

एक माननीय सदस्य : इसमें मंत्रियों को शामिल कर लें ।

श्री शंकरलाल : मंत्री तो मन्त्री इससे दूर हो सकते हैं और न कोई भी सरकारी कर्मचारी । कोई भी सरकारी कर्मचारी है, उसके पास आमदनी से ज्यादा सम्पत्ति है तो इसे भ्रष्टाचार माना जावे। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं तो साबित करें । आपकी आंख फूटी है क्या? जो कहते हैं कि आप साबित करें । वही साबित करे कि कहां से वह इतनी प्रॉपर्टी लाया, कहां से इतना बड़ा मकान बनाया, कहां से रेडियो लाया, कहां से मोटर लाया कहां से जीप लाया ?

श्री मनोहरसिंह महता (मांडलगढ़) : बहुत अच्छे ।

श्री शंकरलाल : इस लिये सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, जितनी उन कर्मचारियों की आमदनी है उससे ज्यादा आमदनी है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उनको ब्योरा देने की बात की जाय, उनसे कहा जाय कि आप यह साबित कीजिये कि इतनी प्रॉपर्टी आपके पास कहां से आई, वरना उन पर अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार से सम्पत्ति बनाने का आरोप लगाया जाय ।

सभापति महोदय, मैंने काफी टाइम ले लिया है, जो घोषणाएं राज्यपाल महोदय ने की हैं, वास्तव में उनको इम्पलीमेंट कर लिया जाता है, क्रियान्वित कर लिया जाता है तो वास्तव में सहृदय धन्यवाद के पात्र रहे हैं, वह सार्थक है । धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो घोषणाएं सीलिंग की या दूसरी की गई हैं उनको समय पर जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाय ।

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : सभापति महोदय, इस सरकार की कथनी और करनी में प्रायः अन्तर देखा गया है, इसलिए इस सरकार की घोषणाओं का आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता । 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध जब चल रहा था, उन दिनों हमारे मुख्य मंत्री ने सेवारत सैनिकों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को भूमि संबंधी अलाटमेंट के लिए सुविधायें देने की घोषणा की थी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है वह केवल भुलावा मात्र थी; और कोई सेवारत अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूमि एलॉट नहीं की गई । इसी प्रकार सदन को पूरी जानकारी है कि 1967 के आम चुनाव के बाद जब इस विधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि छोटी जोत वाले किसान लगान से मुक्त किए जायेंगे । इससे जनता में आशा उत्पन्न हुई, लेकिन इस सरकार ने उस घोषणा को वापस ले लिया, जिसको हम थूककर चाटने के बराबर की संज्ञा दे सकते हैं । फिर भी इस सदन में राज्यपाल महोदय द्वारा कुछ घोषणायें की गई हैं । अगर ये घोषणायें केवल कागज पर ही न रह जायें और सरकार उनको दृढ़ता से पालन कराए तो मैं उन घोषणाओं का स्वागत करता हूं ।

(मेजर श्री फतेहसिंह)

सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि छोटे किसानों को ऋण सुविधा दी जायगी। उसमें कहा गया है कि 5 एकड़ तक सिंचित और 15 एकड़ तक असिंचत भूमि वाले किसानों को बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध की जायगी और इसकी संपूर्ण गारन्टी सरकार देगी लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि सरकार ने इस योजना के अधीन केवल 7 करोड़ रुपये तक की गारन्टी देगी इस वर्ष और यह मालूम है सबको कि किसानों की संख्या अधिक है जिनके पास 5 एकड़ सिंचित भूमि है अथवा 15 एकड़ असिंचित भूमि है और केवल 7 करोड़ तक गारंटी देने का निश्चय किया है। इसलिए मुझे भय है कि कहीं सरकार दलबंदी के आधार पर तो ऋण उपलब्ध नहीं कराएगी? इसलिए मै सरकार से खास तौर से आश्वासन चाहूँगा कि ये जो ऋण दिये जायेंगे, इनमें कोई राजनैतिक आधार तो नहीं होगा।

साथ ही सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को, भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क गृह निर्माण के लिए प्लाट्स उपलब्ध कराये जायेंगे। यह घोषणा तो आपने आपमें ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इन जातियों के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है? ऐसे कितने भूमिहीन हैं जिनको आप भूमि या प्लाट्स देना चाहते हैं....

श्री दौलतराम सारण: इस सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

मेजर श्री फतेहसिंह: अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी घोषणा की गई है। कल जब मैं बाहर से लौटा तो मुझे यह पर्चा भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, कालाबादल, द्वारा निकाला गया, मिला। उनसे आज सुबह मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और वह आज इस बात को लेकर सत्याग्रह करने जा रहे हैं कि कोटा में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनना चाहिए। पिछले 10 वर्ष से उनकी मांग है कि उनको भूमि उपलब्ध कराई जाय छात्रावास बनाने के लिए लेकिन अभी तक वहां भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई और इस संबंध में विधान सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है, सरकार द्वारा आश्वासन भी दिये जा चुके हैं लेकिन वह भूमि उनको छात्रावास बनाने के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि यह घोषणा केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए और राजनैतिक ढकोसला मालूम पड़ती है। खैर, फिर भी अगर सरकार वाकई इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए फेतफुल है, तो प्लाट्स उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, इन प्लाट्स पर मकान बनाने के लिए सरकार ऋण देने की भी व्यवस्था करे ताकि मकान इन प्लाट्स पर बना सकें।

साथ ही यह सुविधा सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों को भी मिलनी चाहिए जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो।

एक घोषणा और की गई है वह अपने आप में ठीक मालूम पड़ती है कि सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि

(मेजर श्री फतेहसिंह)

नीलाम नहीं की जायगी। साथ में यह भी कहा गया है कि आरक्षित मूल्य पर अलॉट की जायगी और इसमें अनुसूचित जाति व जनजातियों को प्राथमिकता दी जायगी। तो यहां पर भी मुझे भय उत्पन्न होता है। घोषणा का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस भूमि को एलाट करने में भी आप राजनैतिक दलगत नीति नहीं अपनायें और यह सुविधा भी भूतपूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों को भी उपलब्ध करायें। जहां मैं सैनिक की बात कहता हूं तो सैनिक से मेरा मतलब उन लोगों से है जो पुलिस में भी सेवा कर रहे हैं आर. ए. सी., आर. ए. पी. व सी. आर. पी. में काम कर रहे हैं। इन सबको उपलब्ध कराना चाहिए।

इस अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया है कि ब्यावर में शायद नगर जल प्रदाय योजनाओं को स्थाई बनाने के लिए कुछ सुधार किए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर एक नगर है जिसमें 65,000 जनसंख्या है और सारे राजस्थान में आबादी के हिसाब से उसका नवां स्थान है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा 3 दिसम्बर, 1969 को लिया गया, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले तक कोई भी काम इस जल-प्रदाय योजना को सुचारु रूप से चलाने का, कुआ खोदने या पुराने कुओं को गहरा कराने का हाथ में नहीं लिया गया। इससे साबित होता है कि सरकार सीरियस नहीं है इस योजना को सफल बनाने के लिए। इसलिए ब्यावर नगर की जो जल योजनायें हैं, वह बड़ी डिफेक्टीव हैं, ब्यावर की जनता को पानी पूरा उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए तत्काल इस काम को हाथ में लिया जाय, पुराने कुओं को गहरा किया जाय और नए कुओं के खोदने की व्यवस्था की जाय।

राज्यपाल महोदय इस बात को मानते हैं कि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और इसके वित्तीय साधन कम हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो राज्यपाल कहते हैं कि वित्तीय साधन कम हैं और हम सब जानते हैं कि अकाल से प्रभावित जनता को रोजी रोटी पूरी देने में भी यह सरकार अपने आप को असमर्थ पा रही है लेकिन साथ में इस अभिभाषण में जिक्र आया है, और हम देख रहे हैं कि इस सदन के इस भवन का रिनोवेशन भी हो रहा है....

(3 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जब हमारी जनता रोटी रोजी के लिए त्राहि त्राहि करती हो, उस समय लाखों रुपए लगाकर इस भवन का पुनर्निर्माण कराना, मैं बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कह सकता। हम लोग पिछले 20 वर्ष से इस भवन से काम चलाते आ रहे थे। कुछ समय के लिए जब तक हमारी वित्तीय स्थिति नहीं सुधरती तब तक हम इसी हाल से और इन्हीं सुविधाओं से काम कर सकते थे। जो काम किया जा रहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। केवल अपनी ओर से ही नहीं, ये बातें मैंने आम जनता से सुनी हैं कि जहां गरीब लोग रोटी-रोजी के लिए चिल्ला रहे हैं और यहां पर हम इन सुविधाओं को सुधारने की बातें कर रहे हैं।

Page No 120

(मेजर श्री फतेहसिंह)

सभापति महोदय, जहां अधिक खर्चे का प्रश्न है, एक तरफ अकाल का सामना कर रहे हैं। हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी है। जहां वित्तीय साधनों की कमी मैं यह समझता हूँ यह हाथीनुमा राजस्थान सरकार का यह मंत्रिमण्डल न रहे और इस आकार को कम किया जाय ताकि यह पैसा अकाल सहायता के लिये लगाया जा सके। सभापति महोदय, आज राज्य सरकार, यह मन्त्री परिषद खर्चे को कम करने के लिये छोटे 2 राज्य कर्मचारियों की कमी करने की सोचती है, चपरासी को, कान्स्टेबल को और इन छोटे 2 कर्मचारियों को लेकिन इस व्हाइट एलीफेन्ट इस कैबिनेट के आकार को कम करने की कमी नहीं सोचती है।

सभापति महोदय, राजस्थान को इस दूसरे वर्ष भी भयंकर अकाल का सामना करना पड़ रहा है। गये साल भी अकाल का सामना करना पड़ा। उस वक्त जिस तत्परता से सरकार ने और अकाल सहायता मन्त्री ने काम किये उसके लिये इन्हें बधाई तो देना अपना कर्तव्य समझता हूं लेकिन इस साल जो अकाल सहायता कार्य चल रहे हैं वे सर्वथा अपर्याप्त है। सभी गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से नये नियम बनाये गये हैं कि जिस परिवार के पांच सदस्य होंगे उनमें से केवल दो को रोजगार दिया जावेगा। जिस परिवार में 8 सदस्य होंगे उनमें से तीन तक को रोजगार दिया जावेगा और जिस परिवार में दस सदस्य होंगे उनमें से चार तक को रोजगार दिया जावेगा। जहां तक अजमेर जिले का प्रश्न है और दूसरे भागों का प्रश्न है मैं इस नियम को ठीक नहीं समझता हूं। सरकार को फैसला करना चाहिये कि अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाय। मैंने तो लोगों को, सभापति महोदय, यह भी कहते हुए सुना है कि हर क्षेत्र म रोजगार सब को मिले। डेढ रुपया मर्द और सवा रुपया औरत को देते है, चाहे इसमें कम कर दिया जाय लेकिन रोजगार अधिक से अधिक लोगों को दिया जाय।

सभापति महोदय, इन अकाल सहायता कार्यों को चलाने अथवा किसी काम में, कितने मजदूरों की संख्या हो इसमें भी पक्षपात और राजनैतिक आधार सामने आता है। दिसम्बर की 7 तारीख को यदि मैं गलती नहीं करता हूं अकाल सहायता मन्त्री महोदय मदेरणा जी ब्यावर पधारे थे, उस वक्त आपकी जानकारी में भी यह बात लायी गयी थी। अजमेर जिले से मिलता हुआ या यों कहिये ब्यावर क्षेत्र से मिलता हुआ भीम क्षेत्र पड़ता है वहां पर मजदूरों की संख्या बहुत थी। हमारे यहां एक सड़क पर काम हो रहा था वहां पर 1400 व्यक्तियों को काम दिया जा रहा था जब कि नजदीक का क्षेत्र है जहां की स्थिति वैसी है जैसी यहां पर है वहां एक सड़क पर 3700 व्यक्तियों को यानि बोरवा सड़क पर काम दिया जा रहा था। इसको मैं पक्षपात नहीं समझूं तो क्या समझूं? एक तरफ आप समाजवाद लाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पुनीत कार्यों में भी क्षेत्रीय भावना लाते हैं। अजमेर जिले में सिर्फ 100 गांव ऐसे है जो अकाल से पीडित नहीं हैं। करीब हजार गांव ऐसे हैं जो अकाल से पीड़ित हैं। एक तरफ अजमेर जिले में 23 हजार काम

Page No 121

(मेजर श्री फतेहसिंह)

पर थे दूसरी तरफ 50 हजार उदयपुर जिले में काम पर थे। जो कुछ उदयपुर में हो रहा है उसका मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की सुविधायें दूसरे स्थानों को भी प्राप्त करायी जायं।

श्रीमान्, आपके माध्यम से मैं अकाल सहायता मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ब्यावर क्षेत्र में पिछले साल अकाल सहायता के काम चलाये गये थे। जो अधूरे पड़े हैं। सुरेघाटा फीडर। उसको इसलिये पूरा नहीं किया जा रहा है क्योंकि माननीय व्यास जी ने अथवा लड्ढा जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि वह फीडर खुद जावेगी और राजावास तालाब में पानी आजावेगा तो पाटन को नुकसान पहुंचेगा। ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अकाल सहायता मन्त्री महोदय इस बात की जांच के लिये चाहें तो इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर करें और इस बात पर निर्णय दें कि इस फीडर के बनाने से पाटन के तालाब को नुकसान पहुँचता है क्या पानी का? तो ऐसी बात नहीं है।

अभी माननीय शंकरलाल जी कह रहे थे कि अकाल सहायता कार्यों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे स्वयं को जानकारी है। गये साल अकाल सहायता कार्य चालू थे। 31 अगस्त को कुछ चुकारे शुरू किये गये। वहां पर मैं गया तो मुझे कहा कि वहां के रहने वाले को नहीं खारवी के रहने वाले हैं उनको झूठी हाजरी भरी गई। इस साल झूठी हाजरी का सवाल नहीं है लेकिन लोगों से यह कह कर कि अकाल सहायता कार्य बन्द हो रहे हैं लोगों से चन्दा करते हैं प्रति परिवार पांच रुपया वसूल करते हैं और सारा पैसा राज्य कर्मचारियों की जेब में जाता है। काम तो खुलने वाले हैं लेकिन इस नाम से पैसा जाता है। मैंने यहां तक सुना है कि दिसम्बर में सुखाड़ियाजी आने वाले हैं उनको यह भेंट करने वाले हैं इसलिए जवाजा, तारागढ़ क्षेत्र में कितने ही व्यक्तियों से पांच पांच रुपया वसूल किया गया। मैंने बी. डी. ओ. और एस. डी. ओ. आदि से रिपोर्ट की कि यह कहा जाता है कि सुखाड़ियाजी को थैली भेंट की जाने वाली है। लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। श्रीमान गीता में कहा है।

'परित्राणाय च साधुनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्।'

साधु पुरुषों की रक्षा करना और दूषित कर्म करने वाले पापियों को दंड देना यह प्रशासन का मुख्य लक्ष्य माना गया है, लेकिन हमारा प्रशासन बिल्कुल इसके प्रतिकूल काम कर रहा है। यह शासन बिलकुल निरंकुश हो गया है। जनता की कोई पुकार नहीं सुनी जाती है। जनता के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन यह क्यों हो रहे हैं? आप सब जानते हैं कि जयपुर में गोलीकाण्ड हुआ। बेरी कमीशन की नियुक्ति हुई। बेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। कई पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया लेकिन सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इससे कई पुलिस अधिकारियों को गलत काम करने और जनता को सताने में प्रोत्साहन मिला है। मैं इसको यहीं तक नहीं छोड़ कर कुछ उदाहरण देना उचित समझूंगा। श्रीमन्,

(मेजर श्री फतेहसिंह)

तारीख 10 सितम्बर, 1969 को टाडगढ़ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के शांत प्रदर्शन पर टाडगढ़ पुलिस के हैड कॉन्स्टेबल श्री रामनारायण ने गोली चलायी। वह गोली क्यों चलायी? इसकी मैं कुछ कहानी बताना चाहता हूं। पुलिस वाले एक महिला और एक मर्द को 8 सितम्बर की शाम को गांव से बुलाकर थाने ले जा रहे थे। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है जहां पर टी स्टाल है। वहां पर वह महिला और वह मर्द चाय पीने बैठ गये। इस पर जो कॉन्स्टेबल साथ था वह गालियां बकने लगा। उस पर वहां जो एक अध्यापक बैठे हुए थे उन्होंने ऐतराज किया। उन अध्यापक का नाम श्री नंगासिंह है जो सेकण्ड ग्रेड टीचर हैं, उन्होंने आपत्ति की। कॉन्स्टेबल जब महिला और मर्द को लेकर चला गया तो पीछे पीछे वे मास्टर साहब भी उनके साथ थाने पर पहुँचे और उन्होंने जो वहां पर ड्यूटी पर हैड कॉन्स्टेबल थे श्री रामनारायण उनसे शिकायत की कि इस कॉन्स्टेबल ने इस महिला और मर्द के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जो गलत है। उस पर हैड कॉन्स्टेबल ने न आव देखा न ताव मास्टर साहब को जूतों से लातों से और घूसों से बहुत मारा पीटा। उसको टाडगढ के सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने आकर छुड़ाया। मुझे भी इस बात का पता चला कि नंगासिंह को थाने में बहुत बेइज्जती की गई। वह बेचारा शर्म के मारे दूसरे रोज स्कूल भी नहीं गया। 10 सितम्बर को वह स्कूल गया। विद्यार्थियों को तो पहले ही खबर लग गई थी कि उनके मास्टर साहब को हैड कॉन्स्टेबल ने मारा है। विद्यार्थी जुलूस बनाकर थाने पर गये वह उनका शान्त प्रदर्शन था उन्होंने कहा कि हैड कॉन्स्टेबल बाहर आवे और मास्टर साहब से माफी मांगे। हैड मास्टर मकान पर था। भीड़ इकट्ठी हुई देखकर अपने मकान के अन्दर से उसने ट्वेल्व बोर गन से गोली चलायी जिससे छः विद्यार्थी घायल हुए। उन घायल विद्यार्थियों को अस्पताल में भरती किया गया जो एक महीने बाद जाकर वहां से रिलीव हुये। जब मुझे इस घटना को जानकारी मिली तो मैं 10 तारीख को वहां पहुँचा। उस समय तक ए. एस. पी. और एस. पी. तक पहुँच गये थे वहां जनता हजारों की तादाद में इकट्ठी हो चुकी थी। जनता चाहती थी कि हैड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार किया जाय और उसके हथकड़ी डाली जाय, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस समय किसी तरह मैंने जनता को समझाया और मैंने उनसे कहा मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस घटना के बारे में मैं सरकार से न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन मैं अबतक भी उनको न्याय नहीं दिलवा सका। जनता के बहुत दबाव के कारण उस हैड कॉन्स्टेबल को उस घटना के तीन चार दिन बाद कागजों में गिरफ्तार किया गया और अदालत के सामने पेश किया गया उस पर पी. एस. आई. ने विरोध नहीं किया। उल्टा मजिस्ट्रेट को कह दिया गया कि इसकी इन्क्वायरी पूरी हो गई है 107 के अन्तर्गत मुकदमे में जमानत दे दी गई। मेरे बार-बार निवेदन करने पर भी, सभापति महोदय, उस मुकदमे की तफतीश भी शुरू नहीं हुई है। इसलिए सभापति महोदय, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं डागा जी, शंकर लालजी और चौधरी साहब से कि जो आप कहते हैं कि जनता को आन्दोलन करने का

(मेजर श्री फतेहसिंह)

अधिकार है वायोलेण्ट होने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब सरकार की ओर से सुनवाई न हो तो जनता के सामने क्या रास्ता खुला हुआ है ? मैं इसके साथ-साथ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 11 तारीख को मुख्य मंत्रीजी टाडगढ आने वाले थे। अच्छा हुआ नहीं आये। वहां पर हम लोग और जनसंघ वाले उनको काले झण्डे बताते, उनके खिलाफ काले झण्डों का प्रदर्शन होने वाला था। अगर जनता के साथ इसी प्रकार से दुर्व्यवहार होता रहा तो जनता शान्त रहने वाली नहीं है, उससे अशान्ति पैदा होगी फिर उस पर सरकार का नियन्त्रण नहीं रह पायेगा ...

श्री विजयसिंह : वहां पर जूते भी दिखा सकते थे।

मेजर श्री फतेहसिंह : इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं। 12-11-69 को बेलेबल ऑफेन्स में ब्यावर के नागरिकों की गिरफ्तारी की गई। वह इसलिए कि जसराज के छोटे भाई नरेन्द्र कुमारजी को किसी ने पीटा है। 323/147 के अन्तर्गत केस दायर किया गया जो बेलेबल ऑफेन्स है। जसराज जी का उस थानेदार पर प्रेशर आया उन्होंने वहां के नागरिकों को हवालात में बन्द कर दिया। उनको जमानत नहीं ली गई। ब्यावर शहर में कुछ नागरिक मेरे पास आये और कहने लगे मेजर साहब आपके इस क्षेत्र में पुलिस अत्याचार कर रहो है। बेलेबल ऑफेन्स में भी बेल नहीं ले रहे हैं। मैं थाने में गया और मैंने ए . एच. ओ. से बातचीत की। उन्होंने कहा, अभी नहीं तो कल जमानत हो जायगी उन्होंने। कहा आपको मालूम है डिप्टी मिनिस्टर साहब के भाई के साथ अपराध किया है। इनको किस तरह से छोड़ा जा सकता है। इस घटना के बारे में जनता द्वारा हमको व एस. पी. को भी टेलीग्राम दिया गया फिर भी उनको जमानत पर नहीं छोड़ा गया। दूसरे दिन अदालत में जमानत ली। अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी गई तो एस. एच. ओ. उसके लिए रिमाण्ड मांगता है उसे तफतीश करनी है। क्या बेलेबल ऑफेन्स में रिमान्ड होता है? ब्यावर की जनता में वहां के एस. एच. ओ. के प्रति बड़ा रोष है। एस. एच. ओ. ने कानून का उल्लंघन किया है। उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ब्यावर के एस. एच. ओ. के खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं होगा बल्कि आन्दोलन भी होगा और यह भी हो सकता है कि वह आन्दोलन जनता शान्ति पूर्वक ढंग से भी नहीं कर सके। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बेलेबल ऑफेन्स के अन्तर्गत किया जाता है क्या हम हमेशा के लिए कानून की तरफ ताकते रहेंगे। मैं तो यह चाहूंगा जनता इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं ले, लेकिन जब जनता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार होता है तो वे कानून को अपने हाथ में लेने से भी नहीं चूकेंगे। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है शक्ति बनानी पड़ती है जब जनता देखती है कि अपराध करने वाले अधिकारी को भी सजा नहीं दी जाती है तो उसको लात भी देनी पड़ेगी। आज देश में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उसका उत्तरदायित्व इस सदन पर है और ज्यादातर इस सरकार पर है जो अपने शासकों को नियन्त्रण में नहीं रख रही है ...

एक माननीय सदस्य : जसराजजी के भाई ने क्या किया था ?

मेजर श्री फतेहसिंह : जसराजजी के भाई ने कुछ छेड़खानी की थी।

एक माननीय सदस्य : किसके साथ।

मेजर श्री फतेहसिंह : वह आपके साथ भी हो सकती है दूसरे शख्स के साथ भी हो सकती है। जब नागरिकों को मालूम हुआ। दो जूते मार दिये होंगे। मैं उस समय वहां नहीं था।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। आज आपके अधिकारी बहुत अकर्मण्य हो गये हैं बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। 13-14 जनवरी की रात को मेरे पास में 9.15 बजे एक व्यक्ति आता है और कहता है शफाखाने में एक महिला बच्चा पैदा करवाने के लिए भरती हुई है। उसके पेट में बच्चा मर चुका है वह त्राहि-त्राहि कर रही है। डाक्टर देखता नहीं है। मैं उनके साथ अस्पताल 9½ बजे पहुँचा। महिला को देखकर मैं घबरा गया। उसके पेट में बच्चा मर चुका था। वहां के डाक्टर से जो इन्चार्ज था उसको कहा उन्होंने कहा कि बच्चा पेट में मर चुका है पी. एम. एच. ओ. जो सर्जन हैं वे ही इसका ऑपरेशन कर सकेंगे बाकी सब सामान हमने तैयार कर रखा है। 9.40 बजे मैं उनसे मिलने के लिए बंगले जाता हूं। जब उनको अन्दर खबर भिजवाई तो उनका लड़का बाहर आकर कहता है कि डाक्टर साहब सो रहे हैं नहीं आ सकते। उस समय मेरे साथ पांच दस व्यक्ति और थे। माननीय राव साहब के सैक्रेटरी भी मेरे साथ थे। वह महिला भी राव साहब के क्षेत्र के गांव किशाय की थी। मैं एक मानवता के नाते राजस्थान की समस्त जनता का प्रतिनिधि होने के नाते पी. एम. एच. ओ. से मिलने गया। उनके लड़के ने कहा पी.एम.एच.ओ. साहब सोये हुए हैं। मैंने अपना आइडेण्टीफिकेशन दिया और कहा कि उनसे जाकर कहो कि मैं मिलना चाहता हूं। फिर आकर कहा कि उनके इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि उनको सोये हुए को न जगाया जाय। उस समय एस. डी. एम. श्री सुधीर वर्मा ने भी टेलीफोन किया। घंटी बजती रही। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। आखिर 11½ बजे मैं अपने मकान पर गया। उस महिला का उसी रात को तीन बजे प्राणान्त हो गया। तीन बजे वह मर गई। राव साहब वहां 14 तारीख को आये। राव साहब को मैंने लिखित रूप में शिकायत दी। हम यहां इस प्रकार के पी. एम. एच. ओ. को नहीं चाहते। लिखित में दिया। तो मैं यहां आया तो ब्रजसुन्दर जी ने मुझ से कहा कि मेजर साहब आपने तो भयंकर शिकायत कर दी। वह तो अच्छा आदमी है। गुप्ता है। मैं मानता हूं वह एक अच्छे सर्जन हैं। पर सर्जन की कटार पेट में नहीं डाली जाती। तो इस प्रकार के व्यक्ति और कुछ हो सकते हैं, पर कम से कम डाक्टर होने लायक तो नहीं हैं। एक विधान सभा का सदस्य जाता है, उस तक से डाक्टर नहीं मिलता तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आम नागरिक की तो क्या हालत होती होगी, क्या उससे वह डाक्टर बाहर आकर रात को मिल सकता है। तो आपका शासन एक तरह से बिल्कुल निकम्मा हो गया है। इस पर आप को नियन्त्रण रखना है। हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, आप

(मेजर श्री फतेहसिंह)

हमारे सहयोग को लीजिये, लेकिन अगर यही हालत रही तो फिर देश में उपद्रव होंगे, विप्लव की स्थिति पैदा होगी।

गंगानगर और चूरू में किसान आन्दोलन हुआ। सरकार उस आन्दोलन के सामने झुकी। यह चाहिये भी था। कुछ लोग कहते हैं कि सुखाड़िया जी ने घुटने टेक दिये। लेकिन मैं इस बात को इस रूप में नहीं लेता। मैं समझता हूं कि वे महान् कुशल राजनीतिज्ञ हैं जो नम्र आदमी होता है वह ही टिक पाता है कहा भी है:

नमन बड़ो संसार में, नहीं नमे सो नीच।
नमे नदी बिच गूंदलो रहे नदी के बीच॥

अगर आपको शासन करना है तो जनता की भावनाओं को देखकर चलना होगा। उसके अनुसार काम करना होगा। नहीं तो, एक दिन भी नहीं टिक पाओगे।

(3.22 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इस गोली काण्ड के सम्बन्ध में सरकार ने जुडीशियल कमीशन नियुक्त करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या उस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पर आप अमल करेंगे? यही हमें डर है। बेरी कमीशन की क्या हालत हुई? उन्होंने आपके प्रशासन को दोषी पाया, पुलिस को दोषी पाया, लेकिन आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टे जिस प्रशासन के खिलाफ यह रिपोर्ट थी, उस प्रशासन के दो चार व्यक्तियों की एक कमेटी उस रिपोर्ट के गलत और सही होने के बारे में टीका टिप्पणी करने के लिये बिठा दी और मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि उन्होंने उस रिपोर्ट की छान-बीन करके कह दिया कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कथनी और करणी में यही फर्क है और आप कमीशन से अगर कुछ तै कराना चाहते हैं पर उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं करना चाहते तो महरबानी करके ऐसा कमीशन मुकर्रर नहीं करिये। इससे तो फिर जनता के पैसे की बरबादी ही होगी और अगर आप किसी जज के फैसले का इस प्रकार अनादर करते है तो मैं समझता हूं कि कोई इज्जतदार जज इस कमीशन को अध्यक्षता करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वह यह स्पष्टतया विश्वास दिलावे कि जो कोई भी कमीशन की रिपोर्ट होगी उसको वह अमल में लावेगी और अगर ऐसा नहीं करना है तो हम तो यही कहेंगे कि ये मुकदमें भी आम मुकद्मों की तौर पर अदालत मे ले जायें और मैं माननीय प्रोफेसर केदारनाथ जी से और दौलतराम जी से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार की तरफ से मुकद्मे रजिस्टर कराने में और कसूरवार अधिकारियों को गिरफ्तार करने में देरी होती है तो प्राइवेट केपेसिटी में मुकद्मे दायर किये जाने चाहिये और इस काम में मैं हर तरह का अपना सहयोग उनको देने का विश्वास दिलाता हूं।

(हीयर, हीयर की ध्वनि)

श्रीमन, मैंने प्रारम्भ में जिक्र किया था कि इस विधान सभा के प्रथम सत्र में राज्य

(मेजर श्री फतेहसिंह)

सरकार द्वारा छोटे किसानों को भू-राजस्व में छूट देने का ऐलान किया था पर बाद में उस ऐलान को सरकार ने वापिस ले लिया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी कि वे इस पर और गम्भीरता से विचार करें। उड़ीसा में भी समस्त भूमि के राजस्व को समाप्त किया गया है। अब यू. पी. में भी चाहे किन्हीं कारणों से हो, उन छोटी जोत वाले किसानों को कर मुक्त, भू-राजस्व मुक्त किया गया है। मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में भी ऐसा ही होना चाहिये, और अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को सभी किसानों को चाहे उनका सम्बन्ध किसी दल से क्यों न हो आन्दोलन करने पर विचार करना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पार्टी ने आन्दोलन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है क्या ?

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं आपके साथ होऊंगा रामानन्दजी। यह सिद्धांत का सवाल है। अगर पीसफुल आन्दोलन नहीं होता है तो यह आन्दोलन कोई भी रूप अख्तियार कर सकता है।

हम लोग सोशलिज्म की बात सुनते सुनते तंग आ गये हैं। पिछले बीस वर्षों से कांग्रेस दल इस देश में और इस प्रदेश में शासन को सम्भाले हुए हैं। लेकिन इन 20 वर्षों में भी समाजवाद केवल एक नारा मात्र ही रहा। यह इस बात से सिद्ध होता है कि कांग्रेस का विघटन हो गया। इण्डिकेट हुई, सिंडीकेट हुई और अब डुप्लीकेट भी हो रही है। लेकिन इन बीस वर्षों में समाजवाद तो नहीं आया। गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर ही बना। गरीब और अमीर के बीच जो आमदनी की खाई है वह अधिक चौड़ी हुई है। उल्टा हमने इस बीस वर्ष में देखा है कि नये जागीरदार और नये पूंजीपति पैदा हुए हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो उन लोगों को जो पूंजीपति हैं, उन लोगों को जो धनाढ्य हैं, जो लखपति हैं उनको आप इस प्रकार की कोई सुविधा प्रदान न करें कि जिससे उनकी आमदनी और अधिक बढ़े।

यद्यपि मेरा दल तो इस कोटा, परमिट लाइसेन्स की प्रथा के खिलाफ है लेकिन जब तक शासन आपके हाथों में है और कोटा परमिट लाइसेन्स की प्रथा चल रही है तब तक मैं तो यही कहूंगा कि नये कोटा और परमिट और लाइसेन्स किसी पुराने पूंजीपति को इन धनाढ्य लोगों को न दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सब सुविधा उन लोगों को दिलावें जो गरीब हैं। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में आप विचार करें।

श्रीमन्, एक बात में स्पष्ट कर देना चाहता हूं वह यह है कि इस दरिद्रता के महासागर में स्थित एक समृद्धि के द्वीप पर धनाढ्य लोग अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे। धनाढ्य लोगों को समझना चाहिये कि उनके पास जो कुछ सम्पत्ति है वह जनता की अमानत है, धरोहर है और उस धरोहर को वे भामाशाह की तरह जनता को समर्पण कर दें और जन कल्याण के लिए काम में लगा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह समर्पण नहीं करें तो क्या करना चाहिये ?

मेजर श्री फतेहसिंह : जो आपने कहा वह दिन आवेगा तब देखा जावेगा। अभी उपाय है इसका। यदि देश में एक निरंकुश और तानाशाही शासन की स्थापना को टालना है तो सम्पत्ति और आय में जो बड़ी असमानता है उसे रोकने के साथ साथ हमें जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा और जन कल्याण के विस्तार के लिये विकल्पित साधन और उपाय ढूंढने पड़ेंगे।

श्रीमन्, हमें डर इस बात का नहीं है कि देश में दरिद्रता फैली हुई है, पर डर इस बात का है कि दरिद्रता और अमीरों में खाई बहुत चौड़ी है। इस खाई को हमें पाटना है।

श्रीमन्, यद्यपि हमें उन लोगों से अपनी रक्षा करनी है जो हिंसा और घृणा और तोड़-फोड़ द्वारा हमारे समाज और राष्ट्र का विनाश करना चाहते हैं। फिर भी अगर देश में स्थायित्व बनाये रखना है तो हमें अनिवार्य रूप से त्याग करना होगा और अपने आचरण में नीति सम्बन्धी आवश्यक स्तर को अपनाना होगा। आजकल हमें आपत्ति इस बात की है कि जो महत्वपूर्ण है। हमारा आचरण गिर रहा है। हम अपनी सोचते हैं, देश की या जनता की नहीं सोचते।

श्री दौलतराम सारण: गिरा नहीं है। आचरण योजनाबद्ध तरीके से गिराया गया है और गिराया जारहा है।

मेजर श्री फतेहसिंह : इसी को मैं भी कह रहा हूं। आप कुछ अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों में कह रहे हैं।

श्रीमन् आपकी तरफ से घंटी बज चुकी है और मैं सिपाही हूं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पर अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं इस सदन को अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के उन वाक्यों की याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने उन दिनों कहे थे जब अमेरिका सिविल वार के पंजे में ग्रस्त था। भाषा उनकी है इसलिये मैं उसको कोट करता हूं-आप लोगों से क्षमा चाहते हुये :

'At what point shall we expect the approach of danger ? By what means shall we fortify against it ? Shall we expect some trans. Atlantic military giant to stop the ocean and (crush us at a blow, Never. All the armies of Europe, Asia and Africa combined could not by force take a drink from the Ohio or make a track on the Blue Ridge in the trial of sterngth of a thousand years. At what point then is the approach of danger to be expected, I answer. If it ever reach us it must Spring up amongst ourselves; it cannot come from abroad. If destruction be our lot we ourselves must be its own authors and finisher. As a nation of free men, we must leave through all things or die by suicide'' I an quote.

श्रीमान्, ये शब्द 100 वर्ष पहले कहे थे लेकिन हमारे देश की वर्तमान स्थिति में भी आज ये -पूर्णतया उपयुक्त है। उस समय अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति थी।

(मेजर श्री फतेहसिंह)

जनता ने शस्त्र उठाये थे उस स्थिति में और हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति में फरक इतना ही है कि हमारी जनता ने यहां शस्त्र नहीं उठाये हैं। बाकी स्थिति बिल्कुल गृह युद्ध की सी मालूम पड़ती है। गुजरात को ले लीजिये, यू. पी. को ले लीजिये, बंगाल को ले लीजिये-क्या स्थिति है केन्द्र और प्रदेशों में आपस में लड़ाई हो रही है इसलिये अगर हमें इस देश की रक्षा करनी है तो श्रीमान् मैं कहना चाहता हूं खतरा हमारे सामने विद्यमान है और वह खतरा क्षेत्रीय भावनाओं का है, वह खतरा है साम्प्रदायिकता का, वह खतरा है पक्षपात और अन्याय का। अगर आपको इस देश की रक्षा करनी है तो आपको उन खतरों से बचना होगा। धन्यवाद।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : सभापति महोदय····

श्री सभापति : श्री हंसराज।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभापति जो इस सदन में राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ नई घोषणायें की हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनकी जो सबसे बड़ी घोषणा है वह समस्त राजस्थान के सिंचित क्षेत्र में भूमि के नीलाम को बन्द कर देने की है। यह बड़ी खुशी की बात है। राजस्थान में लाखों आदमी भूमिहीन हैं। नीलामी के बन्द होने के पश्चात् उन गरीबों को, कम भूमि वालों को और भूमिहीनों को जिनमें खास तौर से हरिजन और आदिवासी है—भूमि मिलेगी। यह सराहनीय कदम है। इसके साथ में गैर खातेदारों को बैंकों से कर्ज दिलाना छोटी जोतों वालों को कर्ज दिलाना, गवर्नमेंट की ओर से गारन्टी देना ये कुछ ऐसे कदम हैं जो सराहनीय है। इसके साथ साथ मैं हरिजनों को, आदिवासियों को और अन्य लोगों को गांव में आबादी के लिये प्लाट निःशुल्क देना एक सराहनीय कदम है। इसके साथ कुओं, नल कूपों के लिये जो ऋण देने की बात है वह भी सराहनीय कदम है। साथ ही भारत सरकार ने हमारे संविधान में तेईसवां संशोधन किया वह भी भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके साथ ही बारानी क्षेत्र में जो सरकारी भूमि पड़ी हुई है वह एक साल तक भूमिहीनों को जिनमें खासतौर से आदिवासी हैं, को दी जायगी, यह भी एक सराहनीय कदम है।

लेकिन इसके साथ, मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करूंगा, और भी जो समस्यायें हैं उन पर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा और सबसे बड़ी जो समस्या है राजस्थान में और खास तौर से गंगानगर जिले में वह है हमारे राजस्थान कैनाल की खातेदारी। यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान कैनाल सिंचाई की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी कैनाल है लेकिन दुर्भाग्यवश जिस क्षेत्र से गुजरेगी वह क्षेत्र जागीरदारों का ऐरिया रहा है। जिन्होंने कभी भी अपने समय में किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये थे। चाहे वह जमीन उनके कब्जे में कितनी ही पुरानी क्यों न हो। हमेशा खातेदारी से वे वंचित रहे हैं। राजस्थान कैनाल राजस्थान में प्रवेश करने के बाद थोड़े से खालसा के क्षेत्र में बहती है और उसके बाद

(श्री हंसराज आर्य)
रावतसर के जागीरदारी क्षेत्र में से होकर निकलती है। वहां उस समय के जागीरदारों ने किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये थे। उससे आगे महाजन है, कुम्भा जी है, छतरगढ़ व सत्तासर है, पूगल है, बरसलपुर है और इसके आगे जैसलमेर आता है। जहां का शासन अपने समय के जागीरदारों से भी गया बीता था, वहां खातेदारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान कैनाल के अधिकांश भू-भाग में जागीरदारों का एरिया था। वहां का किसान शताब्दियों से खातेदारी अधिकारों से वंचित था। सन् 1958 को असेम्बली में इसी सदन में टीनेन्सी एक्ट बना जिसमें ये अधिकार दिये गये थे कि 15 अक्टूबर, 1955 से पहले सिविल ऐरिया से बाहर जिस किसान का जितनी भूमि पर कब्जा होगा वह खातेदार घोषित किया जायगा। उस समय राजस्थान कैनाल की कोई प्लान नहीं थी। वहां के लोगों को खातेदारी अधिकार मिले थे लेकिन बड़े दुःख की बात है सभापति महोदय, थोड़े दिनों बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि जिस इलाके को राजस्थान कैनाल प्रभावित करेगी उस इलाके के किसानों को खातेदारी से वंचित किया जाता है, उनके अधिकार वापिस लिये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में हमने अपने जिले की ओर से और इस सदन में आने वाले जिले के सभी माननीय सदस्यों ने सरकार से बार-बार निवेदन किया कि किसानों को दिए हुए खातेदारी अधिकार वापिस न लिए जायं लेकिन सरकार ने नहीं माना। अन्त में किसानों ने सरकार का रुख देखा और हाई कोर्ट में गये और वहां पर रिट दायर की और उस रिट पर न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि जिन किसानों को सरकार ने एक बार खातेदारी अधिकार दे दिये हैं सरकार को वे अधिकार वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों की जीत हुई, सरकार हार गयी। उस निर्णय के बाद भी 1½ साल तक सरकार ने उस निर्णय को लटकाये रखा, हां हूं करती रही लेकिन अधिकार नहीं दिए। अन्त में जब सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हमें तो खातेदारी अधिकार देने ही नहीं हैं राजस्थान सरकार भारत सरकार के पास गयी। भारत सरकार से संविधान में 17वां संशोधन रखवाया, उसे पास करवाया जिसकी वजह से हाईकोर्ट का निर्णय भी निस्सार हो गया। आज भी वहां का किसान खातेदारी से वंचित है। मुझे इस बात का दुःख है कि सन् 55 के बाद जिन किसानों ने भूमि काश्त की उनके लिए तो सरकार ने नियम बनाये हैं लेकिन जो किसान सन् 55 से पहले शताब्दियों पूर्व से अपनी जमीनों पर काश्त करते आ रहे थे उनके सम्बन्ध से आज तक भी सरकार के पास कोई नियम बने हुए मौजूद नहीं हैं, कल बन जायें यह दूसरी बात है। इससे किसानों में एक भ्रांति पैदा हुई और एक नाराजगी पैदा हुई कि सरकार की नीयत खातेदारी अधिकार देने की नहीं है। सभापति जी मैं कहना चाहता हूं सरकार को साफ शब्दों में कि आज गंगानगर जिले में जो आन्दोलन चल रहा है उसमें अधिकांश किसान इस बात को लेकर भाग ले रहे हैं कि सरकार हमें राजस्थान कैनाल क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देना नहीं चाहती है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन

(श्री हंसराज आर्य)

करना चाहता हूं कि अब भी सरकार को निर्णय लेना चाहिये और राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आरजी काश्तकारों को जो कि सन् 55 से पहले के काबिल काश्त हैं उनको खातेदारी अधिकार देने चाहिये। यदि पूरी भूमि पर नहीं तो 2 मुरब्बा बिना कीमत व 3 मुरब्बा कीमत और कुल 4 मुरब्बा तक देने चाहिये। यदि सरकार अपनी जिद पर है, नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर किसानों के साथ दूसरा कोई अन्याय नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी है सभापति महोदय कि परगना टीबो जिसके ऊपर पंजाब का कानून लागू था और वहां के किसान बिस्वेदार थे। उनकी बिस्वेदारी यानी जमींदारी अधिकार गवर्नमेंट ने सन् 1953-54 में ले लिए और उनकी कुल भूमि पर वहां के मुजारे काबिज काश्त थे। सरकार ने मालिकों से जमीनें छीन ली भूमि के अधिकार छीन लिये लेकिन मुजारें को नहीं दिये थे मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि टीबी के मुजारों को अभी तीन-चार रोज पहले खातेदारी अधिकार देने के सरकार ने आदेश जारी किये हैं इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री दौलतराम सारण : किये हैं जबरदस्ती।

श्री हंसराज आर्य : इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं सभापति जी गंगानगर जिले में भाखरा नहर आई। इन्जीनियर्स ने कुछ भूमि को भाखरा का एरिया घोषित किया और सरकार ने नियम बनाये कि जिन किसानों के पास सन् 55 से पहले भूमि आरजी भूमि का काश्त थी उनको हम 50 बीघा तक खातेदारी अधिकार कीमत लेकर देंगे और उससे अधिक भूमि है वह उनसे छीन लेंगे। यह भूमि थी जिसके ऊपर 1946 से लेकर सन् 1954 तक काबिज काश्त थे किसान। बीकानेर स्टेट में सबसे पहले सैटलमेन्ट हुआ था सम्वत् 1965 में और उसके बाद बीकानेर स्टेट का कानून बना था कि सम्वत् 1955 के बन्दोबस्त के बाद जो किसान लगातार 20 साल काश्त कर लेगा उसको हम भूमि पर खातेदारी अधिकार देंगे। सं. 1965 की पैमाइश के बाद दूसरी पैमाइश 20 साल बाद सं. 1985 में होती तो किसान बीस साल का काबिल काश्त माना जाता लेकिन बीकानेर के महाराजा बहुत समझदार और चालाक थे। उन्होंने दूसरी पैमाइश बजाय संवत् 1985 के सवत् 1983 में हो बजाय 20 साल बाद के 18 साल बाद हो करा दी जिससे कि कब्जा साबित नहीं हो सके। वह भूमि भी आरजी काश्त हो गई। उसके बाद में कोई 20 साला पैमाईश नहीं हुई। महाराजा ने घोषणा की कि जिन किसानों के पास सम्वत् 1995 की खातेदारी है उनके ऊपर 2 रुपया बीघा के हिसाब से और सम्वत् 1963 से लेकर 1983 के बीच की जो काश्त हैं उनके ऊपर 4 रुपया बीघा के हिसाब से और 1983 से 1996 तक की काश्त है उनके ऊपर 6 रुपया बीघा के हिसाब से हम एक नया लगान वसूल करेंगे और वह 10 किश्तों में लेंगे और उनको सारी की सारी भूमि बिस्वेदारी घोषित कर दी जायगी। किसानों ने हालांकि 5 किश्तें दाखिल कर दी थीं लेकिन दुःख इस बात का है कि जब भाखरा नहर आई तो भाखरा आने के बाद वह भूमि आरजी काश्त रही।

(श्री हंसराज आर्य)

सभापति जी सरकार ने यह विश्वास देकर कि 50 बीघा भूमि उन्हें मिलेगी 50 बीघा में पानी देंगे और 50 बीघा भूमि में इतनी अधिक पैदावार होगी जो कि बारानी 200 बीघा में नहीं हो सकती। किसानों ने राजीखुशी अपनी पुरानी जमीन को छोड़ दी और 50 बीघा पर काबिज रहे। उस 50 बीघा की कीमत अनकमाण्ड 50 रुपये बीघा के हिसाब से; नाली को 400 रुपया बीघा के हिसाब से, ताल की भूमि 280 रुपया बीघा के हिसाब से और ताल टीबा को 200 रुपया बीघा के हिसाब से कीमत ले ली और वह 15 किश्तों में लेना स्वीकार किया। जो भूमि 50 बीघा से ऊपर थी किसानों से छीनी गयी, और उसे या तो सरकार ने नीलाम कर दिया या अन्य भूमिहीनों को दे दी। दुख इस बात का है सभापति महोदय कि जो 50 बीघा जमीन सिंचित कहकर किसानों को दी गयी थी वह भी 8 साल के बाद सरकार ने अनकमाण्ड घोषित कर दी। उसमें भी पानी नहीं रहा है। हमने सरकार से पूछा क्यों, तो उत्तर यह था कि हमारे इन्जीनियर्स पंजाब से आये थे। पंजाब की मिट्टी चिकनी है और पानी कम जज्ब करती है। यहां की बालू रेत है और वहां के इन्जीनियर्स को ज्ञान नहीं था इसलिए उस हिसाब से अधिक भूमि जोन में शामिल कर ली और जब पानी आया तो मिट्टी ने पानी को अधिक जज्ब किया। इसलिए जितना अन्दाजा लगा सके थे उतने में पानी नहीं दे सके। जो कमाण्ड से अनकमाण्ड की गयी वह 37 हजार एकड़ है जो कि आज भी अनकमाण्ड है उसमें पानी दिया। इतना ही नहीं सभापति जी कुछ ऐसे गांव थे जिनको भाखरा जोन में शामिल कर लिया। यह कानून था कि जो गांव सिचाई एरिया में शामिल हो जायेंगे वह खातेदारी से वंचित रहेंगे। तो जो गांव भाखरा जोन में शामिल हो गए वह टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 के मुताबिक खातेदारी से वंचित हो गए। अब उन टेल वाले सभी गावों को भाखरा जोन से निकाल दिया गया है। कानून कोई रुकावट नहीं है लेकिन आज भी वह गांव खातेदारी से वंचित हैं। मैंने आज से आठ दस साल पहले वहां के जो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर थे पाठा साहब उनसे जांच करवाई। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इन गांवों को पानी कभी नहीं लगेगा इसलिए वहां के किसानों को खातेदारी अधिकार देने चाहिए। उसके बाद भाखरा कोलोनाइजेशन के डाइरेक्टर व सिंह जी वायभाई की रिपोर्ट है कि मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि इन किसानों को खातेदारी अधिकार देने चाहिए। उसके बाद में मैं बीकानेर गया। बीकानेर के कमिश्नर थे मेनन साहब उनसे भी मैंने रिपोर्ट कराई। उन्होंने जांच करने के बाद रिपोर्ट की कि मै इन दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट की पुष्टि करता हूं कि किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाय। उस समय श्री दामोदर लाल जी व्यास जो आज गृह मन्त्री हैं राजस्व मन्त्री थे। मैं समझता हूं कि आज भी वह रिपोर्ट कहीं न कहीं किसी बाबू की मेज पर मौजूद होगी। किनारे वाले गांवों की लाखों बीघा जमीन है। उनके 50-60 साल का कब्जा है। नहरी क्षेत्र के बाहर अनकमाण्ड है, भाखरा जोन में नहीं है और लाखों रुपया किसानों के ऊपर तावान का हर साल लग रहा

(श्री हंसराज आर्य)

हैं। मैंने इस सदन में हमारे सिंचाई मन्त्री श्री लड्ढा साहब से बारबार आश्वासन लिया कि हम किसानों को खातेदारी अधिकार दे देंगे लेकिन आज भी वे किसान खातेदारी अधिकार से वंचित हैं....

यह समस्या आज भी है। सरकार यह कहती है कि इस जिले में आन्दोलन क्यों चल रहा है। ये पुरानी समस्यायें हैं। आज नई पैदा नहीं हुई हैं। वर्षों से हैं जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है, लोगों में रोष है। मगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

इसके साथ ही गंग कैनाल में भी लोग पानी की मांग कर रहे हैं कि हमारी भूमि में पानी कम लगता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार को निवेदन करना चाहता हूं चाहे सरकार को इसका ज्ञान हो या न हो, मुझे इस बात का ज्ञान है कि पानी की इतनी जटिल समस्या पैदा क्यों हुई? गंग कैनाल 1927 में आई। उस समय उसका जो पानी का कोटा था वह 2700 क्यूसेक का था, वह मिलता रहा। आजादी के बाद सन् 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाला पानी उधर जाना बन्द हो गया और वह सारा का सारा पानी हमें मिलना शुरू हो गया। इस तरह बजाय 2700 के 5000 क्यूसेक पानी मिलने लगा इस पानी के मिल जाने से वहां के किसानों ने अपनी अधिक भूमि को कमाण्ड किया जिस किसान के 10 बीघा में पानी लगता था उसने 10 के बजाय 30 बीघा में पानी लगाया और यह 10–12 साल तक पानी मिलता रहा। किसानों को इतने अर्से तक पानी मिलता रहा, परन्तु जब पाकिस्तान के साथ पैक्ट हुआ, तो वह पानी जो पाकिस्तान से गंगनहर को मिल रहा था। बन्द हो गया था और जो जमीन अधिक कमाण्ड हो गई थी वह वापिस अन कमाण्ड हो गई। जहां 25 बीघा में पानी लगता था वहां वापिस 10 बीघा हो गया। यह मुख्य कारण है जिससे किसानों में नाराजगी है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये उस पानी की कमी को दूर करना चाहिये सभापति महोदय, इस सदन में मैं 52 से 56 तक रहा और तीन साल का समय यह व्यतीत हो चुका है। (घंटी) खिदमतगारों को खातेदारी का अधिकार दिया जाये। मुझे दुःख है इस बात का कि बीकानेर क्षेत्र में एक भी खिदमतगार ऐसा नहीं था जिस को खिदमत के एवज में भूमि दी गई हो। मैंने बार बार इस सरकार से निवेदन किया है कि मुझे एक भी खिदमतगार बताया जाये जिस की मिसल पर यह लिखा गया हो कि खिदमत नहीं करेंगे तो भूमि छीनी जायेगी। एक भी फाइल पर यह नहीं लिखा हुआ है। मुझे आज भी नोट याद है। बाहुकम महकमा आलिया खास खिदमत की एवज में फलां पुत्र फलां को ये फलां को इतना बीघा भूमि का सालाना लगान माफ रहेगा। अगर वह खिदमत नहीं करेगा तो माफी पाने का मुस्तहक न होगा यह लिखा हुआ है। न कि भूमि छीनेंगे। सभापति महोदय यह होने के बाद भी सरकार ने आज तक यह कह कर खातेदारी अधिकार नहीं दिये कि उन्होंने खिदमत को छोड़ दिया। खिदमत को उन्होंने राजी खुशी नहीं छोड़ा था।

श्री परसराम मदेरणा : यह समर्थन कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : यही विवाद था।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री हंसराज आर्य : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और यह स्पष्ट कर दूं कि बीकानेर डिवीजन में आज भी भूमि की कमी नहीं है लाखों एकड़ भूमि वहां पड़ी हुई है और खिदमतगारों को जो माफी दी गई थी वह लगान की माफी थी भूमि तो उन्हीं की थी। वे आज भी उस भूमि पर काबिज हैं और जो भूमि काबिज काश्त थी उस भूमि का लगान माफ किया गया था न कि भूमि छीनने का। यह समस्या थी। सरकार इसे क्यों नहीं जानना चाहती है? सरकार के सामने क्या कानूनी अड़चन थी जिससे उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले। जब सरकार ने यह ऐलान किया गया था कि यह जन-कल्याणकारी राज्य है और इस राज्य में बेगार लेना कलंक समझते हैं। हम खिदमतगारों को खातेदारी के राईट देंगे और भूमि का लगान लेंगे लेकिन बेगार नहीं लेंगे। ये घोषणा बार बार हुई लेकिन यह मसला आज तक पूरा नहीं हुआ। खैर देर आयद दुरस्त आयद। यह खुशी की बात है कि भाखरा के क्षेत्र में तो फैसला हुआ है। 2–4 को छोड़कर मगर अफसोस इस बात का है।

(3.55 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि जब कोई रुकावट नहीं है और टीनेन्सी एक्ट में साफ लिखा हुआ है, धारा 15 में स्पष्ट है कि सन् 1955 में जो किसान काबिज काश्त था वह स्वतः ही खातेदार है और राजस्थान के 32,242 गांवों में काश्त करने वाले किसानों को खातेदारी के अधिकार दिये गये। ये सन् 54 से पहले के काबिज काश्त थे तो उनके खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये गये। दुर्भाग्य तो हरिजनों और खिदमतगारों का यह है जो 55 से भी पहले 15-20 साल पहले से काबिज थे उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये। होना तो यह चाहिये था कि जिन्होंने सरकार की खिदमत की थी, टट्टी साफ की थी और रात को ऊंटों का पहरा दिया था, जिन्होंने बेगार दी थी, सिर पर बोझ उठाये थे, उनको पहले यह अधिकार मिलता किन्तु उनका यह गुनाह हो गया।

उपाध्यक्ष जी, पिछली बार सदन में राजस्व मंत्री जी ने यह घोषणा की थी जब मैंने यह कहा था कि बेगार राजीखुशी नहीं जबरन ली गई थी:

जाट कहे जाटनी से जो गांव में रहणो।
ऊंट बिलाई लेगयी हां जी हां जी कहणो।।
जबरदस्ती बेगार ली गई थी।

एक माननीय सदस्य : आप इनकी मर्जी की बात कह रहे हो। आज उनकी यही हालत है। इस गांव में बैठना है तो आप को गुलाम बन कर दरोगा बन कर रहना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जाटों के इतिहास का गलत चित्रण कर रहे हैं। आप अक्सर यह उदाहरण देते हैं जो गलत है।

एक माननीय सदस्य : अब जाटों ने सीख लिया है हां में हां मिलाना।

श्री हंसराज आर्य : न मैं गलत कह रहा हूं और न सही कह रहा हूं। मैं तो जो हमारे में बीती है वह कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये दोनों तरह के नहीं हैं।

श्री हंसराज आर्य : मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वे एक साल के अन्दर अन्दर उन खिदमतगारों को खातेदारी के हकूक दे देंगे। यह पिछले बजट सैशन की बात है और आज फिर यह बजट सैशन आ गया है लेकिन बारानी क्षेत्र के एक को भी खिदमतगार को हक नहीं मिले हैं। इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान कैनाल में पहले तो नीलामी की समस्या थी वह खतम हो गई। अब एक साल के अन्दर अन्दर जिन भूमिहीनों की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं उन को 15, 25 बीघा भूमि फी परिवार जो कि भूमिहीन हैं, दे दी जानी चाहिये—यह सरकार को स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये ताकि वहां के उग्र लोगों को शान्ति मिले।

(4 म. प.)

उपाध्यक्ष जी, बारानी क्षेत्रों में जो किसान 10 साल से 15 साल से आरजी काश्त करते चले आ रहे हैं मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या रुकावट है उनको खातेदारी देने में। नियम है 10 साल का। एक साल के लिए भूमि दी जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन काश्तकारों को आरजी काश्त करते हुए 10 साल या उससे ज्यादा समय हो चुका है उनको शीघ्र से शीघ्र खातेदार घोषित कर दिया जाय, और भविष्य में जो आरजी काश्त एलाट की जाती है वह आरजी काश्त मुस्तकिल 10 साल एलाट की जाय।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष जी, एक और बड़ी समस्या है जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हुई है। 28 फरवरी, 1959 से राज्य सरकार ने भाखरा और राजस्थान कैनाल क्षेत्र में गांवों की पंचायतों और नगरपालिकाओं से भूमि–विक्रय सम्बन्धी अधिकार ले लिये गये थे। आबादी बढ़ी है और आबाद होने की समस्या है। लोगों ने अनधिकार चेष्टा से शहरों और गांवों में मकान बनाये हैं। मकान कच्चे और पक्के बने हुए हैं। आज पंचायतों और नगरपालिकाओं को भूमि विक्रय करने के अधिकार नहीं हैं। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि इस पाबन्दी को हटाया जाय और पंचायतों को और नगरपालिकाओं को भूमि-विक्रय सम्बन्धी अधिकार दे दिये जायं इससे सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि न तो पंचायतों को कीमत मिली न नगरपालिकाओं को कीमत मिली और न राज्य सरकार को कीमत मिली है। मकान बनते चले गये।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी खास तौर से अकाल सहायता मन्त्री जी से। हमने अखबारों में यह पढ़ा है कि जो क्षेत्र अकाल से प्रभावित हैं और जिन क्षेत्रों में सरकार ने काम बन्द कर दिया है वहां के लोगों को 10 रुपया फी व्यक्ति के हिसाब के अकाल सहायता दी जा रही है। यह खुशी की बात है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री जी से कि 10 रुपये माहवार का मतलब होता है सवा 33 पैसे रोजाना। उसका अर्थ है एक टक का पौने सतरह पैसे···

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.): इतना ही पहले जागीरदार देते थे ।

श्री हंसराज आर्य : जब कि 17 पैसे में चाय का प्याला भी नहीं मिलता है · ·

एक माननीय सदस्य : गुड़ का मिल जाता है ।

श्री हंसराज आर्य : तो एक कप में एक आदमी पूरा दिन कैसे बिता लेगा ? यह सोचने की बात है । यह जो सहायता है वह बात ही कम है । मेरा निवेदन है कि सहायता 10 के बजाय 30 रुपये माहवार प्रति व्यक्ति कर दिये जायं या बिल्कुल ही बन्द कर दें जीना हो तो जीए और मरना हो तो मरें ।

मैं इस सरकार से एक और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, कि भादरा क्षेत्र में मंडियों के लिए लोगों से जमीनें ली गई थीं की वे खातेदार थे बिस्वेदार थे मंडियों के प्लाट बेचे गये और एक करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने वसूल किया । सड़कें बन गई हैं, बिजली की लाइनें खिच गई हैं, वाटर वर्क्स बने हुए हैं लेकिन किसी भी मंडी मे एक भी आदमी आबाद नहीं हुआ है । मेरा निवेदन यह है कि उन सब भू-खण्डों की नीलामी का खारीज किया जाय और उनकी कीमतों को जप्त कर लिया जाय और दुबारा उन मंडियों को प्लाटों का नीलाम किया जाय · · ·

श्री दौलतराम सारण : सब इन्हीं के एजेन्ट हैं ।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष जी, 22 साल हो गये हमें आजाद हुए और यह बात मैंने बारबार दोहराई है कि इन 22 सालों की आजादी के बाद भी गांवों में मनुष्य और मवेशियों के पीने के लिए पानी नहीं दे सके हैं । इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती है ? न दो सड़कें न दो दूसरी चीजें स्कूल न दो, कालेज न दो, बिजली न दो, लेकिन हम एक ही चीज चाहते हैं कि मनुष्य और मवेशियों को पेट में पीने के लिए पानी मिले । पानी से इतला संसार में कुछ हो नहीं सकता ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ खास तौर से जो हमारे साथी हैं विरोधी सदस्य उनसे निवेदन करना चाहता हूं जो कि भूले हुए भाई हैं उनसे । मैंने एक पेम्फलेट पहले भी सुनाया था और आज भी सुनाता हूं । यह इतना खतरनाक पेम्फलेट है और कम से कम बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है–

"छात्रों सुरक्षा खतरे में है एक हो जाओ"
छात्रों भादरा चलो

समस्त तहसील भादरा क्षेत्र के छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24-1-70 को गांधी पार्क भादरा में दिन के 1 बजे छात्रों की एक विशेष बैठक होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों एवं मांगों पर विचार किया जावेगा:–

1. भादरा संगरिया व चूरू में पुलिस की गोलियों से शहीद होने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व छात्र सुरक्षा परिषद् गठन किये जाने पर विचार। यह तो ठीक है । इसका हम स्वागत करते हैं ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह तो · ·

श्री हंसराज आर्य : 2–भादरा, संगरिया व चूरू गोलीकाण्डों की न्यायिक जांच की कार्यवाही करने से पहले बेरी जांच आयोग के निर्णयों को लागू करने व गोलीकाण्डों से सम्बन्धित अधिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने को राजस्थान सरकार से मांग पर विचार।

3. भादरा संगरिया व चूरू गोलीकाण्डों की न्यायिक जांच करने से पूर्व मांग नं. 2 स्वीकार न करने तक विद्यालयों में जाने का छात्रों द्वारा बहिष्कार करने पर विचार।

श्री जुझारसिंह : खतरा कहां से शुरू होता है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा से।

श्री हंसराज आर्य : 4–26 जनवरी को गांधीपार्क भादरा में राष्ट्रध्वज आरोहण करने व शान्त मौन जुलूस निकालने पर विचार।

5. छात्रों की उचित मांगों के लिए शान्तिमय अहिंसात्मक गांधीवादी विचार-धारा से आगामी आन्दोलन को रूपरेखा पर विचार।

विनीत
संयोजक
प्रस्तावित तहसील भादरा छात्र सुरक्षा समिति।

यह छात्रों का कोई परचा नहीं है। वहां पर छात्रों का कोई आन्दोलन नहीं है। मैं भादरा से आया हूं चार दिन से। यह राजनैतिक प्लान थी कि लड़कों के नाम से परचा निकाला जाय और लड़कों को बुलाने की कोशिश की जाय ताकि फिर लड़के इकट्ठे हों, और फिर उग्र रूप धारण करें और फिर गोलियां चलें। तो मैं खास तौर से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आंदोलन जितनी तेजी से चाहें चलायें, यह आपका अधिकार है, लेकिन मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बच्चों को न घसीटें। यह बुरी बात है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : एक बात बता दें....

श्री हंसराज आर्य : इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं कि गुरुजी, इसमें खतरनाक कौन सी बात है पैम्फलेट में ?

श्री परसराम मदेरणा : केदारनाथ जी के तो बच्चे हैं ही नहीं।

श्री केदारनाथ : इनके बच्चे तो जुलूस में गये थे।

श्री हंसराज आर्य : खतरनाक बात यह है कि 7 मार्च, 1967 को जयपुर में जो गोलीकाण्ड हुआ उस पर बेरी आयोग बैठाया और बेरी आयोग से जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करके जब तक कैद नहीं कर लिया जाय तब तक भादरा तहसील के छात्र स्कूलों में नहीं जायेंगे। यह खतरनाक है।

श्री केदारनाथ : आज स्कूल और कालेज खुल गये हैं सारे जिले के।

श्री हंसराज आर्य : बच्चों को इस काम से दूर रखा जाय। आन्दोलन चलायें यह आपको अधिकार है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव सदन में धन्यवाद का प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण की प्रति जो सदन में प्रस्तुत की गई है उसमें शुरुआत से ही जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति है उनके लिए सीटें सुरक्षित की जायं लिखा है हम उसका समर्थन करने में नहीं हिचकिचाएंगे। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो गांवों में भवन-निर्माण के लिए, आवास के लिए जो भूमि-आवंटन के लिए लिखा है तो मुझे तो यह पढ़कर आश्चर्य हुआ क्योंकि जहां तक इसका सम्बन्ध है परसों ही अजमेर नगरपालिका के द्वारा बाहरी क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति की बागड़ी जाति के लोगों को भूमि दी गई है वह कम से कम 15-20 बीघा के अन्दर है। नगर परिषद् ने उनको लीज पर दिया। जब उन्होंने प्लान सेक्शन के लिए यू. आई. टी. को अपना नक्शा भेजा तो वहां से यह उत्तर आता है। अगर आप इल्लीगल भूमि को हड़प जाओ तो भी सरकार आपको समर्थन देना चाहती है। आज आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नाना प्रकार की घोषणा करा कर ही रह जाते हैं और उनके अनुकूल चलने की सामर्थ्य राज्य सरकार में नहीं है तो उसका एक सबूत यह है. उसमें यह है :

"विषय : निरापत्ति प्रमाण-पत्र (यू. आई. टी. अजमेर) आपके निरापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक ········ के सन्दर्भ में लेख है कि भूमि जिस पर आप मकान बनाना चाहते हैं सिवाय चक तथा कब्रिस्तान है अतः आपको मकान बनाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। भूमि के विषय में नगर परिषद् से अलग से कार्यवाही की जा रही है।"

नगर परिषद् ने गरीब, दलित वर्ग के लोगों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखा, रावण की बगीची से हटा कर मलूसर आदि रोड पर, जो शहर के बाहर क्षेत्र है, वहां रखा परन्तु यू. आई. टी. को यह भी मंजूर नहीं। आज भी कड़ाके की सर्दी, जिसमें पक्के मकान में रहते हुए भी हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित नहीं मानते, लेकिन जो झोंपड़ियों में रहने वाले दलित वर्ग के लोग हैं उनको आप झोंपड़ी में भी नहीं रहने देते हैं। राज्य सरकार की यह एक कमजोरी है, मैं कहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आपने आवास के लिए भूमि के सम्बन्ध मे लिखा है···

एक माननीय सदस्य : सर्दी तो पक्के मकान में भी लगती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आवास अक्षर का अर्थ हम यह मानें ? राज्यपाल महोदय ने गत सत्र में भी, जहां तक मुझे मालूम है, जो घोषणाएं कीं, राज्य सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया

(श्री भगवानदास शास्त्री)

राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उसका सदन की कार्यवाही, सदन का एजेन्डा माना जाता है। एजेन्डा पर जो भी कार्य आता है, उसमें राज्य सरकार कोई भी घोषणा करने से पूर्व अपने कार्यक्रम मे उसको कार्य रूप में लाने में कटिबद्ध रहनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एच. एम. टी. का प्रश्न है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में साफ कहा था कि अजमेर का नगर, जैसा आप जानते हैं सिर्फ वेस्टन रेल्वे के वर्कशाप और लोगों के ऊपर निर्भर करता है अजमेर नगर की आबादी कर बन तीन लाख के निकट आकर पहुंची है जिसमें भी साठ पर्सेन्ट बाबू लोग हैं। इस पर भी बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब राज्यपाल महोदय ने साफ कहा था, इन एच. एम. टी. में पहले अजमेर को चान्स दिया जायगा, उसके बाद राजस्थान के निवासियों को। उसके बाद अगर आवश्यकतानुसार कोई ट्रेन्ड व्यक्ति या पोस्ट ग्रेजुएट राजस्थान से नहीं मिल पाता है तो राजस्थान के बाहर से भी ले सकते हैं। जहां तक मुझे निजी ज्ञान है, श्री गुप्ताजी को वहां सर्विस देने के बारे में मुझे नाराजी नहीं है, लेकिन आज वह माननीय मुख्य मंत्री जी के दामाद हैं, इसलिए इच्छा भी ज्यादा लोग करते हैं कि या तो हम मन्त्रियों के सहयोगी हों या किसी के जमाई बनें तब ही सर्विस हुई क्लास मिलेगी। इससे मनोबल बच्चों का बिल्कुल गिरता जा रहा है जहां तक शिक्षा विभाग की संस्थाओं का प्रश्न है, चाहे वह राज्य में चलती हों या किसी नगर में उनके विद्यार्थी कहते हैं कि हमे स्पेशल डिवीजन की आवश्यकता नहीं है, हमें फर्स्ट क्लास की आवश्यकता नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जिसको बैकिंग नहीं है, जिसको किसी का समर्थन नहीं है, जिसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, उसको सर्विस कतई मिलने वाली नहीं है। आज यही बच्चे हैं जो भारत के भविष्य और राजस्थान के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। उनका मनोबल टूटने का यही कारण है। चाहे भादरा हो, चाहे चूरू हो, चाहे गंगानगर का सांगरिया ही भले हो, अभी माननीय सदस्य ने पेम्फलेट पढ़ कर सुनाया, आर्य जी ने, हमारे माननीय सदस्य ने अपने शुद्ध विचार इस सदन के समक्ष रखते रखते यह पेम्फलेट पढ़ कर खुश करने के लिए सुनाया। कोई भी राजनैतिक दल, कोई भी संस्था के लिए वह बच्चे, निर्दोष बच्चे हैं, इनकी अन्तरआत्मा विशुद्ध है, इसलिए इनका उनसे सम्बन्ध नहीं है। इन्होंने खुद पेम्फलेट छपवाये, न कि किसी पार्टी ने छाप कर दिये। इन्हीं बच्चों ने छपवाया, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, जिनको आप सर्विस नहीं देते हैं। आज एच. एम. टी. के लिए मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, वहां अभी चालीस पर्सेन्ट बाहर के हैं–चाहे वह पंजाब के नौकर हों, चाहे पंजाब के बाबू हों, चाहे वह मद्रास साहब के लोग हों जो वहां अधिकारी हैं। यहां तक मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने अपने लोग लाना शुरू कर दिया है। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल ठीक सोचा है। एच. एम. टी. का सीधा सेन्टर से अपाइन्टमेंट के बारे में सम्बन्ध होता था, लेकिन उन्होंने मुख्य मंत्री के दामाद को वहां लगाकर खुश किया। जब इनके दामाद को लगाया तो अपने दस आदमी लगाये। इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने पाप नहीं किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्होंने यह सबूत

(श्री भगवानदास शास्त्री)

रखा है कि चार चार इन्क्रीमेंट देकर किसी के जमाई को रखा जाता है। उन्होंने एक कमजोरी को अपने हाथ में रख कर जातिवाद के आधार पर, चाहे वह पंजाब का हो, और पंजाब का भी किसी जाति का हो, वहां रखा है। आपने फर्स्ट प्रिफरेन्स अजमेर के लिए रखा था, लेकिन अजमेर को चान्स न देकर, राजस्थानियों को चान्स न देकर इस प्रकार का काम किया है। आज महा भयंकर जो बीमारी है, वह बेरोजगारी है जिसके लिए मैं कहता हूं कि इससे आज बच्चों का मनोबल टूटा है, इस कारण बच्चे आज पढ़ाई को तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे लीडर बनते जा रहे है। यह कोरे लीडर हैं क्योंकि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं इनके पैर जमे हुए नहीं हैं, जिनकी फाउन्डेशन में सीमेंट नहीं है। वह नहीं जानते हैं। इसलिए वह निरपराध हैं, निर्दोष हैं और उनको मजबूरन राजनीति में ठूंसा जाता है। उसका कारण है बेरोजगारी। आज हमारे यहां इन्जीनियर दो लाख बेकार पड़े हैं। भगवान ने चाहा और राज्य सरकार की वीकनैस और कमजोरी रही तो डाक्टर भी 1971 तक दस और बीस हजार के बीच में बेरोजगार बनने वाले हैं। इन डाक्टरों का, कोर्स पूरा करने के पश्चात्, गांवों में अपाइन्टमेंट हुआ है तो एक एक अपाइन्टमेंट के लिए, जहां तक मुझे निजी ज्ञान है, बड़े बड़े लोगों का टेलीफोन आया, अधिकारियों के पास फोन आते हैं कि इसको इधर से हटाकर उधर रखो। मामूली कम्पाउन्डर के लिए भी एक माननीय मंत्री के और ऊंची स्थिति के मंत्रियों के टेलिफोन मैंने सुने हैं। यह बड़े दुःख की बात है। आज यह मान लें कि मंत्रियों के पास कुछ काम नहीं है और मंत्रियों और उप-मंत्रियों की संख्या अधिक है, तो अगर उनके पास कार्य नहीं है तो उनमें से आप चर्चिल पैदा करो। जब आप कहते हैं, भुखमरी और अकाल के खिलाफ हम युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे सदा के लिए हमें समाप्त करने की आवश्यकता है तो जो मंत्री बेकार हैं, उनको चाहिए कि चर्चिल के माफिक वह अपने दिमाग में देश का नक्शा बैठायें, देशवासी, देश के प्रतिनिधि, देश के नुमाइन्दे मंत्रिगणों का कर्तव्य होता है कि अपने दिमाग में प्रदेश के हितों को रखें, हमें कहां से खतरा है, हमारी सीमायें कहां से कमजोर हैं, हम अपने यहां से बेरोजगारी को कैसे समाप्त कर सकते हैं ? फालतू उद्घाटन, कटन और भाषणों को छोड़ कर हम सबको मिलकर इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं, इस शिक्षा विभाग के बारे में बाद में बोलना चाहता हूं क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई भी विवरण नहीं है। आज शिक्षा विभाग के बारे में आंकड़ों के आधार पर हम जानते हैं कि राजस्थान का सत्ताईस करोड़ के बजट में लेकर आज आगे बढ़ चुका है, शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में जो कमजोरी आती है, वह इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं। चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो—हम बराबर चिल्लाते हैं कि आपका इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हमेशा कमजोर रहता है, इसका असर शिक्षण संस्थाओं पर भी होता है चाहे वह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हों। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन तो गुजरात में भी हैं वहां लोग दानी बना कर चलाते हैं, वह विद्यादान को एक दान का रूप मानकर चलाते हैं। परन्तु जहां तक अजमेर का सवाल है, मैंने अच्छी तरह से

(श्री भगवानदास शास्त्री)

देखा है जिनकी हालत बिल्कुल कमजोर थी जो बच्चों की ट्यूशन फीस और गवर्नमेंट से मिलने वाले अनुदान पर चलती हैं उनको चलाने वाली पार्टियां लखपति बन गई हैं, जिनके पास एक साईकल थी वह दो-दो मोटरों के मालिक बन गए हैं, तीन–तीन मंजिले मकान बनाये हैं––हम उनके खिलाफ नहीं हैं।

अगर कोई पसीना बहा कर, मेहनत करके अपना मकान बनाये, अपने भविष्य का निर्माण करे तो मैं उसमें अत्यन्त प्रसन्न हूं। लेकिन विद्या जैसी महान् पुनीत शक्ति, उसको अपना बिजनेस, दुकान समझ कर बच्चों से खिलवाड़ करे यह उनका निन्दनीय कार्य है। जहां तक शिक्षा मंत्री का सवाल है, जिन्होंने आते ही कुछ उज्ज्वलता दिखाई, तो मैंने देखा कि ये बड़े देदीप्यमान मिनिस्टर होंगे पर जब सरस्वती बालिका विद्यालय का आन्दोलन हुआ, जिस छोटे से स्थान पर सरस्वती बालिका विद्यालय को आज 4 संस्थाएं चलाती हैं, आज तक वहां की पढ़ाई सराहनीय रही है, जब उसका आन्दोलन हुआ तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां के सचिव महोदय उस समय विलायत गये हुए थे, हमारे शिक्षा मंत्री ने उस पर डी ई यानि डायरेक्टर आफ एज्यूकेशन नोट लगाया और अध्यापिकाओं के प्रतिनिधि को दे दिया, यह आज्ञा करके कि निदेशक महोदय को दे दें। शिक्षा मंत्रीजी के आदेश के साथ वह एप्लीकेशन पहुंचती है तो भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। मुझे सूचना मिली है, चाहे सत्य है या उसमें कुछ मसाला है, वे कहते हैं जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जहां यह दिलासा था वहां के संचालक महोदय ने यह लिखा कि अजमेर विद्या के क्षेत्र में उच्च कोटि का माना जाता है, उच्च कोटि के अधिकारियों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां फीस फ्री, फर्नीचर फ्री, वे इन्स्टीट्यूशन वाले चाहते हैं, कि कोई सामान खराब हो गया है कोई फर्नीचर खराब हो गया है तो, अच्छा फर्नीचर अजमेर से जयपुर लाया जाता है। अगर यह सत्य है तो ऐसे अधिकारी को वहां के इन्स्टीट्यूशन्स से इस प्रकार का अच्छा सामान प्राप्त हो जाय तो इस पाप के पैसे से पढ़ कर वे उच्चाधिकारियों के लड़के देश का निर्माण कर सकेंगे, देश का कोई उत्थान कर सकेंगे, ऐसी आशा करें तो यह असम्भव बात है शिक्षा विभाग के पास नगर परिषद् में उनको जो कार्यवाही हुई, वहां के आयुक्त महोदय अपने मन माने ढंग से जहां तक मुझे ज्ञान है सत्य कितना है, मुझे पूर्ण विश्वास है वह पूरा सत्य होगा पानी के जो घरेलू कनेक्शन्स के बिल आते हैं, उनको बढ़ा देते हैं, किसी का पांच रुपया का बिल आया है तो वाटर वर्क्स के इन्जीनियर को कहते हैं कि दुगुना कर दिया जाय। ये आदेश राज्य सरकार से लिये इसलिये प्रशासक महोदय के खिलाफ आन्दोलन करना पड़ा, अहिंसक तरीके से प्रदर्शन निकला तो प्रशासक महोदय ने उस आर्डर को देखना चाहा पर आयुक्त ने छुपा दिया। आखिर कर्मचारियों ने अपने इन्जीनियर को बचाने के लिये वह आर्डर बता दिया जिसमें आयुक्त के दस्तखत थे। इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां होती हैं इसीलिये हम बार बार चुनावों के बारे में कहते हैं कि चुनावों की निश्चित अवधि तय की जाय। इसका कारण यह है कि शासक वर्ग जनता को अनुकूल प्रशासन नहीं

(श्री भगवानदास शास्त्री)

दे रहा है। इसी नगर परिषद के होते हुए अजमेर में फ्लू फैला या भयंकर फ्लू फैला, उर्स के मेले के पश्चात् मृत्यु की तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, यहां मन्दिर में बैठे हैं, वहां अजमेर में दो तीर्थ हैं, एक मुसलमानों का और एक हिन्दुओं का. उस मेले के पश्चात् मृत्यु की तो कोई घटना नहीं हुई बाकी जिस परिवार में 7 आदमी थे तो सातों ही बिस्तर में पड़ गये, जनता को रोटी खाने को पैसा नहीं बचा, बीमारी के इलाज के लिये जनता को पैसा डाक्टरों को देना पड़ा। शहर का विशुद्ध वातावरण खराब न हो कोई बीमारी नहीं फैल जाय इसके लिये जहां मेले के पश्चात् डी. डी. टी. और नाना प्रकार के पिलट पहले यूज किये जाते थे उनको यूज नहीं किया गया। दुर्भाग्य से अखबारों को तो एडवरटाइजमेंट देते हैं पर जनता के प्रतिनिधियों के हटने के बाद शासन चलाने वाले अपने आपको नेता समझ कर एडवरटाइजमेंट तो देते हैं, पर जनता के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखते। नवज्योति में पढ़ने को मिला फलां महीने में 3 लाख रुपयों की बचत हुई। कैसे बचत हुई, काहे का था वह पैसा, 5 रुपये का पानी का बिल था उसको बढ़ा कर 10 का कर दिया, जनता को चूसा गया, इस प्रकार की कार्यवाहियों से यह पैसा आया। आज कार्यवाही क्या कर रहे हैं। . .

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या आपने कोई संशोधन दिया है, मैं जानकारी चाहता हूं, शिक्षा पर आप बोल रहे हैं तो क्या आपने कोई संशोधन दिया है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चीज नहीं आई है तो उसकी सूचना देना. उस बात को राज्य सरकार तक मंत्रियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका न तो इस प्रकार का संशोधन हो है और न राज्यपाल के अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर, जब किसी चीज का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं है, न इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कोई संशोधन ही पेश किया है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य उस पर बोलें तो वह राज्यपाल के अभिभाषण पर जो डिस्कशन है, उसके स्कोप से बाहर है। मैं यह चीज निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अनेकों आरोप लगाये हैं, फलानेके दामाद ने ऐसा कर दिया, फिर शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट आफ आर्डर में भाषण . . .

श्री रामनारायण : मैं एक रूलिंग रखना चाहता हूं जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री मोतीचन्द खजान्ची पुलिस की ज्यादती की आलोचना कर रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने यह डिसिजन दिया :

"It is not my intention to interfere in the speech of the Member.

(श्री रामनारायण)

But what is desired under the parliamentary convention is to make a general criticism of the whole policy of the Government which is enunciated by way of the speech of the Rajpramukh. The Hon'ble member is no doubt entitled to centre on a particular point. But the citing of instances will be more appropriate when the particular demand comes."

तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जिस चीज पर संशोधन प्रस्ताव नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण में जिस चीज का उल्लेख नहीं है और माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो क्या इसका उत्तर राज्य सरकार से मिल सकेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप रूलिंग दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने जो रूलिंग क्वोट की है अभी बजट सेशन हो नहीं रहा है, यह तो इस पर लागू नहीं होती अगर माननीय सदस्य के पास और कोई पॉईन्ट हो तो रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक और है उसे पेश करना चाहता हूं, वह है नियम 15 स्कोप आफ डिस्कशन :

"On such day or days or part of any day the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such an address on a motion of thanks moved by a member and seconded by another member,"

राज्यपाल के अभिभाषण में कोई रेफरेंस आया हो या संशोधन द्वारा माननीय सदस्य ने कोई बात उठाई हो तो उस पर चर्चा उठाई जा सकती है। इसके अलावा और बातें कही जाती हैं तो आसन की मर्जी है कि आप अनुमति दे सकते हैं, पर राज्य सरकार उन बातों का जवाब कैसे देगी ?

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : अभी जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस तरह की बातें सदन के समक्ष रखी हैं, उनका जवाब सरकार देगी।]

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव होता है। उस वक्त प्रशासन के सम्बन्ध में सब बातें कही जा सकती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है, तो उसके लिए भी उसके ओमिशन या एडिशन के रूप में या और तरह से चर्चा कर सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : चाहे संशोधन भी न हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रशासन संबंधी।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी आपकी रूलिंग से सहमति है लेकिन पूरा भाषण··

श्री श्रवणलाल : चेयर को चैलेंज नहीं कर सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : चैलेंज का सवाल नहीं है, जिस का जिक्र अभिभाषण में नहीं है, संशोधन नहीं है, कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं, भाषण हो रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : राज्यपाल महोदय ने अकाल की स्थिति के बारे में जो कहा है, उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। अकाल किस लिए पैदा होता है ? हर जिले की अलग अलग औसत होती है। अजमेर की 19 थी आज 12-13 के निकट जाकर पहुंची है। भीलवाड़ा के बारे में माननीय सदस्य ने औसत बता दी। तो मतलब यह है कि अकाल और पानी न बरसने का कारण वाकई जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने संस्कृत के श्लोकों द्वारा बताया, मैं भी संस्कृत जानता हूं मैं उसमें न जाकर अपने राज्य और देश के लिए कहना चाहता हूं। जहां अमरीका चांद तक पहुंच चुका है, जो चांद को खोज लेता है और हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ता है, वह ऊपर उड़ते हैं और हम धरती जिसमें पानी है, जैसे बड़े कहते हैं तीन खंड पानी और एक खंड पृथ्वी है, हम धरती की छाती को फाड़ नहीं सकते. यह देश का दुर्भाग्य है।

आज वनारोपण और वनों की कटाई, दो बातें हैं। मैंने बड़े बड़े प्रदेशों में देखा कि जब भी मानसून आता है तो वहां पर सिंचाई विभाग भी छांट देता है ऐसे जंगलों को और अपने आप जंगलात बढने लगते हैं। ठीक है वह भूमि राजस्थान राज्य की नहीं है तो भी विशेषकर वन विभाग जैसे उन्होंने कटाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और उसके पश्चात् जो हमने शाहबाद, कोटा और बारां में जंगलात देखे जहां कोई चपरासी नहीं मिला जो वन की रक्षा कर सके, लोग अपने सर पर दो दो तीन तीन मन लकड़ी लेकर आ रहे थे, कहते थे कि जमीन पर लकड़ी गिरी मिली। जमीन पर जंगलात की लकड़ी गिरे यह असंभव है, उनके तोड़ने का तरीका अलग होगा, कुल्हाड़ी न मारकर किसी ढंग से गिराते होंगे तो वनों की रक्षा न होना और जंगलात की बढ़ोत्तरी में रुकावट और हम अपने साधन न जुटायें तो परास्त हो जाते हैं, भगवान को उपालम्भ देते हैं कि भगवान ने बरसात नहीं बरसाई। बरसात बरसने का कारण होता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केन्द्र हो, जनता के पेय जल की जो समस्यायें हैं और खेती आदि सिंचाई विभाग में आने वाली जो सुविधाएं हैं, राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य हो जाता है कि अपनी जनता के लिए, उनके भविष्य के लिए कम से कम पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा जोधपुर नगर जहां उच्च न्यायालय है, वहां पानी की जो समस्या समाप्त हो चुकी थी, आज वहां जवाई बांध का क्या हाल है ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी देशों में जिस विभाग का जो मन्त्री होता है, उसको अपने विभाग का ज्ञान होता है। उनके कारण जब फ्लू की चर्चा चली तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री शर्मा, ने कहा कि यह जो फ्लू है उसकी हमारे पास कोई दवा नहीं। यदि इसी पद पर डाक्टर होता एम.बी.बी एस. तो उसका कोई न कोई हल निकालता या आयुर्वेद जानने वाला मन्त्री होता तो हल निकालता ठीक है, समाजवाद है और समाजवाद का जो नारा है, वहां सब कुछ चलता है। छुरी को चाहे सीधा चलाओ चाहे उल्टा। समाजवाद का नाम देकर आप राज्य को कहीं खड्डे में न गिरायें, राज्य की कल्पना लेकर चले, जैसे पंचवर्षीय योजना जिसके बारे में 313 करोड की कल्पना लेकर चलते हैं। मैं मैसोर गया हूं, वहां बैंगलोर की क्या स्थिति थी 1945 व 1957 के

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अंदर ? आज वह बंगलोर स्वर्ग की हवा ले रहा है, इतना स्वच्छ है। जहां तक मुझे पता चला, वहां शक्तिशाली मुख्यमंत्री है, केन्द्र से लड़कर पैसा लेते हैं, यह ठीक है साउथ बढ़े, महाराष्ट्र बढ़े केंद्र में ग्रंटसंट जो कुछ धन लेना है लें, लेकिन हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, किन कारणों से, राजनैतिक कारणों से, यहां जो तब्दीली आई कोई अंतरात्मा की आवाज लेकर चले, कोई फाइलों को प्रधान मंत्री को टेबल पर देखकर अपना धर्म बदले, विचार रंग बदले, कमजोरी आई वह राजनैतिक दल अपने आप सोच सकता है। मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता कि इन परिस्थितियों के कारण, बदली हुई परिस्थितियों के कारण जो राजस्थान प्रदेश को भोगना पड़ा है। हमेशा आपने देखा होगा कि जो दल-बदलू होते हैं आप चाहे पैसे से खरीदें, हमारा यह काम नहीं होता है, हमारे क्षेत्र में तो दलबदलू का काम होना असंभव है और सब कुछ वह अपनी जेबें भर सकते हैं, परिवार को सुसज्जित करते हैं लेकिन जनता का भला नहीं हो सकता।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर)

जन संघ में ऐसा नहीं होता। आप बतायें।

एक मानीयय सदस्य : आप दल बदलो।

श्री भगवानदास शास्त्री : जन संघ वाले पक्के हैं। तो उपाध्यक्ष इन परिस्थितियों में और राजनीति की बदलती हुई दुनियां में जो राजस्थान प्रदेश को हानि पहुंची है और जो हमारा राजस्थान कैनाल का साधन था, राजस्थान कैनाल के बारे में राजनीति के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि यह नहीं बनेगा, राज्य सरकार कहती है कि जो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के जितने आदिवासी हैं, अकाल के चंगुल में आए हुए हैं। उन सब को वहां पर बसाया जायगा। जहां तक धीमी धनराशि और उसको युद्ध स्तर पर न लेकर जो धीमा कार्य चल रहा है, मैं समझता हूं, अगर आप उन गरीब काश्तकारों को अपने परिवार से छुड़वाकर बाहर भेजेंगे, रेतीले टीलों में भेजेंगे तो उनके पोते भी उस कैनाल को देखने के लिए नहीं भेजेंगे। यह कैनाल जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ऐसी राजनैतिक क्षेत्र में चर्चा चल रही है क्योंकि यह राजस्थान कैनाल पैटन टैंक्स को आने नहीं देगा, दुश्मन को प्रवेश करने से रोकेगा और हमें जितनी सेना वहां तैनात करनी पड़ेगी, इस मरु भूमि के नाते पानी आने के बाद सेना कम करनी पड़ेगी। तो वह किसका दबाव है ? कौन विघ्न डालता जा रहा है दुर्भाग्यवश ? हमारे पूर्वज महात्मा गांधी के लिए हमें श्रद्धा है, उन्होंने किस रूप में आप और हम सबसे मिलकर जो आजादी दी, उस समय सब एक थे, उस समय कोई दल नहीं था, जनता थी और वह गांधीजी का स्वप्न समाप्त हुआ। और आपको उस दल का नाम बदलना चाहिये था लेकिन नहीं बदला तो कुदरत बदलवा रही है और वह भी गांधी शताब्दी वर्ष में। कोई निर्माण कार्य नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आत्म विश्वास है कि दस वर्ष में तो वह पूरी होने वाली नहीं है चाहे किसानों को वहां लेकर जांय, चाहे वह वहां की धरती में मर जाय। केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले तो यह हो सकता है

(श्री भगवानदास शास्त्री)

और आपकी शक्तिशाली आवाज जब तक केन्द्र में न पहुंच जाय तब तक तो इसका निर्माण होने वाला नहीं है। सन् 1967 में आम चुनाव हुए थे तो 105 जीपें खड़ी की गयीं। केन्द्र ने देखा कि जिस कार्य के लिये पैसा भेजते हैं वह कार्य तो सम्पन्न नहीं होता है। वहां पर भी अकाउन्टेन्ट्स, आंकड़े मिलाने वाले हैं, चूंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिये कुछ नहीं कहते हैं। विरोधी पक्ष की सरकार होती तो कमीशन नियुक्त करके पूछती कि कहां गया पैसा। जीपों में पहुंच गया। चुनाव जीते। चुनाव एक मल्ल युद्ध है। कभी आपकी पार्टी जीत सकती है तो कभी दूसरी पार्टी जीत सकती है, कभी आप नीचे तो कभी दूसरी पार्टी नीचे। इस प्रजातन्त्र के ढांचे में ऐसे कई मंत्री हैं। एक मूर्ख था उसको तीन अक्षर सिखा दिये थे यस, नो, वेरीवेल। इस समाजवाद के कोरे नारे से, या प्रजातन्त्र का ढिंढोरा पीटने से कभी प्रदेश का भला नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में गंगानगर के संगरिया, भादरा और चूरू के गोलीकाण्डों की अत्यन्त निन्दा की। वह उनका सराहनीय कदम तो है ही। परन्तु सही स्थिति मालूम नहीं थी। भादरा में चाहे चूरू में चाहे संगरिया में निर्दोष बच्चों पर गोली चलायी, एक अधिकारी कहता है कि एक जगह इकट्ठे हो जाओ, दूसरा अधिकारी कहता है कि पांच पांच की कतार में जाओ

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिये दोहरायें नहीं।

श्री विजयसिंह (नकराना) : पहले यह कहा गया है कि बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो चर्चा हो चुकी है उसको दोहरायें नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देश की बदलती हुई परिस्थिति और इस प्रदेश की वर्तमान स्थिति को जोड़ा है। मुझे एक पोइन्ट याद आता है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने एक पैरा में यह कृपा की है कि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जहां पर अकाल की स्थिति है वहां अमृतलालजी नाहटा ने एक नाटक रच कर एक अनशन शुरू किया। जनता उमड़ी। उन्होंने उस प्रदेश में संघर्ष समिति का निर्माण किया। वह भी सदस्य शायद कांग्रेस के हैं नाहटा साहब। उन्होंने यह जो रङ्ग रचा एक नाटकीय ढङ्ग से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, एक वहां से एम. पी. जो नये तुर्क हैं, वे हवाई जहाज में आकर उनको दिल्ली उड़ा ले जाते हैं, उसका जनता पर बड़ा असर है। ऐसे नेता जनता को आसमान में ले जाते हैं लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि वही जनता उनके सिर पड़ जाती है। जनता को उभाड़ना सरल है लेकिन उसको कन्ट्रोल करना, जो उच्च नेता होता है, विशुद्ध रूप से जनता का सेवक है, जो देश सेवक है और जिसको प्रदेश की चिन्ता है, उसी का काम है और वह ही हजम कर सकता है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। उस नाटक में दस रुपये की घोषणा हुई। जैसा मेरे पूर्व वक्ता माननीय हंसराज जी ने कहा कि साढ़े सोलह पैसे, सत्रह पैसे होते हैं, पांच रुपये के बजाय दस रुपये की घोषणा

(श्री भगवानदास शास्त्री)

की है तो वह भी थोड़ी है। राज्यपाल के अभिभाषण में पांच रुपये लोन के रूप में और पांच रुपये अनुदान के रूप में देने की घोषणा की गई है। दल और पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार माता-पिता अपने बच्चे को वाणी सिखाते हैं और वह बडा होने पर वही वाणी बोलता है उसी प्रकार से पार्टी और दल व्यक्ति की एक वाणी है। वह उस दल और पार्टी की वाणी में ही बोलता है। जो अकाल के नाम पर यह नाटक रचा है, उसकी समाप्ति न होते हुए भी वे जनता के बीच में हवाई जहाज से उड़ कर रवाना हो जाते हैं। वह एक दुखद घटना थी। सहायता कार्य में पांच और दस रुपया देना यह भी एक अपने आप में नाटक का एक अङ्ग हैं। मुझे क्वेटा का इतिहास याद है। क्वेटा में भूकम्प आया था। उसमें 90 प्रतिशत लोग मरे थे और दस प्रतिशत जिन्दा बचे थे। अंग्रेजों के वक्त की बात है। लाखों की सम्पत्ति कपड़ा, कम्बल वगैरह सब आगे रखा था उनको देने के लिए यह सब अंग्रेजों की तरफ से था लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा पंचायती पैसा हम को नहीं चाहिये। लेकिन आज वह मनोबल नहीं है। हमारा मनोबल ऐसा हो गया है कि सरकारी पैसा है, चाहे दुनिया की सम्पत्ति पास हो, धन सम्पत्ति सब होते हुए भी, लखपति करोड़पति बन जाय फिर भी हजम करने में कोई संकोच नहीं है। स्वाभिमान नहीं है। सहानुभूति भी नहीं है कि पांच रुपया मेरे पास है किसी और गरीब को यह पहुंच जावेंगे मैं न लूं। मेरे परिवार का पोषण हो रहा है उसके परिवार का पोषण होगा। राज्य की जितनी घातक और कूट नीतियां हैं जो गलत वृत्तियां हैं वे जनता के अन्तःकरण में पहुंच चुकी हैं और जनता के मस्तिष्क में भी पहुंच चुकी हैं। मुझे बड़े बड़े अधिकारी ट्रेन वगैरह में मिलते है, सेन्टर से जिनका वास्ता है, बात करते करते पूछते हैं अधिकारी कहते हैं कि चिन्ता क्यों की जाय यह गंगा बह रही है लुटिया भर कर पी लें, ऐसा मौका हाथ नहीं आवेगा। पच्चीस पच्चीस सिनेमाघर जिस व्यक्ति के पास किसी समय थे आज उसके पास एक सिनेमाघर भी नहीं, उसके बेटे सर्विस करके परिवार का पालन करते हैं। जनता का पैसा, समाज का पैसा है, एक पीढी में तो वह देखने में आयगा कि तिजोरियां भरी हैं लेकिन दूसरी पीढी में वह हजम होने वाला नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कोड़े पड़ेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : कोड़े पड़ेंगे उनके।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति है लोगों को केश पेमेन्ट देना दस रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह यह जनता के साथ एक महान धोखा है। स्वाभिमान और मोरल जब डाउन होता है तो यह महान् चिन्ता का विषय है। भिखमंगों के लिये कानून बना रहे हैं, सिलेक्ट कमेटी बिल पास करने वाली है और इससे तो उल्टे हाथ से भिखमंगों को बढ़ावा दे रहे हैं। भिखारी बनाना है। बहुत नेताओं ने चर्चा की। कुछ भी कहें हमें चिन्ता नहीं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म में रहने का अधिकार है। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता है। यह भारत देश ही है जहां पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे वाणी हो, चाहे कर्म हो, चाहे

(श्री भगवानदास शास्त्री)

धर्म हो। कोई कहे कि मेरे दादा मजिस्ट्रेट थे, कोई कहे कि मेरे चाचा पुलिस कप्तान थे, कोई कहे कि मेरे श्वसुर मुख्य मंत्री थे। यह बात भूल जाइये। आप क्या करते हैं? आपका क्या अस्तित्व है, आप प्रदेश के लिये क्या कुछ हैं, ऐसी धारणा रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सदन का नेता हो, मंत्री हो, साम्प्रदायिक दंगों का विवरण हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है, जहां प्रतिनिधि सोचते हैं, मैं चेलेन्ज से कहता हूं सरकार पहुंचे या न पहुंचे, पुलिस आये या न आये, सिर्फ संघर्षों में विश्वास न रखें अगर उनके मन में कटु विचार न हो तो किसी प्रदेश की बात हो किसी भी शहर या नगर का निवासी हो कोई कुछ नहीं कर सकता। मन से उनको साफ होना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्य यह कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। लेकिन यह बात मेरे साथ तो नहीं है। हमारे अजमेर में अच्छे कलेक्टर आये हैं अच्छे अधिकारी आये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह जगह का वरदान है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा तो यह मानना है कि अगर विधायक लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को न लेकर जनता की भलाई की मांग जनता के विचारों की जो मांग है अगर वह लेकर जायें तो मैं समझता हूं कोई सख्त से सख्त अधिकारी हो पुलिस का अधिकारी हो जिलाधीश हो या शिक्षा विभाग का अधिकारी हो तो उसको माननी होगी। उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो केस मेरे साथी ने सुनाया डाक्टर साहब के वर्ताव के बारे में मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। मुझे स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी जानकारी है मुझे अजमेर के अस्पताल में भी जाना पड़ता है ...

मेजर श्री फतेहसिंह : वे डाक्टर साहब शराब पिये हुए थे ...

श्री मनोहरसिंह महता : आपने अब कहा है शराब पिये हुए थे।

श्री भगवानदास शास्त्री : जिन डाक्टर साहब का जिक्र किया गया उसके बारे में कहा जाता है वे बहुत सज्जन हैं और निपुण भी है। मैं व्यक्तिशः उनको जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा भी नहीं है और न कभी उनसे परिचय हुआ है। आपने आयुर्वेदिक ग्रन्थ माधव निदान देखा होगा। आयुर्वेद से मैं परिचित भी हूं उसको पढ़ भी चुका हूं। उसमें चिकित्सक के लिये लिखा है उसमें कहा गया है कि जब किसी बीमार को देखना हो तो फौरन अपने कपड़े पहनकर बीमार के यहां पहुंच जाना चाहिये। यह माधव निदान का कथन है अगर सगी मां भी मरी हुई है तो भी पहले मरीज को देखना चाहिये। हमने अच्छे डाक्टर्स भी देखे हैं जिनमें पी. सी. जैन, केशवदेव शास्त्री जैसे चिकित्सकों को देखा है ...

श्री मूलचन्द डागा : शास्त्री तो सभी अच्छे ही होते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर स्वयं अच्छा हो तो सभी उसके साथ अच्छे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्री कोई जाति नही होती है यह एक डिग्री होती है। लाल

(श्री भगवान दास शास्त्री)

बहादुर जी के नाम के पीछे भी शास्त्री लगता था। शास्त्री किसी सबजेक्ट की उपाधि है संस्कृत में एस्ट्रोलोजी में होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर बोलिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की अकाल की स्थिति के बारे में सदन के सदस्यों की नाना प्रकार की विचार धारा है। सस्ते भावों को लेकर महंगे भावों में अनाज को बेचना आज के दिन देश के लिये दुर्भाग्य की निशानी है। इसके बारे में जिनको लाइसेन्स प्राप्त हैं जिलाधीश का परम कर्तव्य है कि उसका निरीक्षण करना चाहिये। उसकी इन्क्वायरी करनी चाहिये। जिनको अनाज दिया गया है आडिट पार्टी ने उनका आडिट किया या नहीं यह देखने की बात है जिनके कार्ड पर अनाज दिया गया उनका नाम मस्टररोल या लेजर में एन्टर है या नहीं यह भी देखने की चीज है। आज देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनाज के व्यापारी जो अकाल के नाम से सस्ता अनाज ले लेते हैं अकाल पीड़ितों के नाम पर अनाज प्राप्त करते हैं और उस अनाज को महंगे भाव मे बेचते हैं इससे अधिक नीचता की बात और क्या हो सकती है। वे देश के प्रति तो गद्दार हैं ही भगवान के दरवाजे पर भी उनको माफी मिलने वाली नही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपकी घंटी बार बार आ रही है उससे यह संकेत है कि पांच बजे सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे समक्ष अकाल सहायता सम्बन्धी कार्यों का सवाल है, मेरे सामने अकाल राहत मन्त्री बैठे हैं मैं आपको धन्यवाद देने के लिये तैयार हूं लेकिन जो परिस्थिति आने वाली है उस ओर भी आप समुचित ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कभी गांवों में गये हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के गांवों में जवाजा आदि गांवों में घूमा हूं। मैं अकाल राहत मन्त्री की सराहना किये बगैर नहीं रह सकता इन्होंने अकाल राहत के कार्यों में बहुत दिलचस्पी ली है हर जगह जाकर वहां के लोगों के दुख दर्द को आपने सुना है। आपकी आयु को देखते हुए मैं समझता हूं आप इस बात के लिये कटिबद्ध होंगे 10 वर्ष तक कम से कम यह कार्य आपको मिलता रहे। आपको इस कार्य में लगन के साथ लगते हुए देखकर हमें प्रसन्नता होती है। मैं इस प्रसंग में एक बात कहें बगैर नहीं रह सकता। अजमेर से लेकर बीकानेर तक गंगानगर को आप छोड़ दीजिये, जिसको मुख्य मन्त्री सम्भाल लेंगे वहां के आन्दोलनकारी अपनी सब कुछ मांगें मनवा लेंगे आप थोड़ा सा हमारे प्रदेश की तरफ भी ध्यान दीजिये। अजमेर का स्थान अंग्रेजों के दिनों में भी बड़ा महत्व का रहा है। वह टूरिस्ट के लिए अच्छा स्थान है। अजमेर का प्रतिनिधि होने के नाते वहां की जो नाना प्रकार की समस्यायें हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर की जल समस्या का समाधान हुआ है उसके लिए आप धन्यवा-

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के पात्र हैं लेकिन भावों की बढ़ोत्तरी नगर पालिका पानी का ज्यादा रेट लेगी जिससे जनता को किसी न किसी प्रकार से लूटना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा नगरपालिका के क्षेत्र में जिस पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। सरकार का आश्वासन था कि राजमहल से पानी उपलब्ध किया जायगा यह 57 में घोषणा की गई थी। लेकिन मिला बनास का पानी बारह मील दूरी से मिला....

एक माननीय सदस्य : राजमहल के जल में नशा होता है वह ठीक नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जहां तक अजमेर में जल की समस्या थी वह हल हुई है इसमें दो राय नहीं हो सकती।

इसके साथ साथ अजमेर में जो एच. एम. टी. का कारखाना लगा है उसको बढ़ाकर मैं, निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के जो मजदूर बेकार हो गये हैं उनको आप मजदूरी पर लगाने की व्यवस्था करेंगे।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय 5 मिनिट तक के लिये और बढ़ाया जाता है।

एक आवश्यक सूचना। अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था :

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, केदारनाथ, रामचन्द्र आर्य, राजवी रूपसिंह, दौलतराम सारण, बद्रीप्रसाद गुप्ता, विजयसिंह, नत्थीसिंह व चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय के नोटिस दिए हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिनांक 21-1-70 को गंगानगर में चल रहे किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया गया है उस पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 263 के अन्तर्गत सदन में विचार करने की अनुमति दी जावे।

नियम 263 के अन्तर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें यह कहा गया हो कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या अन्य किसी विषय को विचारार्थ लिया जावे सदन में मत नहीं लिया जायगा आदि। इस प्रकार यह नियम प्रक्रिया से सम्बन्ध रखता है, न कि इस बात से कि किन किन नियमों पर प्रस्तावों की सूचना दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इस नियम के प्रावधानों को आकर्षण करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पहले से प्रस्तुत किया हुआ होना चाहिये। यह नियम इस प्रकार प्रस्तुत किये हुए प्रस्ताव पर क्या प्रक्रिया अपनाई जायगी, इस बात का प्रावधान करता है इस प्रकार यह नियम कोई सारभूत प्रावधान का नियम नहीं है। बल्कि उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में केवल प्रक्रिया का निर्देश करने वाला नियम है।

प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सारभूत प्रावधान का निर्देश करने वाले नियम 106, 11[illegible] तथा 127 हैं ये सब नियम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों से सम्बन्ध रखते हैं और इन्हीं में से किसी नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इन्हीं के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव जब आसन द्वारा विचारार्थ स्वीकार

Page No 150

(श्री उपाध्यक्ष)

कर लिये जावें तब उन पर नियम 263 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

नियम 127 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर अल्प अवधि के लिए चर्चा की जा सकती है। मेरी दृष्टि में विचाराधीन प्रस्तावों में जिस विषय का उल्लेख किया गया है वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है अतः मैं उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा जिन दो प्रस्तावों की सूचना दी गई है उन पर नियम 127 के अन्तर्गत विचार करने की अनुमति देता हूँ।

सर्वश्री रामचन्द्र आर्य, केदारनाथ, दौलतराम सारण, विजयसिंह, बद्रीप्रसाद गुप्ता, नत्थीसिंह तथा चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा, ने नियम 127 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है कि गंगानगर जिले में चल रहे किसान आन्दोलन की मांगों पर सदन में चर्चा उठाई जावे। माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य पर मैंने उपरोक्त सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए जिस प्रस्ताव को अनुमति दी है, उस समय इस प्रस्ताव के विषय पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि दोनों का सम्बन्ध एक ही विषय से है। अतः मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ।

श्री दौलतराम सारण तथा श्री हरजीराम बुरड़क सदस्य, विधान सभा ने जिला चूरू में किसान संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 28-1-70 से आन्दोलन प्रारम्भ करने की मांग को लेकर चर्चा करने के लिए आज एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूरू में हुए गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी का वक्तव्य हो चुका है किन्तु इसका सम्बन्ध किसानों की मांगों से बतलाया जाता है। अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूँगा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, माफ करिये, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं माननीय राजस्व मंत्रीजी से, यह प्रश्न ऐसा है जो सम्बन्धित नहीं होगा। फिर मैंने तो मुख्य मंत्रीजी को सम्बोधित किया था और इसलिये मुख्यमंत्री जी से इसका वक्तव्य दिलाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : किसानों की मांगों का सम्बन्ध आम तौर से राजस्व मंत्रीजी से रहता है और इसलिये यह आशा कर ही चलना चाहिये कि इस सम्बन्ध में उनका वक्तव्य ही सन्तोषप्रद होगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध राजस्व मंत्री से अकेले से ही नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध तो स्वास्थ्य, अकाल, गृह और वित्त मंत्री से सिंचाई मंत्री से और मुख्य मंत्री से भी है। और इसका सम्बन्ध अधिकांश मुख्यमंत्री से ही है इसलिये मुख्यमंत्री से ही इसका उत्तर दिलाया जाना चाहिये।

श्री विजयसिंह : वैसे सैंतीसों मन्त्रियों से है।

Page No 151

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी मंत्री उत्तर दे, इन सब मांगों का उत्तर दिया जाना चाहिये और दिया जावेगा यह आशा लेकर मैं चलता हूँ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्नोत्तर 5 बज कर 5 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 28-1-70 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No 152

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 169 की सूची)

From : The Director of Education,
State of Ajmer dated 7-4-55.

To

Ajmer, The Deputy Commissioner,
5-4-55 State of Ajmer
Ajmer

No. Genl. 19020/55 dated Ajmer the 4-4-55

Sir,

With reference to the Correspondence resting your D. O. letter No. B 3188 10 (e)—2 dated the 4th March, 1955 I have honour to say that a portion of said building is used as the Hostal of Government Beatham High School, Kekri. The Headmaster of the School is being asked to vacate the building by the close of the current session i. e. 1st June, 1955 and to handover vacant possession to whomsoever you suggest.

Yours faithfully,
Sd/-A. BAQI,
Director of Education,
State of Ajmer.

No. Gen. 10021-22/55 Dated Ajmer the 4-4-55
Copy forwarded to :—

1. The Headmaster, Govt. Beatham High School, Kekri for information and necessary action. He will kindly vacate the Lock-up Building by the 31st May, 1955 and handover vacant possession to the nominee of the Deputy Commissioner, Ajmer on the 1st June, 1955 positively. In the meantime he should please find out a suitable building for the Hostel to be taken on rent from the next session i. e. 1st June, 1955.

2. The Headmaster, Government Primary School, Kekri who will please vacate the portion of lock-up building which is in use of the primary school and handover possession to the Headmaster, Govt. Beatham High School, Kekri, before the summer vacation.

Sd/- N. CHAKRAVARTI,
For Director of Education,
State of Ajmer.

सूची "ब"

पब्लिक बोर्डिंग हाउस के स्टाक रजिस्टर में निम्न सामान अभी तक उपलब्ध है:—

क्रमांक	नाम वस्तु	तादाद
1.	अलमारियां लकड़ी की बड़ी	5
2.	अलमारियां लकड़ी की छोटी	10
3.	मेज	21
4.	कुर्सियां	10
5.	बेन्चें	2
6.	टेबल टेनिस मेज	1
7.	लोहे की खाट	35
8.	थाल पीतल के	33
9.	गिलास पीतल के	25
10.	परात पीतल की	1
11.	काठी	2
12.	कड़ाई	1
13.	पथरणा	2
14.	तकिये	3
15.	मसनद	2
16.	हमाम दस्ता	1 सेट
17.	चम्मच	3
18.	लौटे	4
19.	भगोने पीतल	1
20.	चिमटा	1
21.	चलनी पीतल	1
22.	कटोरी पीतल	6
23.	घन लोहे का	1
24.	तख्ते लकड़ी के	4
25.	घड़ा पीतल का	1
26.	दीवार घड़ी	1
27.	सन्दूक	7
28.	खाटे पुराने	3
29.	धामा पीतल का	1
30.	तवा	1

हस्ताक्षर (गजराज जैन)
प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
केकड़ी (अजमेर जिला)

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 163 की सूची)

नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत विशिष्ट वर्ग के प्रार्थियों की तालिका (31 दिसम्बर, 1969 को)

1.	इंजीनियर	1,087
2.	अध्यापक	7,370
3.	लेखक	–
4.	अन्य तकनीकी एवं विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त	2,762

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 168 की सूची)

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 86 (9अ) के अन्तर्गत वर्ष 1968–69 में जोधपुर जिले से अन्य जिलों में स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों की सूची।

क्र.सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
1.	श्री गोपीलाल	पंचायत समिति, बिलाड़ा जिला जोधपुर।	पंचायत समिति, सुमेरपुर जिला पाली।
2.	,, घमंडीराम	पंचायत समिति, बाप जिला जोधपुर।	पंचायत समिति, कठूमर जिला अलवर।

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. संख्या 138 की सूची)

ऋण का विवरण	देय ब्याज	नवम्बर, 69 तक चुकाया गया ब्याज
	(अंक लाख रुपये में)	
(क) स्थायी	267.26	147.16
(ख) अल्पकालीन	25.00	52.57
(ग) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त	2151.55	1227.57
(घ) स्वायत्त निकायों से प्राप्त	59.87	15.91
योग . .	2503.68	1443.21

Page No 157

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 143 की सूची)

सहकारी संस्थाओं के नाम जिनके पास परमिट हैं उसकी तालिका

रीजन	नाम सहकारी संस्था	परमिटों की संख्या
1	2	3
जयपुर	1. जमीदार सहकारी समिति झुंझुनू	3
	2. मातनहेल ट्रा. कोआपरेटिव सोसायटी, खेतड़ी	2
	3. जनता ट्रा. कोआपरेटिव सोसायटी धौलपुर	1
	4. जमना ट्रा. कोआपरेटिव सोसायटी भरतपुर	1
	5. रूपवास जनता मोटर ट्रा. कोआपरेटिव	1
	6. मोटर वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटी, भरतपुर	2
	7. जयहिन्द ट्रा. कोआपरेटिव सोसायटी जयपुर	1-कुल 11
जोधपुर	1. मे. सतनाम मोटर ट्रा. को. आ. सो. लि. सुमेरपुर	4
	2. पाली मोटर ट्रा. को. आ. सो. लि.	3
	3. शर्मा ट्रा. को. आ. सो.	3
	4. उम्मेद को. आ. सो.	2
	5. नेहरू मोटर ट्रा. कोआपरेटिव ।	4-कुल 16
कोटा	1. त्रिशाल ट्रा. कोआपरेटिव सोसायटी	2
	2. राजेन्द्र ट्रा. को. आ. सोसायटी, झालावाड	2
	3. लाखेरी कोलियारी ट्रा. को. आ. सोसायटी	2
	4. मोटर वर्कर्स को. आ. सोसायटी बूंदी	5-कुल 11
उदयपुर	1. मोटर मजदूर सहकारी समिति	4
	2. जनता सहकारी समिति भीलवाड़ा	1
	3. किसान सहकारी समिति	3-कुल 8

1		2	3
बीकानेर	1.	भारत ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	5
	2	गुरू नानक ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	5
	3.	सुप्रिम मोटर ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. करणपुर	1
	4.	जनता ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	5
	5.	गणेश मोटर ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	3
	6.	कृष्णा ट्रा. को आ. सोसायटी लि. गंगानगर	2
	7.	ओंकार ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. करणपुर	3
	8.	गांधी ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	9.	राजस्थान ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	10.	सेवक ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	11.	सुभाष ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	12.	जीवन मोटर ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. भादरा	1
	13.	जमींदारा ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	14.	जगतपुरा मोटर ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	15.	प्रताप ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. गंगानगर	1
	16.	जनता ट्रा. को आ. सोसायटी लि. ,,	1
	17.	मालवा ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. ,,	2
	18.	कान्टेनेन्टल स्पीडवेज ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. बीकानेर	1
	19.	पुरुषार्थी मोटर ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. ,,	1
	20.	हमीरवास ट्रा. को. आ. सोसायटी लि. बीकानेर	1-कुल 38
		सब कुल योग	84

शादियों में बरात ले जाने व लाने से सरकार को औसतन सालाना टैक्स मिलता है उसकी रीजनवार तालिका

रीजन	औसतन सालाना आय
जयपुर रीजन	1,53,318/–
उदयपुर रीजन	21,000/–
कोटा रीजन	5,000/–
बीकानेर रीजन	5,977/–
जोधपुर रीजन	39,970/–
आय का कुल योग	2,25,265/–

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. स 144 की सूची)

Proceedings of the meeting held on 24-4-1969.

A meeting was held on 24-4-69 to consider the implementation of the assurances given by Finance Minister in the Budget Speech in March, 1968. The following were present:—

(1) Chief Secretary to Government.

(2) Secretary Irrigation & Power.

(3) Secretary, Rajasthan State Electricity Board.

(4) Addl. Chief Engineer P. W. D, (B & R).

(5) Chief Engineer, Public Health.

(6) T. T. to Chief Engineer Irrigation.

(7) Special Secretary, Appointments Department.

(8) Dy. Secretary, Planning Deptt.

(9) Dy. Secretary, Finance Deptt. (Shri J. M. Khan).

(10) Budget Officer, Finance Deptt.

The following decisions were taken—

Action by D.S. (Manpower) and Secy. I & P.	(3) It was decided that one of the conditions of enlistment of 'A' type contractors should be that they will engage a qualified Engineer out of the Roster kept by the Manpower Section, if the value of the contract exceeds Rs. 2.00 lacs. Similarly, in the case of unlisted contractors, a condition should be incorporated in the agreement where the value of the contract exceeds Rs. 2.00 lakhs that they will engage qualified Engineers out of the Roster maintained by the Manpower Section.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

सूची–अ

कोटा सिंचाई डिवीजन बूंदी के अन्तर्गत सर्वेक्षण की गई है या की जा रही है सिंचाई योजनाओं की सूची (अ) योजनाएं जिन पर सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है।

क्रमांक	सिंचाई योजनाओं का नाम	अनुमानित लाभांश लाखों में	अनुमानित सिंचाई एकड़ में
1	2	3	4
	जिला झालावाड़		
1.	पिपलाज	17.00	2236
2.	छापी	36.00	6000
3.	मनोहर थाना	350.00	50930
4.	सरोला	16.00	991
5.	गनेशपुरा	11.00	1150
6.	रिजोन	1.10	160
7.	केसरा	2.50	84
8.	सारनखेरी	12.00	650
9.	विनायका	13.20	700
	जिला बूंदी		
1.	बांकी खाल	8.00	1300
2.	गोकुलपुरा	7.00	464
3.	कोडो	5.00	288
4.	बांदीकुई	12.00	–
	जिला कोटा		
1.	गोपालपुरा	34.20	3691
2.	बिलास	65.00	4729
3.	रामपुरा	4.00	400
4.	मोशेडो	10.00	441

Page No 161

1	2	3	4
5	बहुनदी	18.24	2377
6.	नारायणखेडा	12.00	765
7.	जयदेव	3.17	237
8.	शिवदानपुरा	8.00	–

"ब" योजनाएं जिन पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

	जिला झालावाड		
1.	मांगरोन	120.00	48000
	जिला बूंदी		
1.	अभयपुरा	16.00	1300
2.	मन्नदुर्गा	2.50	350
	जिला कोटा		
1.	हिंडलीत	30.70	7000
2.	ओतावलो	14.00	1300
3.	छतरगंज	4.00	–
4.	बादोरा	5.00	500
5.	पालिया	–	650

सूची 'ख'

अकाल राहत कार्यों पर गत व चालू वर्ष में की गई राशि का विवरण:—

नाम डिवीजन	खर्च की गई राशि 68-69 लाखों में	खर्च की गई राशि 69-70 (माह दिसम्बर तक) लाखों म
1. जयपुर	0.50	18.38
2. अलवर	0 06	2.66
3. अजमेर	[illegible].32	78.23
4. बूंदी	4.47	6.63
5. जवाई	25.92	167.18
6. उदयपुर	18.50	89.95
7. कांकरोली	3.11	32.16
8. भीलवाडा	13.62	94.16
9. चित्तौडगढ	8.72	35.68
10. बांसवाडा	12.30	148.53
11. बांसवाडा (माडी)	1.45	3.13
12. घग्घर फ्लड कन्ट्रोल वृत	—	7.31
13. गंग कैनाल (दक्षिण)	—	8.12 नवम्बर 69 तक
	86.32 लाख	600.96 लाख

Page No 163

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. स. 152 की सूची)

प्रश्न 2 के उत्तर में वर्णित गावों की सूची

जो तहसील नोहर व सूर गढ में राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत रावतसर डिस्ट्रीब्यट्री व राजस्थान मुख्य नहर इत्यादि से लगभग 3–4 मील दूरी पर अवस्थित हैं:–

1. ढढेला
2. टोपरिया
3. किकरवाली
4. आसरजाना
5. बिरकाली
6. मुडसारी
7. केसरदेसर
8. पोस्का
9. रामपुरा
10. ऐटा
11. हरदासवाली
12. कालूसर
13. सोमासर
14. फरीदसर
15. विर्धवाल
16. डिडर
17. मालड
18. कुमरादी
19. गोपालसर

Page No 164

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 154 की सूची)

अकाल राहत कार्यों पर सन् 1968-69 में किये गये खर्चे का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	व्यय की गई धन राशि 1968-69	1969-70	लाखों में
1.	अजमेर	26-63	145-84	
2.	अलवर	3-11	2-58	
3.	बांसवाड़ा	19-61	188-11	
4.	बाड़मेर	100-03	744-69	
5.	भरतपुर	3-37	7-95	
6.	भीलवाड़ा	37-01	174-13	
7.	बीकानेर	131-45	450-48	
8.	बूंदी	17-19	41-35	
9.	चित्तोड़गढ़	29-18	85-45	
10.	चूरू	40-05	339-18	
11.	डूंगरपुर	28-31	172-59	
12.	गंगानगर	6-97	52-94	
13.	जयपुर	66-70	54-69	
14.	जैसलमेर	186-82	301-29	
15.	जालौर	67-83	214-65	
16.	झालावाड़	6-01	20-29	
17.	झुन्झुनू	25-38	66-72	
18.	जोधपुर	224-52	697-76	
19.	कोटा	16-37	9-71	
20.	नागौर	25-09	212-74	
21.	पाली	42-29	255-98	
22.	सवाई माधोपुर	4-40	2-48	
23.	सीकर	25-82	57-42	
24.	सिरोही	9-82	50-72	
25.	टोंक	16-46	69-59	
26.	उदयपुर	57-56	414-55	
	योग :	1218-91	4836-18	

Page No. 165

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 161 की सूची)

चीनी के रिटेलरों की सूची

माह मार्च, 68 तक व इसके पूर्व।	श्री नाथूराम पुत्र नारायण राम निवासी-खेड़ा।
माह मई, जून, जौलाई, अगस्त, अक्टूबर, व नवम्बर, 68 का।	श्री रतना राम पुत्र इसाराम निवासी-सिगरावट।

Page No 166

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 165 की सूची)

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 86(9-ए) के अन्तर्गत कोटा व झालावाड जिलों में किये गये स्थानान्तरणों की सूची।

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पद		स्थानान्तरण किया गया	
			कहां से	कहां को
		वर्ष 1967		
1.	श्री गंगासिंह	वरिष्ठ लिपिक	पं. स. पिडावा	पं. स. छबड़ा
		वर्ष 1968		
2.	,, घासीलाल व्यास	क. ले.	पं. स. पिडावा	,, बारां
3.	,, लक्ष्मीनारायण गौड	ग्राम सेवक	,, बारां	,, अन्ता
4.	,, जोरावरसिंह	,,	,, अन्ता	,, बारां
5.	,, भंवरसिंह	,,	,, बारां	,, अन्ता
6.	,, भवरसिंह भाटी	,,	,, अन्ता	,, बारां
7.	,, महेश कुमार	,,	,, बारां	,, अन्ता
		वर्ष 1969		
8.	,, हीरालाल परिहार	,,	,, रेलमगरा	,, झालरापाटन
9.	,, जगन्नाथ नामदेव	,,	,, बेगू	,, झालरापाटन
10.	,, अमोलकचन्द	,,	,, टोंक	,, सुल्तानपुर
11.	,, लड्डूलाल जैन	,,	,, सुल्तानपुर	,, टोंक
12.	,, प्रेमनारायण मिश्रा	,,	,, झालरापाटन	,, राजाखेडा
13.	,, रामप्रसाद सोनी	क. ले.	,, अटरू	,, केशवरायपाटन
14.	,, फकरू अहमद	व. ले.	,, टोडाभीम	,, सुनेल
15.	,, रतनलाल चोरडिया	,,	,, देवगढ	,, अटरू

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. सं. 167 की सूची)

...पर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के सदस्यों पर खाद बीज, तकावी इत्यादि की बकाया राशि की सूची।

पम्पिंग सेट बकाया राशि	पम्पिंग सेट कब से बकाया	स्कूल भवन	डेरी फार्म बकाया राशि	डेरी फार्म कब से बकाया	ट्रेक्टर बकाया राशि	ट्रेक्टर कब से बकाया	पंचायत भवन बकाया राशि	पंचायत भवन कब से बकाया	कृषि ऋण बकाया राशि	कृषि ऋण कब से बकाया	अध्यापिका आवास गृह बकाया राशि	अध्यापिका आवास गृह कब से बकाया	हरिजन कालोनी बकाया राशि	हरिजन कालोनी कब से बकाया	भू-संरक्षण बकाया राशि	भू-संरक्षण कब से बकाया	बैल खरीद व गाय खरीद बकाया राशि	बैल खरीद व गाय खरीद कब से बकाया
से 36800.00	59–60 से 68–60		1.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
से 2024.10	60–61 से 67–68		2.–	–	7386.2	63	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
–	–		3.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–		4.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21223	58 से 69	7700 58 से 69	5.–	–	–	–	8200	58 से 69	–	–	10741	5 से 6	–	–	–	–	–	–
से 8226.86	66–67 से 69–70		6.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
से 38400.00	65–66 से 68–69		7.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500.00	68		8.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29400.00	65–69		9.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3751.68	69		10.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242.32	[illegible]	231.10	[illegible]
9823.50	67–68		11.–2785.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31825.00	–		12.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2250.00	60–61 से 67–68	2,40,000 60–61 से 67–68	13.–	–	–	–	600.00	–	200.00	60–61, 67–68	2500.00	60–61, 67–68	3600.00	60–61 से 67–68	–		–	–
–	–		14.–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट. 13

(अ. प्र. सं. 174 की सूची)

प्रश्न के भाग (1) की सूची

क्रमांक	नाम	पद	रिटायरमेंट की तारीख	
1.	श्रीमती एल. थोमस	मेट्रन ग्रेड I	19-9-68	पुन: नियुक्ति दिनांक.
2.	,, एच. चीना	,,	6-8-68	
3.	,, एस. डेलिया	,,	1-12-68	
4.	,, एम. पी. ट्रक्की	,,	21-9-68	26-3-69
5.	,, जी. कावस जी	सिस्टर	12-9-68	
6.	सुश्री ताराबाई राजे	,,	14-9 68	
7.	,, डी. जैकब	,,	22-11-68	
8.	श्रीमती कृपा डेविड	,,	30 10-68	
9.	,, पी. जी. लाल	,,	14-6-68	
10.	सुश्री ए. एम. मेसी	,,	5-10-68	
11.	श्रीमती एस. एस. डेविड	,,	8-10-68	
12.	सुश्री पी. बी. सिंह	,,	27-9-68	
13.	,, एम. लाल	,,	19-10-68	
14.	,, जे. बी. लाल	,,	29-10-68	
15.	श्रीमती सोनी तारा	,,	21-5-69	
16.	,, मीराबाई	स्टाफ नर्स	1-6-68	
17.	सुन्दर परनेट	,,	24-7-68	
18.	,, लीलावती आर्य	,,	27-8-68	
19.	,, चम्पा बाई	,,	4-10-68	
20.	,, एच. थोमस	,,	4-10-68	
21.	सुश्री एन. जेपा	,,	4-10-68	
22.	श्रीमती सी. चार्ल्स	,,	5-10-68	
23.	,, एस. जेकब	,,	12-12-68	
24.	,, एस. एफ. स्काट	,,	12-2-69	
25.	,, ई. एस. राय	,,	15-4-69	
26.	,, कस्तूरी बाई	,,	12-6-69	

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 179 की सूची)

राजस्थान राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दिनांक 31-12-1969 को उपलब्ध शिक्षित बेरोजगार

नियोजन कार्यालय	मैट्रिक पास	हायर सेकेन्डरी व उससे ऊपर किन्तु स्नातक से कम	स्नातक	अधिस्नातक	योग
1	2	3	4	5	6
अजमेर	2,005	2,756	471	—	5,232
अलवर	1,943	1,355	293	—	3,537
बांसवाडा	283	243	27	—	558
बाडमेर	74	86	9	—	163
भरतपुर	1,430	834	206	—	2,470
भीलवाडा	658	537	84	—	1,279
बीकानेर	885	556	132	—	1,573
चित्तौडगढ	479	532	123	—	1,134
चूरू	418	429	46	—	894
डूंगरपुर	78	48	13	—	139
जयपुर	5,373	2,227	937		8,537
झुंझुनूं	743	252	142		1,137
झालावाड	248	173	24		445
जोधपुर	945	812	307		2,064
कोटा	1,501	1,212	221		2,934
नागौर	461	126	64	—	651
पाली	479	427	73		979
सवाई माधोपुर	1,589	864	137		2,590
सीकर	832	385	121		1,338
सिरोही	678	211	60		949
श्री गंगानगर	1,142	515	166		1,823
उदयपुर	487	1,498	171		2,156
वृत्तिक एवं कार्यकारी अनुभाग राज., जयपुर	—	—	996	1,265	2,261
योग	22,731	16,077	4,769	1,265	44,842

परिशिष्ट 15

(अ. प्र. सं. 185 की सूची)

SERVICE AGREEMENT

This agreement made this......................day of.................between (hereinafter called the teacher) of the one part, and the committee of..other part. The committee hereby agrees to employ the teacher and the teacher hereby agree to serve in the said school on the following terms:.

1. The teacher's employment shall begin from the..............day of 19 . He shall be employed in the first instance for one year probation and period of probation shall in no case exceed two years. If during the period of two years of its end the teacher is not found competent or otherwise suitable, his appointment shall be terminated.

2. If confirmed in his appointment at the end of her period of probation, the teacher shall be employed on a monthly salary Rs...................in the grade of........................

3. The said monthly salary shall be paid regularly in the month following that for which it is due.

4, The duties of the teacher shall not be confined as to place to the school building nor as to time to the periods during which the school is open for the purpose of class tution. The teacher shall perform all such duties connected with the work of the school as shall be required of his by the Headmaster and shall in carrying out those duties obey at all time and place the direction of the head of the Institution. No work which is not connected with the school shall be required of her and the collection of subscriptions or donations for the school fund shall not be considered as part of his duties. But his voluntary engagement in such work shall be appreciated.

5. Except during periods when the school is closed for not less than four consecutive days the teacher shall not leave the station in which the school is situated without having first obtained written permission of the manager,

6. The teacher shall allow leave according to the leave rules as framed by the institution.

(i) Subject to the provisions of sub-clause 3 of this clause the committee may at any time at a meeting regularly conveyed under its rules pass resolution dismissing a teacher without notice for any one or more of the following offences:—

(a) Insubordination or disobedience of the order of the head of institution or the management;

(b) Deliberate neglect of duty;

(c) Serious misconduct or the commission of an act which constitute a criminal offence;

(d) Any undersirable attitude or act concerning the personal character of the teacher.

The teacher may any time within 15 days after passing of such a resolution apply to have the decision of committee reviewed by it at a second meeting and the committee shall on receipt of such an application be summoned to a second meeting within one month of the receipt of such an application. At such second meeting the teacher may submit an additional statement of his case and shall if he so desires be allowed to appear before the committee in person to state his case and to answer questions that may be put to him by any member present at the meeting. If the teacher does not apply to have the resolution of the committee reviewed or if the resolution is confirmed by the committee at the second meeting, on further notice of dismissal shall be given to the teacher but he shall be given a copy of the resolution by which he is dismissed together with written statement of the grounds of his dismissal. He shall also be paid his salary upto and including the day on which he was suspended from duty, but he may be required to refund or return any school money, any school property of the value thereof which he has misappropriated wrongfully retained in his possession.

(ii) Instead of dismissing the teacher on any of the ground aforesaid the committee may pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period or by stopping increments of his salary either permanently or temporarily and/or may deprive the teacher of his pay during the period, if any, of his suspension the teacher shall still be entitled to apply to have the resolution of the committee reviewed as provided in sub-clause (i). If the teacher so

applied, the committee shall be at liberty to accept or reject his appeal at its second meeting or to pass a resolution dismissing the teacher instead of inflicting such minor punishment as aforesaid and in such case the resolution dismissing the teacher shall be final and on other notice of dismissal shall be necessary.

(iii) Before a meeting is held for the purpose of dismissing or otherwise punish the teacher the committee or manager shall give to the teacher a statement in writing of the specific charges against her with particulars of time and place and shall allow his at least 7 days to give a written reply thereto and pending the meeting of the committee considered the charges aforesaid the committee or the manager may suspend the member from duty. The teacher shall howover be allowed if he so desires, to appear before the committee in person to state his case and answer any questions that may be put to him by any members present at the meeting.

Note:—It will be incumbent upon the management to hold a meeting of the committee within a period of 15 days from the time of receipt of a reply to the or charge charges framed against a teacher who is suspended and to apply to his subsistance allowance equal to ½ of his pay from the time of suspension till the case is finally decided.

(iv) If the teacher is exonerated of the charges brought against him, he shall be reinstated in his post and shall be paid his salary for the pariod during which he was suspended.

8. While the teacher is on probation as provided in clause 1 the committee may at any time terminate this agreement by giving teacher one calender month's notice in writing or upon paying to the teacher a sum equal to his salary for the month in addition to any pay which he then earned. The teacher may similary terminate this agreement by submitting one calender month's notice in writing to the committee through the Head of the institution or on paying to the committee a sum equal to his salary for one month.

9. If within three months of the expiry of the period of probation on notice of termination of this agreement or of any extension of the period of probation is received by the teacher he will be treated as confirmd in his appointment.

10. When the teacher has been confirmed, neither the teacher nor the committee subject to the provision of clause 7, shall terminate this

agreement except by giving to the other three calendar months' notice in writing or paying to the other a sum equivalent to thrice the monthly salary which the teacher is then earning. The committee shall not terminate the agreement in any case unless a resolution to this effect has been passed at a meeting of the committee specially convened for the purpose and unless adequate reasons for such action are recorded in the resolution. Such reasons shall be in addition to those specified in clause 7 (1) hereof, as (i) inefficiency (ii) general retrenchment (iii) abolition of a section or class (iv) abolition of a subject.

11. The teacher shall follow all rules in regard to public examinations, private tuition etc. in force in the institution.

12. If the teacher wishes to apply for any job elsewhere, the application shall be sent through the head of the institution. The maximum number of places where one can apply shall not be more than two during an academic year.

13. If the teacher voilates the provision of either clause 7, or clause 9, he will forfeit all pay then due to him and the committee may terminate his services or dismiss him as the case may be.

14. No. teacher will terminate his services before the end of the session without previous permission in writing from the Director of Education.

15. In case the committee decides to impose any punishment under clause 7 of this agreement the decision of the committee shall become operative immediately and the teacher shall carry it out immediately. He will however, have the right to appeal to the Appeal Authority specified in Appendix III of the grant-in-aid Rules.

16. In all cases of appeal the decision of the department or the Government shall be final and no suit shall lie in any Civil Court in respect of the matters decided by it. Further neither of the parties shall sue the other for the breach of this agreement nor refer it to arbitration without having first referred the question in dispute to the Director of Education and allowed him reasonable time not exeeding two months to settle the dispute.

17. If the teacher is not in the station at the time when any notice to be given to him in accordance with any of the provisions of the agreement such notice may be sent to him by registered post, to his address, if known and a notice so posted whether even delivered or

Page No 174

not shall have effect from the day when it would have reached him in the ordinary course of the post. If the teacher leave the station without leaving any address a resolution or decision of the committee passed not less than fourteen days after the date when notice would have been given to him if he had been in the station shall be effective whether the teacher get notice of it or not.

Signed on behalf of the Committee by......................
..............under the authority of resolution of the committee, as passed on in the presence of:—

Witness

Address

Witness

Address

इस शर्तनामे में यदि कहीं कोई त्रुटि रही है तो अनुदान विपत्र नियम में दिया गया शर्तनामा सही माना जायेगा।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 186 की सूची)

Conversion of Govt. High Schools into Higher Secondary Schools

Name of School 1	No. of students 2	No. of teachers 3
Year 1955–56		
1. Govt. Patel H. S. S. Beawar Ajmer	941	23
2. Govt. Girls H. S. S. Beawar Ajmer	210	17
3. Govt. H. S. S. Kekri, Ajmer	336	23
4. Govt. H. S. S. Saradhana, Ajmer	285	17
5. Govt. Yaswant H. S. S. Alwar	627	34
6. Govt. H. S. S. Nathdwara Udaipur	926	24
7. Govt. H. S. S. Gumanpura Kota	672	34
8. Govt. H. S. S. Baran, Kota	612	25
9. Govt. H. S. S. Partapgarh, Chittorgarh	676	16
10. Poddar H. S. S. Jaipur	1431	60
11. Govt. Maharaja Girls H. S. S. Jaipur	960	41
12. Govt. New H. S. S. Jodhpur	450	26
13. Govt. H. S. S. Jhunjhunu	627	21
14. Govt. H. S. S. Dungarpur	675	36
15. Govt. H. S. S. Nagaur	707	19
16. Govt. H. S. S. Barmer	357	19
17. Govt. H. S. S. Sojat city Pali	812	27
18. Govt. Sadul H. S. S. Bikaner	544	30
19. Govt. P. O. S. H. S. S. Sujangarh Churu	819	27
20. Govt. H. S. S. Bhartpur	808	47
21. Govt. H. S. S. Dholpur Bhartpur	812	25
22. Govt. H. S. S. Karauli	286	31
23. Govt. H. S. S. Shahpura Bhilwara	897	22
24. Govt. H. S. S. Ganganagar	892	27
Year 1956–57		
1. Govt. H. S. S. Phalaudi Jodhpur	344	16
2. Govt. H. S. S. Rajgarh Churu	291	15
3. Govt. H. S. S. Rajgarh Alwar	591	22
4. Govt. H. S. S. Chittorgarh	793	34
5. Govt. H. S. S. Gangapur Karauli	670	29

1	2	3
6. Govt. H. S. S. Ajmer	655	31
7. Govt. Jain Gurkul H. S. S. Beawar Ajmer	231	15
8. Govt. Narain H. S. S. Bijaynagar Ajmer	320	22
9. Govt. H. S. S. Pushkar Ajmer	281	14
Year 1957–58 Nil		
Year 1958–59		
1. Govt. Kanwarpada H. S. S. Udaipur	705	33
2. Govt. M. G. H. S. S. Jodhpur	391	19
3. Govt. Darbar H. S. S. Jaipur	812	43
4. Govt. City H. S. S. Bikaner	672	22
5. Govt. H. S. S. Bhinmandi Kota	244	15
6. Govt. H. S. S. Pisangan Ajmer	298	11
7. Govt. H. S. S. Masuda Ajmer	252	17
8. Govt. H. S. S. Deoli Tonk	324	10
Year 1959–60		
1. Govt. Oswal Jain H. S. S. Ajmer	676	29
2. Govt. Moinia Islamia H. S. S. Ajmer	303	43
3. Govt. Vynrarik H. S. S. Nasirabad Ajmer	403	20
4. Govt. H. S. S. Bamsar Ajmer	170	7
5. Govt. H. S. S. Sawar Ajmer	266	12
Year 960 61		
1. Govt. H.S.S. Churu	511	23
2. Govt. H.S.S. Sikar	584	23
3. Govt. H.S.S. Sirohi	760	32
4. Govt. H.S.S. Banswara	569	24
5. Govt. H.S.S. Bundi	608	25
6. Govt. H.S.S. Sawai Madhopur	584	22
7. Govt. Girls H.S.S. Bharatpur	396	12
8. Govt. Girls H.S.S. Udaipur	860	17
9. Govt. H. S. S. Kishangarh Ajmer	350	14
10. Govt. S.T.D. H. S. S. Beawar Ajmer	297	14
11. Govt. H.S.S. Pali	873	30
12. Govt. H.S.S. Jalore	114	16

1	2	3
13. Govt. H.S.S. Tonk	461	14
14. Govt. H.S.S. Jhalawar	334	15
15. Govt. H.S.S. Jaisalmer	331	14
16. Govt. Girls H.S.S. Alwar	271	17
17. Govt. Girls H.S.S. Kota	439	17
18. Govt. Jawar H.S.S. Ajmer	790	26
19. Govt. T.C. Jain H. S. S. Aj e	429	16
20. Govt. H.S.S. Srinagar, Ajmer	190	13
21. Govt. H.S.S. Todgarh, Ajmer	256	10
22. Govt. H.S S. Bhinai, Ajmer	191	11
23. Govt. M. G. H.S.S. Ajmer	541	17
Year 1961-62		
1. Govt. Girls H.S.S. Bikaner	352	20
2. Govt. Rajmahal Girls H.S.S. Jodhpur	545	23
3. Govt. Maharani Girls H.S.S. Ajmer	825	25
4. Govt. Fort H.S.S. Bikaner	723	25
5. Govt. Motikatla H.S.S. Jaipur	899	35
6 Govt. M. G. H.S.S. Kota	756	34
7. Govt. Lawbardar H.S.S. Udaipur	1023	33
8. Govt. Mahilabagh H.S.S. Jodhpur	527	16
Year 1962-63 Nil		
Year 1963-64 Nil		
Year 1964-65 Nil		
Year 1965.66 Nil		
Year 1966-67		
1. Govt. H.S.S. Bhinmal, Jalore	527	12
Year 1967-68		
1. Govt. H.S.S. Karanpur, Ganganagar	466	24
Year 1968-69		
1. Govt. H.S.S. Sambhar, Jaipur	1023	25

Page No 178

1	2	3
2. Govt. H.S.S. Deeg, Bharatpur	620	23
3. Govt. H.S. S. Nimbahera, Chittorgarh	894	36
4. Govt. H. S. S. Malpura, Tonk	657	30
5, Govt. H. S. S. Bari, Bharatpur	454	28

(By downgrading Higher Sec. School, Sarmathura, Bharatpur)

Year 1969-70

1. Govt. H. S. S. Khetri, Jhunjhunu	661	26
2. Govt. H. S. S. Aburoad, Sirohi	649	24

(By downgrading Higher Secondary School, Recheda and Mandar in Sirohi Distt.)

परिशिष्ट 17

(अ. प्र. सं. 191 की सूची)

Statement showing the Districtwise, Expenditure incurred under head 65—Old Age Pension from April, 1968 to December, 1969.

S. N.	Name of District.	Expenditur incurred From 4/68 to 3/69.	From 4/69 to 10/69.	Total
1.	Ajmer.	1,7441,41.00	82,188.44	2,26,329.44
2.	Alwar.	1,30,889.00	79,910.10	2.04.799.10
3.	Banswara.	17.410.00	8,810 85	26,220.85
4.	Barmer.	16,724 00	9,193.92	25,917.92
5.	Bharatpur.	76,879.00	57,012.76	1,33.891.76
6.	Bhilwara.	33,304.00	23,739.75	57,043.75
7.	Bikaner.	63,732 00	33,839.11	97 571.11
8.	Bundi.	21,108.00	16,479 10	37,587.10
9	Chittorgarh.	8,127.00	9,767.65	17,894.65
10	Churu.	26,604.00	11 572 84	38,176.84
11.	Dungarpur.	9,621.00	6,768.47	16,389.47
12.	Jaipur.	2,50,780.00	1,29.707.22	3,80487.22
13.	Ganganagar.	10,513 00	7,141.57	17,654.57
14.	Jaisalmer.	19,466.00	17,287.00	36,753.69
15.	Jalore.	1,255.00	1,131.20	2 386.20
16.	Jhalawar.	25,855.00	16,887.84	4,2742.84
17.	Jhunjhunu.	1,6197.00	11,141 58	27,338.58
18.	Jodhpur.	1,81,590.00	91,412.11	2.73,002.11
19.	Kota.	23,752.00	54 55.51	29,207.51
20.	Nagaur.	36,562.00	28,494 03	65,056.03
21.	Pali.	27,678.00	15,725 79	37,403.79
22.	Sawai Madhopur.	17,292.00	12,509.40	29,801.40
23.	Sikar.	591,72 00	32,531.35	91.703.35
24.	Sirohi.	12,835.00	11,176.30	24.011.30
25.	Tonk.	26,327.00	15,276.65	41,603.65
26.	Udaipur.	70,010.00	58,307.46	1,28,317.46
	Grand Total..	13,22,823.00	7,87,468.69	21,10,291.69

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 27 जनवरी, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
12	अंतिम से	2	पुचना	पूछना
32	,,	1	खिए	लिए
33	,,	10	पदास्थापन	पदोपस्थापन
34	,,	24	फिक्केशन	फिक्सेशन
34	,,	12	सीनियरिटी	सीनियोरिटी
37	अंतिम से	7	क्षत्रों	क्षेत्रों
38	,,	14	श्री कसरीसिह हाडा	श्री केसरी सिंह हाड़ा
39	,,	22	उसा	उसका
39	,,	5	माननीम	माननीय
41	,,	13	सामान्य 190 20 155	सामान्य 1190120155
41	,,	10	समान	सामान
42	,,	17	correspond ne	correspondence
42	,,	14	ostel	Hostel
42	,,	13	Maser	Master
42	,,	11	a th	at the
47	अंतिम से	12	अग्रवल	अग्रवाल
55	अंतिम से	8	परिवर्तित	परिवर्तित
59		5	रमकुमार	रामकुमार
59	अंतिम से	20	किसनों	किसानों
59	,,	11	बढ	बाढ़
59	,,	1	ट	टूट
60		5	उपब्धी	उपलब्धी
62		6	परचेच	परचेज
73	अंतिम से	2	खोडा	सोढ़ा
84		4	सावरियां	सवारियां
121	,,	12	का मुकर्रर	का महंत मुकर्रर
133	,,	5	बिन	बिना
133	,,	2	पर	पर
135	,,	16	निगम	नियम
140		9	रिवर्स	रिपेयर्स
141	अंतिम से	8	कार्यावाही	कार्यवाही
143	,,	16	मं	में
143	,,	5	आकर्षक	आकर्षण
146	,,	12	प्रसाद	प्रसाव

1		2	3	4
154		2	ण्ठल	डण्ठल
154		4	00	700
154		12	चहते	चाहते
154		14	वरे	हरे
154	अंतिम से	7	ग्रौर पंचा	पंचायत
156	अंतिम से	16	इनता	इतना
157	"	10	बद	बाद
158	"	2	हमार	हमारी
159	"	18	ालडा	डालडा
159	"	17	ग्रज	आज
159	"	10	योचना	सोचना
160	"	17	गागी	मांगी
160	"	10	क्या य ठाक ?	क्या यह ठीक है ?
187	"	24	जती	जाती
189	"	17	ग्रर	ग्रौर
201		1	कानूम्	कानून
218	ग्रं म से	2	बिलट	एडल्ट
222		16	दारे	बारे
227	अंतिम से	1	ल	लें
245	"	3	ए	एच
246		10	ब्यायर	ब्यावर
254	अंतिम से	16	Sterngtn	Strength
262	"	18	f पीटं	रिपोर्ट
267	"	10	5	15
270	"	5	गलियों	गोलियों
273	"	8	परिष्त्	परिषद्
274		7	सन्दभ	सन्दर्भ
274		19	पक्क	पक्के
275	अंतिम से	9	कते	करते
275	"	1	अवश्यकता	ग्रावश्यकता
278	"	21	चटन	चाटन
278	"	19	महोदब	महोदय
278	"	2	दन	दान
279	"	5	भ	भी
280	"	21	पस	पास
281	"	24	बीमरी	बीमारी
281	"	20	पश्चत्	पश्चात्
282	"	19	म	में
283	"	24	wil	will
283	"	14	श्री रमानन्द ग्रग्रवाल	श्री रामानन्द ग्रग्रवाल
283	"	9	श्री राम ना यरण	श्री राम नारायण
283	"	6	Snh	Such

1	2		3	4
284		4	ग्रलवा	ग्रलावा
284		14	प्रकाशन	प्रशासन
284	ग्रंतिम से	4	श्री राम नरायण	श्री राम नारायण
285	,,	20	जा।	जाना
285	,	7	पचात	पश्चात्
286	,,	13	दे ों	देखों
287	,,	7	मानीयय	माननीय
293	,,	2	हगी	होगी
294	,,	—	(श्री अपाध्य ा)	(श्री उपाध्यक्ष)